उत्तर प्रदेश की मन्त्रिपरिषद् (1991-1997)

संरचनात्मक- संख्यात्मक दृष्टिकोण

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के राजनीति विज्ञान विषय में

डाक्टर ऑफ़् फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध - प्रबन्ध

शोध निर्देशक-
डॉ आलोक पंत
विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

शोधकर्त्री-
मनीषा सिंह
शोध छात्रा
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

कला संकाय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिसम्बर २००२

डॉ0 आलोक पत

विभागाध्यक्ष,

राजनीति विज्ञान विभाग,
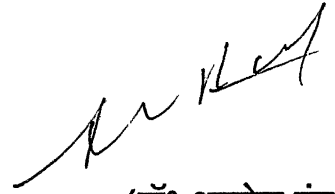
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मनीषा सिह सुपुत्री (स्वर्गीय) डॉ0 रामरूप सिह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पत्राक 3, दिनाक 4 जनवरी 1999 के अनुसार **"उत्तर प्रदेश की मन्त्रिपरिषद (1991-1997) संरचनात्मक-सख्यात्मक दृष्टिकोण"** शीर्षक पर हमारे निर्देशन मे अपना शोध-कार्य पूर्ण कर लिया है। इनका यह कार्य अत्यन्त मौलिक एव शोध-मानको के अनुसार क्रमबद्ध तथा सुसगत है।

अत शोध-प्रबन्ध के मूल्याकनार्थ अनुमत है। मै इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

(डॉ0 आलोक पंत)

शोध-निर्देशक एव विभागाध्यक्ष

राजनीति विज्ञान विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद।

प्राक्कथन

विश्व के जनतन्त्रात्मक राज्यो मे जो स्थान (सख्या की दृष्टि से) भारत का है वही स्थान भारत के सदर्भ मे उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति को सर्वथा एक नई दिशा और दशा प्रदान की है, जिसके कारण यह राजनीतिक क्षितिज पर अत्यन्त आदरास्पद रहा है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि भारतीय शासन की प्रकृति और प्रवृत्ति ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के ससदात्मक पद्धति पर अवलम्बित है ब्रिटेन मे ससदीय प्रभुता का सिद्धान्त, यद्यपि की सिद्धान्त स्वीकृत एव स्थापित माना जाता है, तथापि वस्तुत वहॉ मन्त्रिमण्डल और प्रधानमत्री की सम्प्रभुता ही विद्यमान है। यही कारण है कि मन्त्रिपरिषद को 'राज्य-रुपी' जहाज का परिचालक चक्र' (रैम्जो म्योर), 'सरकार का केन्द्रीय निर्देशक' (ऐमरी) और ऐसा 'शक्ति-पुज' जिसके चारो ओर समस्त राजनीतिक यन्त्र घूमता है (जॉन मेरियट) लावेल ने इसे 'राजनीतिक भवन की आधारशिला (द-गवर्नमेण्ट ऑफ इग्लैण्ड, खण्ड-1, पृ0 57) कहा है।

मन्त्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमत्री के लिए एक अत्यन्त दुष्कर एव दुरुह कार्य होता है। उसे मन्त्रिपरिषद के गठन मे अनेक क्षेत्रीय, गुटीय, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि स्थितियो-परिस्थितियो का ध्यान रखना पडता है। लावेल ने इस सन्दर्भ मे ठीक ही लिखा है, "मन्त्रिमण्डल का निर्माण प्रधानमत्री का ऐसा कार्य है, जैसा कि बहुत से ऐसे ब्लाको की सहायता से, जो एक-दूसरे से मेल न खाते हो, एक चित्र तैयार करना है।"

ब्रिटेन के सन्दर्भो मे ही भारतीय मन्त्रिपरिषद की सरचना और उसमे प्रधानमत्री की भूमिका को समझना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के समान ही राज्य-सरकारो के अर्न्तगत मन्त्रिपरिषद की सरचना और मुख्यमत्री की भूमिका होती है। वर्तमान मे केन्द्र और उत्तर प्रदेश मे जो मन्त्रिपरिषदीय सरचना है, वह प्रधानमत्री या मुख्यमत्री की भूमिका को अधिक सश्लिष्ठ व दुष्कर बनाती है, क्योकि उक्त दोनो स्तरो पर अनेक प्रकार के दलो की मिली जुली सरकारे है।

उत्तर प्रदेश मे आए दिन सरकारे बन-बिगड रही है। शोधकर्त्ता ने मन्त्रिपरिषद् की सत्ता और महत्ता को दृष्टि मे रखते हुए ही उत्तर प्रदेश की मन्त्रिपरिषद् की सरचानात्मक-सख्यात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करने हेतु प्रस्तुत विषय का चयन किया है।

शोध-विषय के अन्तर्गत सन् 1991 से 1997 तक का काल-विशेष निर्धारित है, क्योकि इस कालखण्ड मे प्रदेश मे राजनीतिक अस्थिरता, परिवर्तन, मूल्यहीनता, अवसरवादिता आदि का नग्न प्रदर्शन हुआ। नेतागण अपनी सम्पूर्ण शक्ति और बौद्धिकता का प्रयोग सरकार बनाने और उसे बचाने मे ही लगा रहे है, राष्ट्रीय हित या विकास का प्रश्न गौड हो गया है।

सन् 1991 से 1997 तक के काल मे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की मन्त्रिपरिषदे बनी। 1991 मे भाजपा, 1993 मे सपा (बसपा समर्थित), 1995 में बसपा (भाजपा समर्थित), 1997 मे पुन छ-छ महीने के लिए भाजपा-बसपा की मिलीजुली, सरकार बनी। बसपा के कोटे के छ महीने व्यतीत होने के पश्चात् जब भाजपा का शेष छ महीने का कार्यकाल श्री कल्याण सिह के मुख्यमंत्री के रुप मे प्रारम्भ हुआ, तो परस्पर विद्वेष और राजनीतिक महत्वाकाक्षाओ के कारण बसपा समर्थित भाजपाा सरकार एक महीने भी नही चल पायी और अन्तत अन्य दलो के जोड़-तोड से जेम्बोमन्त्रिमण्डल बना कर भाजपा ने सरकार बनायी।

यह शोध प्रबन्ध उपसहार सहित नौ अध्यायो मे विभक्त है तथा परिशिष्ट के रूप मे उ0 प्र0 की मन्त्रियो की सूची, प्रश्नावली एव सन्दर्भ ग्रन्थो की सूची भी दी गई है।

भूमिका एव शोध विधि प्रथम अध्याय से सम्बन्धित है। इसमे भूमिका के रूप मे विषय-चयन का आधार बताते हुए विषय की महत्ता को रेखाकित किया गया है। शोध-विधि के अन्तर्गत ऐतिहासिक, वैधानिक एव वर्णनात्मक दृष्टिकोण की समीक्षा करते हुए अधुनातन व्यवस्थित विश्लेषण (डेविड ईस्टन्) तथा सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक (आमण्ड-पॉवेल) दृष्टिकोणो को आधार मानकर शोध कार्य के सम्पादन का कारण बताया गया है। शोधकर्त्ती ने ईस्टन और पॉवेल के उक्त दोनो दृष्टिकोणो को समग्र रूप मे न लेकर राजनीतिक व्यवस्था और पर्यावरणीय पृष्ठभूमि तथा 'सरचनात्मक' दृष्टि को ही मुख्य रूप से आधार माना है।

उत्तर प्रदेश - एक पार्श्वचित्र के रूप में द्वितीय अध्याय का निर्धारण किया गया है, जिसमे प्रदेश की समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थितियो सहित भौगालिक एव पर्यावरणीय स्थिति-परिस्थिति का सक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया गया है।

तृतीय अध्याय मे मन्त्रिपरिषद् की सरचनाओ उसके ऐतिहासिक और सवैधानिक रुप में

व्याख्यायित करते हुए मन्त्रिपरिषद् और मन्त्रिमण्डल मे अन्तर स्पष्ट करते हुए मन्त्रिपरिषद् का विधानमण्डल तथा मुख्यमन्त्री से सम्बन्ध विवेचित है।

अध्याय चतुर्थ पचम् एव षष्ठम् मे मन्त्रिपरिषद् की जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, शैक्षणिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि के साथ ही स्त्री-पुरूष (लैगिक विभिन्नता) का उल्लेख किया गया है। चूँकि नीति निर्माताओ के आचार–विचार एव कार्य–व्यवहार को ये परिस्थितिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे प्रभावित करती है, अत इनको प्राप्त अभिलेखो प्रश्नो के माध्यम से मतदाताओ के उत्तरो आदि के आधार पर अलग–अलग तालिका द्वारा विवेचित–विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक परिवर्तनो की सारिणी के आधार पर विश्लेषणात्मक निष्कर्ष भी अत्यन्त सक्षेप मे वही पर दिए गए है, यद्यपि उपसहार सम्बन्धी अध्याय मे समग्ररूप से निष्कर्ष विवेचित है।

सप्तम् अध्याय मे मन्त्रिपरिषद् एव विधान सभा–विधान परिषद् के मध्य सम्बन्ध को मुख्यतया इस आधार पर देखन का प्रयास किया गया है कि मन्त्रिपरिषद् मे उक्त दोनो सदनो से कितनी सख्या मे सदस्य लिए गए है। उनका आपस मे अनुपात क्या है ?

मन्त्रिपरिषद् मे दलीय स्थिति का ऑकलन/विवेचन को अष्टम् अध्याय का विषय बनाया गया है। इस अध्याय की प्रासगिकता एव महत्व इसलिए भी है कि निर्धारित कालखण्ड मे निर्मित सरकारे बहुधा विभिन्न दलो के सहयोग से बनी थी और उनके दल के विधायकगण मन्त्री बने थे।

उपसहार के रूप मे निर्धारित नवम् अध्याय मे सम्पूर्ण शोध–प्रबन्ध के विभिन्न अध्यायो मे विवेचित परिवर्त्यों का निष्कर्ष एव विश्लेषण के पश्चात् वाक्षित सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का प्रणयन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ0 आलोक पन्त के कुशल, विद्वतापूर्ण निर्देशन मे सम्पन्न हुआ है। यदि मुझे उन जैसा गुरू न मिला होता तो मै यह कार्य पूरा नही कर पाती। विद्या के सभी क्षेत्रो मे समान रुचि रखने वाले समादरणीय गुरुवर को मै सादर प्रणाम करती हूँ।

अनन्तर आभारी हूँ डॉ0 लाल साहब सिह (रीडर, आर आर पी जी कॉलेज, अमेठी) जिनके प्रेरणा, सहयोग एव प्रोत्साहन के बिना इस महायज्ञ की पूर्णाहूति असम्भव थी।

श्रद्धावनत हूँ डॉ0 पकज कुमार एव डॉ0 अनुराधा अग्रवाल (प्रवक्ता, राजनीति शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) के प्रति जिनके आत्मीय सहयोग ने मुझे शोध कार्य की पूर्णता के लिए सतत् उत्साहित किया।

अनेक अज्ञात तथ्यो पर प्रकाश डालने एव शकाओ के समाधान के लिए प्रो0 एस डी सिह (समाज शास्त्र विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी), डॉ0 ए सी राव (विभागाध्यक्ष-सैन्य विज्ञान, आर आर पी. जी कालेज, अमेठी), डॉ0 ललिता राव (प्रवक्ता-शिक्षा सकाय, यू0 पी0 कालेज, वाराणसी) जिनके दिशानिर्देश एवं परिश्रम को मै शब्दों मे व्यक्त नही कर सकती ।

प्रस्तुत शोध सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मै श्री एस के पाठक जी (बी एच यू पुस्तकालय) के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।

मै अपने विभाग के समस्त शिक्षाविदो एव उन सभी विद्वानो के प्रति अपना अन्तरीण आभार प्रगट करती हूँ जिनके विचारो एव ग्रन्थो से प्रत्यक्ष-परोक्ष सहायता लेकर मै प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का निर्माण किया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मेरे वन्दनीय, स्वर्गीय बाबू जी (डॉ0 रामरुप सिह, विभागध्यक्ष, शिक्षा सकाय, आर आर पी जी कालेज, अमेठी) व श्रद्धेय अम्मा जी के असीम त्याग तप, अनथक परिश्रम, हित चिन्तना, शैक्षिक जागरुकता तथा शुभाशीर्वाद का प्रतिफलन है। इन्ही की मूल प्रेरणा तथा हार्दिकेच्छा से मेरे इस स्वप्न को पूर्णता प्राप्त हो सकी।

मै अपने चाचा जी (प्रो0 सविन्द्र सिह-विभागाध्यक्ष, भूगोल-विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद) के प्रति आभारी हूँ, जो शोधकार्य के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करते रहे।

मेरे पितृतुल्य श्री सूर्यनाथ सिह एव मातृतुल्य श्रीमती रानी सिह के चरणो मे प्रणाम निवेदित करती हूँ, जिन्होने समय-समय पर अविस्मरणीय प्रेरणा, प्रोत्साहन तथा स्नेह द्वारा इस शोध कार्य के प्रति सदैव रुचि जागृत रखी। इनके प्रति औपचारिक आभार प्रदर्शन धृष्टता ही होगी।

मै अपने भइया भाभी, अरविन्द-कल्पना की स्नेहच्छाया एव सद्भावनाओ से भावाविभूत हूँ। अपने अग्रज तुल्य अजय एव स्नेहिल रूपा तथा परिवार के सभी सदस्यो को अपने अन्तस् का 'सु-भाव' ही अर्पित कर सकती हूँ क्योकि इन सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना अपने ही प्रति धन्यवाद प्रकट करना है।

अन्तोगत्वा शिव कुमार गुप्ता, दीपक सिह (लेजर टाइपिंग एण्ड सेटिंग), तथा प्रवीण श्रीवास्तव (ग्राफिक्स) के सहयोग को भुलाया नही जा सकता है अत इनको सहृदय धन्यवाद देना चाहती हूँ।

मनीषा सिंह

दिनाक- (मनीषा सिंह)

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ सख्या
प्राक्कथन :		I - V
अध्याय प्रथम :	भूमिका एवं शोध विधि	1 - 22
अध्याय द्वितीय :	उत्तर प्रदेश- एक पार्श्व चित्र	23 - 68
अध्याय तृतीय :	मंत्रिपरिषद की संरचना	69 - 98
अध्याय चतुर्थ :	मंत्रिपरिषद के सदस्यो की जाति, धार्मिक एवं क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि	99 - 186
अध्याय पंचम् :	मंत्रिपरिषद के सदस्यों की शैक्षणिक एवं व्यवसायिक स्थिति	187- 242
अध्याय षष्ठम् :	मंत्रिपरिषद में स्त्री- पुरुष का प्रतिनिधित्व	243 -273
अध्याय सप्तम् :	मंत्रिपरिषद एवं विधानसभा - विधानपरिषद	274 - 291
अध्याय अष्ठम् :	मंत्रिपरिषद में सम्मिलित दलो की स्थिति	292 - 305
उपसंहार	:	306 - 308

परिशिष्ट -

I. मंत्रालयों की सूची

II. मंत्रियों की सूची

III. प्रश्नावली - सूची

IV. सन्दर्भ - ग्रन्थ सूची

सारिणी सूची

क्र0 स0	सारिणी विवरण	सारिणी स0	पृष्ठ स0
	I उत्तर प्रदेश एक पार्श्वचित्र		
1	जनसख्या ‐	2 1 1	30
2	जनसख्या ‐ क्षेत्रीय वितरण	2 1.2	30
3	स्त्री-पुरुष अनुपात	2 1 3	31
4	साक्षरता	2.1 4	32
5	साक्षरता ‐ क्षेत्रीय विवरण	2.1 5	34
6	धार्मिक संरचना	2 1 6	35
7	अनु जा.एवं अनु.ज जाति	2 1 7	36
8	जातीय संरचना	2.1 8	38
9	मतदाताओ की जाति संरचना	2 1 9	40
10	राजकीय आय : क्षेत्रो से	2.2 1	50
11	राजकीय आय कुल राष्ट्रिय आय के अनुपात मे	2.2.2	51
12	कामगार	2.2.3	54
13	कामगार ‐ ग्रामीण एवं शहरी	2 2.4	55
14	नगरी जनसंख्या	2 2.5	56
15	अर्थव्यवस्था व क्षेत्रीय वितरण	2.2.6	58

क्र0 स0	सारिणी ।विवरण	सारिणी स0	पृष्ठ स0
	II जाति पृष्ठ भूमि		
16	कल्याण सिह(1991)	4 1 1	103
17	मुलायम सिंह यादव(1993)	4.1.2	106
18	मायावती (1995)	4.1 3	109
19	मायावती (1997)	4 1.4	112
20	कल्याण सिह(1997)	4.1 5	116
21	1991-1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदो मे समग्र रुप से	4.1.6	119
22	1991-1997 के मध्य विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यो की जाति पृष्ठ भूमि	4.1.7	124
	III धार्मिक पृष्ठ भूमि		
23	कल्याण सिंह(1991)	4 2.1	135
24	मुलायम सिह यादव(1993)	4 2.2	137
25	मायावती (1995)	4 2.3	140
26	मायावती (1997)	4.2 4	143
27	कल्याण सिह(1997)	4.2.5	145
28	1991-1997 के मध्य गठित मंत्रिपषिद	4.2.6	148
29	1991-1997 विधानसभा एवं मन्त्रिपरिषद	4 2.7	153

क्र0 स0	सारिणी विवरण	सारिणी स0	पृष्ठ स0
	IV क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि		
25	कल्याण सिह(1991)	4 3.1	161
26	मुलायम सिह यादव(1993)	4.3.2	164
27	मायावती (1995)	4.3.3	166
28	मायावती (1997)	4.3.4	169
29	कल्याण सिह(1997)	4.3 5	171
30	सन् 1991 से 1997 के मध्य मंत्रियो परिषदो मे क्षेत्रिय प्रतिनिधित्व	4.3.6	176
	V शैक्षिक प्रस्थिति		
30	कल्याण सिह(1991)	5.1.1	189
31	मुलायम सिंह यादव(1993)	5.1 2	192
32	मायावती (1995)	5.1.3	195
33	मायावती (1997)	5.1.4	199
34	कल्याण सिंह(1997)	5.1.5	202
35	1991-1997 के मध्य गठित मंत्रिपषिद	5 1.6	206
36	शैक्षिक प्रस्थिति विधानसभा एवं मन्त्रिपरि	5.1.7	211

क्र0 स0	सारिणी विवरण	सारिणी स0	पृष्ठ सं0
	VI व्यवसायिक पृष्ठ भूमि		
37	कल्याण सिह(1991)	5 2 1	219
38	मुलायम सिंह यादव(1993)	5.2.2	223
39	मायावती (1995)	5 2 3	227
40	मायावती (1997)	5 2.4	230
41	कल्याण सिह(1997)	5 2 5	233
42	सन् 1991 से 1997 के मध्य मत्रियो परिषदों मेव्यवसायिकप्रतिनिधित्व	5.2.6	237
	VII मंत्रि परिषद मे स्त्री पुरुष प्रतिनिधित्व		
43	कल्याण सिंह(1991)	6.1	249
44	मुलायम सिंह यादव(1993)	6.2	252
45	मायावती (1995)	6.3	254
46	मायावती (1997)	6.4	256
47	कल्याण सिंह(1997)	6.5	259
48	1991-1997 के मध्य गठित मंत्रिपषिद	6 6	262
49	शैक्षिक प्रस्थिति विधानसभा एवं मन्त्रिपरि. मे स्त्री पुरुष प्रतिनिधित्व।	6.7	266

क्र0 स0	सारिणी विवरण	सारिणी स0	पृष्ठ स0
50	स्त्री प्रतिनिधित्व - दल	6 8.1	267
51	स्त्री प्रतिनिधित्व : धार्मिक प्रस्थिति	6 8 2	268
52	स्त्री प्रतिनिधित्व - जाति प्रस्थिति	6 8.3	269
53	स्त्री प्रतिनिधित्व - शैक्षिक स्तर	6 8.4	269
54	स्त्री प्रतिनिधित्व - व्यवसाय	6 8 5.	270
	VIII मंत्रिपरिषद मे विधान सभा एवं विधान परिषद से लिये गये सदस्य		
55	कल्याण सिह(1991)	7 1	278
56	मुलायम सिंह यादव(1993)	7 2	279
57	मायावती (1995)	7.3	280
58	मायावती (1997)	7 4	281
59	कल्याण सिंह(1997)	7 5	282
	IX मंत्रिपरिषद मे सम्मलित दलो की स्थिति		
60	कल्याण सिंह(1991)	8 1	295
61	मुलायम सिंह यादव(1993)	8 2	296
62	मायावती (1995)	8 3	297
63	मायावती (1997)	8 4	299
64	कल्याण सिंह(1997)	8 5	300

रेख ।चेत्र सूची

क्र0 स0	रेखाचित्र विवरण	रेखाचित्र सं0	पृष्ठ स0
I	मत्रिपरिषद के सदस्यो की जातीय पृष्ठ भूमि		
1	कल्याण सिह (1991) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 1 1 (अ)	104
2	कल्याण सिह (1991) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	4 1 1 (ब)	104
3	मुलायम सिह यादव (1993) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 1 2 (अ)	107
4	मुलायम सिह यादव (1993) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	4 1 2 (ब)	107
5	मायावती (1995) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 1 3 (अ)	110
6	मायावती (1995) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	4 1 3 (ब)	110
7	मायावती (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 1 4 (अ)	113
8	मायावती (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	4 1 4 (ब)	113
9	कल्याण सिह (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 1 5 (अ)	117
10	कल्याण सिह (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	4 1 5 (ब)	117
11	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद मे उच्चजाति के सदस्य	4 1 6 (अ)	121

क्र0 स0	रेखाचित्र विवरण	रेखाचित्र सं0	पृष्ठ स0
12	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद मे मध्यम जाति के सदस्य	4 1 6 (ब)	123
13	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद मे अनुसूचित जाति एव जन जाति के सदस्य	4 1 6 (स)	125
II	**मत्रिपरिषद के सदस्यो की धार्मिक पृष्ठ भूमि**		
14	कल्याण सिंह (1991) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 2 1 (अ)	136
15	कल्याण सिह (1991) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	4 2 1 (ब)	136
16	मुलायम सिह यादव (1993) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 2 2 (अ)	138
17	मुलायम सिह यादव (1993) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	4 2 2 (ब)	138
18	मायावती (1995) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 2 3 (अ)	141
19	मायावती (1995) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	4 2 3 (ब)	141
20	मायावती (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 2 4 (अ)	144
21	मायावती (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	4 2 4 (ब)	144
22	कल्याण सिह (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 2 5 (अ)	146

क्र0 स0	रेखाचित्र विवरण	रेखाचित्र सं0	पृष्ठ स0
23	कल्याण सिह (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	4 2 5 (ब)	146
24	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद मे हिन्दू सदस्य	4 2 6 (अ)	150
25	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद मे मुस्लिम सदस्य	4 2 6 (ब)	152
26	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद मे अन्य सदस्य	4 2 6 (स)	154
III	मत्रिपरिषद के सदस्यो की क्षेत्रीय पृष्ठभूमि		
27	कल्याण सिह (1991) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 3 1	162
28	मुलायम सिह यादव (1993) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 3 2	165
29	मायावती (1995) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 3 3	167
30	मायावती (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 3 4	170
31	कल्याण सिह (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	4 3 5	172
32	सन् 1991 से 1997 के मध्य मत्रिपरिषद मे उत्तराचल का प्रतिनिधित्व।	4 3 6 (क)	176
33	सन् 1991 से 1997 के मध्य मत्रिपरिषद मे पश्चिमाचल का प्रतिनिधित्व।	4 3 6 (ख)	178

क्र0 स0	रेखाचित्र विवरण	रेखाचित्र सं0	पृष्ठ स0
34	सन् 1991 से 1997 के मध्य मत्रिपरिषद मे मध्याचल का प्रतिनिधित्व।	4 3 6 (ग)	180
35	सन् 1991 से 1997 के मध्य मत्रिपरिषद मे बुदेलखण्ड का प्रतिनिधित्व।	4 3 6 (घ)	182
36	सन् 1991 से 1997 के मध्य मत्रिपरिषद मे पूर्वाचल का प्रतिनिधित्व।	4 3 6 (ड)	184
IV	मत्रिपरिषद के सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति		
37	कल्याण सिह (1991) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	5 1 1 (अ)	190
38	कल्याण सिह (1991) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	5 1.1 (ब)	190
39	मुलायम सिह यादव (1993) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	5 1 2 (अ)	193
40	मुलायम सिह यादव (1993) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो क्री	5 1 2 (ब)	193
41	मायावती (1995) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	5 1 3 (अ)	196
42	मायावती (1995) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	5 1 3 (ब)	196
43	मायावती (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	5 1 4 (अ)	200
44	मायावती (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	5 1 4 (ब)	200

क्र0 स0	रेखाचित्र विवरण	रेखाचित्र सं0	पृष्ठ स0
45	कल्याण सिह (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	5 1 5 (अ)	203
46	कल्याण सिह (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	5 1 5 (ब)	203
47	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद मे इण्टरमीडिएट तथा कम शैक्षिक स्तर वाले सदस्य	5 1 6 (अ)	208
48	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद मे स्नातक स्तरीय शैक्षिक स्तर वाले सदस्य	4 3 6 (ब)	210
49	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद मे स्नात्कोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक स्तर वाले सदस्य	4 3 6 (स)	212
V	मत्रिपरिषद के सदस्यो की व्यवसायिक पृष्ठभूमि		
49	कल्याण सिह (1991) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	5 2 1	221
50	मुलायम सिह यादव (1993) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद	5 2 2	225
51	मायावती (1995) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	5 2 3	229
52	मायावती (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	5 2 4	232
53	कल्याण सिह (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	5 2 5	235
VI	मत्रिपरिषद मे स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व		
54	कल्याण सिह (1991) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	6 1 (अ)	251

क्र0 स0	रेखाचित्र विवरण	रेखाचित्र सं0	पृष्ठ स0
55	कल्याण सिह (1991) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	6 1 (ब)	251
56	मुलायम सिह यादव (1993) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	6 2 (अ)	253
57	मुलायम सिह यादव (1993) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	6 2 (ब)	253
58	मायावती (1995) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	6 3 (अ)	255
59	मायावती (1995) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	6 3 (ब)	255
60	मायावती (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	6 4 (अ)	257
61	मायावती (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	6 4 (ब)	257
62	कल्याण सिह (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद।	6 5 (अ)	260
63	कल्याण सिह (1997) के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के साथ विधान सभा के सदस्यो की	6 5 (ब)	260
64	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद मे पुरुष सदस्य	6 6 (अ)	264
65	सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद मे स्त्री सदस्य	6 6 (ब)	265

क्र0 स0	रेखाचित्र विवरण	रेखाचित्र सं0	पृष्ठ स0
VII	मत्रिपरिषद मे विधानसभा तथा विधान परिषद से लिये गये सदस्य		
66	(सन् 1991 से 1997 के मध्य गङ्ति) मत्रिपरिषद मे विधान सभा के सदस्य	7 1 1	283
67	(सन् 1991 से 1997 के मध्य गङ्ति) मत्रिपरिषद मे विधान परिषद के सदस्य	7 1 2	285
68	(सन् 1991 से 1997 के मध्य गङ्ति) मत्रिपरिषद मे विधान सभा एव विधान परिषद के सदस्य सयुक्त रुप से	7 1 3	287
69	(सन् 1991 से 1997 के मध्य गङ्ति) मत्रिपरिषद मे विधान सभा एव विधान परिषद के सदस्यो के प्रतिनिधित्व का उतार चढ़ाव।	7 1 4	289

प्रथम अध्याय

भूमिका एवं शोध विधि

अध्याय—एक

भूमिका एव शोध—विधि

भारतवर्ष विश्व का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ससदीय लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है और उत्तर—प्रदेश इसका ऐसा राज्य है जो प० नेहरू से लेकर प० अटल बिहारी वाजपेयी तक के अधिकाश प्रधानमन्त्री देश को दिए है। इस प्रदेश ने देश की राजनीति को सर्वदा एक नई दिशा और दशा प्रदान की है, जिसके कारण यह राजनीतिक क्षितिज पर अत्यन्त आदरास्पद रहा है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि भारतीय शासन की प्रकृति और प्रवृत्ति ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था पर ससदात्मक पद्धति पर अवलम्बित है। ब्रिटेन मे ससदीय प्रभुता का सिद्धान्त, यद्यपि की सिद्धान्त स्वीकृति एव स्थापित माना जाता है, तथापि वस्तुत वहाँ मन्त्रिमण्डल और प्रधानमन्त्री की सम्प्रभुता ही विद्यमान है। यही कारण है कि मन्त्रिपरिषद को 'राज्य—रूपी जहाज का परिचालक चक्र' (रैम्जे म्योर), 'सरकार का केन्द्रीय निर्देशक' (ऐमरी) और ऐसा 'शक्ति—पुज' जिसके चारो ओर समस्त राजनीतिक यन्त्र घूमता है (जॉन मेरियट)। लावेल ने इसे 'राजनीतिक भवन की आधारशीला' (द गवर्नमेण्ट ऑफ इग्लैण्ड, खण्ड—1 पृ०—57) कहा है। इसी प्रकार, प्रधानमन्त्री को मन्त्रिमण्डल का अधिपति (रैम्जे म्योर), नक्षत्रो की बीच चन्द्रमा (सर विलियम हार कोर्ट), वह सूर्य—पिण्ड, जिसके चारो ओर अन्य ग्रह घूमते हैं (ग्लैडस्टोन) तथा सम्पूर्ण शासन तन्त्र की धुरी (लास्की—रिफ्लेक्शन ऑन द कान्स्टीट्यूशन, पृ० 239) कहा गया है।

मन्त्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमन्त्री के लिए एक अत्यन्त दुष्कर एव दुरूह कार्य होता है। उसे मन्त्रिपरिषद के गठन मे अनेक क्षेत्रीय, गुटीय, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि स्थितियो—परिस्थितियो का ध्यान रखना पडता है। लावेन ने इस

सन्दर्भ मे ठीक ही लिखा है, ''मन्त्रिमण्डल का निर्माण प्रधानमन्त्री का ऐसा कार्य है, जैसा कि बहुत से ऐसे ब्लाको की सहायता से, जो एक–दूसरे से मेल न खाते हो, एक चित्र तैयार करना है।[1]''

ब्रिटेन के सन्दर्भो मे ही भारतीय मन्त्रिपरिषद की सरचना और उसमे प्रधानमन्त्री की भूमिका को समझना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के समान ही राज्य सरकारो के अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद की सरचना और मुख्यमन्त्री की भूमिका होती है। वर्तमान मे, केन्द्र और उत्तर प्रदेश मे जो मन्त्रिपरिषदीय सरचना है, वह प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री की भूमिका को अधिक सश्लिष्ठ एव दुष्कर बनाती हैं, क्योकि उक्त दोनो स्तरो पर अनेक प्रकार के दलो की मिली–जुली सरकारे है।

उत्तरप्रदेश मे आए दिन सरकारे बन–बिगड रही हैं। शोधकर्त्ता ने मन्त्रिपरिषद की सत्ता और महत्ता को दृष्टि मे रखते हुए ही उत्तर प्रदेश की मन्त्रिपरिषद की सरचनात्मक सख्यात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करने हेतु प्रस्तुत विषय का चयन किया है। इस विषय का जब निर्धारण किया गया था, उस समय प्रदेश की मन्त्रिपरिषद को विशाल सख्या की दृष्टि से 'जम्बो मन्त्रिपरिषद' कहा जा रहा था। प्रदेश की आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य मे इस प्रकार की मन्त्रिपरिषद का गठन अनावश्यक माना गया। यह सब राजनीतिक सौदेबाजी, तुष्टीकरण, कुर्सी बचाने की लिप्सा और सत्ता की लोलुपता का परिणाम है। अच्छे–बुरे या राष्ट्रीय हित–अहित का ध्यान न देते हुए विचारधारा विहीन, विभिन्न दलो के बागी, अपराधी पृष्ठभूमि वाले दलीय तथा निर्दलीय विधायको को मन्त्रि–पद अत्यन्त सरलता से प्रदान कर संख्यात्मक गणित के आधार पर सरकारे बनायी जा रही थी (और वर्तमानत भी यही स्थिति है)।

1- लावेल ए0एल0 - *द गवर्नमेन्ट ऑफ इग्लैण्ड,* खण्ड-1, पृ0 57।

शोध विषय के अन्तर्गत सन् १९९१ से ९७ तक का काल–विशेष निर्धारित है, क्योकि इस कालखण्ड मे प्रदेश मे राजनीतिक अस्थिरता, परिवर्तन, मूल्यहीनता, अवसरवादिताआदि का नग्न प्रर्दशन हुआ। नए प्रयोग का नाम देकर और प्रदेश को बार–बार चुनावी खर्च से बचाने के बहाने नेतागण अपनी सम्पूर्ण शक्ति और बौद्धिकता का प्रयोग सरकार बनाने और उसे बचाने मे ही लगा रहे हैं, राष्ट्रीय हित या विकास का प्रश्न गौड हो गया है।

सन् 1991 से 1997 तक के काल मे प्रदेश मे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मन्त्रिपरिषदे बनी। 1991 मे भाजपा, 1993 मे सपा (बसपा समर्थित), 1995 मे बसपा (भाजपा समर्थित), 1997 मे पुन छ–छ महीने के लिए भाजपा–बसपा की मिली–जुली सरकार बनी। बसपा के कोटे के छ महिने व्यतीत होने के पश्चात्, जब भाजपा का शेष छ महीने का कार्यकाल श्री कल्याण सिह के मुख्यमन्त्री के रूप मे प्रारम्भ हुआ, तो परस्पर विद्वेष और राजनीतिक महत्त्वाकाक्षाओ के कारण बसपा समर्थित भाजपा सरकार एक महीने भी नही चल पायी और अन्तत अन्य दलो के जोड–तोड से जेम्बो मन्त्रिमण्डल बनाकर भाजपा ने सरकार बनायी। विधानसभा अध्यक्ष को अत्यन्त कौशल का परिचय देते हुए इस प्रकार की सरकार को बचाए रखना पडा।

इस काल–खण्ड की सरकारे राजनीतिक अवसरवादिता की द्योतक रही है। सत्ता के लिए सिद्धान्तहीनता, खरीद–फरोख्त, अशोभनीय आचरण और लोकतन्त्र के उपहास का दृश्य सर्वत्र परिलक्षित होता रहा था (है)। लोकतन्त्र और लोकमत के प्रति राजनेताओ का उपेक्षात्मक दृष्टिकोण, सवैधानिक मर्यादाओ का खुला उल्लघन और कुर्सी तथा वोट की राजनीति के विकृत रूप–स्वरूप को देखकर देश और प्रदेशवासी का चिन्तित होना स्वाभाविक है।

राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण शोधार्थिनी ने प्रदेश की मन्त्रिपरिषद की सरचना की राजनीति को गहराई से जानने–समझने की जिज्ञासा के शमन हेतु इस विषय को अध्ययन का प्रतिपाद्य बनाया है। यह प्रश्न अत्यन्त कौतूहल उत्पन्न करता है कि सविधान की व्यवस्थाओ के होते हुए भी मन्त्रिपरिषद की सरचना मे गैर राजनीतिक और गैर सवैधानिक या सविधानेतर वे कौन से अदृश्य कारक हो सकते है, जो पूरी सरचना की राजनीति को प्रभावित करते हैं?

शोधार्थिनी की मान्यता है कि हमारा सविधान बुरा नही है। इसकी व्यवस्थाए देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बनायी गयी थी और उसमे यथोचित सशोधन की व्यवस्था भी है। इन समस्त राजनीतिक अध पतन के कारण के रूप मे सविधान को जिम्मेदार ठहराना उचित नही है। डा० राजेन्द्र प्रसाद, ने सविधान निर्मात्री सभाध्यक्ष के रूप मे अपना मन्तव्य व्यक्त करते हुए कहा था कि "सविधान, जो कुछ भी व्यवस्था दे पाता है या नही, यह इस बात पर निर्भर करता है कि देश का प्रशासन कैसे चलाया जाता है। यह उन व्यक्तियो पर निर्भर करता है कि जो प्रशासन मे लगे हुए हैं। निर्वाचित सदस्य यदि सक्षम हैं, योग्य हैं, उच्च चरित्र वाले हैं, तो वे त्रुटियुक्त सविधान से भी अच्छा परिणाम निकाल सकते है। और यदि उनमे इन गुणो का अभाव है तो (अच्छा से अच्छा) सविधान देश की कोई सहायता नही कर सकता है। अन्तत सविधान एक यन्त्र की भॉति निर्जीव वस्तु होता है। इसे जीवन, इसको चलाने वाले प्रदान करते है। आज भारत को ईमानदार व्यक्तियो (प्रशासको) के अतिरिकत अन्य कुछ नही चाहिए।[2]" डा० राजेन्द्र प्रसाद के कथन से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि राजनेताओ का चरित्र ही देश और प्रजातन्त्र के लिए सम्बल बनता है। सविधान तो मात्र मार्ग निर्देशन करता है, उस निर्देशित मार्ग पर ईमानदारी से चलाना सुदृढ इच्छा–शक्ति पर निर्भर करता है।

2- कान्स्टीटुयेन्ट असम्बली डिबेट, खण्ड-11, पृ0 993-994

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरचना के यथार्थ को जानने के लिए सवैधानिक उपबन्धो, विद्वानो और समीक्षको की महत्त्वपूर्ण पुस्तको, ससदीय प्रतिवेदनो आदि को आधार बनाकर अध्ययन करने से कोई विशेष सहायता नही मिल सकती है। इससे मात्र सवैधानिक स्वरूप ही ज्ञात हो सकता है, यथार्थ नही। हमे यथार्थ को जानने के लिए अन्य कारको का विवेचन और विश्लेषण करना होगा।

जहॉ तक शोध–विधि के प्रयोग का प्रश्न है, शोधार्थिनी द्वारा राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत प्रारम्भ से लेकर अद्यतन प्रयुक्त किए जाने वाले शोध–पद्धतियो का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात् ही 'सरचनात्मक सख्यात्मक दृष्टिकोण' को स्वीकार किया गया है, जो ग्राहम वालास, डेविड ईस्टन तथा आमण्ड और पावेल जैसे राजनीतिविदो द्वारा प्रतिस्थापित की गई है। सक्षेप मे, विभिन्न शोध–पद्धतियो के गुण ओर दोषो का विवरण इस प्रकार है–

राजनीतिक सस्थाओ एव सगठनो के अध्ययन की परम्परा अति प्राचीन रही है। पाश्चात्य एव भारतीय राजनीतिक सस्थाओ का अध्ययन निरन्तर होता रहा है। 1950 के पूर्व तक के राजनीतिक अध्ययन का दृष्टिकोण दार्शनिक, मूल्यपरक एव आत्मपरक (वैल्यू लोडेड–सब्जेक्टिवटी) माना जाता है। इस प्रकार के अध्ययन विवरणात्मक एव सस्थात्मक होते थे। इन्हे सवैधानिक, यान्त्रिक या कानूनी दृष्टिकोण कहा गया। इसके अन्तर्गत सवैधानिक व्यवस्था के आलोक मे ही अध्ययन किए जाते थे, जो हमे सस्थाओ की ऐतिहासिक विकास यात्रा तथा सवैधानिक स्थिति का ज्ञान तो प्रदान करते हैं परन्तु इनमे तथ्यपरकता, वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता का सर्वथा अभाव ही परिलक्षित होता था। यथार्थ–स्थिति का सही ज्ञान नही हो पाता था। इस प्रकार के अध्ययन को सत्यता से परे और भ्रामक कहा[3] गया है। इस प्रकार

3- लोवन्स्टाइन कार्ल-'रिपोर्ट ऑन द रिसर्च पैनेल आन कम्परेटिव गवमेण्ट'-(अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिव्यू, अक 38, जून-1944 पृ0 540 से 548')

की अध्ययन पद्धति सस्थाओ के औपचारिक स्वरूप को ही प्रकाशित कर पाती है। यह सत्य है कि इस उपागम ने आदर्श व्यवस्था की खोज के लिए सराहनीय प्रयास तो अवश्य किए किन्तु इस बात की ओर सम्भवत यह ध्यान नही दे सके कि सरकारे या राजनीतिक सस्थाए वास्तव मे किस प्रकार की परिस्थितियो से प्रभावित होकर अपना कार्य करती है।

राजनीतिक शब्द की व्यापकता का प्रयोग प्रथमत हमे अरस्तू के चिन्तन मे परिलक्षित होता है। अरस्तू ने अपने राज्य की परिभाषा मे परिवार, नगर–निगम, समूह और धर्म आदि को सम्मिलित करते हुए बताया था कि राजनीति की परिधि मे राष्ट्रीय राज–व्यवस्थाएँ, नागरिक और अन्तर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्थाएँ, पैतृक व्यवस्था, धार्मिक सगठन, व्यापारिक सगठन और कर्मचारियो के सगठन सभी आते है।[4] अरस्तू ने स्पष्ट कर दिया था कि विधियो की विविध भौतिक तथा सस्थागत परिस्थितियो के अनुसार ढलना चाहिए और श्रेष्ठ शासन इसी सापेक्ष मे श्रेष्ठ होना चाहिए। अरस्तू ने जलवायु तथा राष्ट्रीय चरित्र के सम्बन्ध का भी भली–भॉति निरूपण कर दिया था।[5] इस प्रकार कहा जा सकता है कि अरस्तू द्वारा राज्य और राजनीति की लगभग वही व्याख्या की गयी थी, जो वर्तमान मे आधुनिक राजनीतिक समीक्षको ने की है।

आधुनिक लेखको मे बोदा ने इस सकल्पना पर अपने विचार व्यक्त किए। परन्तु अरस्तू तथा बोदा इन दोनो मे से किसी ने भी व्यापक पैमाने पर अनुसधान का प्रयास नही किया।[6] मैकियावेल द्वारा प्रस्तुत अध्ययन की पद्धति मे वर्तमानयुग की

4- पोलिटिकल थ्योरी - *व्हाट इज इट?* (गोल्ड तथा थर्सबी द्वारा सम्पादित-पोलिटिकल साइन्स, क्वार्टरली, खण्ड-72, अक-1, मार्च 1957, पृ0 1-29)।

5- सेबाइन जार्च एच0 - *राजनीतिक दर्शन का इतिहास,* एस0 चन्द एण्ड क0, दिल्ली, 1970, पृ0 515।

6- जार्च एच0 सेबाइन- *राजनीतिक दर्शन का इतिहास,* एस0 चन्द एण्ड क0, दिल्ली, 1970, पृ0 516।

परिशुद्ध वैज्ञानिक शोध–शैलियो की पृष्ठभूमि माना जा सकता है।[7] इसके बाद माण्टेस्क्यू (1688-1755) की रचना '**स्प्रिट ऑफ द लॉज**' मे अनुभूतिमूलक दृष्टिकोण तथा निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय पद्धति का समर्थन किया गया है।

माण्टेस्कूय ने सरकार को समाजशास्त्र और परिस्थिति के तथ्य के रूप मे (ए मैटर ऑफ सोशियोलाजी एण्ड इकोलोजी के रूप मे)प्रस्तुत करते हुए "जलवायु तथा भूमि जैसी भौगोलिक दशाएँ, जो राष्ट्रीय चरित्र पर सीधा प्रभाव डालती है, कला, उद्योग तथा उत्पादन की पद्धतियो, मानसिक तथा नैतिक मनोवृत्तियो, प्रथाओ तथा आदतो काराष्ट्रीय चरित्र–निर्माण मे महत्वपूर्ण योगदान माना है।[8] उसकी मान्यता थी कि सास्कृतिक मामले (रीति रिवाज, धर्म), आर्थिक तत्व (व्यापार, वाणिज्य, गरीबी, कृषि आदि), परिस्थितिजन्य कारक (जलवायु, भूमि, जनसख्या आदि) राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते है। वह मानता है कि भौतिक, मानसिक तथा सस्थागत परिस्थितियो की उपुयक्तता अथवा सम्बन्ध ही विधि की अन्तरात्मा है।

स्पष्ट है कि माण्टेस्क्यू ने राजनीतिक सस्थाओ के सरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया। इस प्रकार, यह उस सरचनात्मक प्रक्रिया की ओर सकेत करता है, जिसे आमण्ड आदि आधुनिक राजनीतिक समीक्षको ने माना है। जे०सी० मार्श ने माण्टेस्क्यू द्वारा प्रयोग किए गए प्रतिमानो को विवेकपूर्ण प्रतिमान कहा है।[9] परन्तु, माण्टेस्क्यू के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि यह शैली सीमित हो गयी।

7- इक्स्टाइन तथा एप्टर- *कम्परेटिव पॉलिटिक्स*, न्यूयार्क, 1973, पृ0 7।

8- सेबाइन जार्च एच0 - *राजनीतिक दर्शन का इतिहास*, एस0 चन्द एण्ड क0, दिल्ली, 1970, पृ0 513।

9- मार्श जे0 सी - *एस्से ऑन बिहैविरियल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स*, अर्बाना, इलिनाय यूनिवर्सिटी प्रेस, 1962, पृ0 103।

आधुनिक विचारको ने परम्परागत राजनीतिक अध्ययन की ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक और वर्णनात्मक अवधारणा के स्थान पर पुन यथार्थवादी वैज्ञानिक शोध–विधि की आवश्यकता पर बल दिया। जेम्स ब्राइस ने इसी सन्दर्भ मे कहा है कि "उसका उद्देश्य अमरीका की सस्थाओ और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है, जैसे वे है निगमनात्मक प्रणाली के प्रलोभनो को दूर रखना और घटना सम्बन्धी तथ्यो को उनके वास्तविक रूप मे प्रस्तुत करना है।"[10] ग्राहम वालास (1908) ने अपनी रचना 'ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स' मे राजनीति के लगभग सभी विद्यार्थियो द्वारा सस्थाओ के विश्लेषणात्मक विश्लेषण करने और व्यक्ति के विश्लेषण को टाल जाने की बात कहते हुए अध्ययन की मनोवैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया है।[11] बेजहॉट (1965-66) ने अपनी रचना 'द इगलिश कान्स्टीट्यूशन' मे इग्लैण्ड की राजनीतिक सस्थाओ पर उसकी सामाजिक परिस्थितियो का क्या प्रभाव पडा, इसका विस्तार से वर्णन किया था और यह बताने की चेष्टा की कि राजनीतिक सस्थाओ के घोषित उद्देश्य चाहे कुछ क्यो न हो उनके पिछे एक 'अदृश्य राजनीतिक प्रक्रिया' काम करती है और वास्तव मे वही प्रक्रिया राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के अनुरक्षण मे योगदान करती है।

बैण्टले[12] ने मनोवैज्ञानिक एव समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रणालियो पर बल देते हुए परिमाणीकरण और मापन मे विश्वास व्यक्त किया। चार्ल्स ई० मेरियम तथा हेनरी एल्मर ने राजनीतिक घटनाओ की व्याख्या और उनके आकार और गठन के सन्दर्भ मे करने की अपेक्षा उन मनोवैज्ञानिक शक्तियो के अध्ययन के आधार पर

10- ब्राइस जेम्स - *द अमेरिकन कॉमनवेल्थ,* खण्ड-1, द मैकमिलन क0, न्यूयार्क, 1926, पृ0 2।

11- वालास ग्राहम - *ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स,* कौस्टेब्ले, न्यूयार्क, 1942, पृ0 18।

12- बैण्टले- *द प्रासेस ऑफ गवर्नमेण्ट,* ईवानस्टन, इलीनाय, 1809, पृ0 162

करने पर अधिक बल दिया, जो उन्हे प्रभावित करती है।[13] मैरियम मानता है कि राजनीति शास्त्र को समाज शास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, भूगोल, मानव-जाति-विज्ञान, जीवशास्त्र और साख्यिकी के द्वारा आविष्कृत प्राविधियो की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।[14] इस प्रकार, मैरियम ने सहकारी शोध और सहयोगात्मक प्रयत्न को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया।

राजनीतिक विज्ञान को राज्य या सरकार के अध्ययन–क्षेत्र से बाहर लाकर विस्तृत फलक प्रदान करते हुए चार्ल्स हाइनेमन ने कहा कि, ''राजनीतिशास्त्र का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया है कि उसमे सस्थात्मक सगठन, निर्णय–निर्माण ओर क्रियाशीलता की प्रक्रियाओ, नियन्त्रण की राजनीति, नीतियो और कार्यो और विधिबद्ध प्रशासन के मानवी वातावरण को भी सम्मिलित किया जाने लगा है।[15]'' कैटलिन ने अन्त शास्त्रीय उपागम पर बल दिया।[16] इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक सस्थाओ के औपचारिक स्रोतो और अनुक्रमो के अतिरिक्त अब सस्थाओ के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए प्रयास करने के रूप मे वातावरण तथा सामाजिक–आर्थिक सरचनाओ आदि को जानना आवश्यक बताया गया।

परम्परागत शोध–विधि के असन्तोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणामस्वरूप अध्ययन क्षेत्र मे परिवर्तन आया, जिसका सम्पूर्ण श्रेय व्यवहारवादियो

13- मेरियम चार्ल्स ई0 तथा हेनरी एल्मर बर्न्स (स0)- *ए हिस्ट्री पोलिटिकल थ्योरीज ऑफ रीसेन्ट टाइम्स,* न्यूयार्क, 1924, पृ0 19।

14- मेरियम चार्ल्स ई0 - *द प्रजेन्ट स्टेट ऑफ द स्टडी ऑफ पालिटिक्स* (अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिव्यू, खण्ड-15, स0 1, 1921, पृ0 173-185)।

15- हाइनेमन सी0एस0 - *द स्टडी ऑफ पालिटिक्स द प्रजेन्ट स्टेट ऑफ अमरिकन पोलिटिकस साइन्स,* अब्रीना, इलीनाय, वि0वि0 प्रेस 1959, पृ0 40

16- कैटलिन जी0ई0जी0 - *द साइन्स ऑफ मेथॅड् ऑफ पॉलिटिक्स,* केगन पॉल, लन्दन, 1927, पृ0 2

को दिया जा सकता है।[17] 1850 ई० से पूर्व जो प्रागनुभविक और निगमनात्मक पद्धतियॉ प्रचलित थी और 19वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे जो ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धतियो का प्रचलन हुआ, उनकी तुलना से अब आधुनिक पद्धतियो मे प्रेक्षण, सर्वेक्षण और मापन के प्रति एक स्पष्ट प्रकृति का विकास होने लगा।[18] इस प्रकार वर्तमान मे प्रचलित वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति की उपादेयता असदिग्ध है।

लावेल ने अपनी अनेक रचनाओ मे परम्परागत शोध–विधि के स्थान पर वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पद्धति पर व्यापक चिन्तन किया है। उसका मत था कि परम्परावादी यह मान लेते है कि पुस्तकालय ही राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है, मौलिक स्रोतो का एकमात्र भण्डार है और आधारभूत सामग्री का सग्रहालय है। परन्तु, अधिकाश बातो के लिए पुस्तके राजनीतिक सरचना को समझने के लिए मौलिक स्रोतो के रूप मे कम उपयोगी होती है। पुस्तकालय को राजनीतिक सस्थाओ के वास्तविक सचालन को समझने के लिए प्रमुख प्रयोगशाला के रूप मे नही माना जा सकता। यह स्थान तो सार्वजनिक जीवन की बाहरी दुनिया को ही दिया जा सकता है। घटनाए अपने वास्तविक रूप मे वही घटती है। उनके मूल उद्गम को हमे वही तलाश करना चाहिए।[19] शासन के वास्तविक यन्त्र को तभी समझा जा सकता है, जब उसे उसकी क्रियाशील अवस्था मे देखा जाय।[20] प्रत्येक घटना एक ऐसा तथ्य

17- पैट्रिक ए०एम० कर्क - *एस्सेज ऑन द बिहैविरियल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स* (आस्टिन रैनी द्वारा स० - द इम्पैक्ट ऑफ द बिहैविरियल एप्रोच ऑफन ट्रेडिशनल पोलिटिकल साइन्स, अर्बाना, इलिनाय, 1962, पृ0 10-11)।

18- गेटेल रेमेण्ड जी0 - *हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पोलिटिकल थॉट,* न्यूयार्क, 1928, पृ0 611।

19- लॉविल ए0एल0 - *द फिजियोलॉजी आफ पॉलिटिक्स,* (अमेरिकन पोलिटिकल साइन्स रिव्यू, खण्ड 4, फरवरी 1910, पृ0-16)

20- लॉविल ए0एल0 - *एस्से ऑन गवर्नमेण्ट, बोस्टन,* 1889, पृ0-1

ब्लाण्डल का उपर्युक्त विचार वस्तुत ईस्टन के इस कथन के परिप्रेक्ष्य मे एक व्याख्या है कि 'राजनीतिक मूल्यो का अधिकारिक आवटन है।' स्पष्ट है कि ब्लाण्डल ईस्टन की अवधारणा से सहमत है और उसके अध्ययन पर विशेष रूप से बल देता है। इस प्रकार वह आधुनिक शोध मे सैद्धान्तिक सन्धारो (थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क) पर ध्यान देने का आग्रह करता है।

माइकल ओकशॉट की मान्यता है कि ''राजनीतिक क्रियाओ मे मनुष्य ऐसे समुद्रो मे जाता है जिसकी थाह नही है, जिसकी आरम्भ तथा अन्त नही है। केवल सदैव तैरना ही है। साथ ही समुद्र मित्र भी है और शत्रु भी।''[24] ब्रेवण्टी भी सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के सदर्भ मे राजनीतिक अध्ययन की बात करते हुए, ''तुलनात्मक राजनीति को सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था मे उन तत्वो की पहचान व व्याख्या मानता है जो राजनीतिक कार्य और उसके सस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते है।[25] स्पष्ट है कि ओकशॉट के लिए राजनीतिक क्रिया अनन्त और असीम समुद्र की भॉति व्यापक और गहन है तो ब्रेवण्टी सामाजिक व्यवस्था मे ऐसे निहित तत्वो की खोज पर बल देता है, जो राजनीतिक सरचना को किसी न किसी रूप मे प्रभावित अवश्य करते है।

राजनीतिक विज्ञान मे शोध–विधि के सन्दर्भ मे 'सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त' का विशेष महत्व है। यह सकल्पना सर्वप्रथम 1920 ई० के दशक मे लुडविग वॉन बर्टलनफी नामक प्रसिद्ध जीवशास्त्री की रचना[26] मे पायी जाती है, जहॉ से वह मानव–विज्ञान समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अन्त मे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र मे

24- ओकशॉट माइकल - *पोलिटिकल एजुकेशन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय,* 1959, पृ0-15

25- ब्रेवण्टी रॉल्फ - *कम्परेटिव पोलिटिकल एनालिसिस, री कान्सीडरेशन,* अमेरिकन जर्नल ऑफ पोलिटिकल एण्ड सोशल साइन्स, न0 39, फरवरी, 1968, पृ0-36

26- बर्टलनफी लुडविग वॉन -*जनरल सिस्टम, खण्ड 1,* 1956, पृ0 1-10

समाविष्ट हुई। राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र मे व्यवस्था सिद्धान्त को डेविड ईस्टन और ग्रेबियल आमण्ड (सरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धान्त) तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे मार्टन कैप्लान से सम्बद्ध माना जाता है। व्यवस्था का तात्पर्य बहुत से ऐसे तत्वो का एक साथ पाया जाना है जिनका एक दूसरे के साथ क्रिया–प्रतिक्रिया का सम्बन्ध हो।[27] राजनीतिक व्यवस्था किसी भी समाज मे अन्त क्रियाओ की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बाध्यकारी अथवा आधिकारिक निर्णय लिए जाते है।[28] तात्पर्य यह कि किसी क्रिया के सम्पादन हेतु आवश्यक विभिन्न तत्वो का समूह ही व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था भी समाज मे व्याप्त विभिन्न प्रकार के अन्त क्रियाओ का समुच्चय है।

डेविड ईस्टन व्यवस्था विश्लेषण को सामाजिक और राजनीतिक शोध की विधि मानता है। उसने 1953 मे 'द पोलिटिक सिस्टम' शीर्षक[29] से पुस्तक भी लिखी, जो इस दिशा मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम माना गया। इसी पुस्तक मे व्यवहार वादी उपागम की वृहद रूप से चर्चा की गयी थी, जिसे बाद मे उसने 'एक फ्रेमवर्क फॉर पोलिकल एनालिसिस' मे पृथक रूप मे व्याख्यायित किया।[30] उसने सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन को व्यवहार की एक राजनीतिक व्यवस्था मानते हुए लिखा है कि, राजनीतिक जीवन राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत, जो पर्यावरण को प्रभावित करता है, व्यवहार की एक प्रक्रिया है।''[31] व्यवस्था विश्लेषण मे वह व्यवस्था, पर्यावरण, प्रतिक्रिया और

27- बर्टलनफी लुडविग वॉन - वहीं - पृ0 31

28- ईस्टन डेविड -*ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पोलिटिकल लाईफ, जॉन वाहली एण्ड सन्स,* न्यूयार्क, 1965, पृ0 50

29- ईस्टन डेविड -*द पोलिटिकल सिस्टम, अल्फ्रेड ए0 नॉफ,* न्यूयार्क, 1953

30- ईस्टन डेविड - *ए फ्रेम वर्क फॉर पोलिटिकल एनालिसिस, प्रेन्टिस हाल,* इग्लैण्ड, लन्दन, 1965, पृ0 1-22

31 ईस्टन डेविड -*ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पोलिटिकल लाईफ,* पृ0 181

प्रतिसम्भरण–चार तत्वो पर अधिक बल दिया है।[32] इस प्रकार ईस्टन ने व्यवस्था–विश्लेषण को अत्यन्त विस्तार से प्रस्तुत किया है।

ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के अर्न्तगत समस्त प्रकार के सामाजिक सास्कृतिक आदि तत्वो को पर्यावरण के अन्तर्गत रखा है। सक्षेप मे ईस्टन द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण की तालिका पृष्ठ सख्या 15 पर प्रस्तुत है।[33]-

ईस्टन की इस तालिका से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण समाज एक व्यवस्था है, जिसका निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओ जैसे–आर्थिक, सास्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक और जैविक–व्यवस्थाओ से होता है। ये सभी व्यवस्थाएँ एक दूसरे को प्रभावित करती है। राजनीतिक व्यवस्था समाज की अन्य सभी व्यवस्थाओ से अलग नही है। व्यक्ति का आचरण मात्र उसके राजनीतिक मूल्यो अथवा प्रतिमानो से ही प्रभावित नही होता है, वरन् रक्त सम्बन्ध, धर्म, अर्थव्यवस्था तथा सास्कृतिक उपलब्धियो से भी प्रभावित होता है। ईस्टन ने पर्यावरण और राजनीतिक व्यवस्था के मध्य होने वाले विनिमय (इक्सचेन्ज) को

---

32 ईस्टन डेविड -*ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पोलिटिकल लाईफ,* पृ0 24-25

33 ईस्टन डेविड -वहीं पृ0- 70 (ऐबुल स0 1)

राजनीतिक व्यवस्था के समग्र पर्यावरण के तत्व
अन्त समाजीय पर्यावरण
परा समाजीय पर्यावरण (अन्तर्राष्ट्रीय समाज)
पारिस्थितिकीय व्यवस्था
जैविकीय व्यवस्था
व्यक्तित्व सम्बन्धी व्यवस्थाएँ
सामाजिक व्यवस्था
सास्कृतिक व्यवस्था
सामाजिक सरचना
आर्थिक व्यवस्था
भूराजनीतिक व्यवस्था
अन्य उप व्यवस्थाएँ
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाएँ
अन्तर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय व्यवस्था
अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्थाएँ
वैयक्तिक राजनीतिक व्यवस्थाएँ
नाटो
सिएटो
सयुक्त राष्ट्रसघ
अन्यउप व्यवस्थाएँ
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था
अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सरचना
अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था
अन्तर्राष्ट्रीय भूराजनीतिक व्यवस्था
अन्य उप व्यवस्थाएँ
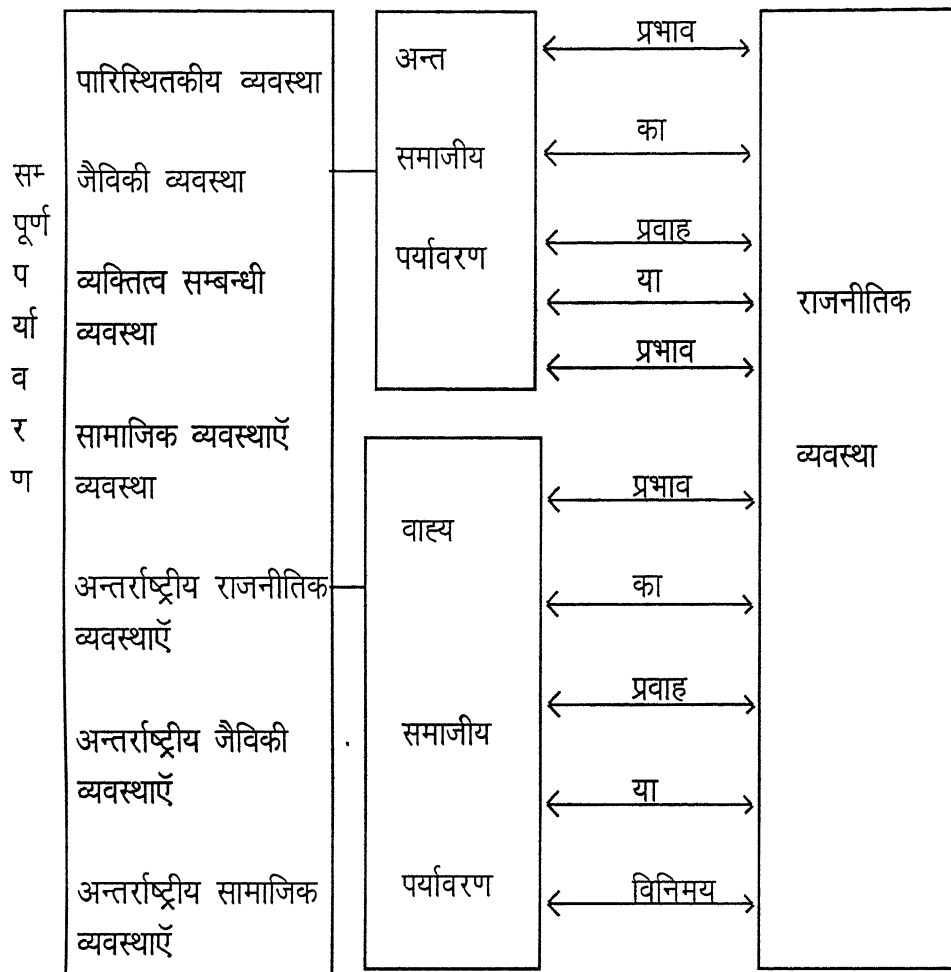
अधोलिखित तालिका मे स्पष्ट किया है[34]-

ईस्टन की पर्यावरण एव राजनीतिक व्यवस्था के मध्य प्रभाव से परस्पर विनिमय सम्बन्धी तालिका से यह भी पुष्टि हो जाती है कि सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण से पूर्णतया प्रभावित होती रहती है। अर्थात् राजनीतिक व्यवस्था के बाहर या परे दूसरी व्यवस्थाएँ अथवा पर्यावरण राजनीतिक व्यस्था को कमोबेश मात्रा मे सर्वदा प्रभावित करते रहते है। इसीलिए ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को समाज मे होने वाली अन्त क्रियाओ की व्यवस्था कहा। ईस्टन यह भी कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था खुली हुई और अनुकूलनशील व्यवस्था होती है, इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था और पर्यावरण के मध्य चलने वाली गतिविधियो (क्रिया–प्रतिक्रिया)

34. ईस्टन डेविट - वही - पृ0 - 75 (टेबुल स0 1)

पर निरन्तर ध्यान देते रहना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था अपने अन्तर्गत ऐसी बहुत सी क्रियाविधियो को विकसित कर लेती है, जिनके सहारे वह पर्यावरण के समक्ष टिके रहने का प्रयत्न करती है, अपना व्यावहारिक नियन्त्रण करती है और अपने आन्तरिक ढॉचे को बदल लेती है।

प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष पर्यावरण से (प्रभावित होकर जनता द्वारा) कुछ मॉगे रखी जाती है। इन मॉगो के पीछे मॉग रखने वालो का समर्थन होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था मे निर्णय लेने वालो का ध्यान उन मॉगो की ओर आकर्षित करता है। चूकि, मॉगो का जन्म सामाजिक पर्यावरण से होता है, अत मॉगे राजनीतिक व्यवस्था को यह समझने मे सहायता करती है कि किस प्रकार पर्यावरण सम्पूर्ण राजनीतिक तन्त्र पर अपना प्रभाव डालता है। इन्ही सबके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था के नीति या निर्णय निर्गत के रूप मे आते है। पुन प्रति सम्भरण के रूप मे जनता तक ये नीति या निर्णय पहुॅचते हैं और इनके पक्ष या विपक्ष मे पुन मॉग या समर्थन का निर्माण होता है। इस प्रकार यह व्यवस्था निरन्तर चलती रहती है।

ईस्टन यह भी स्पष्ट करता है कि यह आवश्यक नही है कि राजनीतिक व्यवस्था बाहर से आने वाले व्यवधानो के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करे। सम्भव है कि वह पर्यावरण से आने वाले सभी प्रभावो से अपने को अछूता रखने का प्रयत्न करे तथा यह भी सम्भव है कि व्यवस्था के सदस्य अपने आपसी सम्बन्धो को ही सर्वथा परिवर्तित कर ले और अपने लक्ष्यो और व्यवहारों को इस प्रकार सशोधित कर ले कि पर्यावरण से आने वाले निवेशो (मॉग एव समर्थन) से निपटने मे वे अधिक आसानी से सक्षम हो सके। ये सभी अवस्थाए एव बाते पर्यावरण और राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यो के आपसी प्रभाव पर निर्भर करती है।

आमण्ड ईस्टन से पूर्णतया प्रभावित है। उसने ईस्टन के 'व्यवस्था सिद्धान्त' को ही विकसित और व्याख्यायित करते हुए अपना 'सरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण' का सिद्धान्त निर्मित किया है। वह मानता है कि "विकास की प्रक्रिया एक तार्किक प्रक्रिया है और पर्यावरण से आने वाले विभिन्न प्रकार के दबावो (मॉगो, समर्थनो आदि) की प्रतिक्रिया के रूप मे राजनीतिक व्यवस्था मे निकट अथवा दूरस्थ भविष्य मे होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण किया जा सकता है, यहॉ तक कि उनके सम्बन्ध मे भविष्यवाणी भी की जा सकती है।"[35] तात्पर्य यह कि आमण्ड राजनीतिक व्यवस्था को सम्पूर्ण पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य मे मूल्याकित करना चाहत है।

आमण्ड–पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत मात्र सरकारी सस्थाऍ यथा विधानमण्डल, न्यायलय, प्रशासनिक अभिकरण आदि को ही सम्मिलित नही किया है, प्रत्युत रक्त सम्बन्ध, जाति समूह, उदण्ड घटनाऍ, हत्याऍ, दगे और प्रदर्शन तथा साथ ही साथ औपचारिक सगठन दल, हित समूह और सचार के माध्यमो आदि को भी सम्मिलित किया है। वह मानता है कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के भीतर की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उप व्यवस्था है।

आमण्ड ने विस्तृत अध्ययन, यथार्थ, सटीकता एव नवीन सैद्धान्तिकता की खोज के लिए अपने सरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, क्योकि उसकी मान्यता है कि परम्परागतता सीमितता और औपचारिकता[36] के कारण परम्परागत, अध्ययन–पद्धति सन्तोषजनक नहीं हैं। उसने सरचनात्मक व्यवस्था को उन प्रबन्धो का सकेत माना है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था मे कार्य किए जाते है। उन गतिविधियो को, जिनका पर्यवेक्षण सम्भव है, तथा जिनको मिलाकर राजनीतिक पद्धति बनती है, सरचना कहा है। सक्षेप मे कहा जा सकता है कि

35- आमण्ड तथा पावेल *कम्परेटिव पॉलिटिक्स-ए डेवलपमेन्ट एप्रोच, बोस्टन,* 1996, पृ0 207-208।

36- आमण्ड तथा पावेल *कम्परेटिव पॉलिटिक्स-ए डेवलपमेन्ट एप्रोच, बोस्टन,* 1996, पृ0 2-5।

सरचना व्यवस्था के अन्तर्गत उन प्रबन्धो को बनाती है, जो प्रकार्यो का निष्पादन करते है। सरचनाएँ दो प्रकार की होती है–भौतिक और सामाजिक। भौतिक सरचनाए वे है, जो प्रकृति के निकट है और जिनका सम्बन्ध भूगोल इत्यादि से है। सामाजिक सरचनाए वे है, जिनका निर्माण मनुष्यो द्वारा किया जाता है तथा जो मनुष्य की आवश्यकता पर निर्भर करती है, जैसे धर्म, सस्कृति आदि। आमण्ड मानता है कि इन्ही विभिन्न प्रकार की सरचनाओ के सम्मिलित प्रयास के राजनीतिक व्यवस्था द्वारा कार्य (प्रकार्य) किऐ जाते है। अत किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सही एव यथार्थपूर्ण अध्ययन के लिए इन सरचनाओ और उनके विभिन्न घटको को निरीक्षित – परीक्षित करना आवश्यक है।

ईस्टन और आमण्ड–पावेल के राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण से सम्बन्धित उपर्युक्त सिद्धान्तो के गहन विवेचन से निष्कर्षत यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था समाज की एक उप व्यवस्था है जो खुली हुई और समज्जनीय है। राजनीतिक **व्यवस्था** मूल्यो का अधिकृत वितरण या आवटन है। राजनीतिक व्यवस्था निरन्तर गतिशील रहती है और अनेक प्रकार के पर्यावरणीय प्रभावो से प्रभावित होती रहती है। राजनीतिक व्यवस्था का अपना एक सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण बन जाता है। इस पर्यावरण के प्रभाव मे ही राजनीतिक पद्धति विभिन्न सामाजिक, मापदण्डो का प्रतिनिधित्व करती है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सास्कृतिक समूह या पर्यावरण से राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती रहती है।

अत राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि सस्थाओ एव कारको मे विश्लेषण के अभाव मे न सम्भव है, न सत्य। राजनीतिक सरचना को इसी विभिन्न पर्यावरणो की दृष्टि से ही समझना चाहिए। यही कारण है कि वर्तमान मे राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक सस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास आदि की अधुनातन अवधारणाओ का विकास हुआ है।

शोधार्थिनी ने ईस्टन और आमण्ड–पावेल के व्यवस्था विश्लेषण तथा सरचनात्मक–प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण को ही वैचारिक आधार मानकर प्रस्तुत शोध कार्य को सम्पादित करने का प्रयास किया है।

इस शोध कार्य मे मन्त्रिपरिषद की सरचना को प्रभावित करने वाले प्रमुख राजनीतिक एव गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी परिवर्त्य लिए गए है। इनमे आर्थिक स्थितियो से लेकर जलवायु तक भौगोलिक विशेषताओ, ऐतिहासिक, जाति, धर्म आदि उन सभी परिवर्त्यो (वैरिएबुल्स) को भली–भॉति जॉचने–परखने का प्रत्न किया गया है। राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक व्यवहार प्रत्येक क्षण इन परिवर्त्यो से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता रहता है। राजनीतिक व्यवहार की वास्तविकता को समझने के लिए इन पृष्ठभूमि परिवर्त्यो की मात्र जानकारी ही आवश्यक नही है वरन् इनकी सही पहचान भी अपेक्षित है।

वस्तुत पृष्ठभूमि परिवर्त्यो की सख्या इतनी अधिक है कि इनकी गणना करना कठिन कार्य है। राजनीतिक व्यक्ति का कार्य जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, क्षेत्रीयता, दलीय भावना, विचारधारा आदि से प्रभावित हो सकता है, परन्तु इनमे से किसका कितना प्रभाव पडता है, यह जाचना आसान नही है। इसके अतिरिक्त ये परिवर्त्य परस्पर एक दूसरे से इतना अधिक गुथे हुए होते है, कि इनमे से कौन अधिक महत्त्वपूर्ण है और कौन अधिक प्रभाव डालता है, यह निर्धारित करना भी कठिन कार्य है। एक ही परिवर्त्य एक सी परिस्थिति मे भी अलग–अलग प्रभाव डालते हुए देखा गया है। इन सब व्यावहारिक समस्याओ के होते हुए भी शोधार्थिनी ने प्रमुख परिवर्त्यो को निर्धारित कर उनके पृथक–पृथक प्रभाव एव भूमिका को जॉचने–मापने का पूरा प्रयास किया है।

व्यक्तित्व सम्बन्धी परिवर्त्य के अन्तर्गत बौद्धिक स्तर, मूल्य, व्यवहार आदि शिक्षा सम्बन्धी चरो (परिवर्त्यो) का भी अत्यन्त सावधानी से मूल्याकन किया गया है। इनके निर्धारण मे सबसे बडी समस्या शोधार्थिनी के समक्ष यह आयी कि अनेक मन्त्रियो के शैक्षिक अभिलेख अनुपलब्ध पाए गए। पुनरपि, प्राप्त अभिलेखो के आधार पर इस प्रकार के चरो का भरपूर सदुपयोग करने का प्रयास किया गया है।

इस अध्ययन मे प्रलेखीय स्रोत के रूप मे पाश्चात्य एव भारतीय विद्वानो के प्रकाशित, अप्रकाशित लेख, पुस्तके, रिपोर्ट, सरकारी ऑकडो, उ०प्र० विधान सभा की कार्यवाही के दस्तावेजो से पर्याप्त सहायता ली गई है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय स्रोत के रूप मे कतिपय विधायको, मन्त्रियो या अन्य महत्त्वपूर्ण वर्तमान या निवर्तमान राजनेताओ के साक्षात्कार तथा वार्ता से भी सहायता ली गई है इसमे प्रश्नावली तथा अनुसूची का भी सम्यक् प्रयोग किया गया है। प्रश्नावली खुली और बन्द दोनो प्रकार की प्रयुक्त की गई है।

ध्यातव्य है कि प्रस्तुत शोध सरचनात्मक एव सख्यात्मक दृष्टिकोण (स्ट्रक्चरल एण्ड क्वान्टिटेटिव एप्रोच) पर आधारित है, इसलिए प्राप्त सूचनाओ एव तथ्यो के ऑकडो आदि का सकलन, विश्लेषण, वर्गीकरण, सारणीयन एव विवेचन को विस्तार से प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया गया है। ऑकडो एव सूचनाओ का मुख्य स्रोत प्रश्नावली, साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाए तथा विधानसभा के अभिलेख आदि है। इसके अतिरिक्त भी अन्य माध्यमो से प्राप्त आकडो का प्रयोग तुलनात्मक रूप से किया गया है।

उल्लेखनीय है कि डेविड ईस्टन और आमण्ड–पावेल के व्यवस्था विश्लेषण एव सरचनात्मक–प्रकार्यात्मक दृष्टिकोणो मे ईस्टन से प्रर्यावरण का राजनीतिक व्यवस्था पर पडने वाले प्रभावो तथा आमण्ड–पावेल के मात्र 'सरचनात्मक' पक्ष को

इस अध्ययन की वैचारिक पृष्ठभूमि के रूप मे माना गया है, ईस्टन या आमण्ड के सम्पूर्ण सिद्धान्त को नही। यह भी ध्यातव्य है कि प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र उत्तरप्रदेश की मन्त्रिपरिषद (199-1997) से ही सम्बन्धित है, अत अन्य प्रदेशो या केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद आदि का उद्धरण प्रसगवश ही किया गया है। अध्ययन काप्राय पूरा कलेवर उत्तर प्रदेश की निर्धारित काल विशेष की मन्त्रिपरिषद से ही निर्मित है।

प्रस्तुत कार्य द्वारा शोधार्थिनी का ध्रुव विश्वास है कि प्रदेशीय मन्त्रिपरिषद के गठन के पीछे निहित कारको का स्पष्ट रूप से खुलासा हो सकेगा एव लोकतत्र के प्रति हमारे कर्णधारो की मानसिकता का भी पता चल सकेगा। यही नही, अपितु केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद की सरचना के अन्तर्निहित कारको का भी सकेत इन शोध द्वारा प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश की मन्त्रिपरिषद की सरचना पर यह प्रथम या अन्तिम कार्य है, ऐसा शोधार्थिनी का कदापि दावा नही है। परन्तु, इतना कहने की धृष्ठता अवश्य की जा सकती है कि इन कार्य मे शोध की आधुनिकतम तकनीकी एव मानको के अनुसार प्राप्त तथ्यो एव ऑकडो आदि के आधार पर सम्यक् प्रकार से वर्गीकरण, परीक्षण, पर्यवेक्षण, मूल्याकन आदि द्वारा विषय को सुसगत एव क्रमबद्ध रूप से उसके नए कलेवर मे यथाशक्ति प्रस्तुत करने का प्रयास निश्चयेन किया गया है।

द्वितीय अध्याय

उत्तर प्रदेश- एक पार्श्वचित्र

अध्याय - 2

उत्तर प्रदेश एक पार्श्वचित्र

सामाजिक शास्त्रो के वैज्ञानिक इस तथ्य से अवगत होने लगे हैं कि राजनीतिक कार्य स्वय मे अकेले ही नही होते। ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक दशाये , जनता तथा शासन की राजनीतिक प्रवृत्ति, सवैधानिक ढग और राजनीतिक प्रक्रियाओ को बहुत गहरे से प्रभावित करती हैं।

इस सदर्भ मे यदि उत्तर प्रदेश पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट होता है कि उ0 प्र0 भारतीय सभ्यता व सस्कृति का केन्द्र रहा है। भारतीय राजनीति मे उत्तर प्रदेश की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। चाहे प्रदेश की कुल जनसख्या का सवाल हो या ससद मे सासदो की सख्या का, उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश को यह भी श्रेय प्राप्त है कि इसने दुनिया के सबसे बडे लोकतात्रिक देश को सबसे अधिक सख्या मे प्रधानमत्री भी दिये हैं। पिछले पचास वर्षो मे चालीस से अधिक वर्षो तक इसी प्रान्त के लोग इस कुर्सी पर बैठते आये हैं। सिर्फ राजनीति ही नही सस्कृति, इतिहास व सामाजिक आर्थिक भौगोलिकता की दृष्टि से भी यह प्रान्त भारत मे एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

इस प्रान्त को अपना नाम 26 जनवरी 1950 को भारतीय सविधान के लागू होने के साथ प्राप्त हुआ था। 1937 से 1950 तक इसे सयुक्त प्रान्त (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के नाम से जाना जाता था। वास्तव मे अग्रेजी राज की स्थापना के प्रथम चरण मे यह प्रान्त (अवध के अतिरिक्त) बगाल प्रेसीडेसी का ही एक हिस्सा था। सुविधानुसार इसे कभी पश्चिमी प्रान्त के नाम से पुकार लिया जाता था। बाद मे आगरा प्रेसीडेसी का निर्माण कर इसे बगाल प्रेसीडेसी से अलग कर दिया गया। 1836 मे एक बार पुन इसका नामकरण किया गया। तब इसका नाम "उत्तर पश्चिम प्रान्त" (नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज) हो गया। इसका मुख्यालय आगरा को बना दिया गया। 7 फरवरी 1856 को अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य मे शामिल

कर लिया गया। उस समय अवध मे लखनऊ, बाराबकी, फैजाबाद, गोडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ तथा रायबरेली नामक बारह जिले शामिल थे। 1857 की क्रान्ति के बाद 1858 मे लार्ड कैनिग ने पूरे उत्तरी पश्चिमी प्रान्त को एक ले0 गवर्नर के द्वारा शासित प्रान्त बना दिया। अब इस प्रान्त का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया। 1868 मे उच्च न्यायालय को भी आगरा से इलाहावाद स्थान्तरित कर दिया गया। परन्तु अवध तथा उत्तर पश्चिमी प्रान्त का प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाजन 1877 तक बना रहा। अवध का प्रशासनिक व न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा तथा उत्तर पश्चिमी प्रान्तो का इलाहाबाद। 1877 मे इन दोनो प्रान्तो को ले0 गवर्नर तथा मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर आगरा व अवध का सयुक्त प्रान्त (यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया। अब ले0 गवर्नर का पद ही इस एकीकृत प्रान्त का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बन गया।[1]

भारत सरकार अधिनियम 1919 के अन्तर्गत ले0 गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी तथा 1920 के चुनावो के बाद इस प्रान्त की सरकार एक बार पुन इलाहाबाद से लखनऊ स्थान्तरित कर दी गयी। 1921 मे लखनऊ मे ही विधान परिषद की स्थापना की गयी तथा 1935 तक प्रान्तीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को अब इस प्रान्त की राजधानी घोषित कर दिया गया। 1937 मे इस प्रान्त का नाम एक बार फिर बदल कर सयुक्त प्रान्त (यूनाइटेड प्राविन्सेज) कर दिया गया जो 26 जनवरी 1950 तक चलता रहा।[2]

उ0 प्र0 की भौगोलिक स्थिति

उ0 प्र0 को भारत का हृदयस्थल कहा जाता है। यह भारत के सीमान्त प्रदेशो मे से एक है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत श्रेणी से लगी हुई है और दक्षिण पश्चिमी

1- उत्तर प्रदेश 99' सूचना एव जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 पृष्ठ-2

2-वही,

सीमा पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है तथा दक्षिण से मध्य प्रदेश और पूर्वी सीमा बिहार से लगी हुई है। राजनीतिक सीमाए न्यूनाधिक प्राकृतिक सीमाओ का ही अनुसरण करती हैं ।उत्तर मे हिमालय , दक्षिण एव दक्षिण पश्चिम मे यमुना नदी तथा विन्ध्याचल और पूर्व मे गण्डक नदी है। राज्य का तीन स्पष्ट प्राकृतिक विभाजन है- उत्तर मे हिमालय का क्षेत्र, बीच मे गगा का मैदान और दक्षिण मे पहाडी तथा पठारी भू-भाग।[3]

हिमालय क्षेत्र के अन्तर्गत टेहरी एव गढवाल मण्डल का क्षेत्र आता है जो राज्य के उत्तर मे स्थित है। इसमे नन्दादेवी (7817मी) कामेत (7756 मी0) बदरीनाथ (7138 मी0) आदि पर्वत श्रेणिया आती है।

प्रदेश का बडा भू-भाग गगा के मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसमे कोई भी स्थान (सहारनपुर जिले के उत्तरी भाग को छोडकर जहा से शिवालिक पर्वत श्रेणिया शुरु होती है) समुद्र की सतह से 300 मीटर अधिक की ऊचाई पर नही है। पश्चिम मे सहारनपुर से लेकर पूर्व मे देवरिया तक एक पतली सी पट्टी, भाभर और तराई कहलाती है।

सहारनपुर, बिजनौर, गढवाल, नैनीताल और पीलीभीत जिले मे भाभर का क्षेत्र शिवालिक पहाडियो के इर्द-गिर्द ही सिमटा हुआ है।

इसके अतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया आदि जिले के भाग आते है। इधर कुछ वर्षो मे राज्य सरकार के भूमि-उपार्जन के अन्तर्गत हुए कार्यो के फलस्वरुप इसकी चौडाई काफी कम हो गई है। यहॉ की मुख्य फसले गेहूँ, चावल और गन्ना है। प्रदेश के दक्षिण मे पठारी भू-भाग की उत्तरी सीमा युमना और गगा नदी द्वारा निर्धारित है। इसके अन्तर्गत झासी, जालौन, हमीरपुर और बादा जिले, इलाहाबाद जिले की मेजा और करछना तहसीले, गगा के दक्षिण मे पडने वाला मिर्जापुर का हिस्सा तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील आती है। यह क्षेत्र दक्कन के

3-उत्तर प्रदेश 99' सूचना एव जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 पृष्ठ-101

पठार का ही प्रसरण है। पूरे प्रक्षेत्र मे वर्षा कम होती है और पानी का अभाव हैं। इधर कुछ वर्षो मे जलाशयो का निर्माण कर सिचाई तथा पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। यहा की मुख्य फसले ज्वार, चना और गेहूँ है।

उ0 प्र0 का क्षेत्रीय वितरण

यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश को तीन भागो मे बाटा जाता है [1] किन्तु यदि इसका सामाजिक आर्थिक एव सास्कृतिक आधार पर विभाजन किया जाये तो इसे कुल पाच भागो मे विभाजित किया जा सकता है।[2]

1 उत्तराखण्ड

2 पश्चिम उत्तर प्रदेश

3 मध्य उत्तर प्रदेश

4 बुन्देल खण्ड

5 पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वाचल

उ0 प्र0 के विषय मे यह तथ्य दृष्टिगोचर है कि मद्रास और आन्ध्रप्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खण्ड नही है। यह भारत मे ब्रिटिश शासन द्वारा कई क्षेत्रो को मिलाकर बनाया हुआ प्रदेश है जिसका शासन पहले कभी भी किसी एक शासक द्वारा नही हुआ। इस कारण इसके विभाजित खण्ड के पडोसी राज्यो से न केवल भौगोलिक सम्बन्ध बल्कि सामाजिक व सास्कृतिक सम्पर्क भी रहे है उत्तरी पहाडी खण्ड के लोग मैदानी क्षेत्र की जनता की अपेक्षा हिमाचल की जनता से अधिक साम्य रखते है। इसी तरह से दक्षिण के पहाडी जिलो का सम्बन्ध बुन्देलखण्ड से ही है और यह इसी का एक हिस्सा है तथा इसके साथ इसका अधिक साम्य है। पश्चिम उ0 प्र0 के जाट एव गूजर हरियाणा और राजस्थान मे बहुत बडी सख्या मे रहने वाली जाट एव गूजर जाति से सम्बन्धित है। पूर्वी जिलो के क्षत्रिय,

---

1-उत्तर प्रदेश '99' सूचना एव जनसम्पक विभाग उ0प्र0 पृष्ठ-10।

2-उत्तर प्रदेश 99' सूचना एव जनसम्पक विभाग उ0प्र0 पृष्ठ 37

ब्राह्मण और भूमिहार आदि बिहार मे रहने वाली इन्हीं जातियो से अभिन्न हैं और प्राय उनमे विवाह आदि होता रहता है। इन्ही समानताओ के कारण पडोसी राज्यो की जनता के साथ इस राज्य की कुछ जनता राज्य के पून बटवारे की माग करती रही है। इन दिनो उत्तराचल का पृथक राज्य आन्दोलन अत्यधिक सक्रिय है तथा बुन्देलखण्ड, पश्चिम खण्ड उ0 प्र0 को हरित प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी अलग राज्य बनाने की माग की जा रही है।

इन सब के बाद भी सूक्ष्म अर्थो मे उ0 प्र0 भारत है वह कभी भी एक स्थानीय खण्ड रुप मे नही रहा। जबकि अन्य राज्यो की जनता बगाली, बिहारी, गुजराती, पजाबी, मद्रासी आदि नाम से पुकारी जाती है वही पर उ0 प्र0 की जनता का इस प्रकार कोई क्षेत्रीय नाम नही है। यहा के लोग अपने को 'यूपीइस्ट' या 'यूपियन' जैसा नाम न देकर 'हिन्दुस्तानी 'कहते है, जिसका अर्थ भारतीय है। भाषा और सस्कृतिकी दृष्टि से भी उ0 प्र0 की कोई अपनी अलग भाषा और सस्कृति नही ।

प्रशासनिक सरचना

उत्तर प्रदेश मे वर्तमान मे 19 मण्डल है जिसके अन्तर्गत 83 जिले, 345 तहसीले तथा 904 सामुदायिक विकास खण्ड है।[1]

	मण्डल	जिला
1	सहारनपुर	सहारनपुर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर
2	मेरठ	मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्द शहर, बागपत
3	आगरा	आगरा, अलीगढ, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस
4	बरेली	बरेली, बदायू, शाहजहापुर,पीलीभीत
5	मुरादाबाद	मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर
6	कानपुर	कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया

✡ 1-सम्बन्धित विवरण उत्तराखण्ड बनने से पहले के है।

7	इलाहाबाद	इलाहावाद, फतेहपुर, प्रतापगढ, कौशाम्बी
8	झासी	झासी ललितपुर, जालौन
9	चित्रकूट	हमीरपुर, महोबा, बादा, चित्रकूट
10	वाराणसी	वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली
11	मिर्जापुर	मिर्जापुर, सोनभद्र, सतरविदासनगर
12	आजमगढ	आजमगढ, मऊ, बलिया
13	गोरखपुर	गोरखपुर, महाराजगज, देवरिया, कुशीनगर(पडरौना)
14	बस्ती	बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्त-कबीरनगर
15	लखनऊ	लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खारी
16	देवीपाटन	गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती
17	फैजाबाद	फैजाबाद, सुलतानपुर, बाराबकी, अम्बेडकरनगर
18	कुमाऊॅ	नैनीताल, अलमोडा, ऊधमसिह नगर, पिथौरागढ बागेश्वर, चम्पावत
19	गढवाल	चमोली, उत्तरकाशी, रुद्र प्रयाग, टिहरी गढवाल, देहरादून, गढवाल

क्षेत्रफल

उत्तर प्रदेश जो भारत का एक सीमान्त एव विशाल राज्य है, का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,94,411 वर्ग कि0 मी0 है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8 9 प्रतिशत है। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से मध्य प्रदेश, राजस्थान एव महाराष्ट्र के पश्चात देश मे इसका चौथा स्थान है[1] और यदि इसके पाच खण्डो का क्षेत्रफल देखे तो क्रमश

1	उत्तराचल-	51 12 वर्ग किलोमीटर
2	पश्चिमी 30 प्र0	82 19 वर्ग किलोमीटर
3	मध्य 30 प्र0	48 83 वर्ग किलोमीटर

1-ऊत्तर प्रदेश १९९९' वही पृष्ट 107

4	बुन्देलखण्ड	29 42 वर्ग किलोमीटर और
5	पूर्वी उ0 प्र0	85 85 वर्ग किलोमीटर

जनसख्या

भारत की कुल जनसख्या मे इसका सर्वाधिक 16 44 प्रतिशत अशदान होने के फलस्वरुप जनसख्या की दृष्टि से देश मे इस प्रदेश का प्रथम स्थान है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसख्या 13,91,12,287 है, जिसमे 7,4036,957 पुरुष, तथा 6,50,75,330 स्त्रिया है ग्रामीण क्षेत्रो मे रह रहे लोगो की सख्या 11,15,06,372 (80 16 प्रतशित) है तथा नगरीय क्षेत्रो मे 2,76,05,915 (19 84 प्रतिशत) है। इस प्रकार हमारे प्रदेश मे अभी भी 80 प्रतिशत से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रो मे रह रहे हैं। वर्ष 1981 की जनगणना के समय प्रदेश की कुल जनसख्या 11,08,62,512 थी, जिसमे 5,88,19,535 पुरुष तथा 5,20,42,977 स्त्रिया हैं। इस प्रकार वर्ष 1981 से वर्ष 1991 के दशक के दौरान प्रदेश की कुल जनसख्या मे 25 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो इसके पूर्व के दशक (1971-81) की दशकीय प्रतिशत वृद्धि (23 51) से केवल 0 01 प्रतिशत कम है।

प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर (25 48) की तुलना सम्पूर्ण भारत की दशकीय वृद्धि दर (23 1) से करने पर यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की दशकीय वृद्धि भारतवर्ष की दशकीय वृद्धि दर की तुलना मे 1 97 प्रतिशत अधिक रही है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत वर्ष की कुल जनसख्या 84,63,02,688 थी जिसमे पुरुष की सख्या 43,92,30,458 तथा स्त्रियो की सख्या 40,70,72,230 है।

इस प्रकार भारतवर्ष की सम्पूर्ण जनसख्या मे उत्तर प्रदेश का अशदान 16 44 प्रतिशत है, अर्थात् प्रत्येक छठा भारतवासी उत्तर प्रदेश का निवासी है।[1]

1- नौवी पचवर्षीय योजना, भाग-1 राज योजना आयोग पृष्ठ-37-38

उपर्युक्त तथ्यो को निम्न सारिणी सख्या 2 11 मे दर्शाया गया है।

सारणी सख्या[2] 2 1 1

			वर्ष 1981	वर्ष 1991
1-जनसख्या	कुल	व्यक्ति	110862013	139112287
		पुरुष	58819276	74036957
		स्त्री	52042737	65075330
	ग्रामीण	व्यक्ति	90962898	111506372
		पुरुष	48041135	59197138
		स्त्री	42921763	52309234
	नगरीय	व्यक्ति	19899115	27605915
		पुरुष	10778141	14839819
		स्त्री	9120974	12766096
2- जनसख्या मे दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)			25 49	25 48

प्रदेश की जनसख्या का क्षेत्रीय वितरण सारिणी 2 1 2 मे दर्शाया गया है।

सारणी सख्या[2] 2 1 2

क्रम सख्या विवरण	उत्तराचल क्षेत्र	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	सम्पूर्ण क्षेत्र
1 2	3	4	5	6	7	8
1 सम्पूर्ण जनसख्या (लाख मे)/वर्ष१९९१	59 27	67 29	527 22	241 87	495 4	1391 12
2- राज्य जनसख्या का	4 30	4 80	37 90	17 40	35 6	100 0
3 -जनसख्या का घनत्व (प्रति वग कि.मी)	116	229	614	528	603	473

1- नौवां पचवर्षीय योजना, भाग-1 राज्य योजना आयोग पृष्ठ-[illegible] 109, 110

सारणी सख्या 2 1 2 मे दर्शाया गया है कि 1991 जनगणना के अनुसार उत्तराचल, बुन्देलखण्ड, पूर्वाचल, मध्य क्षे0 तथा पश्चिम क्षे0 की कुल जनसख्या क्रमश 29 27 लाख, 67 29 लाख, 527 22 लाख, 241 27 लाख, 495 47 लाख है। जिसका प्रदेश की जनसख्या मे प्रतिशत क्रमश 4 30, 4 80, 37 90, 17 40, 35 60 है। नगरी जनसख्या क्रमश 21 75 लाख, 11 57 लाख, 23 72, 21 19 लाख है। अत उपर्युक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि जहॉ नगरी जनसख्या का प्रतिशत सबसे अधिक मध्यक्षेत्र मे है वही सख्या मे नगरीय जनसख्या सबसे अधिक पश्चिमी उ0 प्र0 की है। ग्रामीण जनसख्या प्रतिशत मे एव सख्या मे सबसे अधिक पूर्वी उ0 प्र0 मे है।

स्त्री-पुरुष अनुपात

उत्तर प्रदेश मे स्त्री-पुरुष का अनुपात वर्ष 1991 की जनगणना मे प्रति हजार पुरुषो पर स्त्रियो की सख्या 879 है। पिछली जनगणना (1981) मे यह अनुपात 885 था, अर्थात पिछले दशक के दौरान प्रति हजार पुरुषो पर 6 स्त्रियो की कमी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रो मे यह अनुपात 884 रहा तथा नगरीय क्षेत्रो मे 860 आया है। इस प्रकार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रो मे स्त्री-पुरुष के अनुपातो मे अभी भी अच्छा-खासा अन्तर है। वैसे स्त्री-पुरुष का अनुपात प्रदेश मे सदैव पुरुषो के पक्ष मे रहा है।[1]

उपर्युक्त तथ्यो को सारणी सख्या 2 1 3 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारणी सख्या -2 1.3

		वर्ष	1981	1991
स्त्री-पुरुष अनुपात (प्रति हजार पुरुषो पर स्त्रियो की सख्या)	अ सामान्य	कुल	885	879
		ग्रामीण	893	884
		नगरीय	846	860
	ब अनु जाति	कुल	892	877
		ग्रामीण	898	880
		नगरीय	844	854
	स अनु जन जा.	कुल	917	914
		ग्रामीण	920	920
		नगरीय	814	820

1- उत्तर प्रदेश 99 पृष्ठ 108।

साक्षरता

इस जनगणना मे 6 वर्ष तक की आयु के बच्चो को निरक्षर माना गया है। चाहे वे स्कूल जा रहे हो अथवा नही। इस सिद्धान्त को अपनाते हुए वर्ष 1991 की जनगणना मे प्रदेश मे साक्षर व्यक्तियो की सख्या 4,61,44,196 है। दूसरे शब्दों मे साक्षरता दर 41 60 प्रतिशत है।

साक्षर पुरुषो का प्रतिशत 55 73 है जो साक्षर स्त्रियो के प्रतिशत(25 31) के दुगने से भी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रो मे साक्षरता दर 36 66 प्रतिशत है जबकि नगरीय क्षेत्रो मे साक्षर व्यक्तियो का प्रतिशत 61 आया है। यदि स्त्रियो तथा पुरुषो की साक्षरता दर ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रो मे अलग अलग देखे तो ज्ञात होता है कि पुरुषो की साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रो मे 52 05 है जो स्त्रियो की साक्षरता दर 19 02 प्रतिशत से दुगने से भी अधिक है, परन्तु नगरीय क्षेत्रो मे स्त्रियो की साक्षरता दर (50 38 प्रतिशत) तथा पुरुषो की साक्षरता दर (69 98 प्रतिशत) मे बहुत अधिक अन्तर नही है। दशक वर्ष 1981-91 के दौरान कुल साक्षरता दर मे 8 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पुरुषो (8 30 प्रतिशत) अक तथा स्त्रियो (8 13 प्रतिशत) के लिये लगभग समान रही है।[1] उपयुक्त तथ्यो को सारिणी सख्या 2 1 4 मे दर्शाइये।

सारणी सख्या-2.1.4

साक्षर दर (0-6 आयु वर्ग के बच्चो को छोडकर)		
	व्यक्ति	33 33
	पुरुष	47 43
	स्त्री	17 18
नगरी	व्यक्ति	61
	पुरुष	69 98
	स्त्री	50 38
ग्रामीण	व्यक्ति	36 66
	पुरुष	52 05
	स्त्री	19 02

1- उत्तर प्रदेश '99', पृ0 108

उत्तर प्रदेश मे महिला साक्षरता की स्थिति काफी निराशाजनक है। सात वर्ष के वय ग्रुप मे चार मे से केवल एक को पढना और लिखना आता है। यह आकडा ग्रामीण इलाको मे लुढक कर 19 फीसदी पहुच गया है। इनमे अनुसूचित जाति के 11 फीसदी और सामान्य तौर पर 8 फीसदी शामिल है यह प्रतिशत शैक्षिक रुप से पिछडे जिलो मे देहात की आबादी वाले इलाको का है। सन् 1981 की जनगणना के आकडो से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश मे महिला साक्षरता तकरीबन नही के बराबर रही है। मसलन सन् 1981 मे उत्तर प्रदेश के गावो की अनुसूचित जाति की महिलाओ की साक्षरता दर 18 जिलो मे 18 फीसदी से भी कम रही है और कई जिलो मे तो यह 2 5 फीसदी से भी नीची रही।

उत्तर प्रदेश मे सन् 1992-93 के दौरान प्राइमरी और सेकेण्डरी को मिलाकर कुल शैक्षिक उपलब्धि पर गौर करे तो पायेगे कि शिक्षित पुरुष और महिलाओ मे क्रमश 50 और 40 फीसदी लोग ही स्कूल मे आठ वर्ष बिता पाये। एक और मुख्य बात यह है कि युवा वर्ग मे साक्षरता की दर काफी अधिक पायी गयी है। यह दर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाको के युवाओ मे ज्यादा रही है। सन् 1980 के उत्तरार्द्ध मे 10-14 आयु वर्ग मे देहात के लडको मे साक्षरता दर 32 फीसदी और लडकियो मे दो फीसदी थी और इनमे से भी 12-14 आयु वर्ग की लडकियो की दो तिहाई आबादी ने स्कूल का मुह तक नही देखा।

राज्य मे शिक्षा की समस्या जनता की अरुचि और सरकार की तटस्थता के चलते विकराल रुप लेती जा रही है। सरकारी स्कूलो की स्थिति भी बहुत सुखद नही है। यहा निजी स्कूल तो फर्राटे से चल रहे है लेकिन आम लोगो की पहुँच से बाहर है। राज्य सरकार के सबको साक्षर करने के कई कार्यक्रम है। यथा विश्व बैक अनुदानित डी पी इ पी स्वैच्छिक सस्थाओ और दूसरे सगठनो की मदद से इन कार्यक्रमो मे जनता की भागीदारी बढाने के प्रयास चल रहे है। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के स्तर पर उत्तर प्रदेश मे 26 सामान्य विश्वविद्यालय, 3 तकनीकी विश्वविद्यालय, एक आई0 आई0 टी (कानपुर), एक इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट (लखनऊ) और भारी सख्या मे पालीटेक्रिक, इजीनियरिंग

सस्थान और निजी प्रशिक्षण सस्थान हैं।

यदि साक्षरता का क्षेत्रीय वितरण देखे तो 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तराचल क्षेत्र, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, मध्य क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र की साक्षरता क्रमश¯ 59 6, 42 3, 38 6, 42 6, 42 0 प्रतिशत है। महिलाओ का साक्षरता दर क्रमश¯ पर्वतीय क्षेत्र मे 20 9 मध्यक्षेत्र मे 28 3 तथा पश्चिमाचल मे 26 6 प्रतिशत है। उपर्युक्त तथ्यो को निम्न सारिणी मे दर्शाया गया है

सारिणी सख्या-2.1 5

विवरण	उत्तराचल	बुन्देलखण्ड	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिमीक्षेत्र
कुल साक्षरता (प्रतिशत मे) 1991के जन गणना	59 6	42 3	38 6	42 6	42
महिला साक्षर (प्रतिशत मे)	42 9	23 9	20 9	28 3	26 6

भाषा

उ0 प्र0 की मुख्य भाषा हिन्दी है जो यहा के लगभग 85 प्रतिशत जनता के द्वारा बोली जाती है। उ0 प्र0 ही वह पहला राज्य है जिसने हिन्दी को राजभाषा घोषित किया। इसके अतिरिक्त यहा की दूसरी राजभाषा उर्दू है जो यहॉ की 14 प्रतिशत जनता के द्वारा बोली जाती है। यद्यपि हिन्दी राज्य की मुख्य भाषा है किन्तु हिन्दी की भी तीन बोलियॉ यहा बोली जाती हैं- भोजपुरी, अवधी और ब्रज। पिछले वर्षो मे भाषा के आधार पर क्षेत्रिय का विकास प्रदेश मे हुआ है।

धार्मिक सरचना

वर्ष 1991 की जनणना के अनुसार उत्तरप्रदेश मे सबसे अधिक जनसख्या हिन्दू धर्म को मानने वाली है। इसके अन्तर्गत जो अन्य धर्मावलम्बी इस प्रदेश मे पाये जाते है उसमे

मुस्लिम 17 33 प्रतिशत, सिख 0 48, बौद्ध 0 16, ईसाई 0 14 तथा पारसी 389(नगण्य)। इस प्रकार जहॉ अल्पसख्यको की जनसख्या 20 प्रनिशत या अधिक क्षेत्र है। अल्पसख्यक बाहुल्य जिला घोषित किया गया है।[1] उपर्युक्त तथ्यो को निम्न सारिणी मे दिखाया गया है।

सारिणी सख्या 2 1 6

क्र0 स0	धर्म	☼जनसख्या (प्रतिशत मे)
1	मुस्लिम	17 33
2	सिख	0 48
3	बौद्ध	0 16
4	ईसाई	0 14
5	जैन	0 08
6	पारसी	389(नगण्य)

☼1991 की जनगणना के अनुसार

अनुसूचित जातियॉ तथा अनुसूचित जनजातियॉ

इस जनगणना मे अनुसूचित जातियो की सख्या प्रदेश मे 2,92,76,455 आयी है जिसमे 1,55,99,178 पुरुष तथा 1,36,77,277 स्त्रिया है। यह प्रदेश की कुल जनसख्या का 21 05 प्रतिशत है। यदि अनुसूचित जातियो तथा अनसूचित जनजातियो की दशकीय वृद्धि की तुलना कुल जनसख्या की दशकीय वृद्धि से करे तो ज्ञात होता है कि अनुसूचित जातियो मे वर्ष 1981 की जनगणना के पश्चात 24 83 प्रतिशत दशकीय वृद्धि हुई

1- उत्तर प्रदेश '99', पृ0 514

है, जो सामान्य जनसख्या की दशकीय वृद्धि से कम है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियो की सख्या मे दशकीय वृद्धि 23 75 प्रतिशत रही है जो अनुसूचित जातियो की तुलना मे भी कम है। जबकि अनुसूचित जनजातियो की कुल जनसख्या 287,901 है जिसमे 150,420 पुरुष तथा 137,481 स्त्रिया थीं। यह प्रदेश की कुल जनसख्या का 0 21 है। उपर्युक्त तथ्यो को सारिणी 2 1 7 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 2.1 7

क्र0स0	वर्ग		वर्ष1981	1991
1	(अ) अनुसूचित जाति	(व्यक्ति)	23,453,339	29,279,455
		पुरुष	12,307,321	15,599,178
		स्त्री	11,056,01	13,677,277
	(ब) कुल जनसख्या मे (प्र0)	व्यक्ति	21 66	21 05
		पुरुष	21 0	21 07
		स्त्री	21 24	21 02
2	(अ) अनुसूचित जनजाति	व्यक्ति	232,705	287,901
		पुरुष	121,506	0,420
		स्त्री	111,199	7,481
	(ब)कुल जनसख्या मे (प्र0)	व्यक्ति	00 21	00 21
		पुरुष	00 21	00 20
		स्त्री	00 21	00 21

सामाजिक सरचना

उ0 प्र0 की सामाजिक सरचना मे जाति तथा धर्म मुख्य धुरी का कार्य करते है। जाति तथा धर्म यहा की राजनीति को न्यूनाधिक रुप से प्रारम्भ से प्रभावित करते आ रहे है किन्तु वर्तमान दशक मे यह कहना अनुचित न होगा कि इसका प्रभाव राजनीति मे बहुत बढ गया है।यदि प्रदेश की जातीय सरचना को देखें तो 1931 की जनगणना के अनुसार राज्य मे चमारो की सख्या सबसे अधिक है। यह कुल जनसख्या का 13 72 प्रतिशत है।[1] आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से तथा शास्त्रीय उक्ति के अनुसार वे सामाजिक स्तर मे बहुत ही निम्न स्तर के है। वे अनुसूचित जातियो मे से एक है जिन्हे विधानसभा तथा ससद मे निश्चित सीटे प्राप्त है।

चमारो के बाद सबसे अधिक सख्या वाली जातिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, अहीर(यादव), राजपूत और कुर्मियो की है। राज्य की कुल आबादी मे ब्राह्मणो का प्रतिशत 9 18 रहा।[2] सामाज तथा शास्त्रो मे ब्राह्मण को सबसे ऊचा स्थान प्राप्त है। इसके बाद राजपूत आते है। जिनकी जनसख्या कुल जनसख्या का 7 57 प्रतिशत है।[3] ब्राह्मण तथा राजपूत दोनो ही भूमि के अधिक भागो पर अधिकार करने वाली जातिया है।[4]

शास्त्रो व सामाजिक स्तर की दृष्टि से अहीर और कुर्मी मध्यम श्रेणी के होते है। ये राज्य की पिछडी जातियो के अन्तर्गत आते है। सन् 1931 की जनगणना के अनुसार आबादी मे अहीरो का प्रतिशत 7 84 और कुर्मियो का प्रतिशत 3 54 रहा है।[5] राज्य के केन्द्रीय व

1-सेन्सस रिर्पोट ऑफ इण्डियॉ,सन् 1931ई0,उ0प्र0,खण्ड1,टेबुल1,पृष्ठ-619

2-वही,पृष्ठ-619

3-वही, पृष्ठ-619

4-ब्लट ई0 ए0 एच0 - द कास्ट सिस्टम ऑफ नार्दन इण्डिया,एस0 चन्द्र एण्ड क0,1967,पृ0 264

5-सेन्सस रिर्पोट ऑफ इण्डियॉ,सन् 1931ई0,उ0प्र0,खण्ड1,टेबुल1,पृष्ठ-619

पूर्वी जिलो मे ये दोनो जातिया अनाज पैदा करने वाली महत्वपूर्ण जातिया मानी जाती है।

कुछ अन्य जातिया है जो सख्या की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नही है परन्तु जिन क्षेत्रो मे रहती है वहा इनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है वे है जाट, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य । राज्य के पश्चिमी जिलो मे जाट जाति है जो कि राज्य के खाद्यान्न उत्पादक वर्गो मे बहुत ही महत्वपूर्ण जाति है।[6] भूमिहार अपने को ब्राह्मण कहते है जिन्होने धर्म निरपेक्षता के लिए अपना पौरोहित्य छोडकर कृषि को अपना कार्य क्षेत्र माना।[7] कायस्थ को लेखको का एक वर्ग माना गया है। सन् 1931मे प्रोविन्स (अब राज्य) मे यह सबसे अधिक पढी लिखी जाति रही है।[8] वैश्य का अधिकाधिक काम व्यापार एव वाणिज्य रहा है। उपर्युक्त विवरण को सारिणी सख्या 2 1 8 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 2 1 8

जाति	कुल जनसख्या मे प्रतिशत ☼
चमार	13 72
ब्राह्मण	9 18
राजपूत[9]	7 57
यादव	7 84
कुर्मी	3 54

☼ 1931 की जन गणना के अनुसार

6- ब्लट ई0 ए0 एच0 - वही,पृ0 271,

7-वही,पृ0 239,

8-सेन्सस रिर्पोट ऑफ इण्डियॉ,सन् 1931ई0,उ0प्र0,खण्ड1,टेबुल1,पृष्ठ-619

9-राजपूत क्षत्रीय वर्ण के होते है,राज्य के पूर्वी जिलो मे इन्हे क्षत्रीय ठाकुर कहा जाता है।

मौटे तौर पर कुल आबादी पर उच्चजातिया 20 से 22 प्रतिशत पिछडी जातिया 40 से 42 प्रतिशत और अनुसूचित जातिया 21 प्रतिशत है। स्वतत्रता प्राप्ति तक राज्य मे जातिगत कोई सघर्ष नही रहा। जातिगत सघर्ष तो अब होने लगा है।[1] परन्तु उ0 प्र0 का जातिगत सघर्ष भारत के कुछ दक्षिणी राज्यो के जातिगत सघर्ष से भिन्न है। जहा पर जातिया ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के रुप मे ध्रुवीकृत है। उत्तर प्रदेश मे जाति सघर्ष ब्राह्मण बनाम् क्षत्रिय, ब्राह्मण बनाम् वैश्य, यादव बनाम् कुर्मी के रुपो मे देखा जा सकता है।

मतदाता एव साख्यिकी क्षेत्रीय सरचना

उ0 प्र0 के मतदाताओ की सख्या देश भर मे सर्वाधिक लगभग 10 08 करोड है।[1] जाति एव धार्मिक आधार पर इसका वितरण किया जाय तो मोटे तौर पर मुस्लिम 16 प्रतिशत, ब्राह्मण और अहीर(यादव) 9 प्रतिशत, राजपूत 8 प्रतिशत, कुर्मी 4 प्रतिशत, कोयरी/मौर्या 4 प्रतिशत अन्य जैसे लोधी, वैश्य जाट कायस्थ गुजर और केवट 2 प्रतिशत के लगभग है। अनुसूचित जाति मे से चमार 14 प्रतिशत, पासी 4 प्रतिशत मुख्य जातिया है। अनुसूचित जनजातिया 0 21 प्रतिशत है।[2]यदि जातियो के जमाव के देखे तो मुस्लिमो का जमाव पश्चिम उ0 प्र0 मध्य प्र0 से लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलो मे है इनकी 20 प्रतिशत से अधिक सख्या बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद,रामपुर, बदायू, बरेली, शाहजहापुर, लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती,पडरौना(कुशीनगर), अलीगढ, बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर,

---

1-के0 के0 सिह - 'पैटर्न ऑफ कास्ट टेशन' ए स्टडी इन इण्टर कास्ट टेशन एण्ड कॉन्फ्लिक्ट, बम्बई, एसिया पब्लिशिग हाउस,1967,पृ0 61

2-स्वतत्र भारत,लखनऊ,5 सितम्बर,1996 पृ0 3

3-सी0 एस0 डी0 एस0 और फेसेस ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली,न्यूज मैन पब्लिशर के आकडो के आधार पर।

सहारनपुर, हरिद्वार मे है।

सारिणी सख्या 2.1 9☼

जाति	प्रतिशत (लगभग)
मुस्लिम	16
ब्राह्मण	9
अहीर	9
राजपूत	8
कुर्मी	4
लोधी	2
जाट	2
कायस्थ	2
गूजर	2
केवट	2
चमार	14
पासी	4

☼ सी0 एस0 डी0 एस0 और फेसेस ऑफ इण्डिया,मुकेश खोशला नई दिल्ली,न्यूज मैन पब्लिशर के आकडो के आधार पर।

यदि अनुसूचित जातियो का जमाव देखा जाए तो यह मुख्य रुप से बुन्देलखण्ड, पूर्वी उ0 प्र0 तथा मध्य उ0 प्रदेश मे व्यापक रुप से पायी जाती हैं यद्यपि हरिद्वार जैसे उत्तरी जिलो मे इनकी सख्या अत्यधिक है। शाहजहॉपुर, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, अकबरपुर, फैजाबाद, बाराबकी, बस्ती, आजमगढ, राबर्टसगज,

सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, बादा, हमीरपुर, झासी, जालौन, एटा तथा हरिद्वार मे इनकी सख्या सबसे अधिक 25 प्रतिशत से उपर है, इनमे मुख्य जाति चमार है जिसका वितरण उपर्युक्त सभी जिलो मे है किन्तु इस वर्ग की अन्य मुख्य जाति पासी है जिसका जमाव फर्रुखाबाद के आस पास के जिलो मे है।

अगडी जातियो मे प्रदेश मे मुख्य रुप से ब्राह्मण 9 प्रतिशत तथा राजपूत 8 प्रतिशत है। यदि ब्राह्मणो के जमाव पर ध्यान दे तो इनकी अधिक सख्या उत्तराखण्ड मे पूर्वी उत्तर प्रदेश मे है। यद्यपि इनका विखराव प्रदेश के सभी भागो मे है। पूरे उत्तराखण्ड, मेरठ, कानपुर, गोडा, मे इनकी सख्या 15 प्रतिशत से उपर है। साथी ही अलीगढ, आगरा, इटावा, फर्रुखाबाद, बादा, जालौन, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ, सुल्तानपुर, अकबरपुर, फैजाबाद, बलरामपुर, बस्ती, आजमगढ, गोरखपुर तथा महराजगज मे इनकी सख्या 10 से 15 प्रतिशत के बीच है।

ब्राह्मण के बाद उच्च जातियो मे सबसे अधिक सख्या राजपूतो की है। राजपूतो का जमाव देखा जाय तो यह पूरे प्रदेश मे समान रुप से फैले है। बस कुछ स्थान पर इनका प्रतिशत अधिक है जिसमे उत्तराखण्ड, का सम्पूर्ण भाग, बलिया, तथा फिरोजाबाद को शामिल किया जा सकता है जहा इनका प्रतिशत 15 से उपर है।

पिछडी जातियो मे मुख्य अहीर (यादव) कुर्मी, जाट, लोधी, गुजर आदि है । इसमे सबसे अधिक सख्या यादवो की है। यादवो का बिखराव ऐसे तो पूरे प्रदेश मे है किन्तु मुख्य रुप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम तथा मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ भागो मे इनकी आबादी काफी अधिक है। जाट मुख्य रुप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे पाये जाते है। लोधी भी पश्चिम तथा मध्य उत्तर प्रदेश मे पाये जाते है ।

उपर्युक्त विवरण से यह प्रदर्शित करता है कि प्रदेश मे जातियो का जमाव कहा और कैसा है। यद्यपि राजनीति मे जातिवाद का प्रभाव प्रारम्भ से रहा किन्तु इधर इसका प्रभाव ज्यादा ही बढ गया है जिसके कारण जातियो का यह क्षेत्रीय साख्यिकीय वितरण राजनीतिक

दलो एव उम्मीदवारो के सफलता एव असफलता तथा नीतियो के अध्ययन मे महत्वपूर्ण कारक साबित होता जा रहा है।

राजनीतिक इतिहास

पुरातन काल मे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। उत्तर-पश्चिम से आने वाले आक्रमणो के रास्ते मे पडने के कारण तथा दिल्ली और पटना के बीच मे उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण इसके इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास के निकटतम सम्बन्ध है। यद्यपि हमे इसके प्रागैतिहासिक अथवा आदि-ऐतिहासिक काल के सम्बन्ध मे बहुत कम जानकारी है तथापि मिर्जापुर, सोनभद्र, बुन्देलखण्ड और प्रतापगढ के सराय नाहर क्षेत्र मे खुदाई के फलस्वरुप प्राचीन एव नवपाषाणकाल के जो औजार-हथियार आदि मिले हैं और मेरठ जिलान्तर्गत आलमगीरपुर मे हडप्पाकालीन जो वस्तुए मिली हैं वे हमे सुदूर भूतकाल का स्मरण कराती हैं।

आर्य काल

ऋग्वेद के समय से कुछ सश्लिष्ट ऐतिहासिक वृत्तात मिलता है। आर्यो ने सबसे पहले भारत मे सप्त-सिधु या सात नदियो द्वारा सिचित प्रदेश (अविभाजित पजाब) मे बस्तिया बनायीं। धीरे-धीरे आर्यो ने अपने क्षेत्र का पूर्व मे विस्तार किया। शतपथ ब्राह्मण मे कोशल(अवध) और विदेह (उत्तरी बिहार) को ब्राणु और क्षत्रियो ने जिस प्रकार जीता, उसका रोचक वर्णन है। धीरे-धीरे सप्त सिधु का महत्व कम होता गया और सस्कृति का केन्द्र बना सरस्वती और गगा के बीच का मैदान, जहा कुरु, पचाल, काशी एव कोशल (अवध) राज्य थे।

रामायण एव महाभारत काल मे जिन महान व्यक्तियो और देवताओ का वर्णन आया है, वे यही रहते थे। यहा के निवासी सर्वाधिक सुसस्कृत आर्य माने जाते थे। इसके बाद का इतिहास एक लम्बे समय तक के लिए हिन्दुओ की धार्मिक पुस्तको और पुराणो के आख्यानो

से मिश्रित हो गया। जिससे कि ऐतिहासिक वृत्तात की कडी टूट गयी। जब अधकार छटता है और ईसा पूर्वी छठी शताब्दी मे इतिहास की रेखाये फिर से उभरती दिखाई पडती हैं तो हम देखते हैं कि 16 महाजनपदो मे गहरी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तत्कालीन जनपदो मे जो जनपद वर्तमान उ0 प्र0 मे स्थित थे वे थे-

1- कुरु (मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर) राजधानी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली के पास इन्द्रपाल)

2- पाचाल (बरेली, बदायू और फार्रुखाबाद) राजधानी अहिछत्र(बरेली के पास रामनगर) तथा काम्पिल्य(फर्रुखाबाद)

3- शूरशेन (मथुरा के आसपास के क्षेत्र) राजधानी मथुरा

4- वत्स (इलाहाबाद और आसपास), राजधानी कौशाम्बी (इलाहाबाद के पास कोसम)

5- कोशल (अवध), राजधानी साकेत (अयोध्या) और श्रावस्ती (गोडा जिले मे सहेत महेत)

6- मल्ल (जिला देवरिया), राजधानी कुशीनगर (कसिया) और पाव (पडरौना)

7- काशी (वाराणसी), राजधानी वाराणसी

8- चेदि (बुन्देलखण्ड), राजधानी शुक्तिमती (सम्भवत बादा के पास)

उपर्युक्त जनपदो मे से अधिक विख्यात काशी, कोशल और वत्स थे। इन राज्यो के अतिरिक्त वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रान्तर्गत ही कतिपय गणतन्त्रात्मक राज्य भी थे, जैसे कपिलवस्तु का शाक्य राज्य, समसुमेरगिरि का भग्गा राज्य और पावापुरी तथा कुशीनगर का मल्ल जनपद।

ईसा से ठीक पूर्व

इन 16 जनपदो मे सर्घष की अन्तिम परिणति मगध के उत्कर्ष से होती है। मगध मे क्रमश हरयाल, शिशुनाग, और नन्दवश का राज्य रहा। नन्दवश ने ई0 पू0 343 से ई0 पू0 321 तक राज्य किया। इस वश का साम्राज्य पजाब और सम्भवत बगाल को

छोडकर पूरे भारत मे फैला हुआ था। इसी के शासन मे 326 ई0 पू0 भारत पर सिकन्दर का आक्रमण हुआ था।

सिकन्दर के वापसी के साथ ही भारत मे एक महान क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरुप नन्द शासको को हटा ई0 पू0 323 मे चन्द्र गुप्त मौर्य मगध के सिहासन पर बैठा तथा मौर्यवश की नीव रखा।

अशोक द्वारा सारनाथ मे निर्मित स्तम्भ पर सिहो की आकृति बनी है। स्वतत्र भारत की सरकार ने उसे ही अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाया। अशोक के स्तम्भ और शिलालेख, सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, सकिसा, कालसी, सिद्धार्थनगर और मिर्जापुर मे पाये गये है। ये सभी स्थान उत्तर प्रदेश मे हैं। सारनाथ के धर्मराजिका स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था।

अशोक की मृत्यु होते ही मगध के राज्य का ह्रास प्रारम्भ हो गया। इस वश का अतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुग ने हत्या कर दी। पतजलि के महाभाष्य मे एक उल्लेख साकेत (अयोध्या) के यवनो(यूनानियो) द्वारा घेरे जाने का आता है। शुग वश के बाद कव्ब वश का शासन आता है।

वासुदेव ने ईसा से 73 वर्ष पूर्व कण्व वश की स्थापना की। यह राजवश 45 वर्ष तक चला और ईसा से 28 वर्ष सिमुक ने जो सात वाहन या आध्र वश के सस्थापक थे, इसको समाप्त कर दिया।

यह वह समय था, जब मध्य एशिया के शासको का ध्यान पहली बार भारत की ओर आकर्षित हुआ। ईसा के 60 वर्ष पूर्व तक इन लोगो ने मथुरा मे अपने क्षत्रप स्थापित कर लिए थे। प्रथम शक राजा मायूस हुआ जिसकी ईसा पूर्व लगभग 58 वे वर्ष मे मृत्यु हुई थी। फिर ईसा से लगभग 40 वर्ष पूर्व कुषाणो के भी आक्रमण हुए।

कुषाण राज वश

कुषाण राज वश की स्थापना कुजुल कदफिसेस प्रथम ने की थी। कनिष्क

प्रथम, जो निसन्देह सभी कुषाण राजाओ मे श्रेष्ठ था। चीनी और तिब्बती इतिहासकारो ने कनिष्क की सोकेद (साकेत) के राजा से लडाई की गाथाए सुरक्षित रखे है तथा अनेक उत्कीर्ण प्रलेख एव खुदाई से प्राप्त सिक्के आदि, जो उत्तर प्रदेश के विस्तृत भाग मे मिले है इस बात की ओर सकेत है कि यह भू भाग किसी समय कुषाण साम्राज्य का अश था। उस समय मथुरा कला का प्रसिद्ध केन्द्र था।

ईसा के बाद तीसरी सदी आते-आते कुषाणो का प्रभुत्व मध्य देश से समाप्त हो चुका था तथा उनके स्थान पर बहुत से दूसरे छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे। यद्यपि इस समय के इन राजाओ मे कुछ के नाम अभी भी समुद्रगुप्त (ईसा बाद चौथी सदी) द्वारा इलाहाबाद के स्तम्भ पर खुदवाये जाने के कारण ज्ञात हैं, तथापि तीसरी सदी मे उत्तर भारत पर राज्य करने वाला सबसे सशक्त राजवश नाग-वश था।

द्वितीय सदी मध्य से लेकर के चौथी सदी मे गुप्त राजाओ के उत्कर्ष तक का इतिहास अत्यन्त धूमिल रहा।

गुप्तवश और उसका पराभव

ईसा बाद चौथी सदी मे गुप्त वंश का प्रार्दुभाव होने पर भारत मे राजनीतिक एकता फिर स्थापित हुई लगभग दो सौ वर्षो के उनके शासन-काल के मध्य देश (उत्तर प्रदेश) उनके शासनान्तर्गत अन्य क्षेत्रो के साथ शान्ति और समृद्धि का भागीदार बना।

गुप्त राज्य के पराभव के बाद एक बार फिर सत्ता विकेन्द्रित हो गयी। इसके अनन्तर गृहवर्धन थानेश्वर का राजा था।

हर्ष के राज्याभिषेक से थानेश्वर और कन्नौज के राजवश आपस मे मिल गये। कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया। कई शताब्दियो तक उसका वही मान रहा जो उससे पहले पाटलिपुत्र का था।

हर्ष के बाद उत्तर भारत मे फिर उथल-पुथल मच गयी। उपलब्ध सामग्री के आधार

पर इस काल का कोई सश्लिष्ट इतिहास तैयार करना सम्भव नही है। केवल कुछ घटनाओ का उल्लेख किया जा सकता है। जिसमे प्रमुख थीं 1992 मे तराइन के मैदान मे पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी के हाथो पराजय जिसके फलस्वरुप मुस्लिम शासको का भारत मे प्रादुर्भाव हुआ।

दिल्ली के यवन शासक

सन् 1206 मे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिहासन पर बैठा और तभी से गुलाम वश का प्रारम्भ हुआ। गुलाम वश के राजाओ और उसे बाद खिलजीवश तथा तुगलक वश के बादशाहो ने धीरे-धीरे दिल्ली की बादशाहत की सीमा बढायी। वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लगभग प्रारम्भ से ही इन लोगो के साम्राज्य का अग रहा। सन् 1394 मे सारे क्षेत्र के पूर्वाचल मे एक स्वतत्र राज्य की स्थापना हो गयी। यह शर्की साम्राज्य था और इसकी स्थापना जौनपुर मे नासिरुद्दीन तुगलक के विद्रोही सूबेदार मलिक सरवर ख्वाजाजहॉ ने की थी। शर्की शासको ने 84 वर्षो तक दिल्ली की बादशाहत का जमकर विरोध किया और कन्नौज एव सीमान्त जिलो पर दिल्ली का प्रभुत्व नही माना।

सन् 1412 मे महमूद तुगलक (अन्तिम तुगलक बादशाह) की मृत्यु हो गयी और उसी समय से दिल्ली मे तुगलक राजवश की समाप्ति हो गयी।

सन् 1414 से 1526 तक सैय्यद और लोदियो ने दिल्ली साम्राज्य के बचे-खुचे भाग पर राज्य किया, किन्तु दोआब का अधिकतर भाग अनेक हिन्दू एव मुसलमान सरदारो के अधीन बना रहा। तत्कालीन इतिहास की एक प्रमुख घटना यह रही कि सिकन्दर लोदी ने आगरा को अपनी उपराजधानी बनाया।

मुगल शासनकाल

बाबर ने पानीपत की लडाई मे सन् 1526 मे लोदियो के अन्तिम बादशाह

इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया, किन्तु उसके बाद भी अफगानो ने गगा की घाटी और सम्भल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा, और कन्नौज मे अपना प्रतिरोध जारी रखा तथा कडी लडाई के बाद ही आत्मसर्मपण किया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नीव रखी, किन्तु उसके लडके हुमायूँ को अफगान वीर शेरशाह के हाथो करारी हार उठानी पडी थी। मुगलो और शेरशाह के बीच हुई लडाइयो मे चुनार, चौसा तथा बिलग्राम प्रमुख रणस्थल थे। शेरशाह सूरी स्वय सन् 1545 मे कालिजर के प्रसिद्ध किले पर अधिकार करने के प्रयास मे चन्देलो से लडते हुए मारा गया।

उसकी मृत्यु से मानो मध्ययुगीन इतिहास के गगन का एक विलक्षण सितारा अस्त हो गया। इसके उपरान्त महत्वपूर्ण घटनाओ का क्रमारम्भ हुआ। हुमायूँ फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसकी मृत्यु के बाद पानीपत की दूसरी लडाई हुई। सन् 1556 मे अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और भारतीय इतिहास मे एक नवीन युग का आरम्भ हुआ। यह युग था शान्ति, समृद्धि और सुदृढ प्रशासन का, उदारता और हिन्दू एव मुस्लिम सस्कृतियो के समन्वय का।

समन्वय की यह प्रक्रिया अकबर के उत्तराधिकारियो जहॉगीर एव शाहजहा के समय भी चलती रही। उत्कर्ष के इस युग मे हिन्दुस्तान का जैसा कि तत्कालीन मुसलमान इतिहासकार उत्तर प्रदेश को कहते थे, महत्वपूर्ण अशदान रहा है। अकबर के दो प्रसिद्ध मत्री टोडरमल और बीरबल इसी क्षेत्र के थे और जब तक कि शाहजहा के समय मे दिल्ली को राजधानी रही बनाया गया था, तब तक आगरा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा।

औरगजेब द्वारा उदारता की नीति का परित्याग करने से मुगल साम्राज्य को भारी धक्का लगा। परिणाम यह हुआ कि उसकी मृत्यु के बाद ही कुछ दशको मे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया।

बुन्देलखण्ड, अवध तथा रुहेलखण्ड के रुप मे स्वतन्त्र राज्य कायम किया गया। बाद मे अवध के नबाब ने उन्हे ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सहायता से परास्त किया। कुछ

समय तक मराठो ने गगा-युमना दोआब पर अपना आधिपत्य जमाने के प्रयास किये, किन्तु सन् 1761 मे पानीपत मे हुई हार ने उसकी इस विस्तार-भावना का अन्त कर दिया। अवसर से लाभ उठाकर अग्रेजी ने दोआब मे अपनी स्थिति सुदृढ बना ली।

अवध के नवाब

अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला (सन् 1754 से 1775) तक के शासन काल मे ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी अवध के शासको के सम्पर्क मे आयी। शुजाउद्दौला ने बगाल से भागे हुए नवाब मीर कासिम से सन् 1764 मे अग्रेजो के विरुद्ध इकरारनामा कर रखा था किन्तु बक्सर के युद्ध मे वह अग्रेजो से पराजित हुआ और उसे कडा एव इलाहाबाद अग्रेजो को दे देना पडा। इसके बाद अग्रेजो ने कभी धमकी देकर तो कभी फुसलाकर नवाब से बडे-बडे क्षेत्र हडपने की नीति बना ली।

सन् 1775, 1798 और 1801 मे नवाबो से जो क्षेत्र अग्रेजो ने प्राप्त किये और सन् 1803 मे ग्वालियर के सिधिया से जो क्षेत्र लार्ड लेक ने जीते, वे सब शुरु मे बगाल के प्रान्त से सम्बद्ध कर दिये गये और उन्हे जीते एव मिले हुए प्रदेश की सज्ञा दी गयी। सन् 1816 मे सगौली की सधि द्वारा वर्तमान कुमाऊँ गढवाल और देहरादून के जिले गोरखा आक्रमणकारियो से लेकर ब्रिटिश राज्य मे मिला लिये गये। इस प्रकार से जो विस्तृत क्षेत्र बना, उसे 1836 मे उत्तर-पश्चिम प्रान्त के नाम से एक प्रशासनिक इकाई मे बदल दिया गया। अन्त मे सन् 1856 मेराज्य हडपने की नीति का अनुसरण करते हुए डलहौजी ने अवध को अग्रेजी राज्य मे मिला लिया तथा उसे एक चीफ कमिश्नर की अधीनता मे रख दिया। आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को अग्रेजो ने अपने राज्य मे मिला लिया था।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद

अग्रेजो की उद्दण्डता, शक्ति और विश्वासघात का स्वाभाविक परिणाम था कि

राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह की अग्नि भडक उठी और सन् 1857 मे यही हुआ। इस विद्रोह मे जो राष्ट्र की आजादी के लिए लडा गया प्रथम स्वतत्रता सग्राम था, वर्तमान उत्तर प्रदेश के लोगो ने शानदार भूमिका अदा की। झासी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खॉ, नाना साहब, मौलवी अहमदउल्ला शाह, राजा बेनी माधव सिह, अजीमउल्ला खॉ तथा अन्य अनेक राष्ट्रभक्तो ने इस ऐतिहासिक सघर्ष मे जिस दृढता का परिचय दिया, उससे वे अमर हो गये।

सन् 1858 मे दिल्ली डिवीजन उत्तर-पश्चिम प्रदेश से अलग कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दी गयी। उसी वर्ष एक नवम्बर को एक शाही घोषणा द्वारा राजनीतिक सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथो से लेकर सीधे महारानी विक्टोरिया को सौप दी गयी।

सन् 1858 मे उत्तर-पश्चिम प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर का पद तथा अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक मे मिला दिया गया। उसी समय से इस वृहत्तर क्षेत्र को उत्तर-पश्चिम प्रदेश आगरा और अवध कहा जाने लगा। सन् 1902 मे इस नाम को बदलकर सयुक्त प्रान्त आगरा और अवध कहा जाने लगा। सन् 1921 से यहॉ गवर्नर नियुक्त होने लगा और कुछ समय बाद राजधानी लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी। सन् 1937 मे इसका नाम छोटा करके मात्र सयुक्त प्रात कर दिया गया। आजादी मिलने के लगभग ढाई वर्ष बाद अर्थात् 12 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश हुआ। इसके तुरन्त बाद पास-पडोस के अनेक छोटे-छोटे क्षेत्र इसमे मिला लिये गये। 26 जनवरी, 1950 को जब स्वतत्र भारत का सविधान लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतत्र का एक पूर्ण राज्य बना।

आर्थिक स्थिति

आधुनिक राजनीति व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि सामाजिक एव आर्थिक व्यवस्था का स्वरुप था आधुनिक हो। इस सन्दर्भ मे यदि उ0 प्र0 की आर्थिक स्थिति का अन्वेषण करे तो देश की सबसे अधिक जनसख्या तथा विस्तार मे चतुर्थ

स्थान रखने वाला यह राज्य वर्तमान समय मे आर्थिक रुप से लगातार पिछडता जा रहा है। उडीसा (रु04726) और बिहार (रु 3620) को छोडकर इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश मे सबसे विभिन्न है। 1950-51 मे राज्य की प्रति व्यक्ति आय रु0 259 थी जो देश की प्रतिव्यक्ति आय 367 रु से 3 प्रतिशत पीछे थी। किन्तु आज यह अत्यन्त दयनीय स्थिति मे है। यदि आठवे दशक के वर्षो को देखे तो निश्चय ही उस काल मे आर्थिक प्रगति हुई किन्तु जनसख्या वृद्धि पर नियन्त्रण न कर पाने के कारण यह विकास बेकार साबित हुआ। किन्तु वर्तमान वर्षो मे राज्य की आय मे फिर नकारात्मक वृद्धि दर्ज की जा रही। यदि राज्य की आय मे हिस्सा देखा जाय तो सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र 42 6 प्रतिशत(1994-95) आता है। सेकण्डरी क्षेत्र से 20 प्रतिशत तथा त्रिस्तरी क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) से 37 4 प्रतिशत हिस्सा आता है। इसके उतार चढाव को सारिणी सख्या 2 2 1से देखा जा सकता है।

सारिणी सख्या 2.2 1

राज्य की आय का स्वरुप वर्तमान मूल्य पर

क्षेत्र	1970-71	1980-81	1984-85	1989-90	1991-92	1994-95
1 प्राथमिक	60 2	52 3	54 4	41 1	43 7	42 6
2 द्वितीयक	14 9	15 3	18 0	21 2	20 3	20 0
3 त्रिस्तरीय	24 9	32 4	36 6	37 7	36 0	37 4

2 प्रारुप नौवीं पचवर्षीय योजना 1997-2002

भाग-1, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य योजना आयोग अक्टूबर 1997

सारिणी सख्या 2 21 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य की आय मे प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कम हुआ है तथा द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा बढा है। अत: यह स्पष्ट प्रदर्शित होता

है कि राज्य मे औद्योगिकीकरण को बढावा मिला है तथा सेवा क्षेत्र के हिस्से मे वृद्धि यह दिखाता है कि राज्य की विकास की दिशा तो उचित है। किन्तु हाल के वर्षो मे (1989 के बाद) देखा जाय तो निश्चय ही द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र के हिस्से मे गिरावट हुआ है जो यह दिखाता है कि औद्योगिक तथा बौद्धिक विकास मे इस दौरान कमी आयी है। साथ ही इस तथ्य को भी अनदेखा नही किया जा सकता है कि 30 प्र0 का द्वितीय क्षेत्र मे अधिकतम योगदान 21 2 प्रतिशत भी महाराष्ट्र जैसे जिसका द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 37 फीसदी है, से काफी कम है।

राज्य की समृद्धि बोध करने का एक आधार राज्य की कुल आय होती है। सारिणी सख्या 22 2 मे राज्य की कुल आय तथा कुल राष्ट्रीय आय मे इसके योगदान को दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 2.2 2

3774-10
6.029

वर्ष	कुल राज्य आय करोड रुपये		कुल राष्ट्रीय आय मे राज्य आय का योगदान	
	प्रचलित भावोपर	1980-81के स्थायी भावे पर	प्रचलित भावों पर	1980-81 के स्थायी भावे पर
1980-84	14012		12 7	12 7
1984-85	21514	16331	11 7	12 2
1989-90☼	41664	21501	11 7	12 1
1990-91☼	49496	22780	11 8	12 2
1993-94☼	69682	23742	10 6	11 5
1995-96✡	88552	25151	10 0	10 5
1996-97✡	103170	27018	10 2	10 5
☼अतिम अनुमान ✡ त्वरित अनुमान				

तालिकागत आकडो से विदित होता है कि प्रदेश की कुल राज्य आय

मे अबाध वृद्धि हुई है। फिर भी कुल राष्ट्रीय आय मे प्रदेश के योगदान मे वृद्धि सम्भव नही हो सकी। इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण राष्ट्र की अपेक्षा प्रदेश की आर्थिक विकास की गति मद रही है।

भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है तथा देश की अधिकाश क्रियाशील जनता इसमे सलग्न है। उ0 प्र0 जो जनसख्या के हिसाब से देश का सबसे बडा राज्य है उसकी भी स्थिति इसी प्रकार रही है। राज्य की कुल आय मे सबसे अधिक हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र अर्थात् कृषि तथा पशुपालन आदि से आता है।

यदि प्रदेश मे कृषि के स्वरुप पर ध्यान दे तो अग्रेजो ने जब पूर्वाचल उ0 प्र0 उनके अधिकार मे आया तब स्थायी भूमि हिसाब या निस्तारण विधि कहे उसे लागू किया। स्थायी निस्तारण के तहत उच्च एव समानुपातिक अचल राजस्व की माग से ग्रामीण समाज का वर्गीकरण हुआ जहा भूस्वामियो का एक समूह समाज मे सबसे ऊपर आरुढ हो गया और बाकी अशक्त और अधिकारहीन उसके अधीन हो गए। छोटे-छोटे किसान कृषि के लिए जमीदारो अथवा सेठ साहूकारो से कर्ज लेते और अदायगी मे मनचाही सस्ती दर पर बडो के घर भरते। जबकि पश्चिम मे भाईचारे की व्यवस्था मे वहा बडे-बडे कृषक हुए।

जबकि पश्चिम मे जमीदार, सेठ-साहूकारो और व्यापारियो ने किसानो का शोषण करना चाहा लेकिन भाईचारा व्यवस्था के कारण बडी तादाद मे ऐसा सभव नही हो सका। कुछ ही लोग रहे जिन्होने बडे के अधीन खेती -बाडी की। आजादी के बाद ऐसे किसान बडे एव धनी खेतिहर हो गए जिन्होने जमीन मे निवेश किया और बेहतर खेती के लिए नयी तकनीक को अपनाने मे रुचि दिखलायी।

कृषि मे एकरुपता लाने के लिए उ0 प्र0 जमीदारी उन्मूलन एव भूमि सुधार अधिनियम को सन् 1951 मे पारित किया गया ताकि-विचौलियो का वर्चस्व खत्म किया जा सके। इस बाबत जमीन की बहुव्यवस्था को एकरुपता देने के लिए इसे दो श्रेणियो मे बॉटा गया

(मालिक) और सीरदार (पैतृक)। सन् 1997 के बाद की श्रेणी भी समाप्त कर दी गयी और सभी सीरदारी को आनुपातिक अधिकार दिए गए।[1]

निश्चय ही कृषि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का मेरुदण्ड है। यह प्रदेश के कर्मकारो मे से 72 2 प्रतिशत लोगो को रोजगार दिलाता है तथा राज्य की कुल आय (वर्ष 1995-96) मे से 41 5 प्रतिशत कृषि एव पशुपालन से ही आता है।[2]

उद्योग

उद्योग का क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का दूसरा बडा क्षेत्र है इसका सन् 1994-95 मे राज्य की आय मे 20 प्रतिशत योगदान रहा है। सन् 1991 मे इस क्षेत्र ने राज्य की कुल श्रमशक्ति मे से 8 फीसदी लोगो को रोजगार दिया। सन् 1980-81 मे राज्य की आय मे 10 प्रतिशत और श्रमशक्ति मे 9 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य की आय से इस हिस्से की हिस्सेदारी बढती ही रही। लेकिन फिर भी यह देश के अन्य अति औद्योगीकृत राज्यो से काफी पीछे है। यदि इसके कारणो पर प्रकाश डाले तो मुख्य समस्या कृषि आधारित उत्पाद , बिजली और अभियात्रिकी है।[3]

राज्य के आर्थिक पिछडेपन के कारणो की तलाश करे तो एक मुख्य कारण है योजनागत व्यय मे कमी है व्यय का ज्यादा हिस्सा गैर योजनागत व्यय मे होता है। जिसका एक कारण भारी-भरकम सरकारी मशीनरी, बडे-बडे मन्त्रिमण्डलो का निर्माण, राजनैतिक लाभ के लिए किए जाने वाले खर्च एव कार्य है।

काम करने वालो का अनुपात

इस जनगणना के आकडो के अनुसार कुल व्यक्तियो मे से 29 73 प्रतिशत काम करने वाले हैं। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रो मे यह अनुपात क्रमश 30 52 प्रतिशत तथा 26 26 प्रतिशत है। यदि स्त्रियो तथा पुरुषो मे काम करने वालो का अनुपात देखा जाये तो ज्ञात होता है कि पुरुषो मे कुल जनसख्या के 49 31 प्रतिशत काम करने वाले हैं। जबकि स्त्रियो मे यह प्रतिशत केवल 7 45 है। ग्रामीण क्षेत्रो मे काम करने वाले पुरुषो की जनसख्या

उनकी कुल सख्या के आधे से अधिक (50 10) है जबकि काम करने वाली स्त्रिया केवल 8 36 प्रतिशत हैं। नगरीय क्षेत्रो मे काम करने वाली स्त्रियो का अनुपात तो और भी कम (3 75) प्रतिशत है। काम करने वाले पुरुष नगरीय क्षेत्रो मे 46 19 प्रतिशत हैं। यदि इन आकडो की तुलना वर्ष 1981 की जनगणना मे प्राप्त आकडो से करे तो कुल काम करने वालो के प्रतिशत मे 0 51 प्वाइन्ट की वृद्धि हुई है अर्थात् काम करने वालो का प्रतिशत वर्ष 1981 मे 29 22 से वर्ष 199129 73 हो गया है जबकि पुरुषो के प्रतिशत वर्ष 1981 मे 50 31 से वर्ष 1991 मे 49 31 रह गया है। काम करने वाली स्त्रियो के प्रतिशत मे 2 06 अक की वृद्धि हुई है अर्थात् 1981 मे जो 5 39 प्रतिशत था, वह वर्ष 1991 से बढकर 7 45 हो गया है। उपर्युक्त तथ्यो को सारिणी सख्या 22 3 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 2 2 3

कुल जनसख्या मे प्रतिशत		वर्ष 1981	वर्ष 1991
1मुख्य काम करने वाले	व्यक्ति	29 22	29 73
	पुरुष	50 13	49 31
	स्त्री	05 41	07 45
2 सीमान्तिक काम करने वाले	व्यक्ति	01 49	02 47
	पुरुष	00 45	00 36
	स्त्री	02 67	04 87
3 काम न करने वाले	व्यक्ति	69 29	67 80
	स्त्री	91 93	87 68

मुख्य काम करने वालो का ग्रामीण एव शहरी अनुपात सारिणी सख्या 2 2 4 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 2 2 4✡

विवरण	जनसख्या मे प्रतिशत	
मुख्य काम करने वाले ग्रामीण	व्यक्ति	30 52
	पुरुष	50 10
	स्त्री	8 36
मुख्य काम करने वाले शहरी	व्यक्ति	26 26
	पुरुष	46 19
	स्त्री	3 75

✡1991 के जनगणना के अनुसार

इस प्रकार आकडो के तथ्यगत विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि राज्य की अधिकाश जनसख्या अक्रियाशील है। इस प्रकार राज्य मे अधिकाश लोग बेरोजगार हैं। स्त्रियो की दशा तो और खराब है। वस्तुत स्त्रियो का इस दशा के लिए आर्थिक ही नही सामाजिक तथा सास्कृतिक कारण अधिक महत्व रखता है। राज्य मे आज स्त्रियो की स्थिति आज भी द्वितीय दर्जे की है। जिसका प्रभाव यह है कि आज भी इनकी साक्षरता पुरुषो से कम है तथा रोजगार मे इनकी भागीदारी नगण्य है। जो रोजगार मे सलगन है उनमे अधिकाशत कृषि एव ग्रामीण कुटीर उद्योगो मे लगी है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता

है महिलाओ की भागीदारी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रो मे भी काफी सीमित है। अभी हाल मे प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियो मे महिलाओ को आरक्षण देने का विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो इस वर्ग को मुख्यधारा मे जोडने मे यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

नगरीकरण

उ0 प्र0 अधिकाश (80 फीसदी से अधिक) जनसख्या आज भी ग्रामीण है। यहा 1991 की जनगणना के अनुसार केवल 19 84 फीसदी जनसख्या शहरो मे रहती है। यद्यपि यह 1981 की जनगणना के अनुसार 17 65 से अधिक है किन्तु अत्यन्त ही कम है और इस शहरी आबादी मे अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत और भी कम है जो क्रमश 11 79 और 5 86 फीसदी मात्र है। इन्ही तथ्यो को निम्न सारिणी प्रदर्शित करती है।

सारिणी सख्या 2 2 5

नगरीय जनसख्या का कुल जनसख्या मे प्रतिशत	वर्ष 1981	वर्ष 1991
सामान्य	17 65	19 84
अ0 जा0	10 46	11 79
अनु0 ज0 जा0	4 72	5 86

वस्तुत आर्थिक, सामाजिक एव राजनीतिक विकास एक दूसरे से अन्त सम्बन्ध रखते हैं। आज यह समझा जाने लगा है कि एक आधुनिक आर्थिक एव सामाजिक व्यवस्था मे आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था जिसको फल-फूल सकती है। ससदीय लोकतन्त्र एक आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था है जिसको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मे अपनाया गया है इसके सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था भी आधुनिक हो। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था जातिवाद, अस्पृश्यता, स्थानीय तथ्यो सकीर्ण तथा क्षेत्रीयता की कुरीतियो का विरोध तथा धर्मनिरपेक्षता, समानता कार्य वितरण आदि की माग करता है। इस प्रकार सामन्तवादी और मध्ययुगीय सामाजिक दशाओ के परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि सामन्तवादी और मध्य युगीय आर्थिक प्रणाली मे भी परिवर्तन किया जाय तथा औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के माध्यम से इस परिवर्तन को देखा जा सकता है। किन्तु प्रदेश की आर्थिक आधुनिकीकरण या आर्थिक विकास की गति अत्यन्त धीमी है जिसका परिणाम यहा की सामाजिक एव राजनीतिक व्यवस्था पर निश्चित पडेगा।

अर्थव्यवस्था व क्षेत्रीय वितरण

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो उल्लेखनीय पक्ष है वह है इसकी क्षेत्रीय विविधता। आर्थिक अर्थ मे मसलन कृषि उत्पादन आधारभूत सुविधाए, एव औद्योगिक विकास। इस तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पाच क्षेत्रो मे श्रेणीबद्ध किया जा सकता है यथा-पश्चिमाचल, पूर्वांचल, मध्याचल, बुदेलखण्ड, और उत्तराचल । पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र मे काफी तरक्की पर है। यह अपेक्षाकृत उद्योग के रुप मे है और इसका अधिकतम शहरीकरण भी हो चुका है। ठीक इसके विपरीत बुदेलखण्ड में कृषि विकास की दर धीमी है । उद्योग धधे कम हैं। इस प्रकार राज्य मे इसे सबसे कम विकसित क्षेत्र माना जाता है। इसी तरह से तीन अन्य क्षेत्र मे बाकी चीजे यथा रहन-सहन शिक्षा और स्वास्थ्य की भी सुविधाए विकसित क्षेत्र की तुलना मे काफी कम होगी जो आर्थिक ढाचे के साथ ही

सामाजिक ढाचे को भी दर्शाती हैं। इस तरह से पश्चिमी उ0 प्र0 जहा सम्पन्न है वहीं बुदेलखण्ड काफी पिछडा हुआ है।[1]

सारिणी सख्या 2 2 6 मे इन तथ्यो को प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी 2 2.6

उत्तर प्रदेश मे क्षेत्रीय असतुलन

विकास सकेतक	पूर्वाचल	पश्चिमाचल	मध्याचल	बुदेलखण्ड	उतराचल	उ0प्र0
1 जनसख्या						
जनसख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि0 मी0)	614	603	528	229	116	473
जनसख्या मे वृद्धि दशमलव मे (1981-91)	25 6	25 9	23 4	24 0	22 5	25 5
कुल जनसख्या (1991) की शहरी जनसख्या का प्रतिशत	11 6	26 3	23 7	21 3	21 7	19 8
2 कुल साक्षरता (प्रतिशत) (1991)	38 6	42 0	42 6	42 3	29 6	41 6
साक्षरता प्रतिशत (महिला 1991)	20 9	26 6	28 3	23 9	42 9	25 3
3 भौगोलिक क्षेत्रफल (लाख हे0 मे)	51 12	29 42	85 85	45 83	82 19	294 4
4 कृषि योग्य क्षेत्रफल (लाख हे0 93-94)	10 54	23 67	64 77	36 47	67 39	202 8

विकास सकेतक	पूर्वाचल	पश्चिमाचल	मध्याचल	बुदेलखण्ड	उतराचल	उ0प्र0
5 रोजगार एव मानव शक्ति कुल जनसख्या मे से खास कर्मियो का प्रतिशत(1991)	29 5	28 3	30 6	32 6	36 4	29 7
कुल खास कर्मियो मे से कृषि मे लगे लोगो की सख्या (1991)	77 2	66 4	72 9	78 5	64 6	72 2
6 प्रति बिजली की खपत (कि0 वा0 हा)(1993-94)	161 1	235 1	157 4	111 8	245 6	188 2
7 विद्युतीकरण वाले गावो का प्रतिशत (1994-95)	74 0	84 8	66 8	64 0	76 1	75 3
8 सिविल क्षेत्र का प्रतिशत (1993-94)	60 480 80	65 8	37 9	34 8	67 0	
9 फसली क्षेत्र का प्रतिहेक्टयेर कृषि उत्पादन की कुल कीमत (1992-93) वर्तमान कीमतों पर	9237	1205	9664	6658	9068	10117
10 प्रति ग्रामीण कुल कृषि उत्पादन (वर्तमान कीमत रु0 मे) (1992-93)	1627	3066	2218	2695	2095	2266
11वस्तुओ के उत्पादन क्षेत्र से प्रति व्यक्ति कुल-उत्पादन (वर्तमान मूल्य रु0 (1992-93)	1675	3024	2096	2546	2419	2302

भारतीय सविधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मे एक राज्यपाल तथा दो सदनो का विधान मण्डल है। एक सदन विधानसभा तथा दूसरा विधान परिषद कहलाता है। राज्य मे एक उच्च न्यायालय भी है।

राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल मे निहित है और उसका प्रयोग वह सविधान के अनुसार या तो स्वय अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियो के माध्यम से करता है। राज्यपाल, जो भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष से कम आयु का न हो, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की सतुष्टि तक अपना पद धारण करता है। उसकी कार्यावधि पद ग्रहण की तिथि से पाच वर्ष की होती है, किन्तु वह इस अवधि के समाप्त होने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पदासीन रह सकता है।

राज्यपाल न तो ससद के किसी सदन का और न ही राज्य विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य होता है। वह अन्य लाभ के पद धारण नही कर सकता है और बिना किराया दिये सरकारी आवास का प्रयोग कर सकता है। साथ ही वह ऐसे वेतन भत्तो और विशेषाधिकारो का भी अधिकारी है जो समय-समय पर ससद द्वारा इस प्रकार का कोई प्राविधान नही होता, वह सविधान की द्वितीय अनुसूची मे उल्लिखित वेतन भत्तो व विशेषाधिकारो का उपयोग कर सकता है।

राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सविधान और विधि के परिरक्षण और सरक्षण के लिये तथा जन-कल्याण के लिए अपनी सेवाए अर्पित करने की शपथ लेता है।

राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत किसी अपराध मे अथवा किसी विधि के विरुद्ध सिद्ध-दोष व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रतिलम्बन, विराम या परिहार करने का अथवा दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण करने का अधिकार है।

राज्यपाल को उसके कार्य सचालन मे सहायता अथवा मत्रणा देने के लिए मुख्यमत्री की अध्यक्षता मे गठित एक मत्रिपरिषद होती है। यह परिषद ऐसे मामलो को छोडकर, जिनमे विधान के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेना हो, शेष सभी कार्यो मे उसकी सहायता करती है। यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा है अथवा नही जिसमे राज्यपाल को सविधान के अन्तर्गत स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए, तो इस विषय पर राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से लिया गया निर्णय ही अन्तिम माना जाता है तथा इस सम्बन्ध मे उसके कार्य के औचित्य पर आपत्ति नही उठायी जा सकती है।

राज्य का मुख्यमत्री राज्यपाल द्वारा तथा अन्य मत्रिगण मुख्यमत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते है । सभी मत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करते है। मत्रि-परिषद् राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रुप से उत्तरदायी होती है। राज्यपाल किसी मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले सविधान की तीसरी अनुसूची मे दिये गये परिपत्रो के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यदि कोई मत्री निरन्तर छ मास की अवधि तक राज्य के विधान मण्डल का सदस्य न रहे तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मत्री पद पर नही रह सकता।

मत्रियो को समय-समय पर राज्य के विधान मण्डल द्वारा विधि के अन्तर्गत निर्धारित वेतन तथा भत्ते देय होते हैं। वे अन्य लाभो के भी अधिकारी होते है। उन्हे नि शुल्क सुसज्जित आवास, यात्रा तथा चिकित्सा सुविधाये प्राप्त है। राज्य की कार्यपालिका से सम्बन्धित सारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है।

मुख्यमत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी मत्रि परिषद के समस्त निर्णयो तथा विधान के लिये प्रस्तावित सभी मामलो की सूचना राज्यपाल को देता है। साथ ही मुख्यमत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिये प्रस्तावित उन मामलो की जानकारी भी राज्यपाल को देता है जिनकी सूचना राज्यापल स्वय मागते है। यदि किसी मामले मे किसी एक मत्री ने एक पक्षीय निर्णय ले लिया है तो राज्यपाल मत्रि परिषद से उस पर पुनर्निर्णय

लेने के लिये कह सकते है। इस कार्य के लिये वह सदस्यो की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। वह विधान मण्डल के किसी भी सदन मे लम्बित किसी विधेयक के विषय मे सम्बन्धित सदन को सदेश भेज सकता है। जिस सदन को ऐसा सदेश भेजा जाय उसे उस पर यथा सुविधानुसार विचार करना होगा।

प्रत्येक सामान्य निवार्चन के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष विधान मण्डल के प्रथम सत्र के आरम्भ होने के पूर्व राज्यपाल दोनो सदनो को एक साथ सबोधित कर उन्हे अवगत कराता है कि विधान मण्डल की बैठक किन कार्यो के निषादन के लिये बुलाई गयी है। राज्यपाल विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयको पर अपनी स्वीकृति देता है या उन्हे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये सुरक्षित रखता है। जब तक ऐसी स्वीकृति नही मिल जाती तब तक कोई विधेयक अधिनियम नही बन सकता। वह विधान परिषद के लिये 12 सदस्यो तथा विधानसभा के लिये एक एग्लो-इण्डियन को मनोनीत करता है।

राज्यपाल प्रतिवर्ष दोनो सदनो के समक्ष सम्बन्धित वर्ष का वित्तीय लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और भारत के नियन्त्रक, महालेखा परीक्षक का राज्य से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विधान मण्डल सत्र मे न होने के समय यदि वह सतुष्ट है कि स्थिति ऐसी है कि तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो उसे अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार जारी किया हुआ अध्यादेश विधान मण्डल की बैठक होते ही उसके समक्ष रखा जाता है। विधान मण्डल चाहे तो उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है।

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा मे मनोनीत एग्लो-इण्डियन सदस्यो को मिलाकर 426 सदस्य हैं। सन् 1967 तक एग्लो-इण्डियन सदस्य को मिलाकर विधान सभा के 431 सदस्य होते थे। परिसीमन आयोग की सिफारिश के अनुसार, जो प्रत्येक जनगणना के पश्चात गठित किया जाता है, पूरे राज्य को 425 निर्वाचन क्षेत्रो मे विभाजित किया गया है

विधान सभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पाच साल का होता है। बशर्ते कि वह उसे पहले विघटित न कर दी जाये। निर्वाचन एक वयस्क एक वोट के आधार पर किया जाता है।

सदन अधिनियम

विधान सभा को अपने कार्य सचालन के विनियमन तथा प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार है। विधान सभा के समक्ष आये सारे प्रश्न बहुमत द्वारा निर्णीत होते है और सभा की बैठक गणपूर्ति के लिये उसके सदस्यो की सम्पूर्ण सख्या का दशाश आवश्यक होता है।

विधान सभा का कार्य सचालन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति मे उपाध्यक्ष सचालित करता है। यह सदस्यो द्वारा बहुमत के आधार पर चुने जाते है। विधान सभा का मुख्य कार्य अधिनियम बनाना, सरकार को व्यय के लिये धन स्वीकृत करना, प्रश्नो, प्रस्तावो व सकल्पो द्वारा चर्चा करके और विवाद छेडकर तथा अविलम्ब महत्व विषयो की चर्चा करके सरकार की कार्यविधियो पर नियत्रण रखना है। उसका कार्य हिन्दी भाषा मे व देवनागरी लिपि मे किया जाता है।

विधि सम्बन्धी सरकारी या गैर सरकारी प्रस्ताव विधेयक के रुप मे सदन के समक्ष अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से रखे जाते हैं। उसके पश्चात या तो सीधे सदन मे ही विचारार्थ ले लिये जाते हैं अथवा प्रवर समिति या सयुक्त प्रवर समिति को भेज दिये जाते है। सदन विभिन्न उपबन्धो पर विचारोपरान्त विधेयक को अस्वीकार कर सकती है या उसे सशोधनो सहित पारित कर सकती हैं। इनमे से किसी भी स्थिति मे विधानसभा विधेयक को पुन विचारार्थ विधान परिषद भेज सकती है। यदि इस प्रकार विधानसभा द्वारा दोबारा पारित विधेयक परिषद के भेजने के बाद विधान परिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या सशोधनो सहित पारित किया जाता है जिससे विधान सभा सहमत न हो या ऐसा विधेयक एक मास की अवधि तक परिषद अपने यहा लम्बित रखती है तो यह समझा जायेगा कि वहा विधेयक दोनो सदनो द्वारा पारित हो गया है और उसे राज्यपाल को उनके अनुमोदन के लिये भेज दिया जायेगा। धन विधेयक, जो किसी कर का आरोपण, उगाही, परिहार,

परिवर्तन या विनियमन करता हो, विधान परिषद द्वारा उसे प्राप्त होने के बाद 14 दिन से अधिक लम्बित कर दे तो यह समझा जायेगा कि ऐसा विधेयक दोनो सदनो से पारित हो गया है और वह राज्यपाल को अनुमोदन के लिये भेज दिया जायेगा।

अन्य प्राक्कलन सदन मे मतदान के लिये प्रस्तुत किये जाते है। नियमानुसार सदन अन्य प्राक्कलनो पर मतदान के लिये पाच दिन की सामान्य बहस के अतिरिक्त 24 दिन का समय ले सकता है। प्राक्कलित व्ययो के अनुमोदन के समक्ष राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्ताव के रुप मे होते है। विपक्ष कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

सविधान मे इस बात की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि स्वीकृत धनराशि कम पडती है या व्यय की धनराशि से बढ जाती है, तो आवश्यकता पडने पर अनुपूरक अतिरिक्त या अपर अनुदान भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते है।

विधान परिषद्

प्रदेश मे सन् 1937 से दोनो सदनो का विधान मण्डल हैं। उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है और यह स्थायी सदन हैं। इसके सदस्य 6 साल के लिये निर्वाचित या मनोनीत किये जाते है और उनमे से एक तिहाई प्रति दूसरे साल निवृत्त हो जाते है। विधान परिषद के सदस्यो की सख्या 108 है जिसमे से 12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं 39 स्वायत्तशासी सस्थाओ द्वारा निर्वाचित किये जाते है, 39 विधानसभा के सदस्यो द्वारा चुने जाते है तथा स्नातको और अध्यापको द्वारा 9-9 सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद को न तो अनुमोदन पर मतदान करने का अधिकार है और न ही कोई धन विधेयक उसमे पेश किया जा सकता है। अन्य कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नही बन सकता, जब तक दोनो सदनो से पारित न हो जाये। विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी सभापति एव उपसभापति कहलाते है। और उनका निर्वाचन विधानसभा के पीठासीन अधिकारियो की ही भाति होता है, जो उन्ही की भाति अपने पदो पर बन रहते है।

विधान मण्डल के सदनो के पृथक-पृथक अपने सचिवालय और सचिव है जिनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के सचिवालय और सचिवो से पूर्णतया स्वतत्र है। दोनो

सचिवालयो को विभिन्न अनुभागो मे विभाजित किया गया है जो ससदीय लेखा कार्यवाही और समितियो का कार्य देखते है। विधान मण्डल के सदस्यो के प्रयोग के लिये एक विधान मण्डल पुस्तकालय भी है। यह देश के विधान मण्डल पुस्तकालयो मे सबसे बडा पुस्तकालय है।

दोनो सदनो के सदन की समितियो के सदस्यो को वही विशेषाधिकार, शक्तिया और उन्मुक्तिया प्राप्त है जो इग्लैण्ड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यो को मिली हैं। इसके अतिरिक्त सदन मे भाषण देने से सम्बन्धित किसी बात पर उनके विरुद्ध न्यायालय मे कोई अभियोग नही चलाया जा सकता।

नेता विरोधी दल

उत्तर प्रदेश ने एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम के अन्तर्गत विरोधी दल के नेता के लिए कार्यालय की स्थापना कर प्रजातत्र प्रणाली मे एक विशिष्ट योगदान किया है। विरोधी दल के नेता को इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत मत्री के समकक्ष प्रतिष्ठा दी गई है। नेता, विरोधी दल के लिये मत्री के बराबर वेतन और सुसज्जित, नि शुल्क आवास का प्राविधान है। उसे वाहन भत्ता, कार्यालय के लिए कर्मचारी और अन्य सुविधाये, जो उसके पद के अनुरुप हो, दी जाती है। अधिनियम के अनुसार सदन मे मान्यता प्राप्त विरोधी दलो मे सबसे अधिक सख्या वाले दल के नेता को विरोधी दल के नेता के नेता के रुप मे स्वीकार किया जाता है किन्तु ऐसे दल के सदस्यो की सख्या कम से कम गणपूर्ति की सख्या के बराबर होनी चाहिए।

कार्यपालिका

मत्रिपरिषद सयुक्त रुप से राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके परामर्श और सहायक के लिए लखनऊ मे एक सुव्यवस्थित सचिवालय है। मुख्य सचिव इसका प्रधान होता है और अन्य प्रमुख सचिव एव सचिव अपने-अपने विभागो के प्रमुख के रुप मे कार्य करते है। सचिव अपने विभाग को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए

जिम्मेदार है और सम्बन्धित मत्री तथा मत्रिमण्डल के आदेशो के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। उनके इस कार्य मे विशेष सचिव, सयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव तथा अन्य अधिकारी सहायता करते है। विभागो के कार्य निस्तारण की मुख्य जिम्मेदारी मत्री की है, जो समय-समय पर कार्य निस्तारण के लिये उचित स्थायी आदेश तथा निर्देश देता रहता है। इन्ही स्थायी आदेशो के अधीन यह भी निश्चित होता है कि कौन से कार्य सचिव द्वारा या उससे नीचे के अधिकारियो द्वारा निपटाये जा सकते है और कौन से ऐसे मामले है, जो मत्री के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

न्यायपालिका

दीवानी और फौजदारी के मामलो से सम्बन्धित राज्य मे एक उच्च न्यायालय है। राजस्व के मामलो के लिये सबसे बडा न्यायालय राजस्व परिषद है। सविधान के अनुच्छेद 127 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को अन्य न्यायालयो तथा न्यायाधिकरणो के अधीक्षण का पूरा अधिकार है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है जिसका तात्पर्य यह है कि इसकी कार्यवाहियॉ शाश्वत साक्ष्य है। इसके अभिलेखो को इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि उनकी सत्यता को नीचे की किसी अदालत मे चुनौती नही दी जा सकती। अभिलेक न्यायालय के रुप मे इसे अपनी अवमानना के दोषी व्यक्तियो को दण्ड देने का भी अधिकार प्राप्त है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अन्य न्यायाधीशो को वह मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त करता है। न्यायाधीश पद के लिए ऐसे ही व्यक्ति योग्य जाते है जो भारत के नागरिक हो और जिन्होने भारत के किसी उच्च न्यायालय के सामने अधिवक्ता के रुप मे या किसी न्यायिक सेवा के पद पर कम से कम 10 वर्ष तक कार्य किया हो। उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या अधिकारी को सविधान मे उल्लिखित मूल अधिकारो की रक्षा करने के ध्येय से आदेश देने मे सक्षम है।

अधीनस्थ न्यायिक सेवा

अधीनस्थ न्यायिक सेवा को दो भागो मे विभाजित किया गया है-उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा। इसमे प्रथम के अन्तर्गत मुन्सिफ और लघुवाद न्यायाधीश को मिलाकर सिविल जज, दूसरे के अन्तर्गत सिविल सेशन्स जज(अब अतिरिक्त जिला सेशन जज) आते है। जिले स्तर पर जिला न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायिक सेवा का नियत्रण होता है। प्रदेश 46 न्यायिक जिलो मे बटा है जिसमे प्रत्येक का नियत्रण एक ज़िला न्यायाधीश के अधीन है। मुसिफ और असिस्टेट कलेक्टर को जूडीशियल मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये है और सिविल जज पदेन असिटेन्ट सेशन जज भी होता है। जिला न्यायाधीश का कार्य क्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिले मे फैला है।

दीवानी के मामले मे सबसे नीचे का न्यायालय, मुसिफ का न्यायालय होता है। उसके बाद सिविल जज और ज़िले मे सबसे उच्च न्यायालय जिला जज का होता है। फौजदारी के मामलो मे मुन्सिफ को न्यायिक दण्डाधिकारी के अधिकार प्राप्त है। 2 अक्टूबर 1967 से न्यायिक दण्डाधिकारी(जो पहले सीधे शासन के अधीन थे) उच्च न्यायालय के अधीन कर दिये गये है। इस प्रकार राजस्व के मामलो को छोडकर प्रदेश मे कार्यपालिका और न्यायपालिका का पूर्ण पृथक्करण हो चुका है।

राजस्व के मामलो मे सहायक कलेक्टर और उसके ऊपर अतिरिक्त कलेक्टर और कलेक्टर होता है, जो अपीलो के मामलो की सुनवाई करते है। राजस्व मामलो मे राजस्व परिषद ही सर्वोच्च न्यायालय है।

उत्तर प्रदेश पचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत न्याय पचायतो का भी गठन किया गया है। इनका कार्य सिविल है और ये कुछ निर्दिष्ट मामलो मे 500 रुपये तक के मूल्य के वादो की सुनवाई कर सकती है। इनको फौजदारी के निर्दिष्ट छोटे-छोटे मामलो मे भारतीय दण्ड विधान तथा अन्य कानूनो के अन्तर्गत दण्ड देने का अधिकार है। न्याय पचायतो को कारावास का दण्ड देने का अधिकार नही है। वे 100 रुपये तक जुर्माना कर सकती है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण

सरकारी कर्मचारी की सेवाओ से सम्बन्धित मामलो की सख्या अदालतो मे निरतर बढती जा रही थी। ऐसे मुकदमो मे राज्य सरकार के कर्मचारियो, अधिकारियो, निगमो और कम्पनियो के धन और समय का अपव्यय होता है। इसलिए 1976 मे उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण इन कठिनाइयो को दूर करने के लिए स्थापित किये गये। इनकी स्थापना का उद्देश्य कर्मचारियो को शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है।

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

तृतीय अध्याय

मंत्रिपरिषद की संरचना

अध्ययाय – 3

मत्रि परिषद की सरचना

3.1 मत्रि–परिषद की ऐतिहासिकता –

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने स्वतन्त्रता के पश्चात् जिस स्वरूप को केन्द्र व राज्यो मे अपनाया गया उसे ससदीय शासन (मत्रि–मण्डलीय) व्यवस्था के नाम से जाना जाता है । इस शासन व्यवस्था के अपनाने के पक्ष मे सर्वाधिक प्रबल तर्क यह दिया जाता है कि ब्रिटिश शासन के दिनो मे भारत कुछ अशो मे इससे परिचित हो गया था । जैसा कि स्वय के एम मुशी ने कहा – "इस समूचे अनुभव के पश्चात हम इन परम्पराओ का परित्याग क्यो करे – और क्यो एक अभिनव प्रयोग करे ?"[1] इस सम्बन्ध मे नेहरू ने भी अपनी भावनाओ को व्यक्त करते हुए सविधान सभा मे कहा था– "हम अब तक प्राप्त अनुभव के प्रतिकूल दिशा मे नहीं जा सकते ।"[2] अत इस शासन के व्यवस्था के उद्भव एव विकास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागो मे बाटा जा सकता है–––

(1) आधुनिक भारत मत्रिपरिषट

(2) प्राचीन भारत मत्रिपरिषद

(3) उत्तर प्रदेश मत्रिपरिषद

आधुनिक भारत मत्रिपरिषद

भारत मे विद्यमान वर्तमान शासन पद्धति की मत्रिमण्डलात्मक–ससदात्मक पद्धति लगभग 50 वर्ष पुरानी हो गई है । परन्तु इसके प्रारम्भ एव विकास को भली–भाति

1 हेनसन, एच एम एव डगलस जेनेन 'इण्डियन डमोक्रस्टी,' दिल्ली विकास (1927)। पृ० 95-96 ।

2 सी० ए० डी०, वैल्यू 4, पृ० 916 ।

समझने के लिए हमे इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखना होगा । दीर्घकालीन परतन्त्रता के उपरान्त भारत मे जिस राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, उसे एक ओर ब्रिटिश शासन द्वारा कुचलने और दबाने का प्रयास किया गया, वही दूसरी ओर उस जन–जागृति से प्रस्फुटित आक्रोश को सुधारो के कुछ प्रयासो

द्वारा शान्त करने का भी असफल प्रयास किया गया । ब्रिटिश शासन काल मे सुधारो की श्रृखला इन्ही प्रयासो का प्रतिफल थी ।

एक दीर्घकाल तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य से सतत सम्बद्ध रहा है । सुधारो के रूप मे विभिन्न भारतीय परिषद् अधिनियमो द्वारा हमे क्रमश प्रान्तीय आशिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन, केन्द्र मे आशिक उत्तरदायी शासन प्रदान कर ससदीय प्रजातन्त्र और मन्त्रिपरिषद प्रणाली का आशिक अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान किया गया था । अत स्वातन्त्र्योत्तर काल मे भारतीयो का ब्रिटिश परम्पराओ पर आधारित एव उनसे प्रभावित होना स्वाभाविक है । यहा तक कि भारतीय सवैधानिक धाराओ की पृष्ठभूमि का निर्माण भी व्यापक रूप से इन अधिनियमो और ब्रिटिश अभिसमयो पर आधारित है । इनसे भारत के लोग पूर्वपरिचित ही नही थे, वरन् ब्रिटिश शासन के अर्न्तगत प्राप्त अनुभवो और प्रशिक्षण के कारण भारत के लोगो की भारत मे भी उनकी सफलता मे पूर्ण विश्वास ओर आस्था थी । उत्तराधिकार मे प्राप्त सुस्थापित ब्रिटिश परम्पराए भारतीय शासन–प्रणाली का आदर्श और मन्त्रिमण्डलात्मक पद्धति का आधार स्तम्भ है । इन्हे भारतीय सविधान मे अधिग्रहीत कर आवश्यकतानुसार रूपान्तरित कर लिया गया है ।

मन्त्रिपरिषद् शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इग्लैण्ड मे ''बेकन'' ने कान्सल (काउन्सिल) के विशेषण के रूप मे किया । जिस समय सन् 1625 ई० मे चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा था, उस समय कैबिनेट कान्सल (मन्त्रिपरिषद्) शब्द का प्रयोग मिलता है ।[3] उस काल

---

3 कश्यप डा सुभाष राजनीतिक शब्द कोष', दिल्ली, राजकमल प्रकाशन (1971) पृ0 40-41 ।

मे ब्रिटिश सम्राट के परामर्शदाताओ की औपचारिक परिषद् ''प्रिवी परिषद्'' (प्रिवी कोन्सिल) थी । सम्राट के अतरग परामर्शदाताओ अथवा मन्त्रिपरिषद् के उत्थान के साथ ही प्रिवी परिषद् का महत्व कम होने लगा था ।

भारत मे मन्त्रि परिषद् का प्रादुर्भाव 1857 की क्रान्ति के बाद 1858 के गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट मे देखने को मिलता है । भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति पाने का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रयास सन 1857 ई० मे हुआ । 1857 का जनव्यापी विद्रोह भारतीय जनता की विदेशी शासन के विरूद्ध वर्षो से जमी हुयी शिकायत का परिणाम था । यद्यपि इस क्रान्ति द्वारा अग्रेजो को भारत से निकालने मे सफलता नही मिली परन्तु इसके द्वारा भारत मे ब्रिटिश शासन के स्वरूप को पलट दिया गया, यही से भारत के इतिहास मे सवैधानिक शासन का सूत्रपात हुआ और यही से भारतवर्ष मे मन्त्रिपरिषद् सरीखी सस्था का प्रादुर्भाव हुआ । 1858 के गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट मे राज्यशक्ति के प्रयोग का अधिकार भारत सचिव को सौपे जाने की व्यवस्था की गयी तथा उसकी सहायतार्थ एक पन्द्रह सदस्यो की ''काउसिल आफ इण्डिया'' के निर्माण की व्यवस्था की गयी ।[4] इस काउसिल आफ इण्डिया के सदस्यो की ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्ति तथा इसमे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरो द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था थी । यही से शासन की वह व्यवस्था शुरू हुयी जिससे मैकाले ने उदार निरंकुशता की नीति की शुरूआत कहा है ।

इस दिखावटी सहयोग और उदार निरकुशता की नीति के परिणामस्वरूप 1861 और 1892 के भारत शासन अधिनियम पारित किये गये । 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् को कानून–निर्माण करने का अधिकार दिया गया । पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी मे गैर सरकारी सदस्यों

---

4 वर्मा एस पी भारतीय सविधान और शासन' एम. सी आई आर टी , दिल्ली,पृ0 73।

को कानून निर्माण की प्रक्रिया मे सम्मिलित की जाने की व्यवस्था की गयी । इन सदस्यो की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी तथा यह व्यवस्था थी कि कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी हो । गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् के लिए यह आवश्यक था कि कानून निर्माण के लिए कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यो से परामर्श करे । इन सदस्यो को कानून निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था परन्तु ये सरकार की आलोचना करने के अधिकारी नही थे । इनका कार्य मात्र गवर्नर जनरल द्वारा कार्यकारिणी के समक्ष रखे गये प्रस्तावो पर विचार–विमर्श करने तक सीमित था।[5]

सन् 1892 का भारतीय परिषद् अधिनियम विधेयक कार्यो मे भारतीयो के सहयोग की दिशा मे एक और कदम था । इस अधिनियम द्वारा परिषद् की सदस्य सख्या मे वृद्धि की गई । केन्द्रीय तथा प्रान्तीय परिषदो के गैर सरकारी सदस्यो के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था की गयी । केन्द्रीय काउन्सिल मे बगाल चैम्बर आफ कामर्स तथा प्रान्तीय विधान परिषदे, गैर सरकारी सदस्य नामाकित करके भेज सकती थी । प्रान्तीय विधान परिषदों मे विश्वविद्यालयो, जिला परिषदो, नगरपालिकाओ आदि सस्थाओ द्वारा गैर सरकारी सदस्य नामाकित किये जा सकते थे । इस अधिनियम द्वारा एक सीमा तक विधायिनी शक्तियो ने भी विस्तार हुआ ।[6] सदस्यो को बजट पर वाद–विवाद करने का अधिकार दिया गया । इस अधिनियम द्वारा सदस्यो को सार्वजनिक हित के विषयो पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया ।

उपर्युक्त सुधारो के उपरान्त भारत मे ब्रिटिश शासन की निरकुशता मे कोई कमी नही आयी। लार्ड लिटन के शासन–काल मे अनेक मूखर्तापूर्ण निर्णय लिये गये । इसी काल मे शनै शनै विकसित होने वाली राष्ट्रीय चेतना के परिणामस्वरूप प्रस्फुटित होने

---

5 वर्मा, एस पी – वही – पृष्ठ – 11 ।

6. वही, पृ० 12 ।

वाले जन आक्रोश से ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित एव सुदृढ करने के लिए ''फूट डालो और शासन करो'' (डिवाइड एण्ड रूल) की नीति अपनायी गयी । 1909 मे मार्ले मिन्टो सुधार योजना मे मुसलमानो के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसीलिए स्वीकार की गई । यद्यपि 1908 ई० के अधिनियम से प्रान्तीय विधान परिषदो के आकार मे वृद्धि हुई तथा गैर सरकारी सदस्यो के बहुमत का निर्वाचन किए जाने की व्यवस्था की गई तथापि उत्तरदायी शासन व्यवस्था का अभाव ही बना रहा ।

भारत के संवैधानिक इतिहास की प्रक्रिया मे यद्यपि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधारो के सन्दर्भ मे उपर्युक्त अनेक अधिनियम प्रदान किये गये परन्तु भारत मे सर्वप्रथम आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की दृष्टि से 1919 का अधिनियम विशेष महत्त्वपूर्ण है । 1919 के अधिनियम से मन्त्रिपरिषद् का विस्तार प्रारम्भ हुआ तथा भारतीय विधानपरिषद को अधिक प्रतिनिधि मूलक बनाया गया । उसमे दो सदनो की व्यवस्था की गयी– उच्च सदन, ''कौसिल आफ स्टेट– जिसमे 60 सदस्यो की व्यवस्था थी, इनमे कुछ निर्वाचित होते थे, निम्न सदन– 'लेजिस्लेटिव असेम्बली' मे 144 सदस्यो की व्यवस्था थी, इनमे से 104 सदस्यो को निर्वाचित किये जाने की व्यवस्था की गयी थी ।[7] इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन की सस्थाओ का क्रमिक विकास हुआ । प्रशासन की प्रत्येक शाखा मे भारतीयो के साथ अधिकाधिक सहयोग तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषित नीति के फलस्वरूप, द्वैध शासन प्रणाली के रूप मे प्रान्तो मे आशिक उत्तरदायी शासन प्रदान किया गया था । इसके अनुसार कार्यपालिका परिषद् को सरक्षित एव हस्तान्तरित दो भागो मे बाटकर क्रमश अनुत्तरदायी कौंसिल और उत्तरदायी मन्त्रियो के आधीन कर

---

7 वर्मा, एस. पी. - वही - पृष्ठ - 12 ।

दिया गया था । गवर्नर और उसके कौसिल सरक्षित विषयो के प्रशासन मे अभी भी गवर्नर जनरल और भारतमन्त्री के माध्यम से ब्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायी थे । हस्तान्तरित विषय गर्वनर के द्वारा मन्त्रिमण्डल की सहायता से प्रशासित होते थे तथा मन्त्रिमण्डल मन्त्रिपरिषद् के प्रति उत्तरदायी होता था, जिसमे निर्वाचित सदस्यो का अनुपात कुल सदस्यो का 60 प्रतिशत तक बढा दिया गया। यद्यपि ये तथाकथित जन प्रतिनिधि साम्प्रदायिक और सकुचित निर्वाचन मण्डल के आधार पर चुने जाते थे ।[8] तथापि हस्तान्तरित विषय पर मन्त्रियो को प्रान्तीय विधान मण्डलो के प्रति प्रथम बार उत्तरदायी बनाकर आशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुयी थी । उस समय के प्रमुख कांग्रेस दल द्वारा विधान सभाओ के आविष्कार, व्यवस्था मे निहित अनेक आन्तरिक दोषो तथा वाह्य प्रतिकूल परिस्थितियो के द्वारा यह व्यवस्था पूणर्त असफल सिद्ध हुयी, फिर भी भारत मे प्रथम बार आशिक उत्तरदायी शासन विधान–मण्डलो की स्थापना की दृष्टि से सवैधानिक विकास की दिशा मे इस अधिनियम को एक महत्वपूर्ण कडी के रूप मे निरूपित किया जा सकता है ।

सन् 1935 का अधिनियम इस श्रृखला मे एक और महत्वपूर्ण कदम था, जिसके अन्तर्गत प्रान्तो मे पूर्ण उत्तरदायी स्वायत्त शासन तथा केन्द्र मे आशिक उत्तरदायी शासन की असफल द्वैध–व्यवस्था को क्रियान्वित किया गया था । प्रान्तो मे समस्त सरक्षित विषयो को हस्तान्तरित कर प्रान्तीय विधान सभा के प्रति उत्तरदायी मन्त्रियो को सौंप दिये गये थे । इन मन्त्रिमण्डलो में दायित्वो का परिपालन कर उत्तरदायी शासन का अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त किया । प्रधानमत्री के नेतृत्व का अभाव गवर्नर जनरल और गवर्नरो के स्वविवेक और व्यक्तिगत निर्णय सहित अनेक सुरक्षित विशेषाधिकार, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, व्यवस्थापिका सभाओं

---

8 वर्मा, एस पी. वहीं - पृ0 - 13 ।

का अप्रजातान्त्रिक सगठन इत्यादि अनको ससदात्मक उत्तरदायी शासन की आवश्यक विभिन्न विशेषताओ का पूर्णतया अभाव था । गवर्नर जनरल और गवर्नर सवैधानिक औपचारिक प्रमुख के स्थान पर वास्तविक अधिशासकीय शक्तियो से सम्पन्न थे । फिर भी केन्द्र मे आशिक उत्तरदायी शासन और प्रान्तो मे पूर्ण स्वायत शासन, सवैधानिक विकास की दिशा मे उठाए गए महत्वपूर्ण कदम थे । भारतीय सविधान की मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी धाराओ पर 1935 के अधिनियम का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । यद्यपि भारतीय सविधान निर्माताओ मे मन्त्रिमण्डलीय व्यवस्था के सम्बन्ध मे ब्रिटिश ससदीय सरकार के आदेश को सदैव अपने सम्मुख रखकर, ब्रिटिश कैबिनेट पद्धति के अनेक अभिसमय को अपने सविधान के अन्तर्गत अपनाकर लिपिबद्ध कर लिया है, परन्तु इन धाराओ की शब्द रचना और भावनाओ पर 1935 के अधिनियम का पर्याप्त प्रभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारूप सविधान के निर्माण और सविधान सभा मे वाद–विवाद, विचार विमार्श, विभिन्न सशोधन प्रस्तावो, उनकी स्वीकृति तथा अस्वीकृति के मध्य सविधान–निर्माताओ ने 1935 के अधिनियम को कभी दृष्टिपटल से ओझल नही किया ।

भारतीय सविधान निर्माताओ ने 1935 के अधिनियम से प्रभावित होकर 'कैबिनेट' के स्थान पर 'मन्त्रिपरिषद', शब्द का प्रयोग किया है । 1935 के अधिनियम की धारा 9 का वर्तमान सविधान की धारा 74 (1) पर पर्याप्त प्रभाव है, जिसके अनुसार एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसमे 10 से अधिक सदस्य नही होगे, यह मत्रिपरिषद गर्वनर जनरल को उसके स्वविवेकीय कार्यो को छोडकर अन्य कार्यो मे सहायता एव परामर्श प्रदान करेगी। इस धारा की दो बातो को छोडकर भारतीय सविधान मे इसे पूरा–पूरा स्वीकार कर लिया है । केवल उसकी निश्चित सदस्य सख्या और गवर्नर जनरल की भाति राष्ट्रपति को स्वविवेकीय अधिकार प्रदान नही क्रिये है यद्यपि सविधान सभा मे मन्त्रिपरिषद् की सख्या 15 निर्धारित करने और राष्ट्रपति को कुछ स्वविवेकीय अधिकार प्रदान करने का कुछ सदस्यों ने अपने सशोधन प्रस्तावों द्वारा आग्रह किया था । भारतीय सविधान की धारा 74(1) मे 1935 के अधिनियम की भाति एक मत्रिपरिषद् का प्रावधान है, गवर्नर जरल के स्थान पर प्रधानमत्री उसका प्रमुख है । इस

मत्रिपरिषद् का कार्य गवर्नर जनरल के स्थान पर राष्ट्रपति को उसके कार्यो मे सहायता एव परामर्श प्रदान करना है । 'सहायता' और 'परामर्श' की शब्द – रचना भी १९३५ के अधिनियम से अधिगृहीत की गयी है ।

वर्तमान सविधान की धारा 75(1) भी 1935 के अधिनियम की धारा 10 से प्रभावित है, जिसके अनुसार गवर्नर–जनरल मन्त्रियो की नियुक्ति करे। अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और अन्य मत्रियो की नियुक्ति करेगा । सविधान की धारा 75(2) पूर्णतया शब्दश 1935 के अधिनियम की धारा 10 के समान है, जिसके अनुसार मन्त्रीगण राष्ट्रपति की इच्छापर्यन्त अपने पद पर बने रहेगे । इस धारा मे केवल 'गर्वनर–जनरल' के स्थान पर 'राष्ट्रपति' शब्द परिवर्तित किया गया है ।

इसी भाति भारतीय सविधान की धारा 75(5) भी 1935 के अधिनियम की धारा 10(2) से लिया गया है जिसके अनुसार यदि कोई मन्त्री निरन्तर 6 मास की अवधि तक ससद के किसी सदन का सदस्य न रहे, तो उस अवधि की समाप्ति पर मन्त्री नही रहेगा । 1935 के अधिनियम मे गवर्नर जनरल ससद के बाहर के व्यक्तियो को मन्त्री बना सकता था और 6 महीने मे उन्हे निर्वाचित या नामाकित कर ससद का सदस्य बना सकता था । इसीलिए डा० अम्बेडकर ने निर्वाचित ओर नामाकित सदस्यो मे कोई भेद न करके प्रधानमत्री को इस विषय मे प्रतिबद्ध नहीं किया है।

वर्तमान सविधान की धारा 75(6) भी 1935 के अधिनियम की धारा 10(3) से ली गयी है, जिसके अनुसार ससद समय–समय पर मत्रियो के वेतन और भत्ते निर्धारित करेगी । परन्तु 1935 के अधिनियम से ससद उसे कम भी कर सकती थी, उस पर कोई प्रतिबन्ध नही था । दूसरे 1935 के एक्ट के अन्तर्गत मन्त्रियो के वेतन आर भत्तो पर ससद मतदान नही कर सकती थी परन्तु सदस्यो द्वारा वाद–विवाद और मतदान के लिए खुले हुऐ है।[9]

9 बसु, दुर्गादास · 'कमेन्ट्री आन दी कान्सटीट्शन आफ इण्डिया', एस सी सरकार, कनकत्ता, 1961,

सविधान निर्माताओ ने भी 1935 के एक्ट की भाति प्रारम्भ मे राष्ट्रपति के लिए एक निर्देश– पत्र तैयार किया था। गवर्नर के लिए भी ऐसे ही निर्देश–पत्र की व्यवस्था थी।[10] 1935 मे गवर्नर–जनरल और गवर्नर के लिए ऐसे ही निर्देश–पत्र अधिनियम के साथ सन्निहित किये गये थे। जिसके अनुसार मन्त्रियो के चुनने, वर्गीय प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने के लिए मार्गदर्शन दिया गया था ताकि स्वायत्त शासन और उत्तरदायी शासन की स्थापना हो सके। इनका नामकरण "इम्सट्मेन्ट आफ इन्सट्क्शन" 1935 के अधिनियम के अनुसार ही किया गया था, परन्तु बाद मे उन्हे अनावश्यक समझकर छोड दिया गया। इस प्रकार वर्तमान भारतीय सविधान की प्रधानमंत्री और मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी अनेक धाराओ पर 1935 के भारत परिषद अधिनियम का पर्याप्त प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। उसकी अनेक सुपरिचित एव प्रचलित विशेषताओ को भारतीय सविधान मे सन्निहित कर लिया गया है।

भारतीय सविधान निर्माताओ ने प्रारम्भ से ही अपने पूर्वकालीन अनुभव और प्रशिक्षण को दृष्टिगत कर तथा ब्रिटिश शासन–पद्धति की परम्पराओ से प्रभावित होकर उसके आदर्श को अपनी ससदात्मक मन्त्रिमण्डल प्रणाली का आधार बनाकर देश मे प्रचलित करने का निर्णय लिया था। सरदार वल्लभभाई पटेल ने 15 जुलाई, 1947 को सविधान सभा मे बोलते हुए कहा था कि "सविधान सभा की सघीय सवैधानिक समिति तथा प्रान्तीय सवैधानिक समिति दोनो ही इस निष्कर्ष पर पहुची हे कि हमारे देश की परिस्थितियो मे ब्रिटिश नमूने का ससदात्मक पद्धति वाला सविधान सर्वाधिक उपयुक्त और अनुकूल है जिससे कि हम भली भाति परिचित है।[11]

10 अम्बेडकर, डॉ0 बी. आर - सविधान सभा बहस - खण्ड 7, पृ0 985 ।

11 सविधान सभा बहस - खड - 4, पृ0 580 ।

प्रारुप सविधान के निर्माण के समय से ही सघीय सविधान समिति मे यह निर्णय लिया गया था कि हमारी केन्द्रीय सरकार ब्रिटिश नमूने पर आधारित होगी तथा हमने अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक पद्धति की सरकार के नमूने को ठुकरा दिया था।[12] श्री हुसैन इमाम, महमूदअली बेग, हाजी अब्दुल सत्तार, हाजी इशाक, सैयद करीमुद्दीन इत्यादि मुसलमान सदस्यो ने अमेरिकन पद्धति की अध्यक्षात्मक सरकार अथवा स्विस पद्धति की कार्यपालिका के पक्ष मे विचार व्यक्त किये थे परन्तु प० नेहरू, पटेल, अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, एच वी कामथ, के हनुमतैया, टी टी कृष्णामचारी, डा पी एस देशमुख आदि सभी प्रमुख व्यक्तियो ने बहुमत से ससदीय कार्यपालिका, प्रधानमत्री और कैबिनेट पद्धति की उत्तरदायी मत्रिमण्डलीय वास्तविक कार्यपालिका एव राष्ट्रपति को वैधानिक प्रमुख के रूप मे प्रतिष्ठित करने और परामर्श से बाध्य करने के पक्ष मे एक मत निर्णय दिया। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने इस बात की पुष्टि की कि "संघीय सविधान समिति और सविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत प्रारूप मे ससदीय पद्धति की सरकार को स्वीकार किया गया है।[13] राष्ट्रपति की शक्तियो के समर्थक श्री के एम मुशी तक ने इस बात को स्वीकार किया कि केन्द्र के लिये प्रारम्भ से ही अत्यधिक बहुमत से कैबिनेट पद्धति की सरकार के पक्ष मे राय प्रकट की गयी थी।[14]

ऐतिहासिक सन्दर्भ मे 1935 के गवर्नर जनरल को औपचारिक प्रमुख के रूप मे रूपान्तरित कर सविधान सभा ने हमारे सवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को ब्रिटिश सम्राट के समरूप प्रतिष्ठित किया है।[15]

---

12 वही, खड - 7, पृ0 986 ।

13 राव, बी शिवा 'दि फ्रेमिग आफ इण्डिया कान्सटीट्यूशन', इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनेस्ट्रेशन, दिल्ली, खण्ड-2, 1976, पृ0 556 ।

14 मुन्सी, के एम 'प्रेसीडेन्ट आफ दी इण्डिया', बम्बई, भारतीय विद्याभावन, 1963, पृ0 2 ।

15 जैन, एच एम दी यूनियन एक्जीक्यूटिव, चैतन्य पब्लिशर, इलाहावाद, 1969, पृ0 134 ।

श्री अर्नेष्ट बार्कर का कथन है कि वास्तविक और नाममात्रीय कार्यपालिका की द्वैधता ब्रिटिश ससदीय पद्धति का निचोड है। भारत मे भी राष्ट्रपति के रूप मे ब्रिटिश सम्राट की भाति नाममात्रीय औपचारिक कार्यपालिका तथा प्रधानमत्री और मत्रिपरिषद् के रूप मे वास्तविक कार्यपालिका की स्थापना की गयी है। अत भारतीय सविधान मे ब्रिटिश ससदीय और कैबिनेट पद्धति के अभिसमयो को लिपिबद्ध कर कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया है।

सविधान की धाराओ के अनुसार भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट के समरूप औपचारिक प्रमुख के रूप मे प्रधानमत्री और मत्रिपरिषद की परमार्श से कार्य करेगा। प्रधानमत्री अपनी कैबिनेट के प्रमुख के रूप मे सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्यपालिकीय प्रशासन का नेतृत्व करेगा। ब्रिटिश ससदीय प्रणाली की भांति व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियत्रण रखेगी, अर्थात् प्रधानमत्री और उसकी मत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यो के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगे। इग्लैण्ड की भाति भारत मे भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य शक्तियो के पृथक्करण का अभाव है। मत्रिपरिषद के सदस्यो को ससद का सदस्य होना अनिवार्य है। कैबिनेट मे प्रधानमत्री की अध्यक्षता और नेतृत्व, दलीय समरूपता, एकता, गोपनीयता इत्यादि कैबिनेट पद्धति की आवश्यक विशेषताओ को भी सन्निहित किया गया है।

अत अपने पूर्व अनुभव प्रशिक्षण के आधार पर वेस्टमिस्टर आदेश को प्रमुख प्राथमिकता देकर ब्रिटिश पद्वति की ससदात्मक सरकार को स्वीकार किया है, जिसमे प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। ससद मे अपने दल का बहुमत और विश्वास प्राप्त कर वही देश के वास्तविक प्रशासन को सचालित, नियंत्रित और निर्देशित करता है।

कैबिनेट पद्धति के सम्बन्ध मे जिन ब्रिटिश अभिसमयो को विकसित और वर्तमान रूप मे सुस्थापित होने मे दीर्घकाल लगा, भारत को वे समस्त परम्पराए आदर्श रूप मे

अनुसरण कर अपनाने और लिपिबद्व करने मे कोई विशेष कठिनाई नही हुई।

प्राचीन भारत मन्त्रिपरिषद

वर्तमान भारत मे विधानमन्त्रिमण्डलीय शासन व्यवस्था से परिचित कराने का श्रेय ब्रिटिश शासन को जाता है। प्राचीन काल मे भी भारतीय शासन व्यवस्था मे मन्त्रिपरिषद एक महत्वपूर्ण एव अनिवार्य सस्था थी। इसका महत्व तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि सभी आचार्यो ने इसको सप्ताग मे द्वितीय स्थान प्रदान किया है।[16] राजा को परामर्श देने वाली इस सस्था के सदस्यो, को आमात्य, सचिव, मत्री आदि नामो से सम्बोधित किया गया है।

हिन्दू मत्रि–परिषद वास्तव मे एक ऐसी सस्था थी, जो प्राचीन वैदिक काल की राष्ट्रीय सभा से, उसकी शाखा के रूप मे निकली थी।[17] वैदिक युग मे राजकृत राजान की सहायता से राजा शासन–कार्य का सम्पादन करता था, जिन्हे उत्तर वैदिक युग मे ' रत्निन्'[18] कहा जाता था। वैदिक यज्ञो का प्रचार हटने से धीरे–धीरे रत्निन् वर्ग का भी अन्त हो गया। बाद के वाड्मय मे यदा–कदा 'रत्निन्' का उल्लेख मिल जाता है, परन्तु 'रत्निन्' का अर्थ राजा के परामर्श दाता या सहायता ही नही रह गया था।[19] बाद मे जब जनपद व राज्य सुव्यवस्थित स्थिति मे पहुचे तब राजा की सहायता के लिए मन्त्रिपरिषद का निर्माण हुआ। इसे अर्थशास्त्र[20] मे मन्त्रिपषिद, जातको,[21] महावस्तु[22] और अशोक के

16 अर्थ. 6/1/1, मनु 9/294, शुक्र 1/61, शा पृ 69/65, कमन्दक 1/16 ।

17 'जायसवाल हिन्दू पॉलिटी' – बैंगलोर प्रिटिग एण्ड पब्लिशिग कम्पनी, 1995, पृ0 268 ।

18 अर्थ. 3/5/6-7 ।

19. ब्रा. 5/1 ।

20 अल्तेकर 'प्राचीन भारतीय शासन पद्धति', भारतीय भडार, इलाहाबाद, 1959, पृ0 138

21 अर्थ 1/15/53 ।

22 जातको ।

अभिलेख[23] मे 'परिषा' कहा गया। दीघनिकाय मे मन्त्रियो के लिये 'राजकृत'[24] रामायण मे राजकर्ता[25] तथा अशोक के अभिलेखो मे 'राजुक'[26] शब्द का प्रयोग हुआ प्राचीन भारतीय आचार्यों ने मन्त्रिपरिषद की आवश्यकता पर जोर डाला है। मनु के अनुसार सरल कार्य भी अकेले मनुष्य के लिए कठिन होता है तो राज्य सचालन जैस महान कार्य बिना (मन्त्रियो) सहयोग के कैसे सम्भव है।[27] महाभारत मे भी कहा गया है कि राजा अपने मन्त्रियो पर उतना ही निर्भर रहता है जिनता प्राणिमात्र पर्जन्य पर, ब्रहमण वेदो पर आर्य स्त्रियॉ अपने पतियो पर।[28] याज्ञवल्क के अनुसार राजा को चितन मन्त्रियो के साथ ही करना चाहिए।[29] शुक्रनीति मे शुक्राचार्य के अनुसार छोटे से छोटे कार्य भी एक आदमी के लिए कठिन होता है तो राज्य सचालन जैसा महान कार्य बिना सहयोग के कैसे प्राप्त हो सकता है।[30] आगे वह कहते हैं कि सभी प्रकार के विधाओ से कुशल और नीति दक्ष राजा को भी बिना मन्त्रियो के सहयोग के अकेले किसी विषय पर विचार नही करना चाहिए।[31] कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' मे जिसकी गणना शासन पर लिखी सर्वश्रेष्ठ प्राचीन ग्रन्थो मे होती है, मत्रियो की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुये कहा है कि जिस प्रकार एक पहिया से रथ नही चल सकता उसी प्रकार बिना मत्रियो की सहायता से राज्य का सचालन अकेले राजा से नही हो सकता अतएव उसे मन्त्रियो की नियुक्ति कर उसके परामर्श के अनुसार कार्य करना चाहिए।[32] यहॉ तक

---

23. यहा वस्तु, 2/419 ।
24 शिला, 3 तथा 5 ।
25. दो. हा. महागोविन्द सुत्तन्त, 32, राजकान्तारो ।
26. अमो का 79/1 ।
27 मनु, 7/55 ।
28. महाभारत 5-37-32 अल्तेकर- "प्राचीन भारतीय शासन पद्वति पृ 138 से उद्वत
29 याज्ञवल्य 1/3111
30 शुक्र. 2/1
31. वही 2/2
32. अर्थ. 1/7/15

कि राजा को सभी कार्यों के प्रारम्भ के पूर्व उन पर मन्त्रिपरिषद से परामर्श कर लेना आवश्यक था।[33]

उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता है प्राचीन भारतीय आचार्यो ने राज्य कार्य के सचालन मे मन्त्रि–परिषद की अनिवार्यता एक स्वर से स्वीकार की है। राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था मे भी मन्त्रियो के परामर्श के महत्व को स्वीकार कर उन्होने स्वेच्छाधारी शासन के उन्मूलन की व्यवस्था प्रस्तुत कर भारतीय शासन विज्ञान को एक महत्वपूर्ण देन प्रदान की है।

प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मे मन्त्रिपरिषद् के साथ 'अमात्य सभा' का भी वर्णन मिलता है। वस्तुत अमात्य तथा मन्त्री दो भिन्न–भिन्न पद थे। फिर भी मत्री होने के लिए अमात्य पद आवश्यक था, परन्तु इसके विपरीत अमात्य पद के लिए मत्रीपद की अपेक्षा न थी। वस्तुत मन्त्रिपद अमात्य पद से बडा और महत्वपूर्ण था। प्रो अल्तेकर ने अमात्य मण्डल को ब्रिटेन की प्रिवी कौसिल के समान बताया है।[34] परन्तु यह यर्थाथ नही प्रतीत होता क्योकि प्रिवी कौसिल की सदस्य सख्या तीन सौ के लगभग है जिसमे मन्त्रिमण्डल के वर्तमान मन्त्रियो के अतिरिक्त भूतपूर्व सभी मन्त्री और अन्य लोग भी सम्मिलित रहते है जिसका कार्य स्वीकृति देना है। परन्तु अमात्य मण्डल की सदस्य सख्या प्रिवी कौसिल से कम थी। उसमे भूतपूर्व मन्त्रियो एव अधिकारियो को स्थान प्राप्त था। वर्तमान मन्त्री न्यायाधीश एव अन्य शासन विभागाध्यक्ष ही उसके सदस्य होते थे जिसका कार्य केवल स्वीकृति देना ही नही बल्कि वास्तविक रूप मे कार्यो का सम्पादन करना था। मत्रिपरिषद के अतिरिक्त राजा को मुख्य एव गुप्त मत्रणा देने के लिए एक छोटी परिषद रहती थी। इसे 'मत्र परिषद' का नाम दिया गया जो वर्तमान मे कैबिनेट के सदृश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे इस मत्रपरिषद का उल्लेख मिलता है।[35]

....

33. अर्थ. 1/15/5

34 अल्तेकर वही. पृ. 138

35 मिश्र डॉ0 भुवनेश्वर दत्त . 'कौटिल्य राजनीति' वैशाली प्रकाशन गोरखपुर, 1989, पृ0 150

मन्त्रिपरिषद के सदस्यो का स्थान सभवत मन्त्रिपरिषद के सदस्यो की अपेक्षा ऊँचा था। कार्यो के आरम्भपूर्व उन पर इसी परिषद मे सर्वप्रथम विचार किया जाता था। तत्पश्चात् उसे मन्त्रिपरिषद के सम्मुख लाया जाता था। सामान्यतया मन्त्र परिषद मे तीन या चार सदस्य होते थे। परन्तु कौटिल्य ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि राजा उचित समझे तो देश, काल और कार्य के अनुसार एक या दो के साथ अथवा अकेला ही किसी विषय पर निर्णय कर सकता है। रामायण और महाभारत आदि ग्रन्थो मे तीन या पॉच मन्त्रियो की सख्या निश्चित की गई है। नीतिवाक्यामृत मे तीन, पॉच या सात मन्त्रियो को रखे जाने की व्यवस्था की चर्चा है।[36]

कौटिल्य शासन व्यवस्था मे प्रधानमत्री का पद था जिसे मत्री, अमात्य, महामात्य आदि नामो से सम्बोधित किया गया है। अन्य ग्रन्थो मे इसे अग्रमात्य तथा सर्वाधिकार[37] नाम प्राप्त हैं। प्रशासन मे उसका पद सबसे ऊँचा माना जाता था। उसके बाद राजा के अन्य मन्त्रियो एव अधिकारियो का स्थान था।

यद्यपि मन्त्रियो की नियुक्ति राजा के द्वारा होती थी तथापि उनकी परीक्षा मे प्रध-ानमत्री और पुरोहित का महत्वपूर्ण भाग होता था।[38] अर्थात् प्रधानमत्री की सहायता से अन्य मन्त्रियो की नियुक्ति का कार्य सम्पन्न किया जाता था।

प्रधानमत्री का स्थान अन्य सदस्यो से ऊँचा तो था ही, उनके कार्यो के निर्धारण आदि मे भी वह राजा को परामर्श देता था। यद्यपि आधुनिक युग की ससदीय शासन पद्वति की भाति कौटिलीय व्यवस्था का प्रधानमत्री, 'की स्टोन आफ दी कैबिनेट आर्क' नही होता था, तथापि अन्य मन्त्रियो की नियुक्ति हेतु परीक्षा तथा कार्यों के निर्धारण आदि मे उसका महत्वपूर्ण भाग रहता था।

36 नीति वाम्यामृत, 10 ।

37 मुखर्जी 'चन्द्र गुप्त मौर्य एण्ड ह्जि टाइम्स', मोतीला बनासीदास दिल्ली, 1960, पृ0 81 ।

38 अर्थ0 1/10/01

इस प्रकार प्राचीन भारतीय आचार्यो ने राज्य व्यवस्था मे राजतन्त्रात्मक प्रणाली का समर्थन किया हे तथापि उसमे मन्त्रिपरिषद का महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली स्थान था। राजा के लिए प्राय यह कठिन था कि वह मन्त्रियो के निर्णय के विपरीत कार्य करे। सामान्यतया बिना मन्त्रियो की राय के कोई कार्य प्रारम्भ तक नही होता था।

उत्तर प्रदेश मे मन्त्रिपरिषद का उद्भव एव विकास –

तीन जनवरी 1921 उत्तर प्रदेश के राजनैतिक इतिहास मे एक अविस्मरणीय तिथि रही है। इसके पूर्व लेफ्टिनेट ही गवर्नर जनरल की अधीनता मे इस प्रान्त का शासन करता था। तब तक इस प्रान्त को 'आगरा एव अवध के सयुक्त प्रान्तो' के नाम से जाना जाता था। उपर्युक्त तिथि को ही इस प्रान्त क लेफ्टिनेन्ट गर्वनर पर कार्यरत 'सर हारकोर्ट बटलर' को गर्वन्नर अथवा राज्यपाल पद की शपथ दिलायी गयी। राज्यपाल ने सर्वप्रथम दो कार्यकारी पार्षदो – महमूदाबाद के राजा और श्री एम सी पोर्टर को शपथ दिलायी तथा सी वाई चिन्तामणि एव पडित जगत नारायण जो कि विधान परिषद के सदस्य थे, मत्री के रूप मे नियुक्त किये गये।[39] इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की भारत मे क्रमश प्रगतिशील एव उत्तरदायी सरकार की स्थापना की नीति का क्रियान्वयन आरम्भ हुआ। साथ ही, उत्तर प्रदेश मे मन्त्रिपरिषद रूपी सस्था का उद्भव हुआ।[40]

उपर्युक्त सवैधानिक विकास का प्रारम्भ माटेग्यू के 20 अगस्त 1947 की घोषणा से होता है जिसमे कहा गया था कि हिज मैजेस्ती की सरकार की नीति यह है कि "प्रशासन की प्रत्येक शाखा मे भारतीयो को अधिकाधिक सम्मिलित किया जाय और धीरे–धीरे

---

39 "फिफ्टी ईयर आफ गवर्नर शिप इन यू पी " उ प्र सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित जनवरी 1971 पृ 31

40 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डा वी गोपाल रेड्डी द्वारा 3 जनवरी 1971 को "फिफ्टी ईयर आफ गवर्नर शिप" के उद्घाटन अवसर पर दिया गया सम्बोधन भाषण

स्वतत्र सस्थाओ का विकास किया जाय जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के अविभाज्य भाग के रूप मे ब्रिटिश भारत मे उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके।[41]

भारत के लिए तत्कालीन सेक्रेट्री आफ स्टेट (श्री ई एस माटेग्यू) और गवर्नर जनरल (लार्ड चेम्सफोर्ड) को उक्त नीति मे कियान्वयन के लिए प्रस्ताव बनाने का कार्य सौंपा गया और भारत शासन अधिनियम 1919 मे उनकी सिफारिशो को एक विधिक रूप प्रदान किया गया जिसके अन्तर्गत प्रान्तीय क्षेत्र मे आशिक अत्तरदायी शासन का श्री गणेश किया गया। इस अधिनियम की अनिवार्य विशेषता शासन के विषयो को भारत शासन के अधीन केन्द्रीय एव प्रान्तीय को पुन रक्षित एव हस्तान्तरित मे वर्गीकृत करने सम्बन्धी प्रावधान थे।[42] रक्षित विषयो का प्रशासन प्रान्तीय गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यो (पार्षदो,) एव हस्तातरित विषयो का प्रशास्सन लोकप्रिय मन्त्रियो द्वारा किये जाने की व्यवस्था थी। पार्षदो को काउन द्वारा नियुक्त किया जाता था। इसके विपरीत मत्रीगण प्रान्तीय विधानपरिषद के निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे तथा परिषद के प्रति ही उत्तरदायी होते थे।

किन्तु यह शासन व्यवस्था जिस 'द्वैध शासन' के नाम से जाना जाता है अपने अन्तर्निहित दोषो के कारण असफल सिद्व हुई। शासकीय विभागो के पृथक–पृथक विभाजन एव वर्गीकरण सम्पूर्ण प्रशासन को निष्क्रिय बना दिया और शासन मे गतिरोध उत्पन्न हो गया। सर रीजीनाल्ड काड्क ने "लन्दन इवनिग पेपर" मे प्रकाशित अपने लेख मे इस तत्थ को व्यक्त करते हुए कहा था कि द्वैघ शासन एक वर्ण सकट व्यवस्था

---

41 वसु डी डी 'भारत का सविधान एक परिचय' प्रेटिस- हाल आफ इण्डिया, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1998, पृ0 6

42 कैथ ए वी 'द कान्स्टीट्शन हिस्ट्री आफ इण्डिया' प्राइस पब्लिकेशन दिल्ली, पृ0 274 ।

है। यह चल नही सकती क्योकि कोई देश या प्रान्त स्वतन्त्र मन्त्रिमण्डलो द्वारा सफलता पूर्व शासित नही हो सकता।[43]

उपर्युक्त अर्न्तदोषो व 1919 ई के अधिनियम मे यह प्रवधान कि दस वर्षो बाद इसकी समीक्षा की जायेगी का परिणाम ब्रिटिश ससद द्वारा पारित 1935 का भारत शासन अधिनियम था। इस अधिनियम द्वारा राज्य प्रशासन का सम्पूर्ण दायित्व कुछ अपवादो को छोडकर, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियो के हाथ मे दे दिया गया। 1937 मे सम्पूर्ण देश के प्रान्तीय विधान मण्डलो के लिए निर्वाचन कराये गये। कांग्रेस ने निर्वाचन मे भाग लिया और उसे उत्तर प्रदेश (सयुक्तप्रात), मध्यप्रान्त, बिहार तथा उडीसा मे भी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ जबकि बाम्बे, बगाल, असन तथा पश्चिमी प्रान्तो मे यह सबसे बडे दल के रूप मे उभरी।[44]

सयुक्त प्रान्त की विधानसभा मे निर्वाचित होने वाले 164 सामान्य सदस्यो मे कांग्रेस के 133, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी आफ आगरा के 6, नेशनल एग्रीकलचरिस्ट पार्टी अवध के 9 लिवरल 1 तथा स्वनन्त्रत 14 सदस्य निर्वाचित होकर आये जबकि कुल 64 मुस्लिम स्थानो मे मुस्लिन लीग को 29, स्वनन्त्रो को 24, कांग्रेस को 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी आफ आगरा को 7, तथा नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी अवध को तीन स्थान प्राप्त हुए। इस प्रकार सयुक्त प्रान्त की कुल 228 मे से 134 स्थानो पर कांग्रेस को सफलता हाथ लगी थी।[45]

समस्त चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस की सबसे बडी समस्या कांग्रेसी बहुमत वाले प्रान्तो मे मत्रिपरिषद बनाने की थी। दक्षिणपथी इन प्रान्तो मे सरकार बनाने के पक्ष मे थे जबकि वामपथी कांग्रेस की घोषित नीतियो के अनुरूप सरकार न

43 रेजीनाल्डस सर : आइ बुक सिविल बाइ इकबाल नागयण, 'फार्म डाइरची आफ सेल्फ'

44 उत्तर प्रदेश '99 सूचना एव जनसम्पर्क विभाग उ0 प्र0, पृ0 25 ।

45 वही, पृ0 26 ।

बनाकर सवैधानिक सकट उत्पन्न करना चाहते थे। 17-18 मार्च 1937 के दिल्ली ए आई सी सी बैठक मे अन्ततोगत्वा यही तय हुआ कि काग्रेसी बहुमत वाले प्रान्तो मे सरकार बनायी जाय साथ मे यह भी जोड दिया गया कि विधान सभा मे काग्रेस दल के नेता द्वारा सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की जानी चाहिए कि राज्यपाल द्वारा न सविधान मे प्रदत्त **विशेषाधिकार** का प्रयोग किया जायेगा न ही सवैधानिक क्रियाकलापो मे उनके द्वारा मत्रियो के परामर्श को नकारा जायेगा।[46]

दिल्ली प्रस्ताव के आधार पर काग्रेस के प्रान्तीय नेताओ ने अपने–अपने राज्यपालो से मिलकर उन्हे प्रस्तावित आश्वासन देने का निवेदन किया। राज्यपाल के द्वारा असमर्थता व्यवक्त करने पर काग्रेस ने सरकार बनाने मे भी असमर्थता जाहिर कर दी।

1935 के अधिनियम के अन्तर्गत भारत के प्रान्तो मे नयी सवैधानिक योजना को 1 अप्रैल 1937 तक लागू कर देना था। इसलिये ब्रिटिश सरकार ने काग्रेसी बहुल वाले प्रान्तो मे 1 अप्रैल को अल्पमत की सरकारो का गठन कर दिया। सयुक्त प्रान्त के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छनारी के नेतृत्व मे यहाँ भी एक अल्पमत की सरकार का गठन कर दिया। इस मत्रिमडल मे सलेमपुर के राजा भी शिक्षा मत्री के रूप मे शामिल थे। अन्त मे गवर्नर–जनरल लार्ड लिनलिथगो ने 22 जून को एक समझौतापरक परन्तु अस्पष्ट वक्तव्य देकर काग्रेस को सरकार बनाने के लिये राजी कर लिया। इस वक्तव्य मे यह आश्वासन दिया गया कि राज्यपाल प्रभावशाली व विशिष्ठ शक्तियो का प्रयोग सामान्य स्थिति मे नही करेगा और राज्यपाल मत्रियो की मत्रणा से ही कार्य करेगा।[47] इसके बाद 7 जुलाई 1937 पडित गोविन्द वल्लभ पत के नेतृत्व मे उत्तर प्रदेश मे काग्रेसी मत्रिमडल गठित हुआ।

---

46 उत्तर प्रदेश '99' सूचना एव जनसम्पर्क विभाग उ0 प्र0 पृ0 25 ।

47 फिफ्टी ईयर ऑफ गवर्नरशिप इन यूपी, वही, पृ0 31 ।

इस प्रकार प्रान्तीय मत्रिपरिषद प्रान्तीय सरकार के सम्पूर्ण क्षेत्र पर नियत्रण रखने वाली, महत्वपूर्ण राजनैतिक एकक बन गयी। राज्यपाल को प्रत्येक प्रान्त मे उन लोगो से मत्रणा करके मत्रियो का चुनाव करना था जिनके हाथो मे स्थायी विधायी बहुमत सुरक्षित रहने की उम्मीद होती। उसे शासन का सचालन निर्वाचित जन प्रतिनिधियो की मत्रणा से ही करना था। यद्यपि प्रान्तो मे ससदीय विकास का क्रम आरम्भ कर दिया गया था तथापि जो कुछ भी शक्तियॉ प्रान्तीय सरकारो को प्रान्तीय स्वायत्तता के नाम पर दी गयी थी, उन्हे गर्वनर या गर्वनर जनरल स्वविवेकीय शक्तियो एव विशिष्ट उत्तरदायित्वो के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो से क्षीण कर सकते थे। इसलिये इस ब्रिटिश उपक्रम को एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने का कौशल कहा गया था। इस ब्रिटिश कौशल का सार यह था कि सम्पूर्ण प्रशासन की धुरी मुख्यमत्री नही अपितु राज्यपाल स्वत था।

3 2 मत्रि परिषदो का गठन सवैधानिक उपबन्ध

भारतीय गणतन्त्र का सविधान देश के लिए सघीय शासन की व्यवस्था करता है जिसमे सघ और इसकी इकाइयो, जिन्हे राज्य कहा जाता है, हेतु पृथक् प्रशासनिक व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। सविधान के षष्ठ भाग मे राज्य शासन के एकरूपीय (यूनीफार्म) स्परूप का उल्लेख है जो मात्र जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त सभी राज्यो के लिए व्यवहार्य होगा।

सघ एव राज्य के लिए शासन का सगठनात्मक स्वरूप ससदीय प्रणाली के रूप मे एक ही है। राज्यो मे भी कार्य पालिका प्रधान राज्यपाल सवैधानिक शासक के रूप मे मत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है जो कि राज्य विधायिका अथवा उसके जनप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। परन्तु राज्यपाल की विवेकीय शक्तियॉ इस परिधि मे नही आती। सविधान के अनुच्छेद 163 (1) के अनुसार – "जिन बातो मे इस सविधान

ाान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित हे कि वह अपने कृत्यो या उनमे से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातो को छोडकर राज्यपाल को उसके कृत्यो का प्रयोग करने मे सहायता एव सलाह देने के लिए एक मत्रिपरिषद होगी जिसका प्रध ाान मुख्यमत्री होगा। स्वतत्रता प्राप्ति के पूर्व 'मुख्यमत्री' को 'प्रधानमत्री' की सज्ञा दी गयी थी, परन्तु केन्द्र मे भी इसी पद की व्यवस्था के कारण स्वतत्र भारत के सविधान मे राज्यो के प्रधानो को मुख्यमत्री की पृथक् सज्ञा से सम्बोधित किया गया। मुख्यमत्री की सहायता करने वाली मत्रिपरिषद के गठन के सम्बन्ध मे सविधान मे यह व्यवस्था की गयी है कि ''मुख्यमत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मत्रियो की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमत्री की सलाह पर करेगा तथा मत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपने पद धारण करेगे।[48]

उपरिलिखित है कि राज्यपाल राज्य कार्य पालिका का सवैधानिक प्रधान होता है तथा वह अपनी मन्त्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है।[49] मुख्यमत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि मन्त्रिपरिषद के अन्य सदस्यो की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमत्री की सलाह पर की जाती है। कोई भी व्यक्ति अथवा परिषद का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, यदि उसे विधान सभा अथवा परिषद की सदस्यता प्राप्त हो अथवा मन्त्री पद पर नियुक्त होने के पश्चात छ महीने के भीतर–भीतर दोनो सदनो मे से किसी एक सदन का सदस्य बन जाये, परन्तु यदि वह छ महीने की अवधि तक विधान मण्डल के किसी भी सदन का सदस्य नही हो पाता तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मन्त्री नही रहेगा।[50] मन्त्रियो के वेतन एव भत्ते का निर्धारण समय–समय पर राज्य विधान मण्डल करता है।[51]

---

48 भारतीय सविधान अनुच्छेद, 164 (1)

49 वही, अनुच्छेद- 163

50 वही अनुच्छेद-164 (4)

51 वही, अनुच्छेद- 164 (5).

व्यवहारत मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति नुख्यमत्री द्वारा की जाती हे जिसे राज्यपाल अपनी औपचारिक सहमति प्रदान करता है। वस्तुत मुख्यमत्री अपनी नियुक्ति के पश्चात दलीय आधार ञर अपने मन्त्रियो की सूची तैयार करता है और उन्ी ग्नूची की ओपचारिक घोषणा होती है। मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति के सम्बन्ध मे सम्भवत राज्यपाल को इससे अधिक शक्ति प्राप्त नही है। मन्त्रियो की पद्च्युति के सन्दर्भ मे स्पष्टत कहा गया है कि " मन्त्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपने पद धारण करेगे।[52] तात्पर्य यह है कि मन्त्रीगण राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है और दायित्व की विमुखता उनकी पदमुक्ति का रूप ले सकती है। परन्तु व्यवहार मे मन्त्री या मन्त्रिपरिषद विधान सभा अथवा विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होते है। मन्त्रियो का वैयक्तिक दायित्व राज्यपाल के प्रति न हो कर मुख्यमत्री के प्रति होता है जो कि उसका वास्तविक नियोक्ता होता है। दूसरे यह भी स्पष्ट है कि राज्यपाल अपनी विवेकीय या विशिष्ट शक्तियो को प्रयोग राष्ट्रति के निर्देशन मे करता है परन्तु कोई भी राष्ट्रपति विधान सभा के बहुमत प्राप्त मुख्यमत्री अथवा उसकी मन्त्रिपरिषद को अपदस्थ करने का निर्देश राज्यपाल को देकर ससदीय शासन की मान्यताओ पर कुटराघात नही करेगा और न ही उसे ऐसा करना चाहिए।[6] यदि वह ऐसा करता भी है तो उसका कारण या तो उसकी दलीय प्रतिबद्धता हो सकती है अथवा सविधान के अनुच्छेद- 356 के अनुरूप राष्ट्रहित की रक्षा। अत यह स्पष्ट है कि मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति एव पदमुक्ति मुख्यत नुख्यनत्री ही करता है। राज्यपाल मात्र उसे अपनी स्वीकृति देता है।

मुख्यमत्री एव उसकी मत्रिपरिषद के राज्य विधायिका या लोकप्रिय सदन मे विश्वास खो देने की स्थिति मे राज्यपाल को उन्हे अपदस्थ करने की शक्ति है अथवा नही? इस पर एक गहन विवाद पैदा हुआ था। दो राज्य के राज्यपालो ने एक ही

52 भारतीय सविधान अनुच्छेद 164 (1

53 वसु दुर्गादास 'भारत का सविधान एक परिचय,' सातवॉ सस्करण, नईदिल्ली कान्स्टीट्यूशन आफ इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड पृ0 231

स्थिति मे दो विपरीत निर्णय लिये थे। 1967 मे पश्चिम बगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर ने, अजय मुखर्जी के नेतृत्व मे पदारूढ सयुक्त मच मत्रिपरिषद (यूनाइटेड फ्रण्ट मिनिस्ट्री) को इस दृष्टि से कि सरकार ने अपने दल–बदल के परिणाम स्वरूप बहुमत खो दिया, मुख्यमत्री को निर्देश दिया कि अल्पकालीन सूचना पर राज्य विधान सभा की बैठक बुला कर विश्वास मत प्राप्त करे। परन्तु श्री मुखर्जी के ऐसा करने से मना करने पर मुख्यमत्री सहित उनकी मन्त्रिपरिषद को अपदस्थ कर दिया।[54] दूसरी ओर 1970 मे राज्यपाल श्री गोपाल रेड्डी ने चरण सिह की सरकार को, बिना विधान सभा मे विश्वास मत प्राप्त करने का मौका दिये ही, अपदस्थ कर दिया, जबकि मात्र दो दिन बाद विधान सभा की बैठक बुलायी जाने वाली थी।[55]

3.3 मन्त्रिपरिषद एव मत्रिमडल

ध्यातव्य है कि सविधान के अनुच्छेद 163 (1) व 74 (1) के अनुसार राज्यपाल/राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मन्त्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। मत्रिपरिषद के सभी मत्री समान पक्ति के नही होते है। उनका तीन पक्तियो मे वर्गीकरण किया जाता है– (क) मत्रिमडलीय स्तर के मत्री (ख) राज्यमत्री (ग) उपमत्री।

सविधान मे मत्रिपरिषद के सदस्यो को विभिन्न पक्तियो मे वर्गीकृत नही किया गया है। इग्लैण्ड की पद्वति का अनुसरण करते हुए यह अनौपचारिक रूप से किया गया है। विभिन्न मत्रियो की पक्ति का अवधारण मुख्यमत्री/प्रधानमंत्री करता है और उसकी सलाह के अनुसार राज्यपाल/राष्ट्रपति नियुक्त करता है[56] तथा उनके बीच कामकाज

---

54 डॉ0 दुर्गादास वसु, पृ0 232

55 वही,

56 भारतीय सविधान अनुच्छेद 164(1) एव 75 (1)

का आवटन करता है।[57] मुख्यमत्री/प्रधानमत्री का यह कर्तव्य बताया गया है कि जब राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाय तो वह किसी विषय को जिस पर किसी मन्त्री ने निश्चय कर लिया है किन्तु जिस पर मत्रिपरिषद ने विचार नही किया हे परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।[58] व्यवहार मे मन्त्रिपरिषद निकाय के रूप मे कही अधि-ार्विष्ट नही होती है। यह कार्य मन्त्रिपरिषद के भीतर एक छोटा निकाय 'मत्रिमण्डल' करता है। यही शासन की नीतियो को रूप देता है।

मत्रिमण्डलीय स्तर के मत्री साधिकार मत्रिमण्डल की बैठक मे भाग लेते है। राज्यमत्री मत्रिमण्डल के सदस्य नही होते। यदि राज्य मत्री को स्वतन्त्र रूप से कोई विभाग दिया गया है तो जब उसके विभाग से सबधित कोई बात विषय सूची मे होती है तब वह मत्रिमण्डल की बैठक मे भाग लेता है। उपमत्री मत्रालय के किसी विभाग का धारसाधक होता है और मत्रिमण्डल के विचार विमर्श मे उसकी भागीदारी नही होती।

निष्कर्षत यह कहा जा सकता है कि मत्रिपरिषद के सभी सदस्य अनिवार्यत मत्रिमण्डल के सदस्य नही होते जबकि मन्त्रिमण्डल के सदस्य मन्त्रिपरिषद के सदस्यो मे से ही चुने जाते है और यही शासन की नीतियो का निर्धारण करता है।

3 4 मन्त्रिपरिषद एव मुख्यमत्री

ध्यातव्य है कि भारत मे राज्यो की शासन पद्वति मोटे–तौर पर सघ के समान ही है। अर्थात् ससदीय शासन प्रणाली, जिसमे कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति/ राज्यपाल सवैधानिक शासक होता है जो ससद/विधानमण्डल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है।[59] यद्यपि मन्त्रिमण्डल के समस्त

---

57 वही 166 एव 77

58 वही 167 (ग) एव 78 (ग)

59 जिन विषयों की वावत राज्य के राज्यपाल को सविधान द्वारा अपने विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति दी गई है, वहॉ उसे सलाह के अनुसार कार्य करना आवश्यक नहीं है।

सदस्य एक समान आधार पर खडे रहते हैं, उनके बोल समस्वरी होते है, और जब कभी किसी अवसर विशेष पर मतदान होता है तो उनकी गणना भी 'एक व्यक्ति–एक मत' के सिद्धान्त के आधार पर होती है फिर भी प्रधानमत्री/मुख्यमत्री समकक्षो मे प्रथम तथा मन्त्रिमण्डल का प्रधान होता है। इसी कारण लार्ड मार्ले ने कहा था कि प्रधानमत्री मन्त्रिमण्डलीय मेहराब का मुख्य प्रस्तर है।'' उसने यहॉ तक कहा है कि ''उसे (प्रधानमत्री) जब तक कॉमन सभा का बहुमत प्राप्त है उसकी स्थिति एक तानाशाह से कम की नही होती।'' प्रधानमत्री की यह स्थिति भी उसकी वास्तविक स्थिति का न्यून रूप ही हो सकता है। वस्तुत वह राज्यपोत का चालक होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य की मत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमत्री होता है। (सध मे इसके तत्समान प्रधानमत्री होता है)।[60]

यह विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है और उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।[61] मन्त्रिपरिषद के अन्य सदस्यो की नियुक्ति राज्यपाल/मुख्यमत्री की सलाह से करता है।[62]

यद्यपि सवैधानिक दृष्टि से मुख्यमत्री मन्त्रिपरिषद के अन्य सहयोगी सदस्यो के चुनाव के विषय मे अत्याधिक शक्ति रखता है जैसा कि अनुच्छेद 164(1) के उत्तरार्ध मे यह स्पष्ट है कि मन्त्रिपरिषद के सदस्यो की नियुक्ति के सम्बन्ध मे मुख्यमत्री जो परामर्श राज्यपाल को देगा, उसके अनुसार ही राज्यपाल नियुक्तियॉ करने को बाध्य होगा। लेकिन व्यावहारिक रूप से मन्त्रियो के चुनाव करते समय उसे अनेक पक्षो पर विचार

---

60 बसु0 डी0 डी0 भारत का सविधान एक परिचय, वही पृ0 229

61 राज्यपाल किसी व्यक्ति को मुख्यमत्री नियुक्त कर सकता है यदि उसके प्राक्कलन के अनुसार ऐसे व्यक्ति को राज्य विधान सभा में बहुमत प्राप्त हो जायेगा और वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग विधान सभा के पूरी तरह गठन के पहले भी कर सकता है। ऐसा करने पर राज्यपाल की दुर्भावना साबित नहीं होती (राजनरायण बनाम भजनलाल1982)

भारत का सविधान अनु0 164 (1)

करना पडता है और कभी–कभी तो अपनी इच्छा के विरूद्ध भी कुछ सदस्यो को मत्रिमण्डल मे शामिल करना पडता है क्योकि वे सदस्य दल मे काफी प्रभाव रखते है।

भारतीय राजनीति व्यवस्था के अतीत पर दृष्टि डाले तो भारत मे ससदीय शासन की स्थापना से ही काग्रेस की विशिष्ट स्थिति एव उसपर प्रधानमत्री नेहरू, श्रीमती गाधी तथा राजीव गाधी के प्रभावी राजनीति की कारण मुख्यमत्री तथा उसकी मत्रिपरिषद की नियुक्ति उनकी इच्छा एव राजनीतिक सुविधा का परिणाम है।[63] 1967 मे एस के पाटिल द्वारा यह सुझाव प्रस्तुत किया गया कि सरकार के निर्माण मे काग्रेस हाईकमान भाग ले परन्तु मुरारजी देसाई ने इसका विरोध किया।[64] अत दल लोकसभा या किसी दूसरी सत्ता, सस्था द्वारा अपनी मन्त्रिपरिषद के निर्माण मे उसके स्वतन्त्र अधिकार को वाधित नही किया जा सकता, उसका यह विशेषाधिकार होता है।[65]

सामान्यतया मन्त्रिमण्डल का निर्माण विधान सभा मे बहुमत दल के सदस्यो मे से किया जाता है जैसा कि ज्ञात है कि राज्यपाल अपनी सवैधानिक शक्तियो का प्रयोग मन्त्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार मन्त्रिपरिषद को बहुत से ऐसे अधिकार और शक्तियॉ प्राप्त हो जाती है जिसका प्रयोग कर वह विधानसभा की कार्यवाहियो को नियत्रित करता है। उदाहरण के लिए विधान मण्डल के अधिवेशन बुलाने, उसके स्थगन और विघटन का कार्य राज्यपाल मुख्यनत्री तथा मत्रिपरिषद की सलाह से करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यो मे प्राथमिकता को निर्धारित करने उस पर वाद–विवाद के लिए समय निर्धारित करने, दल के सदस्यो द्वारा मतदान सम्बन्ध मे निर्देश आदि देने का अधिकार मुख्यमत्री व मन्त्रिपरिषद को प्राप्त है।

---

63 जैन पुखराज, 'भारतीय प्रधानमत्री' साहित्य भवन आगरा, 1981, पृ0 36

64 माइकल ब्रेकर शक्सेशन इन इण्डिया, राटिनाइजेसन ऑफ पोलिटिकल चेन्ज, एशियन सर्वे खण्ड- 6,7 1967, पृ0 427

65. विशेषाधिकार ''प्रेरोगेटिब्स'' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया था इसका अनुसरण भारत में श्रीमती गाधी और शास्त्री ने भी किया था ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुख्यमत्री को मन्त्रिपरिषद के प्रमुख के रूप मे यह अधि ाकार हे कि राज्यपाल से कहकर विधानसभा को भग करा दे। यह एक महत्वपूर्ण अधि ाकार हे जिसकी धमकी देकर कार्यकारिणी विधानमण्डल को बडी हद तक नियन्त्रित कर सकती है।

सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि यद्यपि मन्त्रिपरिषद तथा विधानमण्डल को एक दूसरे को नियन्त्रित करने की शक्तियॉ तथा अधिकार प्राप्त है तथापि यह बहुत हद तक इस तथ्य से निर्धारित होता है कि मन्त्रिपरिषद को विधानसभा मे किस सीमा तक दलीय समर्थन प्राप्त है। जब भी विधान सभा मे किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही हुआ है तथा विभिन्न दलो के सहयोग द्वारा मन्त्रिपरिषद का सृजन किया गया है तब मन्त्रिपरिषद की स्थिति विधानसभा मे कमजोर रही है। तथा यदि विधानसभा मे सत्तारूढ दल को निर्देश तथा व्यापक बहुमत प्राप्त होता है तो मन्त्रिमण्डल अत्यन्त शक्तिशाली होकर विधानमण्डल को नियन्त्रित करने मे सफल रहती है। वस्तुत विशेषाधिकार का यह शोध मत्रिमण्डल सरकार की मान्यताओ एव व्यवहार के लिये समीचीन भी है क्योकि इस व्यवस्था मे मन्त्रिमण्डल सामूहिक उत्तरदायित्व की मान्यताओ के अनुरूप कार्य करता है। इसी परिप्रेक्ष्य मे सविधान सभा मे डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा था कि ''वास्तव मे प्रधानमत्री मन्त्रिमण्डल रूपी मेहराब का प्रमुख प्रस्तर है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का पालन इस आधार पर ही किया जा सकता है कि प्रधानमत्री को मन्त्रियो की नियुक्ति एव पदच्युति का अधिकार दिया जाय।[66]

विभिन्न मत्रियो के बीच विभागो का वितरण करना भी मुख्यमत्री/ प्रधानमत्री का विशेषाधिकार माना जाता है, लेकिन इस विशेषाधिकार का प्रयोग भी बहुत कुछ मुख्यमत्री के व्यक्तित्व और दल मे उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसे अनेक

---

66 कान्सिटट्यूएन्ट असेम्वर्ला डिवेटस-खण्ड सप्तम पृ0 160

उदाहरण है जब मुख्यमत्री को अपनी इच्छा के विरूद्ध मत्रिमण्डल के कुछ सदस्यो के बीच उन्ही की इच्छा के अनुसार विभागा का वितरण करना पडा। वस्तुत विभिन्न मन्त्रियो के विभागो के वितरण तथा उनमे परिवर्तन मे मुख्यमत्री उस समय ज्यादा स्वतन्त्र होता है जब उसकी स्थिति अपने दल मे सुदृढ हो, अन्यथा उसे दल के विभिन्न गुटो से स्वभाविक रूप से समझौता करना पडता है, विशेषकर वरिष्ठ सदस्यो तथा केन्द्रीय नेतृत्व के आगे झुकना पडता है। जेनिग्स के अनुसार जिस प्रकार प्रधानमत्री को अपने आधे मन्त्रियो की नियुक्ति अपनी अनिच्छा होने हुए भी करना पडता है, उसी प्रकार राज्य मत्रिपरिषद मे भी कुछ मन्त्रियो की नियुक्ति राजनैतिक विवशता की परिणिति होती है।

3 5 मत्रिपरिषद एव विधानमडल

भारत के सविधान मे सघ तथा राज्य के लिए ससदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गयी है जिसकी प्रमुख विशेषता है कार्यकारणी का विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होना है। सविधान के अनुच्छेद 164(2) मे यह घोषणा है कि मन्त्रिण्डल विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ऐसी ही व्यवस्था सघ के सरकार के लिए अनुच्छेद 75(3) मे की गई है। कार्यकारिणी का विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होने का अर्थ यह है कि विधानमडल को कार्यकारिणी के कृत्यो पर नियन्त्रण रखने का अधिकार है। विधान मण्डल यह नियत्रण विभिन्न ससदीय उपकरणो के द्वारा करता है।

भारत के सविधान के अनुसार नन्त्रिपरिषद केवल विधानसभा के प्रति (जिन राज्यो मे द्विसदनीय विधानमण्डल है[67] वहॉ भी) उत्तरदायी है। इसीलिए विधानसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी समय मत्रिमण्डल के विरूद्ध अविश्वास का

---

67 भारतीय सविधान अनुच्छेद 164 (2। मे स्पष्टत विधानसभा शब्द का प्रयोग है अर्थात जिन राज्यो में द्विसदनीय शासन व्यवस्था है वहॉ द्वितीय सदन विधानपरिषद के प्रति मन्त्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रस्ताव पारित करके उसे विघटित करा दे। एक ससदीय शासन प्रणाली मे विधानमण्डल अप्रत्यक्ष रूप से भी मन्त्रिमण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रकट कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विधेयक विधानसभा द्वारा रद्द कर दिया जाय तो उसे मन्त्रिमण्डल के प्रति अविश्वास समझा जाता है और ऐसी दशा मे मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र दे देना पडता है। इस प्रकार के कई और भी तरीके है जिनके माध्यम से विधानसभा मन्त्रिमण्डल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करके उसका अन्त करा सकता है।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इग्लैण्ड की तरह भारत मे भी व्यावहारिक रूप से विधानमण्डल की अपेक्षा मन्त्रिपरिषद अधिक शक्तिशाली होता है। इसका मूल कारण दल प्रणाली तथा दलीय अनुशासन का विकास है। ध्यातव्य है कि मन्त्रिमण्डल का निर्माण विधानसभा अर्थात निम्नसदन के बहुमत से होता है, उसके विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने की समभावना नही रहती है। विधानमण्डल उस समय मन्त्रिमण्डल पर नियत्रण रखने की स्थिति मे आवश्य होता है जब विधानसभा मे कोई एक राजनीतिक दल निरपेक्ष बहुमत मे न हो और मिश्रित मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया जाए। ऐसी स्थिति मे मन्त्रिमण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की अवश्य सम्भावना होती है।

अविश्वास के प्रस्ताव को पारित करने के अधिकार के अतिरिक्त कुछ अन्य उपायो द्वारा भी विधान मण्डल मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण रखते हैं इनमे सरकार से प्रश्न पर सरकार द्वारा व्यक्तव्य देने की मॉग करने का अधिकार उल्लेखनीय है। विधानमण्डल के दोनो सदनो[68] मे विरोधी दलो के सदस्य सरकार के विभिन्न प्रशासन सम्बन्धी मामलो मे

---

68 उत्तर प्रदेश, विहार, कर्नाटक महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का विधामडल द्विसदनीय है ।

प्रश्न पूछते है और विभिन्न विषयो पर वाद–विवाद के समय सरकार की कठोर आलोचना करते है। इसीलिए सरकार सदैव इस बात का प्रयत्न करती है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे विरोधी दलो को सरकार की आलोचना करने का अवसर मिले।

चतुर्थ अध्याय

मंत्रीपरिषद के सदस्यों की जातीय, धार्मिव एवं क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि

अध्याय-4

मंत्रिपरिषद के सदस्यो की जातीय, धार्मिक, एव क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि

4.1 जातीय पृष्ठ भूमि

भारतीय शासन व्यवस्था के सदर्भ मे यह तथ्य सर्वमान्य है कि यहॉ राज्य की शासन व्यवस्था मे मन्त्रिपरिषद एव मन्त्रिमण्डल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। सवैधानिक व्यवस्थाओ के आधार पर मन्त्रिपरिषद एव मन्त्रिमण्डल निर्माण की औपचारिक शक्ति राज्यपाल के पास है परन्तु वास्तव मे मन्त्रिपरिषद के गठन का दायित्व तथा वास्तविक शक्ति का उपयोग मुख्यमत्री करता है, इसलिए मुख्यमत्री को मन्त्रिमण्डल का आदि और अन्त माना जाता है। यद्यपि मुख्यमत्री को मन्त्रिमण्डल के गठन की निरपेक्ष शक्तिया प्राप्त है तथापि मुख्यमत्री मन्त्रिपरिषद् के गठन के समय विभिन्न तथ्यो से प्रभावित होता है। राजनैतिक शक्तियो एव परिस्थितियो के अतिरिक्त सामाजिक शक्तियॉ यथा- जाति, धर्म, भाषा आदि भी मन्त्रिपरिषद के गठन के समय प्रभावकारी भूमिका का निर्वाह करती है। इस कारण मन्त्रिपरिषद के निर्माण मे जाति की भूमिका का ज्ञान मन्त्रिपरिषद के अध्ययन की सम्पूर्णता के लिए आवश्यक है।

भारत की वर्तमान जनसख्या एक लम्बे समय से इस महाद्वीप के आबाद होने की प्रक्रिया का परिणाम है। भिन्न जातीय पृष्ठभूमि वाले विभिन्न मानव समूह अलग-अलग समय मे इस प्रदेश मे आये और इसे आबाद किया। भारत मे उनके आव्रजन, अधिवास, तथा बाद मे हुए स्थानान्तरण के परिणाम स्वरुप विभिन्न नृजातीय एव सांस्कृतिक धाराएँ काफी हद तक आपस मे मिली सामाजिक सम्मिलन की इस प्रक्रिया द्वारा भारत की जनसख्या ने मिलने वाली सास्कृतिक एवं जातीय विविधता ने एक स्पष्ट विविधता प्राप्त कर ली है।[1]

भारत वर्ष मे जातियो की बहुलता है। विभिन्न् भौगोलिक क्षेत्रो की विभिन्न जातियो

1- रजा, (प्रो0) मुनीस एवं अहमद डा0 एजाज- 'भारत का सामान्य भूगोल', एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, दिल्ली, 1978 पृष्ठ 89

मे अधिकाधिक अन्तर है। कुछ जातियॉ सारे देश मे पायी जाती है, कुछ जातियॉ प्रादेशिक है, तथा कुछ मात्र स्थानीय जाति के एक समूह के रुप मे देखने को मिलती हैं। हर समूह मे अलग-अलग जातियो के अलग-अलग रीतिरिवाज, परम्पराएँ, कर्मकाण्ड आदि देखने को मिलते है। जो जातियॉ क्षेत्रीय नही भी है, उनके मध्य भी विभिन्न क्षेत्रो मे विभिन्नता विद्यमान है।

जाति-प्रथा किसी-न-किसी रुप मे ससार के हरकोने मे पायी जाती है परन्तु एक गम्भीर कुरीति के रूप मे यह हिन्दू समाज की ही विशेषता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समाज मे भारत मे वर्ण-व्यवस्था थी जो कि क़र्म के साथ जुडी हुयी थी। सामान्यतया यह माना जाता है कि कार्यगत दक्षता के आधार पर जाति-प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल मे हुयी। ब्राह्मण धार्मिक और वैदिक कार्यों का सम्पादन करते थे, क्षत्रिय देश की रक्षा और प्रशासन, वैश्य कृषि और वाणिज्य तथा शूद्रो का कार्य उपर्युक्त तीनो वर्णो की सेवा करना था। [2] प्रारम्भ में जाति-प्रथा के बन्धन अत्यधिक कठोर नही थे और वह कर्म पर आधारित थी। कालान्तर में जाति-प्रथा मे कठोरता आती गयी तथा वह पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गयी।

जाति जन्म से प्राप्त होती है। अत कोई अपनी जाति मे परिवर्तन नही कर सकता। यही कारण है कि जाति ने सामाजिक सरचना मे दरारे उत्पन्न कर दी हैं तथा एक जाति से दूसरी जाति के विरोध ने जातीय सकीर्णता मे वृद्धि की है। साथ ही साथ एक क्षेत्र की जाति के एकता के सूत्र मे बाधने से क्षेत्रीयता की भावना मे स्थिरता स्थापित हुयी है।भारतवर्ष मे जातियो की छोटी-छोटी दुनिया के इलाके बन गये है। बडे-बडे नेता जाति विहीन समाज की स्थापना की घोषणा कर सकते है लेकिन देहात के लोग परम्परागत राजनीति की भाषा को

---

2 शर्मा, रामशरण-प्राचीन भारत-राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद-दिल्ली 1997 पृष्ठ 491

ही जानते है जो विशाल स्तर पर जाति से घिरी हुयी है।[3] हर स्तर और हर प्रकार की राजनीति मे जाति एक ऐसी शक्ति बन गयी है जिसकी उपेक्षा नही की जा सकती।

पश्चिमीकरण के प्रभाव मे भौतिक उन्नति की नवीन धारणाओ के बलवती होने पर एक सामाजिक बधन या शक्ति के रुप मे जाति की अत्यधिक कठोरता नही रह गयी परन्तु स्वतन्त्र भारत मे जाति एक अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति बन गयी है। भारत के राजनीतिक लोकतन्त्र के सन्दर्भ मे जाति वह धुरी है जिसके माध्यम से नवीन मूल्यो एव तरीको की खोज की जा रही है। जाति वास्तव मे ऐसा माध्यम बन गयी है जिसके कारण भारतीय जनता लोकतात्रिक प्रक्रिया से अपने को जोड सकी है।[4]

जाति-व्यवस्था का प्रभावशाली राजनीतिक स्वरुप मात्र हिन्दू समाज मे ही नही वरन् मुस्लिम, ईसाई एव सिख समुदाय भी जातीयता से मुक्त नही है। जाति एव राजनीति के अनन्त सम्बन्धो की विवेचना मे हिन्दू समुदाय के अतिरिक्त अन्य समुदायो की उपेक्षा नही की जा सकती। यहा यह तथ्य भी स्मरणीय है कि जाति और राजनीति के सम्बन्ध स्थिर न होकर गतिशील है।[5] भारतवर्ष के सन्दर्भ मे जाति एव राजनीति के अन्त सम्बन्धो के सन्दर्भ मे विभिन्न विद्वानो ने विस्तृत अध्ययन किये है। जिनके परिणाम स्वरुप यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय राजनीति मे जाति की महत्वपूर्ण भूमिका बन गयी है। यह भूमिका स्थानीय स्तर तथा प्रदेश स्तर पर ही नही बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलती है।

---

3 मोरिस जोन्स, डब्लू0 एच0- द गवर्नमेन्ट एण्ड पालिटिक्स आफ इण्डिया (हिन्दी अनुवाद) सुरजीत, दिल्ली 1970 पृष्ठ 58

4- रुडाल्फ लायड आई 'दि माडर्निटी आफ ट्रेडीशन', 'ओरियेन्ट लागमेन, 1969, पृष्ठ-11।

5- जौहरी जे सी - 'रिफलेक्शन ऑन द इण्डियन पालिटिक्स', नई दिल्ली,विशाल पब्लि0 1974 पृष्ठ स -7

यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है कि जाति की भूमिका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर उतनी नही है जितनी राज्य एव स्थानीय राजनीति मे है।[6] निर्वाचन के समय प्रत्याशियो का चयन एव मतदान व्यवहार तक ही जाति की भूमिका सीमित नही है वरन् सत्ता के उपयोग की भागीदारी मे जाति दबाव समूह के रुप मे कार्य करती है। इस प्रकार हम कह सकते है कि स्वतत्रता के बाद भारतीय राजनीति मे जाति एक महत्वपूर्ण शक्ति के रुप मे प्रकट हुई है। राजनीतिक सम्बन्धो मे सामाजिक सम्बन्धो की अभिव्यक्ति भी होती है। जाति-व्यवस्था और राजनीतिक-व्यवस्था मे पूर्ण ध्रुवीकरण कभी नही रहा है। प्रारम्भ मे सामाजिक अथवा आर्थिक दृष्टि से उच्च अथवा श्रेष्ठ जातिया ही राजनीति से प्रभावित रहीं और राजनीतिक लाभ उन्ही तक सीमित रहा।

शिक्षा के प्रसार, औद्योगिक उन्नति के साथ-साथ बदलते परिवेश मे मध्यम और निम्न समझी जाने वाली जातियॉ भी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होने लगीं। मध्यम, पिछडी तथा निम्न जातियो की राजनीतिक सत्ता भोगने की आकाक्षा ने जाति को राजनीति मे और अधिक प्रभावशाली बनाया है। ए0 आर0 देसाई ने अपनी पुस्तक सोशल बैक ग्राउण्ड आफ इण्डियन नैशनलिज्म मे भारत मे राजनीति को वर्ग या जाति की प्रतिच्छाया के रुप म स्वीकार किया है। इसी कारण एक समय पर सर्वोदय नेता जय प्रकाश नारायण ने कहा था कि जाति भारत मे अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है।[7]

भारतीय राजनीति मे जाति की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही यह आवश्यक हो

6- माइकल थ्रेचर के अनुसार-अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीनि जातिवाद का प्रभाव अधिक है- जैन एस फाडिया 'भारतीय शासन एव राजनीति', आगरा, साहित्य भवन 1968 पृष्ठ स0 686।

7 जैन एव फडियॉ - 'भारतीय शासन एव राजनीति', आगरा, साहित्य भवन, 1986, पृष्ठ स0 684।

जाता है कि शोध काल खण्ड 1991 से 1997 ई0 के बीच गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे

जाता है कि शोध काल खण्ड 1991 से 1997 ई0 के बीच गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदो की जातीय प्रतिनिधित्व का अवलोकन किया जाय। मन्त्रिपरिषद मे उच्च, मध्यम और निम्न जातियो का किस अनुपात मे प्रतिनिधित्व हुआ है यह ज्ञात कर ही मन्त्रिपरिषद के निर्माण मे जाति की भूमिका के सम्बन्ध मे कोई निष्कर्ष निकालना सम्भव होगा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1991-1997 ई0 के बीच गठित मन्त्रिपरिषदो को तीन जाति वर्ग मे उच्च जाति वर्ग, मध्यम जाति वर्ग तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति मे बॉट कर अवलोकित करने का प्रयास किया गया है।

मई जून 1991 मे एकादश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात दिनाक 24-6-91 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथमवार गठित तथा दिनाक 6-12-92 तक कार्यरत मत्रिपरिषद मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी सख्या- 4 1 1 मे प्रदर्शित है।

सारिणी संख्या-4.1.1

सन् 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद

क्रम स0	जाति	विधान सभा		मत्रिपरिषद		**अनुपात** (विधानसभा एव मत्री परिषद के मध्य) 1 मत्री - विधानसभा सदस्य
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	उच्च	153	36 6	27	48 2	1‾5 6
2	मध्यम	108	25 8	16	28 6	1‾6 8
3	अनुसूचित जाति एव जन जाति	107	25 6	10	17 9	1 10 7
4	अनुपलब्ध	50	12	3	5 4	1 16 7
योग		**418**	**100**	**56**	**100.1**	**1‾7 5 (अनुपात)**

सारिणी सख्या 4.1 1 के अन्तर्विष्ट ऑकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनाक 24-6-91 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथमवार गठित मन्त्रिपरिषद

रेखा चित्र संख्य -4.1.1(अ)
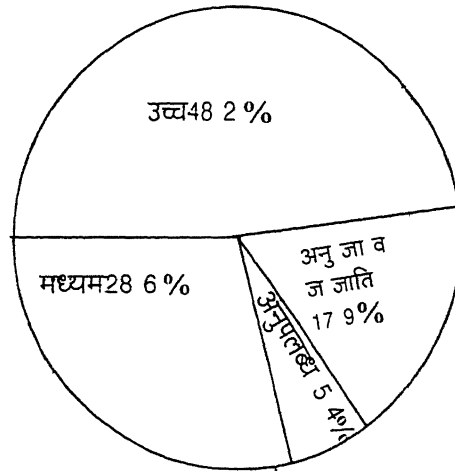
सन्1991 मे कल्याण सिह के मत्रिपरिषद के सदस्यो की जाति

रेखा चित्र संख्या-4.1.1(ब)
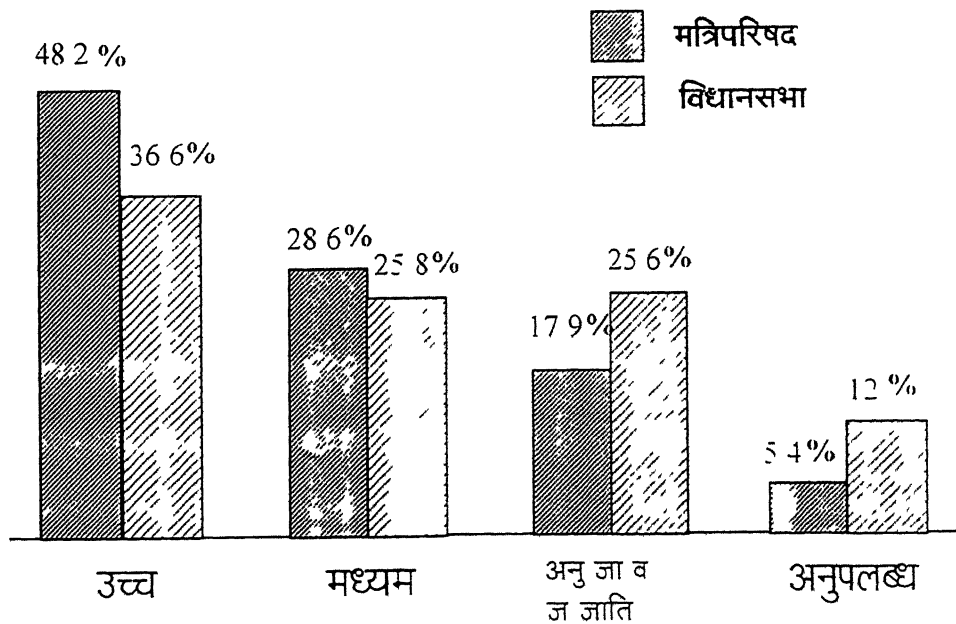
सन्1991 मे कल्याण सिह के मत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यो की जाति

मे कुल 56 सदस्य थे, जिसमे 27 उच्च जाति से, 16 मध्यम जाति से तथा 10 अनुसूचित जाति एव जनजाति से थे।

इसके अतिरिक्त मत्रिपरिषद के 3 सदस्यो की जाति के विषय मे ज्ञान नही था। जबकि इस काल मे विधानसभा के कुल 418 सदस्यो मे 153 उच्च जाति से, 108 मध्यम जाति से तथा 107 सदस्य अनुसूचित जाति एव जनजाति से रहे। इसके अतिरिक्त 50 ऐसे सदस्य रहे जिनकी जाति के विषय मे ज्ञान नही था। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधानसभा मे उच्चजातियो का प्रतिनिधित्व 36 6 प्रतिशत रहा और मत्रिपरिषद मे उन्हे 48 2 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। अर्थात विधानसभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे उच्च जातियो को लगभग 12 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि विधानसभा मे मध्यम जातियो का प्रतिनिधित्व 25 8 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 28 6 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे मध्यम जाति के सदस्यो को लगभग 3 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। वही विधानसभा मे अनुसूचित जाति एव जनजाति का प्रतिनिधित्व विधान सभा मे 25 6 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 17 9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधानसभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे उन्हे लगभग 8 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यदि विभिन्न जातियो के सदस्यो का विधानसभा एव मन्त्रिपरिषद के मध्य प्रतिनिधित्व अनुपात पर दृष्टि डाले तो उच्च जाति का 1˙ 5 6, मध्यम जाति का 1˙ 6 8 तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति का अनुपात 1˙10 7 ठहरता है। अत इस आधार पर स्पष्ट है कि उच्च जाति के 5 6 विधानसभा सदस्यो पर मत्रिपरिषद मे एक स्थान प्रदान किया गया वही मध्यम जाति के 6 8, विधान सभा सदस्यो पर तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति को 10 7 विधानसभा सदस्यो पर मत्रिपरिषद मे एक स्थान प्राप्त किया गया।

इस प्रकार सारणी सख्या 4 1 1 के सम्पूर्ण तथ्य यह प्रदर्शित कर रहे कि इस काल मे विधान सभा व मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उच्च जातियो का वर्चस्व रहा है

जबकि अनुसूचित जाति एव जनजाति की स्थिति सबसे कमजोर रही है। कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित इस मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सख्या 4 1 1(अ) मे तथा मन्त्रिपरिषद तथा विधानसभा मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व को तुलनात्मक रुप से रेखाचित्र सख्या 4 1 1(ब)मेदर्शाया गया है।

नवम्बर 1993 मे द्वादश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के परिणास्वरुप दिनाक 4-12-93 को मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक 3-6-95 तक कार्यरत समाजवादी पार्टा तथा बहुजन समाज पार्टी की साझा मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी सख्या 4 1 2 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या -4.1.2

सन् 1993 मे मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व मे गठित मंत्रिपरिषद

क्रम	जाति	विधान सभ		मत्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा एव मत्री परिषद के मध्य) 1 मत्री - विधानसभा सदस्य
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	उच्च	135	31 7	5	17 9	1 27
2	मध्यम	151	35 5	15	53 5	1 10 1
3	अनुसूचित जाति एव जन जाति	107	25 1	5	17 9	1 21 4
4	अनुपलब्ध	33	7 7	3	10 7	1 11
योग		**426✡**	**100**	**28**	**100**	**1 15 2 (अनुपात)**

✡ विधानसभा के 426 सदस्यो का आकडा है, इसमे मृत सदस्य के साथ उप चुनाव मे विजयी सदस्य को शामिल किया गया है जिस कारण यह 426 तक पहुच गया है

सारिणी संख्या 4.1 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनाक 4-12-93 को मुलायम

रेखा चित्र संख्या-4.1.2(अ)
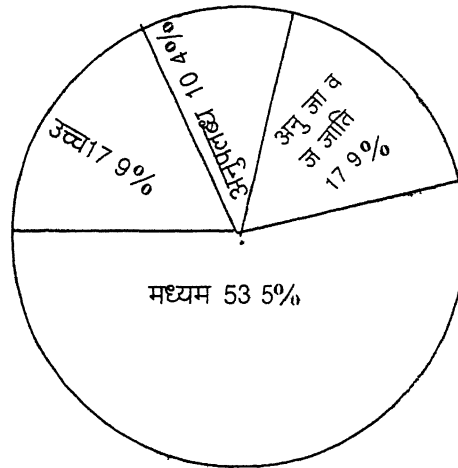
सन1993 मे मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद के सदस्यो की जाति

रेखा चित्र संख्या-4.1.2(ब)
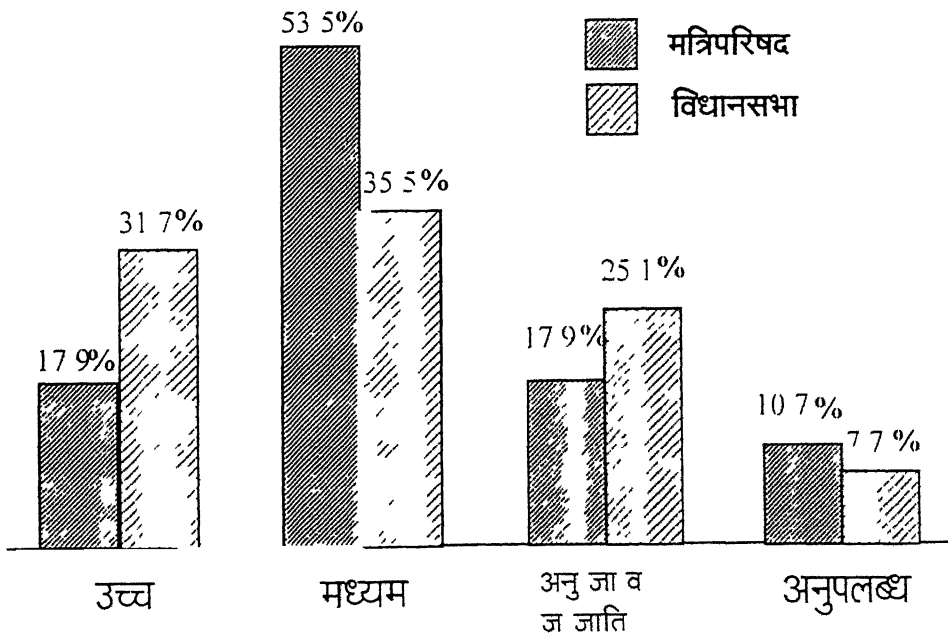
सन1993 मे मुलायम सिह यादव के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यो की जाति

सिह यादव के नेतृत्व मे गठित तथा 3-6-95 तक कार्यरत मन्तिपरिषद मे कुल 28 सदस्य थे। जिसमे उच्च जाति से 15 मध्यम जाति से तथा 5 अनुसूचित जाति एव जनजाति से थे। इसके अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद के 3 सदस्यो के जाति के विषय मे ज्ञान नही था। जबकि इस काल मे विधानसभा के कुल 426 सदस्यो मे 135 उच्च जाति से, 151 मध्यम जाति से तथा 107 अनुसूचित जाति एव जनजाति से थे। इसके अतिरिक्त 33 ऐसे सदस्य थे जिनकी जाति के विषय मे ज्ञान नही था। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधान सभा म उच्च जाति का प्रतिनिधित्व 31.7 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 17 9 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ अर्थात आधा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि विधान सभा मे मध्यम जातियो का प्रतिनिधित्व 35 5 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 53 5 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना म मन्त्रिपरिषद मे उन्हे लगभग डेढ गुना अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वही अनुसूचित जातियो एव जनजातियो का विधान सभा मे प्रतिनिधित्व 25 1 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 17 9 प्रतिशत प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना मे लगभग 8 प्रतिशत कम स्थान प्राप्त हुआ।

यदि विभिन्न जातियो से सदस्यो का विधानसभा व मन्त्रिपरिषद के मध्य प्रतिनिधित्व अनुपात पर दृष्टि डाले तो उच्च जाति का अनुपात 1¯ 27, मध्यम जाति का 1¯ 01 तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति का 1¯ 21 4 ठहरता है। अत¯ इस आधार पर स्पष्ट है हो रहा है कि जहा उच्च जाति के 27 विधानसभा सदस्यो पर मन्त्रिपरिषद मे 1 स्थान प्रदान किया गया है वही मध्यम जाति के 10 1 विधानसभा सदस्यो पर तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति को 21 4 विधान सभा सदस्यो पर मन्त्रिपरिषद मे एक स्थान प्रदान किया गया।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4 1 2 के सम्पूर्ण तथ्य यह प्रदर्शित कर रहे है कि इस काल मे विधान सभा एव मन्त्रिपरिषद मे मध्यम जाति को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। मन्त्रिपरिषद मे तो मध्यम जाति के सदस्यो को आधे से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था। जहा तक उच्च एव अनुसूचित जाति एव जनजाति का प्रश्न है तो इन्हे मन्त्रिपरिषद म समान

भागीदारी प्राप्त थी। किन्तु विधानसभा के अनुपात मे मन्त्रिपरिषद मे सम्मिलित किये जाने का दर अनुसूचित जाति एव जनजाति के सदस्यो का उच्च जाति से अधिक था इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी प्रदर्शित हो रहा है कि विधान सभा मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व अनुपात का अनुसरण मन्त्रिपरिषद मे नही किया गया है। प्रथम दृष्टया ही यह प्रतीत होता है कि इस काल मे मध्यम जाति को मन्त्रिपरिषद मे अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सख्या 4 1 2(अ) मे तथा मन्त्रिपरिषद तथा विधानसभा मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व को तुलनात्मक रुप से रेखाचित्र सख्या 4 1 2(ब) दर्शाया गया है

मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद के पतन के पश्चात दिनाक 3-6-1995 को मायावती के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक 18-10-95 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न धर्मो के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी सख्या 4 1 3 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या -4 1 3

सन् 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

क्रम	जाति	विधान सभा		मन्त्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा एव मत्री परिषद के मध्य) 1 मत्री - विधानसभा सदस्य
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	उच्च	135	31 7	1	3	1ˉ 135
2	मध्यम	151	35 5	18	54 5	1ˉ 8 4
3	अनुसूचित जाति एव जन जाति	107	25 1	10	30 3	1ˉ10 7
4	अनुपलब्ध	33	7 7	24	12 2	1ˉ 1 4
योग		**426**	**100**	**33**	**100**	1ˉ 12 9 (अनुपात)

✡ विधानसभा के 426 सदस्यो का आकडा है, इसमे मृत सदस्य के साथ उप चुनाव मे विजयी

✡ सदस्य को शामिल किया गया है जिस कारण यह 426 तक पहुच गया है

सारिणी सख्या-4 1 3 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि

रेखा चित्र संख्या-4.1.3(अ)
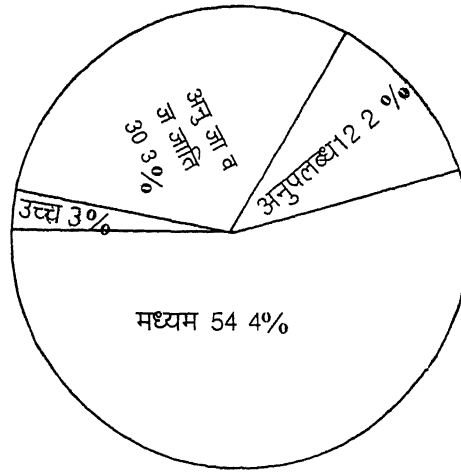
सन1995 मे मायावती के मत्रिपरिषद के सदस्यो की जाति

रेखा चित्र संख्या-4.1.3(ब)
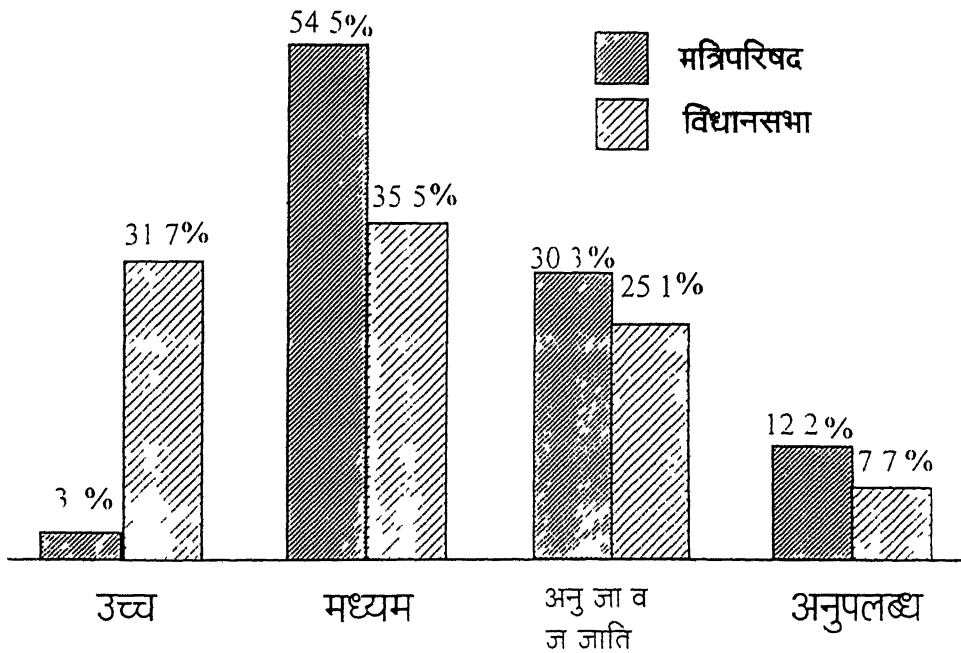
सन1995 मे मायावती के मत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यो की जाति

दिनाक 3-6-95 को मायावती के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित तथा 18-10-95 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद मेकुल 33 सदस्य थे जिसमे एक उच्च जाति से 18 मध्यम जाति से तथा 10 अनुसूचित जाति एव जनजाति से थे इसके अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद के 4 सदस्यो की जाति के विषय मे ज्ञान नही था, जबकि इस काल मे विधान सभा के कुल 426 सदस्यो मे 135 उच्च जाति से, 151 मध्यम जाति से तथा 107 अनुसूचित जाति एव जनजाति से रहे। इसके अतिरिक्त 33 ऐसे सदस्य रहे जिनकी जाति के विषय मे ज्ञान नही था। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधान सभा मे उच्च जातियो का प्रतिनिधित्व 31 7 रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 3 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ अर्थात विधान सभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे उच्च जातियो को लगभग 10 गुना कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि विधान सभा मे मध्यम जातियो का प्रतिनिधित्व 35 5 प्रतिशत रहा और मन्त्रि परिषद मे उन्हे54 5 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे मध्य जातियो के सदस्यो को लगभग 20 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। वही अनुसूचित जाति एव जनजातियो का प्रतिनिधित्व विधान सभा मे 25 1 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 30 3 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे अनुसूचित जाति एव जनजाति के सदस्यो को लगभग 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यदि विभिन्न जातियो के सदस्यो का विधान सभा एव मन्त्रिपरिषद के मध्य प्रतिनिधित्व अनुपात पर दृष्टि डालें तो उच्च जाति का 1¯ 135, मध्यम जाति का 1¯8 4 तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति का अनुपात 1¯0 7 ठहरता है। अत¯ इस आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि जहा उच्च जाति के 135 विधानसभा सदस्यो पर मन्त्रिपरिषद मे 1 स्थान प्रदान किया गया वही मध्यम जाति के 8 4 विधानसभा सदस्यो पर तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति के 10 7 विधानसभा सदस्यो पर 1 स्थान मन्त्रिपरिषद मे प्रदान किया गया।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4 1 3 के सम्पूर्ण तथ्य यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस काल मे विधानसभा एव मन्त्रिपरिषद मे मध्यम जाति को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

इस काल मे विधानसभा एव मन्त्रिपरिषद मे मध्यम जाति को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। मन्त्रिपरिषद मे तो इन्हे आधे से भी अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मन्त्रिपरिषद मे केवल एक सदस्य के रुप मे मात्र 3 प्रतिशित प्रतिनिधित्व उच्च जाति को प्राप्त था। इस प्रकार मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व मे व्यापक असन्तुलन विद्यमान था। यहॉ यह तथ्य भी दृष्टि गोचर है कि विधानसभा मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व अनुपात का अनुसरण मन्त्रिपरिषद मे नही किया गया। मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित इस मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सख्या 4 1 3(अ) मे तथा मन्त्रिपरिषद तथा विधानसभा मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व को तुलनात्मक रुप से रेखाचित्र सख्या 4 1 3(ब) दर्शाया गया है।

सितम्बर-अक्टूबर 1996 मे त्रयोदश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात दिनाक 21-3-97 तक कार्यरत, भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की साझा मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी सख्या 4 1 4 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या-4.1.4

सन् 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

क्रम	जाति	विधान सभा		मन्त्रिपरिषद		**अनुपात** (विधानसभा एव मत्री परिषद के मध्य) 1 मत्री ¯ विधानसभा सदस्य
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	उच्च	171	40 2	12	26 7	1¯ 14 3
2	मध्यम	132	31	19	42 2	1¯ 6 9
3	अनुसूचित जाति एव जन जाति	99	23 2	10	22 2	1¯ 9 9
4	अनुपलब्ध	24	5 6	4	8 9	1¯ 6
योग		**426✡**	**100**	**45**	**100**	**1¯ 9.5 (अनुपात)**

✡ वही

रेखा चित्र संख्य -4.1.4(अ)
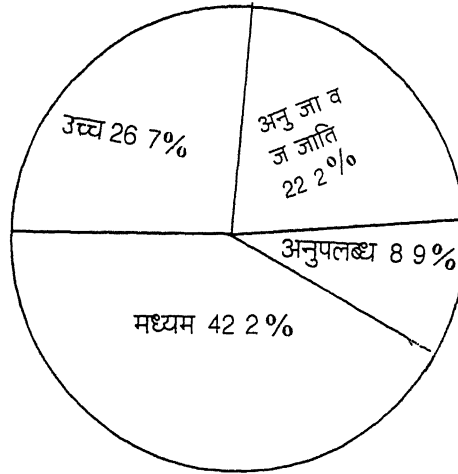
सन1997 मे मायावती के मत्रिपरिषद के सदस्यो की जाति

रेखा चित्र संख्य -4.1.4(ब)
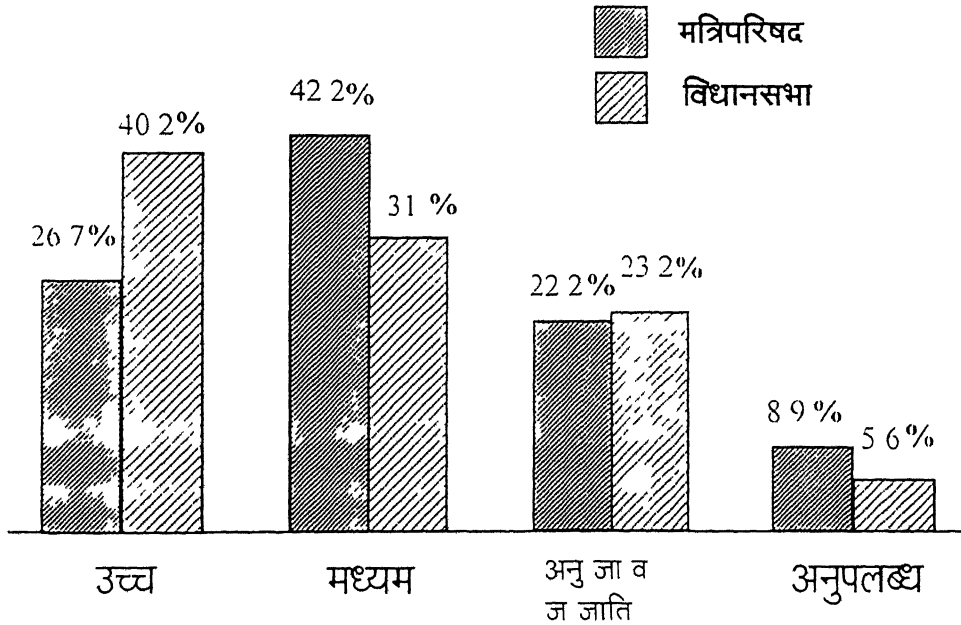
सन1997 मे मायावती के मत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यो की जाति

दिनांक 21-3-97 को मायावती के नेतृत्व मे द्वितीयवार गठित मन्त्रिपरिषद मे कुल 45 सदस्य थे, जिसमे 12 उच्च जाति से, 19 मध्यम जाति से तथा 10 अनुसूचित जाति एव जनजाति से थे। इसके अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद के 4 सदस्यो की जाति के विषय मे ज्ञान नही था। जबकि इस काल विधान सभा मे कुल 426 सदस्यो मे 171 उच्च जाति से, 132 मध्यम जाति से तथा 107 सदस्य अनुसूचित जाति एव जनजाति से रहे। इसके अतिरिक्त 24 ऐसे सदस्य रहे जिनकी जाति के विषय मे ज्ञान नही था। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधानसभा मे उच्च जातियो का प्रतिनिधित्व 40 2 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 26 7 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ अर्थात विधानसभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे उच्च जातियो को लगभग 14 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि विधानसभा मे मध्यम जातियो का प्रतिनिधित्व 31 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 42 2 प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधानसभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे मध्यम जाति के सदस्यो को लगभग 11 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। वही अनुसूचित जाति एव जनजातियो का प्रतिनिधित्व विधान सभा मे 23 2 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 22 2 प्रतिशत प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधानसभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे 1 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यदि विभिन्न जातियो के सदस्यो का विधान सभा एव मन्त्रिपरिषद के मध्य प्रतिनिधित्व अनुपात पर दृष्टि डाले तो उच्च जाति का 1¯ 14 3, मध्यम जाति का 1¯ 6 9 तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति का अनुपात 1¯ 9 9 ठहरता है। अत इस आधार पर स्पष्ट है कि उच्च जाति के 14 3 विधानसभा सदस्यो पर मन्त्रिपरिषद मे एक स्थान प्रदान किया गया, वही मध्यम जाति के 6 9 विधानसभा सदस्यो पर तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति के 9 9 विधानसभा सदस्यो पर मन्त्रिपरिषद मे एक स्थान प्रदान किया गया।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4 1 4 के सम्पूर्ण तथ्यो के प्रकाश मे यह स्पष्ट है कि जहा विधानसभा मे उच्च जाति को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वही मन्त्रिपरिषद मे मध्यम

जाति के सदस्यो को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी प्रदर्शित हो रहा है कि विधानसभा मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व अनुपात का अनुसरण मन्त्रिपरिषद मे नही किया गया है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इस काल मे मध्यम जाति को मन्त्रिपरिषद मे अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया। किन्तु यदि प्रदेश की कुल जनसख्या मे विभिन्न जातियो के अनुपात के आधार पर देखे तो विधानसभा की जातीय सरचना मे जो असन्तुलन विद्यमान था उसे मन्त्रिपरिषद मे दूर करने का प्रयास किया गया।इस मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सख्या 4 1 4(अ) मे तथा मन्त्रिपरिषद तथा विधानसभा मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व को तुलनात्मक रुप से रेखाचित्र सख्या 4 1 4(ब) दर्शाया गया है।

भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के सविदा के परिणाम स्वरुप छ महीने की अवधि की समाप्ति के पश्चात मुख्यमत्री मायावती द्वारा दिये गये त्यागपत्र के उपरान्त दिनाक 21-9-97 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद मे 31दिसम्बर 1997 तक विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व की स्थिति को सारिणी सख्या 4 1 5 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 4 1 5 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनाक 21-9-97 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद मे दिनाक 31 दिसम्बर 1997 तक कुल 113 सदस्य सम्मिलित हुए जिसमे 51 सदस्य उच्च जाति से, 39 सदस्य मध्यम जाति से, तथा 16 सदस्य अनुसूचित जाति एव जनजाति से थे। इसके अतिरिक्त 7 ऐसे सदस्य थे जिनके जाति के विषय मे ज्ञान नही था। जबकि इस काल मे विधानसभा के कुल 426 सदस्यो मे से 171 उच्च जाति से, 132 मध्यम जाति से, तथा 99 सदस्य अनुसूचित जाति एव जनजाति से रहे। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधानसभा मे उच्च जातियो का प्रतिनिधित्व 40 2 प्रतिशत रहा

सारिणी सख्या 4 1 5

सन् 1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

क्रम	जाति	विधान सभा		मत्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा एव मत्री परिषद के मध्य) 1 मत्री ¯ विधानसभा सदस्य
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	उच्च	171	40 2	51	45 1	1¯3 4
2	मध्यम	132	31	39	34 5	1¯3 4
3	अनुसूचित जाति एव जन जाति	99	23 2	16	14 2	1¯6 2
4	अनुपलब्ध	26	5 6	7	6 2	1¯3 4
योग		**426✡**	**100**	**113**	**100**	1¯3 8 (अनुपात)

✡ वही

मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 45 1 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ अर्थात विधान सभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे उच्च जातियो को लगभग 5 प्रतिशत अधिक स्थान प्राप्त हुआ। जबकि विधान सभा मे मध्यम जाति का प्रतिनिधित्व 31 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 34 5 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 3 5 प्रतिशत स्थान अधिक प्राप्त हुआ। वही अनुसूचित जाति एव जनजाति का विधानसभा मे प्रतिनिधित्व 23 2 प्रतिशत रहा और मन्त्रिपरिषद मे उन्हे 14 2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधानसभा की तुलना मे मन्त्रिपरिषद मे अनुसूचित जाति एव जनजाति के सदस्यो को 9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यदि विभिन्न जातियो के सदस्यो का विधान सभा एव मन्त्रिपरिषद के मध्य प्रतिनिधित्व अनुपात पर दृष्टि डाले उच्च जाति का 1¯ 3 4, मध्यम जाति का भी 1¯ 3 4 तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति का अनुपात 1¯ 6 2 ठहरता है। अत¯ स्पष्ट है कि जहा उच्च जाति के 3 4

रेखा चित्र संख्या-4.1.5(अ)
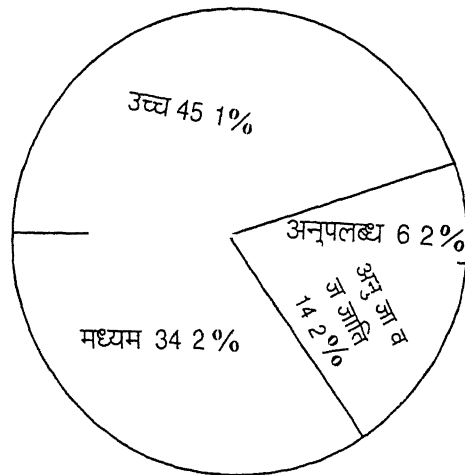
सन1997 मे कल्याण सिह के मत्रिपरिषद के सदस्यो की जाति

रेखा चित्र संख्या-4.1.5(ब)
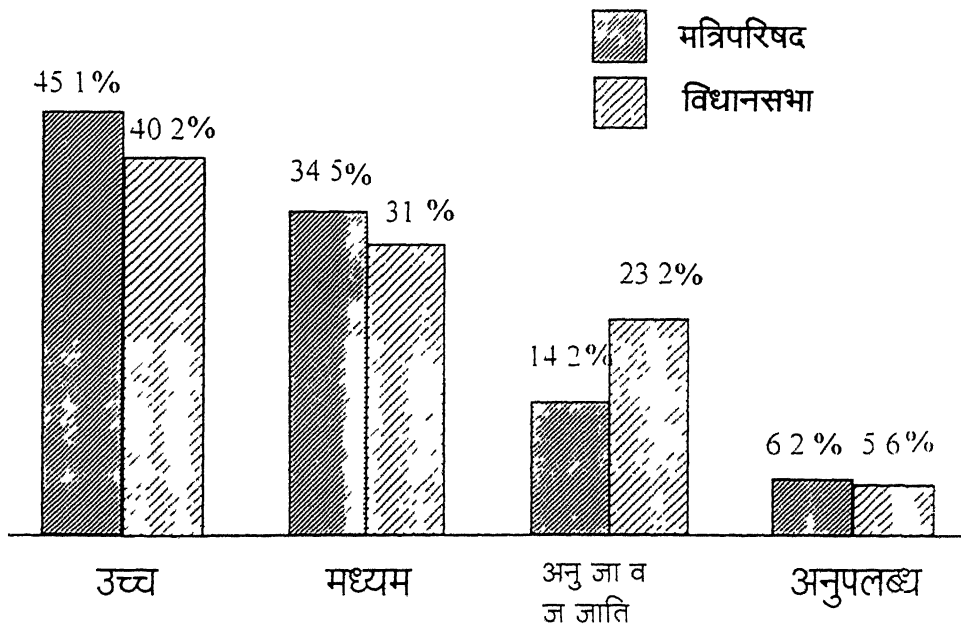
सन1997 मे कल्याण सिह के मत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यो की जाति

विधानसभा तथा सदस्यो पर मन्त्रिपरिषद मे 1 स्थान प्राप्त किया गया वही मध्यम जाति के भी 3 4 विधान सभा सदस्यो पर तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति के 6 2 विधान सभा सदस्यो पर एक स्थान मन्त्रिपरिषद मे प्रदान किया गया।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4 1 5 के सम्पूर्ण तथ्यो के प्रकाश मे यह स्पष्ट है कि इस काल मे विधानसभा एव मन्त्रिपरिषद मे उच्च जातियो का वर्चस्व रहा जबकि अनुसूचित जाति एव जनजाति को मन्त्रिपरिषद मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही प्रदान किया गया। यद्यपि विधान सभा के जाति सरचना का कुछ हद तक अनुसरण मन्त्रिपरिषद के निर्माण मे दृष्टिगोचर होता है, किन्तु यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश की आबादी की जाति सरचना का अनुसरण न तो विधान सभा मे और न ही मन्त्रिपरिषद मे हुआ है।कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित इस मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सख्या 4 1 5(अ) मे तथा मन्त्रिपरिषद तथा विधानसभा मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व को तुलनात्मक रुप से रेखाचित्र सख्या 4 1 5(ब) दर्शाया गया है।

सन् 1991 से सन् 1997 तक के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे विभिन्न जातियो के सदस्यो का प्रतिनिधित्व सारिणी सख्या 5 1 6 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 4 1 6 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे भिन्न-भिन्न जातियो का वर्चस्व रहा है। यदि उच्च जाति के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इसे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 48 2 प्रतिशत सन् 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित प्रथम मन्त्रिपरिषद मे प्राप्त हुआ। तद्पश्चात सन् 1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 45 1 प्रतिशत, 1997 मे ही गठित मायावती के नेतृत्व मे द्वितीयबार गठित मन्त्रिपरिषद मे 26 7 प्रतशित, 1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद मे 17 9 प्रतिशत 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे प्रथम वार गठित मन्त्रिपरिषद मे 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व उच्च जाति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहा कल्याण सिह के दोनो मन्त्रिपरिषदो मे उच्च जातियो को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यदि पाचो मन्त्रिपरिपदो

सारिणी संख्या 4.1.6
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद : जाति

जाति	प्रदेश की जनसख्या मे (अनुमानित)	मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व											
		कल्याण सिह प्रथम 24-06-91 से 06-12-92 तक		मुलायम सिह यादव 04-12-93 से 03-06-95 तक		मायावती प्रथम 03-06-95 से 18-10-95 तक		मायावती द्वितीय 21-03-97 से 21-09-97 तक		कल्याण सिह द्वितीय 21-09-97 से ----------तक		समग्र 1991 से 1997 तक	
	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
उच्च	21	27	48 2	5	17 9	1	3	12	26 7	51	45 1	96	34 9
मध्यम	41	16	28 6	15	53 5	18	54 5	19	42 2	39	34 5	107	38 9
अनुसूचित जाति एवं जन जाति	21 26	10	17 9	5	17 9	10	30 3	10	22 2	16	14 2	51	18 6
अनुपलब्ध	-	3	5 4	3	10 7	4	12 2	4	8 9	7	6 2	21	7 6
ग		56	100	28	100	33	100	45	100	113	100	275	100

मे उच्च जाति के सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इस काल मे(1991से 1997तक) उच्च जातियो को 34 9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका। जिसके सापेक्ष कल्याण सिह के दोनो मन्त्रिपरिषदो मे अधिक तथा अन्य मत्रिपरिषदो मे निम्न प्रतिनिधित्व उच्च जातियो को प्राप्त हुआ। यदि उच्च जातियो का प्रदेश की जनसख्या मे हिस्सा 21 प्रतिशत से विभिन्न मन्त्रिपरिषदो की तुलना करे तो 1993 मे गठित मुलायम सिह की मन्त्रिपरिषद तथा 1995 मे गठित मायावती की प्रथम मन्त्रिपरिषद मे जहा निम्न वही अन्य मन्त्रिपरिषदो मे उच्च प्रतिनिधित्व, उच्च जाति के सदस्यो को प्राप्त हुआ।

इसी प्रकार यदि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे मध्यम जातियो के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट है कि सन् 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित मन्त्रिपरिषद मे मध्यम जातियो को सर्वाधिक 54 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। तद्पश्चात सन् 1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद मे 53 5 प्रतिशत, 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित मन्त्रिपरिषद मे 42 2 प्रतिशत, 1997 मे ही कल्याण सिह के नेतृत्व मे द्वितीय बार गठित मन्त्रिपरिषद मे 34 5 और 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित मन्त्रिपरिषद मे 28 6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मध्यम जातियो को प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहॉ कल्याण सिह के दोनो मन्त्रिपरिषदो मे मध्यम जातियो को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वही अन्य मन्त्रिपरिषदो मे इसकी अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यदि पाचो मन्त्रिपरिषदो मे मध्यम जाति के सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाली तो इस काल मे (1991 से 1997तक) मध्यम जातियो को समग्र रुप से 38 9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका, जिसके सापेक्ष कल्याण सिह के दोनो मन्त्रिपरिषदो मे निम्न तथा अन्य मन्त्रिपरिषदो मे उच्च प्रतिनिधित्व मध्यम जातियो को प्राप्त हुआ। यदि मध्यम जातियो का प्रदेश की जनसख्या मे हिस्सा लगभग 41 प्रतिशत से विभिन्न मन्त्रिपरिषदो की तुलना करे तो जहॉ मुलायम सिह यादव तथा मायावती की दोनो मन्त्रिपरिषदो मे उच्च वही कल्याण सिह की दोनों मन्त्रिपरिषदो मे निम्न प्रतिनिधित्व मध्यम जाति के सदस्यो को प्राप्त हुआ।

रेखा चित्र संख्या-4.1.6(अ)
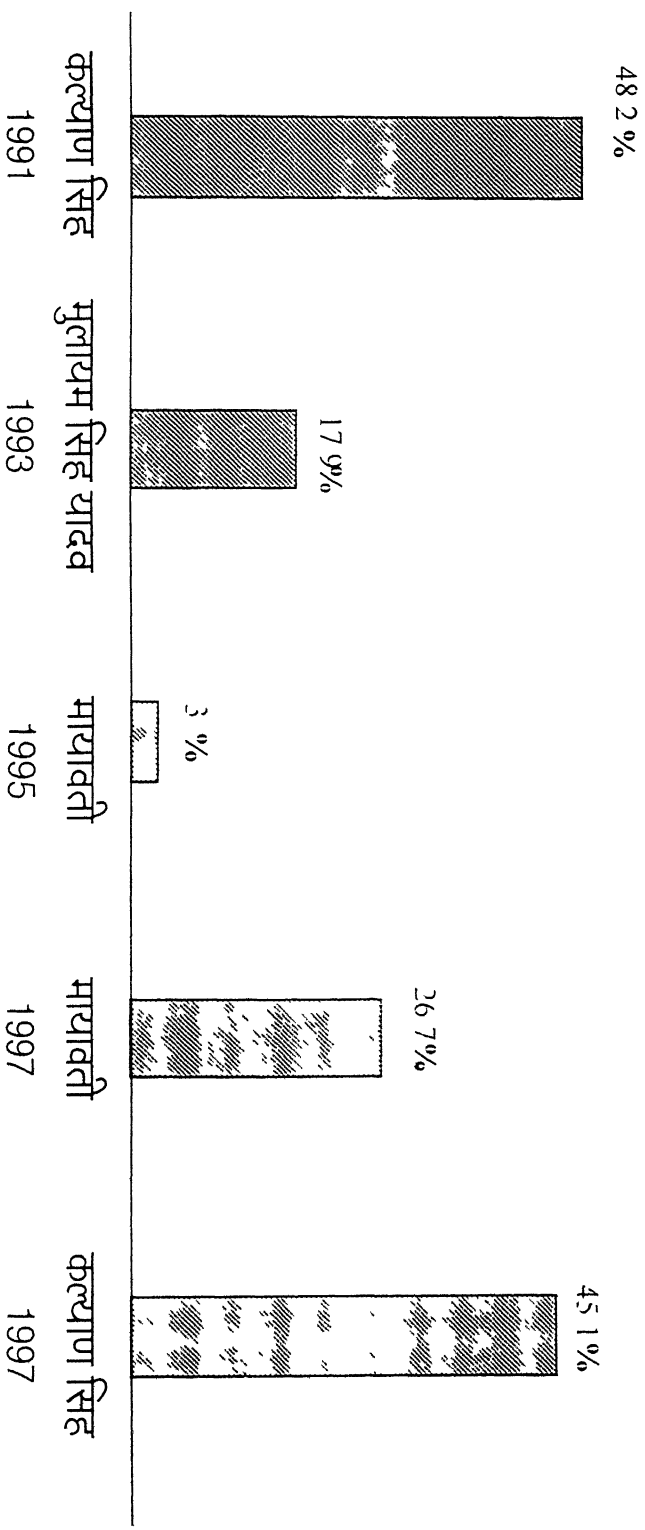
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित **मंत्रिपरिषदों में *उच्च जाति* के सदस्यों का प्रतिनिधित्व**

इसी प्रकार यदि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि पर डाले तो यह स्पष्ट है कि सन् 1995 में मायावती के नेतृत्व में गठित प्रथम मन्त्रिपरिषद में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को सर्वाधिक 30.3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। तद्पश्चात सन् 1997 में मायावती के नेतृत्व में द्वितीय वार गठित मन्त्रिपरिषद में 22.2 प्रतिशत , सन् 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में प्रथम वार गठित मन्त्रिपरिषद में 17.9 प्रतिशत एवं 1997 कल्याण सिंह के नेतृत्व में द्वितीय वार मन्त्रिपरिषद में 14.2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि मायावती के दोनो मन्त्रिपरिषदों में जहाँ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यदि पांचों मन्त्रिपरिषदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इस काल में (1991 से 1997तक) अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को समग्र रुप से 18.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका जिसके सापेक्ष मायावती के नेतृत्व में गठित दोनो मन्त्रिपरिषदों में उच्च तथा अन्य मन्त्रिपरिषदों में निमन प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को प्राप्त हुआ। यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रदेश की जनसंख्या में हिस्सा 21.26 प्रतिशत से विभिन्न मन्त्रिपरिषदों की तुलना करें, तो मायावती के नेतृत्व में गठित दोनों मन्त्रिपरिषदों में ही उच्च, वहीं अन्य मन्त्रिपरिषदों में निम्न प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को प्राप्त हुआ।

यहाँ यह तथ्य भी स्मरणीय है कि कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषदों में 5.4 , मुलायम सिंह के मन्त्रिपरिषद में 10.7, मायावती के मन्त्रिपरिषदों में 12.2 व मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 8.9 तथा कल्याण सिंह के द्वितीय मन्त्रिपरिषदों में 6.2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के जाति की विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं था।इस काल में मंत्रिपरिषद के सदस्यो में उच्च जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व रेखाचित्र संख्या 4.1.6(अ) ,मध्यम जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व रेखाचित्र संख्या 4.1.6(ब)तथा अनु.जा.एवं ज. जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व
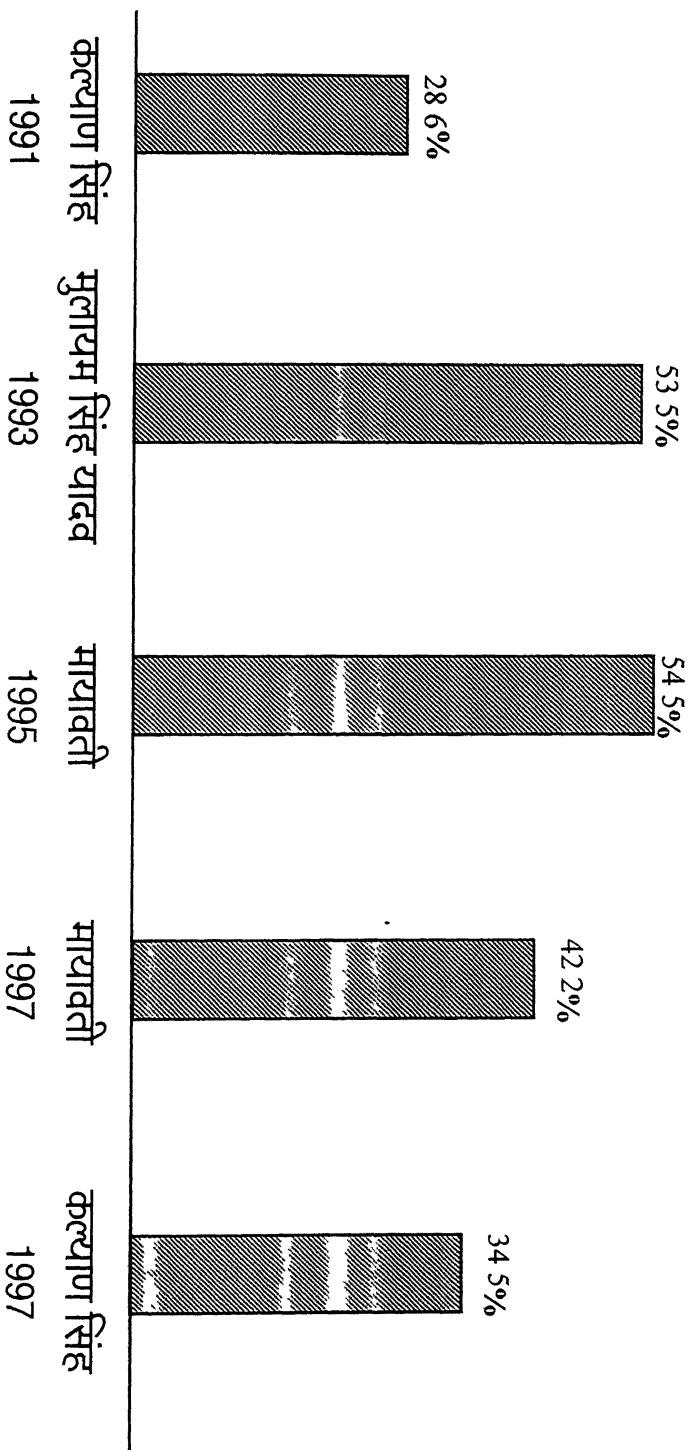
रेखा चित्र संख्या-4.1.6(ब)

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में *मध्यम जाति* के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

का प्रतिनिधित्व रेखाचित्र सख्या 4 1 6(ब)तथा अनु जा एव ज जाति के सदस्यो का प्रतिनिधित्व रेखाचित्र सख्या 4 1 6(स) मे प्रदर्शित किया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य विधानसभा व मन्त्रिपरिषदो मे विभिन्न जातियो को सदस्यो का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, यह सारिणी सख्या 4 1 7 मे दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 4.1.7

क्र0 स0	मत्रिपरिषद	उच्च जाति		मध्यम जाति		अनु जा एव ज जाति		अनुपलब्ध	
		विधानसभा (% मे)	मत्रिपरिषद (% मे)	विधानसभा (% मे)	मत्रिपरिषद (% मे)	विधानसभा (% मे)	मत्रिपरिषद (% मे)	विधानसभा (% मे)	मत्रिपरिषद (% मे)
1	कल्याण सिह (प्रथम)	36 6	48 2	25 8	28 6	25 6	17 9	12	5 4
2	मुलायम सिह यादव	द्वादस 31 7	17 9	द्वादस 35 5	53 5	द्वादस 25 1	17 9	द्वादस 7 7	10 7
3	मायावती (प्रथम)		3		54 5		30 3		12 2
3	मायावती (द्वितीय)	त्रयोदस 40 2	26 7	त्रयोदस 31	42 2	त्रयोदस 23 2	22 2	त्रयोदस 5 6	8 9
4	कल्याण सिह (द्वितीय)		45 1		34 5		14 2		6 2

सारिणी सख्या 4 1 7 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित तीन विधानसभाओ मे उच्च जाति के सदस्यो का प्रतिनिधित्व घटता-बढता रहा जहा सन् 1991 मे गठित एकादश विधान सभा मे उच्च जातियो का प्रतिनिधित्व 36 6 प्रतिशत वही 1993 मे गठित द्वादश विधान सभा मे घटकर 31 7 प्रतिशत तथा त्रयोदश

रेखा चित्र संख्या-4.1.6(स)
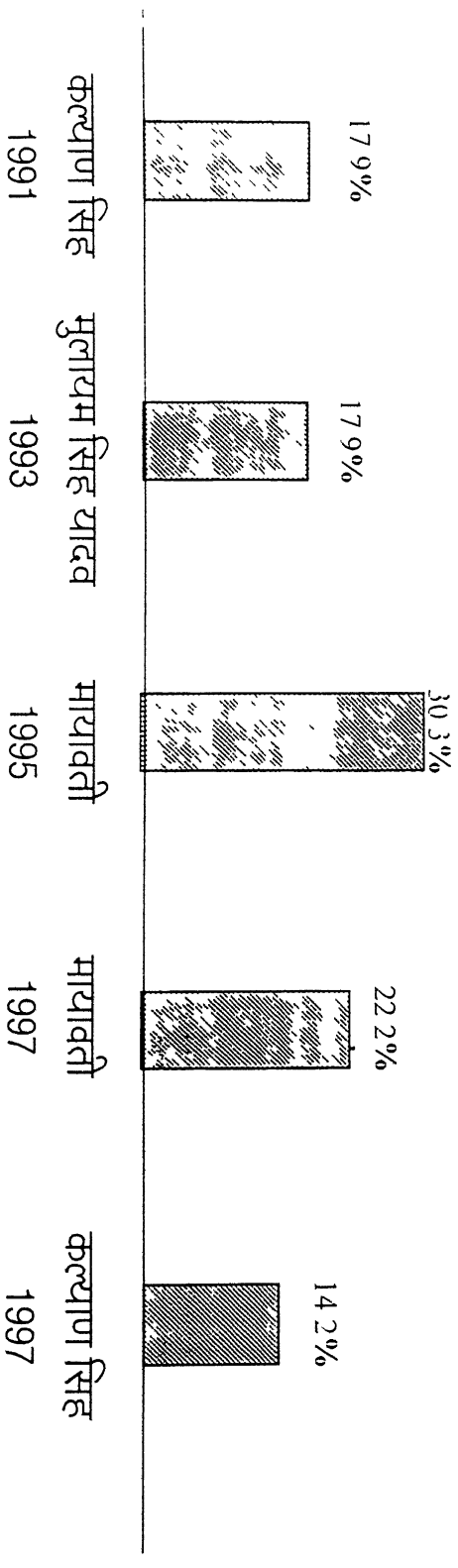
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में *अ.जा.व अ.जन जाति* के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

विधान सभा मे बढकर 40 2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व उच्च जातियो को प्राप्त हुआ। इस प्रकार 1991 से 1997 के मध्य विधान सभाओ मे उच्च जातियो का प्रतिनिधित्व 31 7 प्रतिशत से 40 2 प्रतिशत के मध्य रहा। जबकि इस काल मे (सन् 1991 से 1997) तक मन्त्रिपरिषद मे उच्च जातियो के प्रतिनिधित्व मे कोई निश्चित स्थिरता न होकर घटता-बढता रहा है और भिन्न-भिन्न समयो पर यह 48 2 से 3 प्रतिशत के मध्य रहा। यहा यह तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि मायावती के दोनो मन्त्रिपरिषदो मे तथा मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषदो जहा उच्च जातियो को विधान सभा सदस्यो के अनुपात मे कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वही इस काल मे गठित अन्य मन्त्रिपरिषदो मे उच्च जाति को विधानसभा के अनुपात मे निम्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यदि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित तीनो विधानसभाओ मे मध्यम जाति के सदस्यो के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो यह स्पष्ट हो रहा है और यह 25 8 प्रतिशत से 35 5 प्रतिशत के मध्य रहा। सन् 1993 मे गठित द्वादश विधानसभा मे जहा मध्यम जाति के सदस्यो को सर्वाधिक 35 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वही 1991 मे गठित एकादश विधान सभा मे केवल 25 8 प्रतिशत त्रयोदश विधानसभा मे 31 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मध्यम जाति के सदस्यो को प्राप्त हुआ। जबकि इस काल मे (सन् 1991 से 1997) तक मन्त्रिपरिषदो मे भी मध्यम जाति के प्रतिनिधित्व मे स्थिरता न होकर घटता-बढता रहा है और भिन्न भिन्न समय पर यह 54.5 प्रतिशत से 28 6 प्रतिशत के मध्य रहा। यहा यह तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि मध्यम जातियो को हमेशा विधानसभा के अनुपात मे मन्त्रिपरिषद मे उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित तीनो विधानसभाओ मे अनुसूचित जाति एव जनजाति के सदस्यो के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो यह स्पष्ट है कि इस काल मे अनुसूचित जाति एव जनजाति के प्रतिनिधित्व मे विधान सभा दर विधानसभा कमी आयी है। जहॉ 1991 मे गठित एकादश विधानसभा मे अनुसूचित जाति एव जनजातियो का प्रतिनिधित्व

25 6 रहा वही यह घटकर द्वादश विधान सभा मे 25 1 हो गया तथा त्रयोदश विधान सभा मे और घटकर मात्र 23 2 प्रतिशत रह गया। जबकि इस काल मे (सन् 1991 से 1997) तक मन्त्रिपरिषद मे अनुसूचित जाति एव जनजातियो का प्रतिनिधित्व घटता-बढता रहा है और भिन्न-भिन्न समयो पर यह 30 3 प्रतिशत से 14 2 प्रतिशत के मध्य रहा। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि जहाँ 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे प्रथमवार गठित मन्त्रिपरिषदो मे अनुसूचित जातियो एव जनजातियो को विधानसभा सदस्यो के अनुपात मे उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वही अन्य मन्त्रिपरिषदो मे विधान सभा के सदस्यो के अनुपात मे निम्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यहाँ यह तथ्य भी ध्यान योग्य है कि एकादश विधानसभा मे 12 प्रतिशत, द्वादश विधानसभा मे 7 7 प्रतिशत तथा त्रयोदश विधान सभा मे 1 6 प्रतिशत सदस्यो की जाति के विषय मे कोई ज्ञान उपलब्ध नही है।

इस काल (सन् 1991 से 1997) मे गठित सभी मत्रिपरिषदो की जातीय सरचना से सभावित समस्त आकडो के अध्ययन से यह तथ्य प्रकाश मे आ रहा है कि इस काल मे मन्त्रिपरिषदो मे जातीय आधार पर सामजस्य बनाये रखने का कोई विशेष प्रयास दृष्टिगोचर नही हो रहा है बल्कि जिस दल की सरकार बनी है वह अपने सामाजिक दर्शन, सर्मथको की जातीय सरचना, भविष्य के लिए सामाजिक अभियात्रिकी को ध्यान मे रखकर मत्रिपरिषद मे विभिन्न जातीय वर्ग के सदस्यो के प्रतिनिधि वर्ग का निर्धारण करता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ यह तथ्य भी स्मरणीय है कि कल्याण सिह के प्रथम मन्त्रिपरिषद को छोडकर इस काल की अन्य सभी मन्त्रिपरिषदे विभिन्न दलो की सविदा का परिणाम रहीं और निश्चय ही सविदा सरकार की विवशता उनके साथ भी जुडी रही होगी।

सन् 1991 मे एकादश विधानसभा के लिए हुए चुनाव के पश्चात कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथम वार गठित भारतीय जनता पार्टी के मन्त्रिपरिषदो की जातीय सरचना मे उच्च जातियो को अन्य जातियो की तुलना मे अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया

मन्त्रिपरिषद मे 48 02 प्रतिशत स्थान अर्थात लगभग आधा प्रतिनिधित्व इस जाति के सदस्यो को प्राप्त था। जबकि इसके पश्चात सबसे अधिक प्रतिनिधित्व 28 6 प्रतिशत मध्यम जाति के तथा अनुसूचितजाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को न्यूनतम मात्र 17 9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मत्रिपरिषद मे प्रदान किया गया। इस प्रकार कल्याण सिह की इस प्रथम मत्रिपरिषद मे अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन जाति व मध्यम जाति के सदस्यो को प्रदेश की जनसख्या मे उनके अनुपात से कम प्रतिनिधित्व मत्रिपरिषद मे प्राप्त हो गया साथ ही विधानसभा मे भी विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व के अनुपात का अनुसरण न करते हुए उच्च जाति को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गयाहै। इसके अतिरिक्त मध्यम जाति के लोगो को भी विधान सभा मे उनके प्रतिनिधित्व के सापेक्ष मत्रिपरिषद मे उन्हे अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और चौथाई से भी अधिक हिस्सा मत्रिपरिषद मे इस जाति के सदस्यो को प्राप्त हुआ । यहॉ यह तथ्य भी स्मरणीय है कि भारतीय जनता पार्टी के इस मन्त्रिपरिषद के प्रमुख, मुख्यमत्री कल्याण सिह मध्यम जाति से आते हैं। जहॉ तक अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन जाति का प्रश्न है तो निश्चय है उनको अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व इस मन्त्रिपरिषद मे प्रदान किया गया।

कल्याण सिह के नेतृत्व मे 1997 मे द्वितीय वार गठित मन्त्रिपरिषद भारतीय जनता पार्टी तथा विभिन्न दलो के आपसी सहयोग का परिणाम था फिर भी विधान सभा की 174 सीटो के साथ भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलो मे ही नही अपितु विधान सभा मे सबसे बडा दल था।

इस मत्रिपरिषद मे भी पूर्व की भाति उच्च जाति के सदस्यो को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कल्याण सिह की द्वितीय मत्रिपरिषद मे इस काल मे गठित अन्य मत्रिपरिषदो की तुलना मे उच्च जाति के सदस्यो को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अत यह प्रतीत होता है कि कल्याण सिंह के मन्त्रिपरिषदो मे उच्च जाति वर्ग के प्रतिनिधित्व को अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था।

यहा यह तथ्य भी स्मर्णीय है कि यद्यपि भारतीय जनता पार्टी अपने को एक राष्ट्रवादी दल के रुप मे प्रस्तुत करती रही लेकिन आम मान्यता है कि यह हिन्दुओ के उच्च जाति की पार्टी है और इस वर्ग का बडा समर्थन इसके साथ है।[1]

जबकि 1993 मे मुलायम सिह के नेतृत्व मे समाजवादी पार्टी एवम् बहुजन समाज पार्टी की सयुक्त मत्रिपरिषद मे सर्वाधिक 53 5 प्रतिशत भाग प्रतिनिधित्व मध्यम जाति के सदस्यो को प्राप्त था, तथा उच्च एव अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन जाति के सदस्यो को बराबर-बराबर 17 9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद मे प्राप्त था, अत स्पष्ट है कि मुलायम सिह के इस मत्रिपरिषद मे मध्यम जाति के प्रतिनिधित्व को अन्य की अपेक्षा अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया गया। यहा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मुलायम सिह यादव स्वय मध्यम जाति से हैं तथा उनके दल समाजवादी पार्टी का दर्शन यद्यपि समाजवाद पर आधारित है किन्तु यह आम धारणा है कि मुलायम सिह यादव को मध्यम जातियो का समर्थन प्राप्त है तथा उनके राजनैतिक क्रियाकलाप इस वर्ग की राजनीति को ध्यान मे रखते हुए निर्धारित होते है। यदि इस काल मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषदो की जाति सरचना का विश्लेषण करे तो यह स्पष्ट है कि 1995 मे भारतीय जनता पार्टी के सर्मथन पर आधारित मायावती की प्रथम मत्रिपरिषद मे उच्च जातियो के एक मात्र सदस्य को सम्मिलित किया गया था जबकि सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मध्यम जाति के सदस्यो को प्राप्त था तथा एक तिहाई से अधिक प्रतिनिधि अनूसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को प्राप्त था। अत प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मन्त्रिपरिषद मे मध्यम जाति के सदस्यो के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहन प्रदान किया गया किन्तु यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मायावती के इस मत्रिपरिषद मे उच्च जाति का एक मात्र सदस्य और मध्यम जाति के अनेक सदस्य ऐसे थे जो उसी दौरान समाजवादी पार्टी से अलग होकर बहुजन समाज पार्टी मे सम्मिलित

---

1 चौधरी एन0 के0,'एसेम्बली एलेक्शन-1993' शिप्रा पब्लिकेशन,पृष्ठ 257

हुए थे। और उन्हे मत्री पद भी प्रदान किया गया।

अतः यह कहा जा सकता है कि मायावती के इस मंत्रिपरिषद मे उच्च जाति के केवल एक मात्र सदस्य को सम्मिलित कर न के बराबर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। और वह भी सदस्य समाज वादी पार्टी से आया था। लेकिन यहाँ यह तथ्य भी ध्यान योग्य है कि बहुजन समाज पार्टी का तत्कालीन विधानसभा (द्वादश विधान सभा) के चुनाव मे तथा उसके पूर्व का राजनैतिक सफर उच्च जाति के विरोध पर ही आधारित था। यहाँ पार्टी ने अभी तक किसी सवर्ण (उच्च जाति) को टिकट नहीं दिया था, [1] वही पार्टी प्रमुख कांशी राम ने अपने सवर्ण विरोधी नीति को स्पष्ट करते हुए चुनाव प्रचार के समय कहां कि प्रदेश की विधान सभा चुनाव मे जिन स्थानो पर समाजवादी पार्टी [2] मे ब्राह्मण एव क्षत्रिय उम्मीदवार खड़े किये हैं, उन्हे न तो बहुजन समाज पार्टी [3] का समर्थन होगा न तो वोट। किन्तु मायावती ने अपने मत्रिपरिषद के गठन के लिए न केवल भारतीय जनता पार्टी जिसे वो उच्च जाति के हितो का समर्थन करने वाली पार्टी मानती थी, [4] सहयोग लिया वही उच्चजाति के एक सदस्य को भी मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किया।

जबकि 1997 मे गठित मायावती के द्वितीय मंत्रिपरिषद में भी मध्यम जाति के सदस्यो को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था किन्तु यह तथ्य भी स्मर्णीय है कि प्रथम तो यह मंत्रिपरिषदबहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सविदा का परिणाम था और सविदा की विवशता का सामना मायावती को भी सत्ता मे बने रहने के लिए करना पड़ा होगा, द्वितीय

---

1 राष्ट्रीय सहारा 30 अक्टूबर-1993

2 बसपा व सपा ने यह विधान सभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था

3 राष्ट्रीय सहारा 30 अक्टूबर -1993

4 सिंह आर. के. कांशी राम एवम् बी एस पी. -पृष्ठ 59 एवम् दैनिक जागरण - 30 अक्टूबर-1993

इस काल मे आते आते बसपा का सर्वण विरोध नीति उतना तीव्र नही रह गया। जितना आरम्भ मे था क्योकि एक तरफ जहा उसने भारतीय जनता पार्टी जैसे दल से समझौता कर सरकार बनाया वही इस विधान सभा चुनाव मे उसने उच्च जातियो को भी पार्टी का उम्मीदवार बनाया तथा काग्रेस के साथ चुनाव समझौता किया।

अत इन विशलेषणो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि इस काल मे (1991 से 1997 के मध्य) विभिन्न दलो ने अपनी मत्रिपरिषदो मे जातीय सतुलन को बनाये रखने का प्रयास नही बल्कि अपने सामाजिक दर्शन और जातिय सर्मथन के आधार पर मत्रिपरिषद मे विभिन्न जातियो के प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया। यहॉ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर है कि इस काल मे गठित सयुक्त मत्रिपरिषदो को मत्रिपरिषद के निर्माण मे सविदा की विवशता का भी सामना करना पडा।

4.2 धार्मिक पृष्ठभूमि

जाति के समान ही धर्म भी भारतीय राजनीति मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। मानव इतिहास मे धर्म के नाम पर सदैव विवाद उठते रहे है। धर्म की दृष्टि से भारत विशेष रूप से हतभाग्य रहा है। स्वाधीनता आन्दोलन के समय अग्रेजोने भारत मे अपना शासन बनाए रखने के लिए धार्मिक भेद-भाव का विशेष लाभ उठाया। भारत मे साम्प्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालिक है। अग्रेजो ने भारत मे फूट डालो और शासन करो (डिवाइड एण्ड रुल) की नीति को अपनाया [1] जिससे वे भारत मे राष्ट्रीयता की भावना को तोडकर अपना शासन चलाते रहे।

ब्रिटिश शासन काल मे साम्प्रदायिक भावनाओ को राजनीतिक रूप मिलने का प्रमुख कारण यहा प्रतिनिधि एव निर्वाचित सस्थाओ की स्थापना करना भी था। अग्रेजो ने प्रतिनिधित्व

---

1 तारा चन्द्र - हिस्ट्री आफ द फ्रीडम मोमेट इन इण्डिया वल्यू0।।,दिल्ली पब्लि0 डि0 मिनिस्ट्री आफ इन्फारमेशन 1967,पृ0 514

को पृथक्-पृथक् समूहो वर्गो, हितो, क्षेत्रो सस्थाओ और जातियो के प्रतिनिधित्व के रुप मे स्वीकार किया। उन्होने भारत मे अनेक जातियो एव सम्प्रदायो की समस्या को इनके स्वाभाविक अस्तित्वबोध और एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता की समस्या के रुप मे स्वीकार किया तथा इसी कारण धार्मिक समूहो को पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार 1909 के सुधारो , जिसमे मुस्लिमो के लिए अलग निर्वाचन मण्डल की व्यवस्था की गयी, आधुनिक राजनीतिक साम्प्रदायिकता का उद्घाटन किया।[2] समय-समय पर हरेक अल्प सख्यक समुदाय ने विधान मण्डलो मे अपने प्रतिनिधित्व और सरकारी पदो नियुक्ति मे अपनी सख्या बढाने के लिए अपनी मॉगो मे वृद्धि की। सरकार एक के एक बाद ऐसी सभी मॉगो को स्वीकार करती गई, ताकि राष्ट्रीय जनता की शाक्ति को कमजोर किया जा सके।[3] हर लिहाज से यह भारतीय राजनीति की एक जहरीली विशेषता बन गई।[4] इसने सम्प्रदायिकता की वृद्धि को प्रेरणा प्रदान की जिसकी अन्तिम परिणति भारत के विभाजन तथा अलग मुस्लिम राज्य के रुप मे पाकिस्तान के सृजन से हुई।[5]

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के उपरान्त यद्यपि साम्प्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का अन्त कर दिया गया तथापि राजनीति एव निर्वाचन मे धर्म की भूमिका समाप्त नहीं हुई। यद्यपि सविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रुप मे स्थापित

---

2 नार्मन ब्राउन द यूनाइटेड स्टेट एण्ड इण्डिया,पाकिस्तान एण्ड बगला देश,स03,इलिनाश हार्बट यूनि0 प्रेस,1972,पृ0 141

3 जौहरी जे0 सी0 - 'भारतीय राजनीति' जालधर,विशाल पब्लि0-पृ0 335

4 नार्मन ब्राउन ,- वही,पृ0 142

5 स्मिथ- इण्डिया एस ए सेक्यूलर स्टेट- न्यू जर्सी, प्रिसटन यूनिवर्सल प्रेस (1963) पृ0 102

किया गया तथापि भारतीय राजनीति मे धर्म की भूमिका बनी रही। सविधान के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तो की गई परन्तु धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना नही हो सकी।

स्वाधीनता के उपरान्त प्रारम्भ हुई निर्वाचन राजनीति मे धर्म और सम्प्रदाय के नकारात्मक महत्व को प्रश्रय मिला है। प्रारम्भ मे यह समझा जाता था कि राजनीति, धर्म और सम्प्रदाय का शोषण करती हैं, परन्तु अब यह धारणा भी बनने लगी है कि धर्म और सम्प्रदाय राजनीति का शोषण करने लगे हैं। जब एक समुदाय समझबूझकर धार्मिक तथा सास्कृतिक भेदो के आधार पर राजनीतिक मॉगे रखने का निर्णय करता है, तब सामुदायिक चेतना सम्प्रदायवाद के रुप मे एक राजनीतिक सिद्धान्त बन जाती है। राजनीतिक स्वायत्तता को तब, सास्कृतिक स्वायत्तता सुरक्षित रखने की अनिवार्य शर्त घोषित कर दिया जाता है। बहुसस्कृतीय समाज मे सामाजिक तनाव तथा टकराव वास्तव मे विभिन्न समूहो के बीच चल रहे सत्ता द्वन्द्व के लक्षण हैं। इस पारस्परिक द्वन्द्व को सैद्धान्तिक स्तर पर धर्म की शिला पर खडा करना एक राजनीतिक विचारधारा के रुप मे सम्प्रदायवाद का मूल सार है।[6] अभी तक भारत मे साम्प्रदायिकता की समस्या को हिन्दू और मुसलमान-इन दोनो प्रमुख सम्प्रदायो के मध्य तनाव के रुप मे देखा जाता रहा था। कुछ वर्षो से सिख सम्प्रदाय के कुछ लोगो के सकीर्ण दृष्टिकोण तथा राजनीतिक महत्वाकाक्षा के कारण हिन्दू एव सिख सम्प्रदायो के बीच बढते हुए तनाव ने साम्प्रदायिकता की समस्या को और अधिक भीषण रुप प्रदान कर दिया है। भारत मे साम्प्रदायिकता को सभी सम्प्रदायो चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो,ईसाई अथवा सिख, के राजनीतिक महत्वाकाक्षा रखने वाले परम्परावादी अभिजन लोगो ने अपने अपने स्वार्थ के लिए सैद्धान्तिक जामा पहनाकर बढावा दिया है। परिणामत भारतीय राजनीति मे धर्म की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

---

1 दीक्षित,(श्रीमति) प्रभा ~ सम्प्रदायिकता का एतिहासिक सन्दर्भ,मेकमिलन 1980,भूमिका -

भारतीय राजनीति मे धर्म और साम्प्रदायिकता अत्यधिक प्रभावशाली निर्धारक तत्व है। धर्म का प्रयोग भारतीय राजनीति मे जहा एक ओर तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है वहा दूसरी ओर प्रभाव और शक्ति अर्जित करने के लिए भी धर्म एक प्रभावी माध्यम बना हुआ है। भारतीय राजनीति मे धर्म की भूमिका इतनी प्रभावी है कि धर्म के आधार पर राजनीतिक दलो का निर्माण भी हुआ है। जनता से की जाने वाली अपीलो, उन्हे दिए जाने वाले आश्वासनो, निर्वाचनो मे प्रत्याशियो का चयन तथा मतदान व्यवहार मे धर्म का राजनीतिक स्वरुप स्पष्टत देखने को मिलता है।

निर्वाचन की राजनीति और मतदान व्यवहार तक ही धर्म अथवा साम्प्रदायिकता की भूमिका नही है, वरन् शासन के महत्वपूर्ण निर्णय भी धर्म और साम्प्रदायिकता की राजनीति से प्रभावित रहते है। प्रत्याशियो के चयन से लेकर वोट बटोरने तक तो धार्मिक मठाधीशो का प्रभाव रहता ही है, उसके बाद शासन के गठन तथा शासन द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न निर्णयो मे धार्मिक सगठन तथा धर्म के मठाधीश दबाव समूह की भूमिका का निर्वाह करते है।

केन्द्र एव राज्यो मे मन्त्रिमण्डल तथा मत्रिपरिषदो के गठन के समय भी धर्म की एक प्रभावी भूमिका रहती है। प्रदेश की मत्रिपरिष अथवा मन्त्रिमण्डल के गठन के समय सदैव इस तथ्य को ध्यान मे रखा जाता है कि प्रमुख सम्प्रदायो एव धार्मिक विश्वास रखने वालो को उसमे प्रतिनिधित्व मिल जाये। धार्मिक अल्पसख्यको को मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रदान करने का सदैव ही प्रयास किया गया है। सदैव ही यह प्रयास होता है कि धार्मिक अल्पसख्यको को प्रतिनिधित्व देते हुये एक सन्तुलित मन्त्रिपरिषद की रचना की जाये।

मई-जून 1991 मे एकादश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात दिनाक 24-6-91 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित तथा दिनाक 6-12-92 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न धर्मो के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी सख्या 4 2 1 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 4 2.1

सन् 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

क्र0 स0	धर्म	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	389	93 1	53	94 6
2	मुस्लिम	23	5 5	1	1 8
3	अन्य	06	1 4	2	3 6
योग		418	100	56	100

सारिणी सख्या 4 2 1 के अर्न्तविष्ट ऑकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनाक 24-6-91 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित मत्रिपरिषद् मे कुल 56 सदस्य थे, जिसमे 52 सदस्य हिन्दू धर्म से, 1 सदस्य मुस्लिम धर्म से, तथा 2 सदस्य अन्य धर्मो से थे। जबकि इस काल मे विधानसभा के 418 सदस्यो मे 389 सदस्य हिन्दू धर्म से 23 मुस्लिम धर्म से, तथा 6 सदस्य अन्य धर्मो से रहे। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि, विधानसभा मे हिन्दू-धर्म का प्रतिनिधित्व 93 1 प्रतिशत रहा, और मत्रिपरिषद मे 94 5 प्रतिशत रहा अर्थात् विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद् मे हिन्दू धर्म के सदस्यो को लगभग 1 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि मुस्लिम धर्म का विधानसभा मे 5 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मत्रिपरिषद् मे उन्हे 1 8 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार मुस्लिमो को विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे लगभग 3 गुना कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अन्य धर्मो का विधानसभा मे 3 6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मत्रिपरिषद मे उन्हे 1.4 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अत अन्य धर्मो का विधानसभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे लगभग 2 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4.2 1 के समस्त आकडो के प्रकाश मे यह स्पष्ट हो रहा है कि इस काल मे मुस्लिमो को विधानसभा तथा मत्रिपरिषद मे अत्यन्त अल्प

रेखा चित्र संख्य -4.2.1(अ)
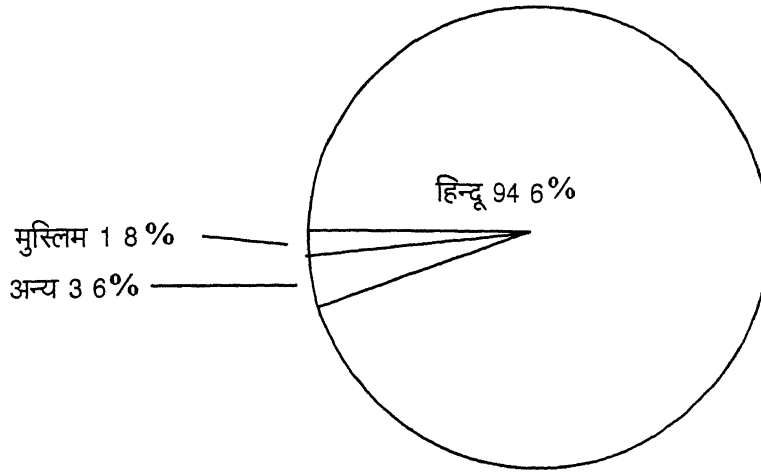
सन1991 मे कल्याण सिह के मत्रिपरिषद के सदस्यो की धार्मिक स्थिति

रेखा चित्र संख्या-4.2.1(ब)
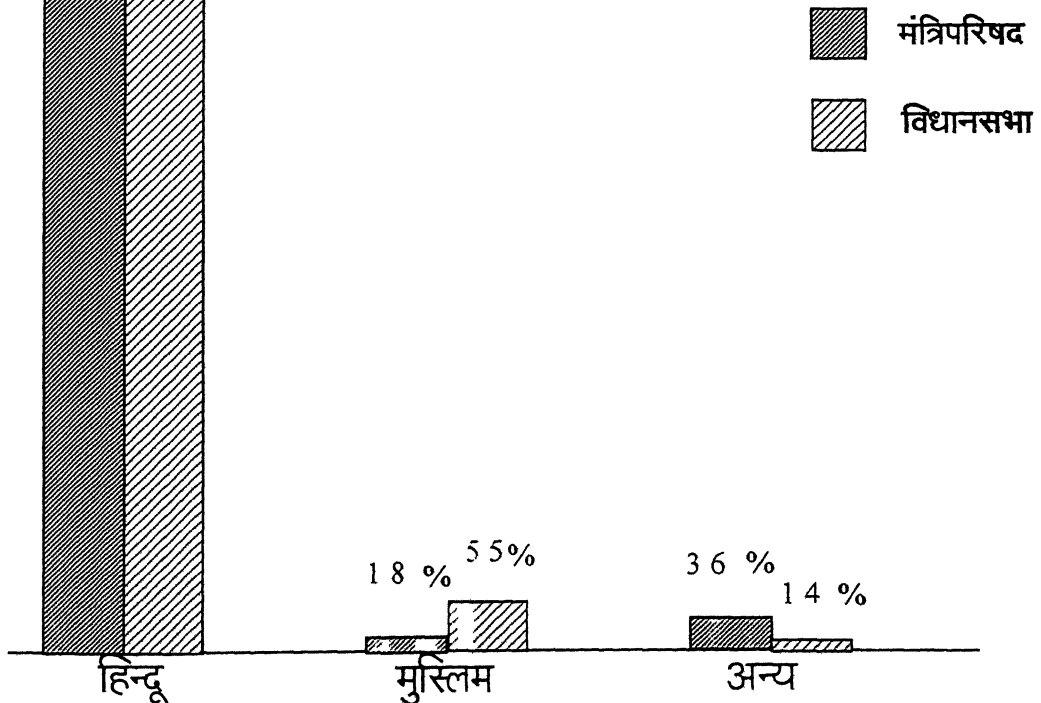
सन1991 मे कल्याण सिंह के [illegible] के साथ विधानसभा के सदस्यों की धार्मिक स्थिति

प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जबकि अन्य धर्मों के सदस्यो को भी विधानसभा तथा मत्रिपरिषद मे अत्यन्त ही अल्प प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका, किन्तु प्रदेश मे उनकी जनसख्या (कुल जनसख्या का 8 प्रतिशत) के सापेक्ष मत्रिपरिषद एव विधानसभा मे उन्हे अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। मत्रिपरिषद मे विभिन्न धर्मों की स्थिति रेखा चित्र सख्या 4 2 1 (अ) मे दर्शायी गयी है तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति रेखा चित्र सख्या 4 2 1 (ब) मे दर्शायी गयी है-

नवम्बर 1993 मे विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात दिनाक 4-12-93 को मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक 3-6-95 तक कार्यरत समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी की साझा मत्रिपरिषद मे विभिन्न धर्मो के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी सख्या 4 2 2 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 4.2.2

सन् 1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मंत्रिपरिषद्

क्र0 सं0	धर्म	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	387	90 9	24	85 7
2	मुस्लिम	32	7 5	3	10 7
3	अन्य	07	1 6	1	3 6
योग		426	100	28	100

सारिणी सख्या 4 2 2 के अन्तर्विष्ट आकड़ो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद् मे कुल 28 सदस्य थे, जिसमे 24 सदस्य हिन्दू धर्म से, 3 सदस्य मुस्लिम धर्म से, तथा 1 सदस्य अन्य धर्म से रहा। जबकि इस काल मे विधानसभा के 426 सदस्यो मे 387 हिन्दू धर्म से, 32 मुस्लिम धर्म से तथा 7 अन्य धर्म से रहे। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि विधानसभा मे हिन्दू

रेखा चित्र संख्या-4.2.2(अ)
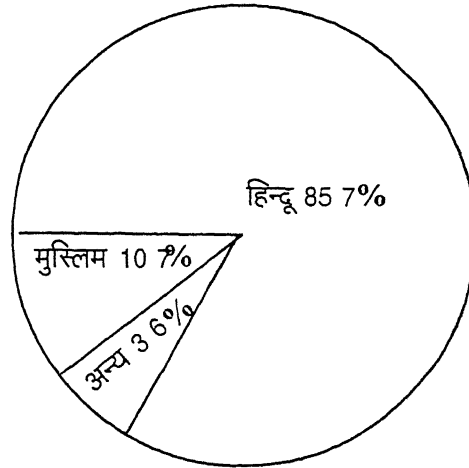
सन1993 मे मुलायम सिह यादव के मंत्रिपरिषद के सदस्यो की धार्मिक स्थिति

रेखा चित्र संख्या-4.2.2(ब)

85 7%
90 9%

मत्रिपरिषद
विधानसभा

10 7%
7 5%
3 6 %
1 6 %

हिन्दू मुस्लिम अन्य
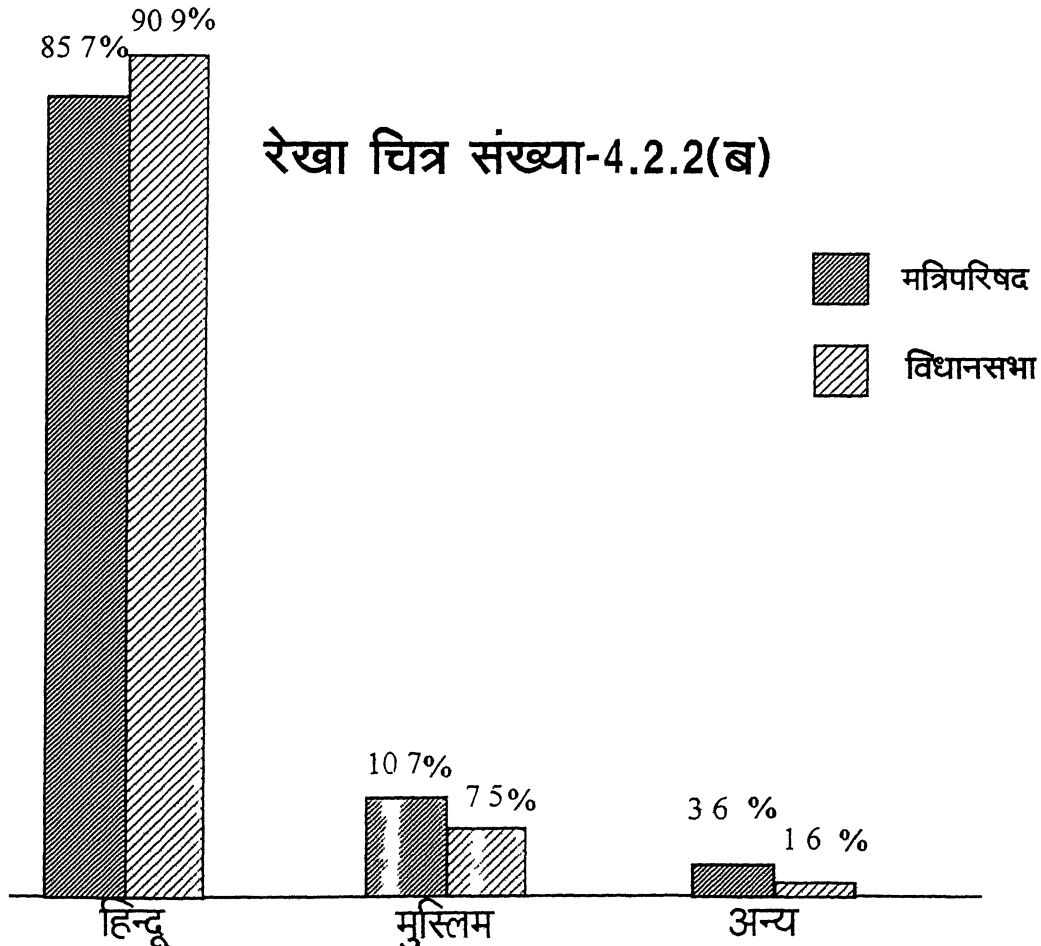
सन1993 मे मुलायम सिंह यादव के मत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यों की धार्मिक स्थिति

धर्म का प्रतिनिधित्व 90 9 प्रतिशत रहा और मत्रिपरिषद् मे उन्हे 85 7 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ अर्थात विधानसभा की तुलना मे मत्रिपरिषद् मे हिन्दू धर्म के सदस्यो को लगभग 5 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि मुस्लिम धर्म का विधानसभा मे 7 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मत्रिपरिषद् मे उन्हे 10 7 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ, इस प्रकार मुस्लिमो को विधानसभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे लगभग 3 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अन्य धर्मों का विधान सभा मे 1 6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मत्रिपरिषद् मे उन्हे 3 6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, अत अन्य धर्मावलम्बी सदस्यो को विधानसभा की तुलना मे मत्रिपरिषद् मे लगभग 2 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4 2 2 के समस्त आकडो के प्रकाश मे यह स्पष्ट हो रहा है कि विभिन्न धर्मावलम्बियो के विधानसभा मे प्रतिनिधित्व अनुपात मे काफी असन्तुलन रहा। जिसे मत्रिपरिषद मे दूर करने का प्रयास दृष्टिगोचर हो रहा है किन्तु फिर भी प्रदेश मे उनकी जनसख्या [1] के अनुपात मे प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो पाया है। इस मत्रिपरिषद् मे विभिन्न धर्मों की स्थिति को रेखा चित्र सख्या 4 2 2 (अ) मे दर्शायीं गयी है तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति रेखा चित्र सख्या 4 2 2 (ब) मे दर्शायी गयी है-

---

1- प्रदेश मे धार्मिक अल्पसख्यो की जनसख्या कुल जनसख्या की लगभग 20 1 प्रतिशत है जिसमे मुस्लिम 17 3 प्रतिशत तथा अन्य धर्मावलम्बि 8 प्रतिशत है।अधिक जानकारी के लिए देखे प्रस्तुत शोध के अध्याय 2 मे देखें।

मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद के पतन के पश्चात दिनाक 3-6-95 को मायावती के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक 18-10-95 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद् मे विभिन्न धर्मो के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी सख्या 4 2.3 मेप्रदर्शित है।

सारिणी सख्या-4.2.3

1995 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद

क्र0 स0	धर्म	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	387	90 9	28	84 9
2	मुस्लिम	32	7 5	4	12 1
3	अन्य	7	1 6	1	3
योग		426	100	33	100

सारिणी सख्या 4 2 3 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है दिनाक 3-6-95 को मायावती के नेतृत्व मे प्रथम वार गठित मत्रिपरिषद् मे कुल 33 सदस्य थे जिसमे 28 सदस्य हिन्दू धर्म से 4 मुस्लिम धर्म से तथा 1 सदस्य अन्य धर्म से था। जबकि इस काल मे विधानसभा के 426 सदस्यो मे 387 हिन्दू धर्म से, 32 मुस्लिम धर्म से तथा 7 अन्य धर्म से थे। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि विधानसभा मे हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व 90 9 प्रतिशत रहा है और मत्रिपरिषद् मे उन्हे 84 9 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ, अर्थात विधान्सभा की तुलनामे मत्रिपरिषद् मे हिन्दू धर्म के सदस्यो को लगभग 6 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका, जबकि मुस्लिम धर्म का विधानसभा मे 7 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मत्रिपरिषद् मे उन्हे 12 1 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ, इस प्रकार मुस्लिमो को विधानसभा की तुलना मे मत्रिपरिषद् मे लगभग 5 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अन्य धर्मो का विधानसभा मे 1 6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मत्रिपरिषद् मे उन्हे 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अत अन्य धर्मावलम्बी सदस्यो को विधानसभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे लगभग 2 गुना अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

इस प्रकार सारणी सख्या 4 2 3 के समस्त आकडो के प्रकाश मे स्पष्ट हो रहा

रेखा चित्र संख्य -4.2.3(अ)
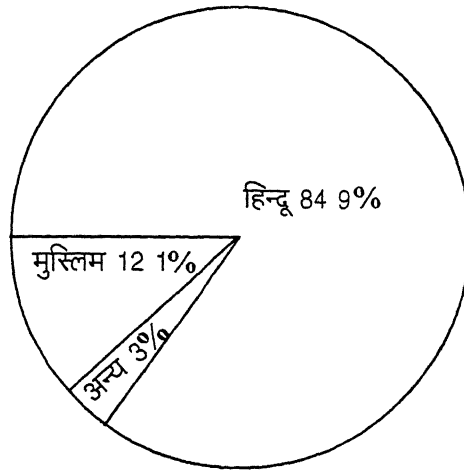
सन1995 मे मायावती के मत्रिपरिषद के सदस्यो की धार्मिक स्थिति

रेखा चित्र संख्या-4.2.3(ब)

84 9%
90 9%
12 1%
7 5%
3 %
1 6 %

मत्रिपरिषद
विधानसभा

हिन्दू
मुस्लिम
अन्य
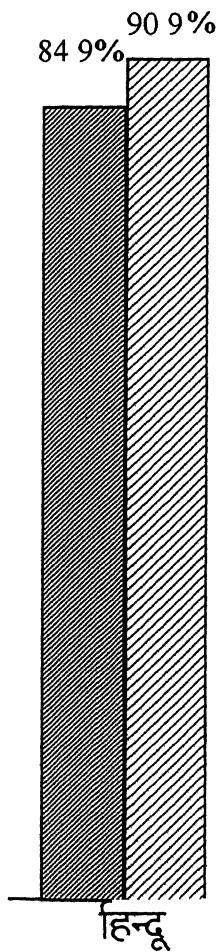
सन1995 में मायावती के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यो की धार्मिक स्थिति

है कि विभिन्न धर्मावलम्बियो का प्रतिनिधित्व अनुपात मे असतुलन विद्यमान था, यद्यपि अन्य धर्मावलम्बियो सदस्यो को प्रदेश मे उनकी जनसख्या (कुल जनसख्या के 8 प्रतिशत) के अनुपात से अधिक अनुपात मे विधानसभा और मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। किन्तु मुस्लिमो को उनकी जनसख्या के अनुपात से (कुल जनसख्या के 17 3 प्रतिशत) कम अनुपात मे विधानसभा एव मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यहाँ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि विधानसभा की तुलना मे मत्रिपरिषद् मे मुस्लिमो को अधिक भागीदारी प्रदान करके जनसख्या के अनुपात मे उनके प्रतिनिधित्व को सन्तुलित करने का प्रयास मत्रिपरिषद् मे किया जा रहा है। इस मत्रिपरिषद् मे विभिन्न धर्मों की स्थिति को रेखा चित्र सख्या 4 2 3 (अ) मे दर्शायीं गयी है तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति रेखा चित्र सख्या 4 2 3 (ब) मे दर्शायी गयी है।

सितम्बर-अक्टूबर 1996 मे त्रयोदश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात दिनाक 21-3-97 को मायावती के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक 21-9-97 तक कार्यरत, भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की साझा मत्रिपरिषद् मे विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधित्व की स्थिति सारिणी सख्या 4 2 4 मे प्रदर्शित है।

सारणी सख्या 4 2 4 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनाक 21-3-97 को मायावती के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित मत्रिपरिषद् मे कुल 45 सदस्य थे। जिसमे 38 हिन्दू धर्म से, 4 मुस्लिम धर्म से तथा 3 सदस्य अन्य धर्म से थे। जबकि इस काल मे विधानसभा के 426 सदस्यो मे से 377 हिन्दू धर्म से 39 मुस्लिम धर्म से तथा 10 सदस्य अन्य धर्मो से थे। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि

सारिणी सख्या 4.2 4

सन् 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद्

क्र0 स0	धर्म	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	377	85 5	38	84 4
2	मुस्लिम	39	9 1	4	8 9
3	अन्य	10	2 4	3	6 7
योग		426	100	45	100

विधान सभा मे हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व 88 5 प्रतिशत रहा और मत्रिपरिषद् मे 84 4 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ अर्थात विधानसभा की तुलना मे मत्रिपरिषद् मे हिन्दू धर्म के सदस्यो को लगभग 4 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि मुस्लिम धर्म का विधानसभा मे 9 1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मत्रिपरिषद मे उन्हे 8.9 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ ।इस प्रकार मुस्लिमो को विधानसभा की तुलना मे 1 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अन्य धर्मावलम्बी सदस्यो का विधानसभा मे प्रतिनिधित्व 2 प्रतिशत रहा और मत्रिपरिषद् मे उन्हे 6 7 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ अत अन्य धर्मावलम्बी सदस्यो को विधानसभा की तुलना मे मत्रिपरिषद् मे लगभग 3 गुना अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4 2 4 के समस्त आकडो के प्रकाश मे स्पष्ट हो रहा है कि विधानसभा तथा मत्रिपरिषद् मे विभिन्न धर्मावलम्बियो के प्रतिनिधित्व मे अत्यधिक असन्तुलन विद्यमान था। अन्य धर्मावलम्बी सदस्यो को प्रदेश मे उनकी जनसख्या(कुल जनसख्या के 8 प्रतिशत) के अनुपात से अधिक अनुपात मे विधानसभा मे और उससे भी

रेखा चित्र संख्या-4.2.4(अ)

सन1997 मे मायावती के मत्रिपरिषद के सदस्यो की धार्मिक स्थिति

रेखा चित्र संख्या-4.2.4(ब)

84 4%
85 5%

मत्रिपरिषद
विधानसभा

8 9 %
9 1%
6 7%
2 4 %

हिन्दू
मुस्लिम
अन्य
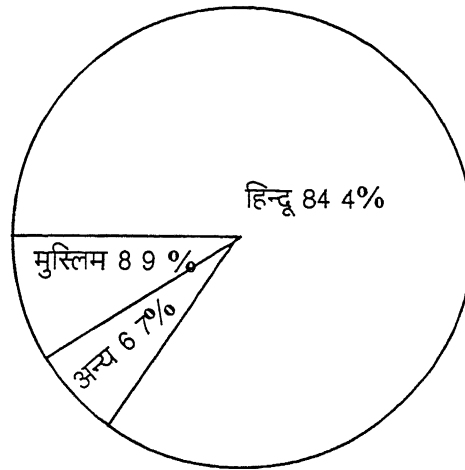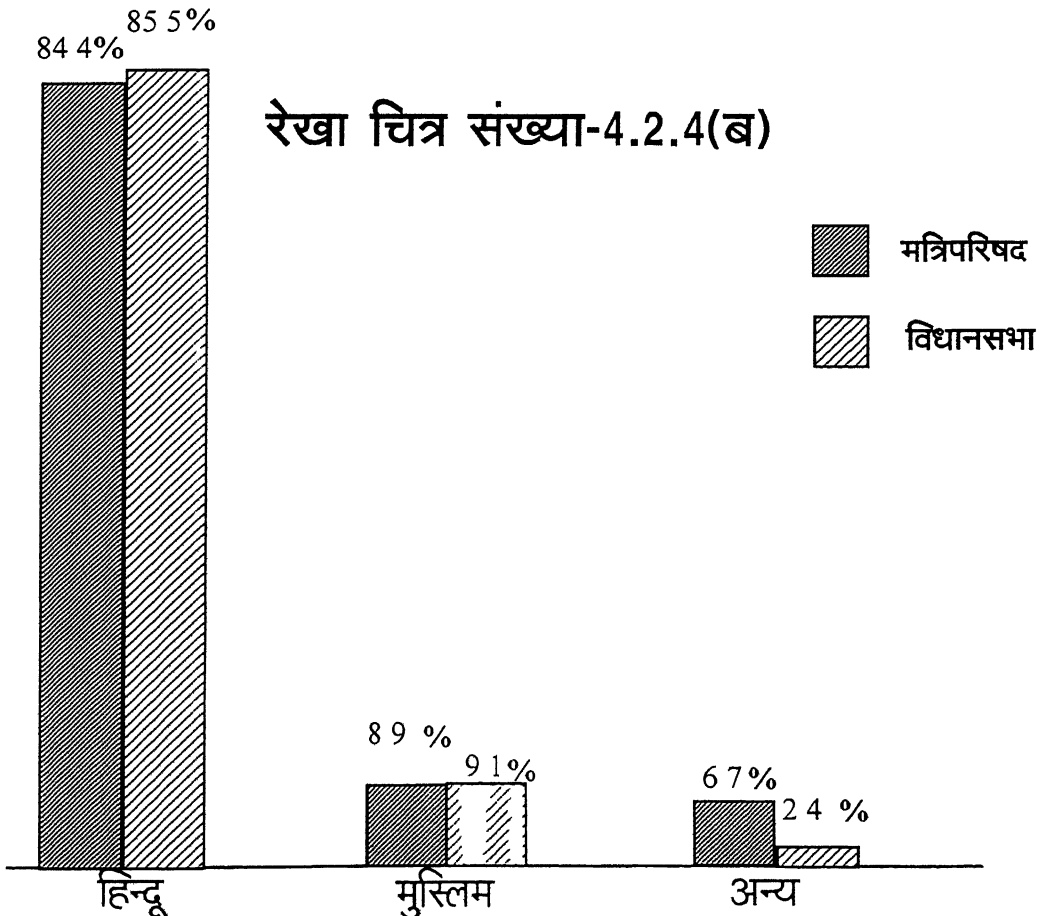
सन1997 मे मायावती के मत्रिपरिषद के साथ विधानसभा के सदस्यों की धार्मिक स्थिति

अधिक मत्रिपरिषद् मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यहॉ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सारणी मे प्रदर्शित अन्य धर्मावलम्बी सदस्यो मे कई ऐसे थे जिन्होने अपना धर्म मानव धर्म तथा भारतीय धर्म बताया। जहा तक मुस्लिमो के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो इस काल मे विधानसभा मे उन्हे प्रदेश मे अपनी जनसख्या के अनुपात मे काफी कम तथा मत्रिपरिषद् मे और भी कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।इस मत्रिपरिषद् मे विभिन्न धर्मो की स्थिति को रेखा चित्र सख्या 4 2 4 (अ) मे दर्शायी गयी है तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति रेखा चित्र सख्या 4 2 4 (ब) मे दर्शायी गयी है।

भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के सविदा के परिणाम स्वरुप छ महीने की अवधि की समाप्ति के पश्चात मुख्यमत्री मायावती द्वारा दिये गये त्यागपत्र के उपरान्त दिनाक 21-9-97 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद् मे 31 दिसम्बर 1997 तक विभिन्न धर्मो के प्रतिनिधित्व की स्थिति को सारिणी सख्या 4 2 5 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या-4.2.5

सन् 1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

क्र0 सं0	धर्म	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	377	85 5	104	92
2	मुस्लिम	39	9 1	5	4 4
3	अन्य	10	2 4	4	3 6
योग		426	100	113	100

सारिणी सख्या 4 2 5 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनाक 31-9-97 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित मत्रिपरिषद् मे 31-12-97 तक कुल 113 सदस्य सम्मिलित हुए जिसमे 104 हिन्दू धर्म से, 5 मुस्लिम धर्म से तथा 4 सदस्य अन्य

रेखा चित्र संख्या-4.2.5(अ)
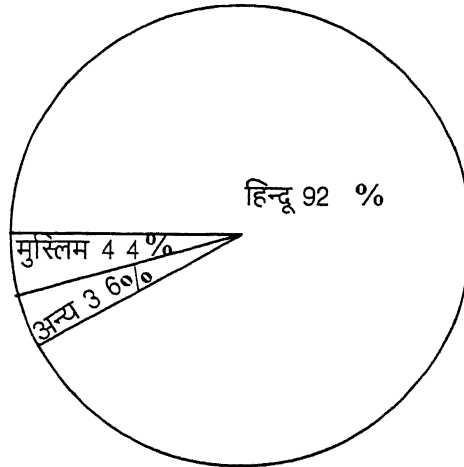
सन1997 मे कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद मे स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

92 %

85 5%

रेखा चित्र संख्या-4.2.5(ब)

मत्रिपरिषद

विधानसभा

9 1%

4 4%

पुरुष

स्त्री
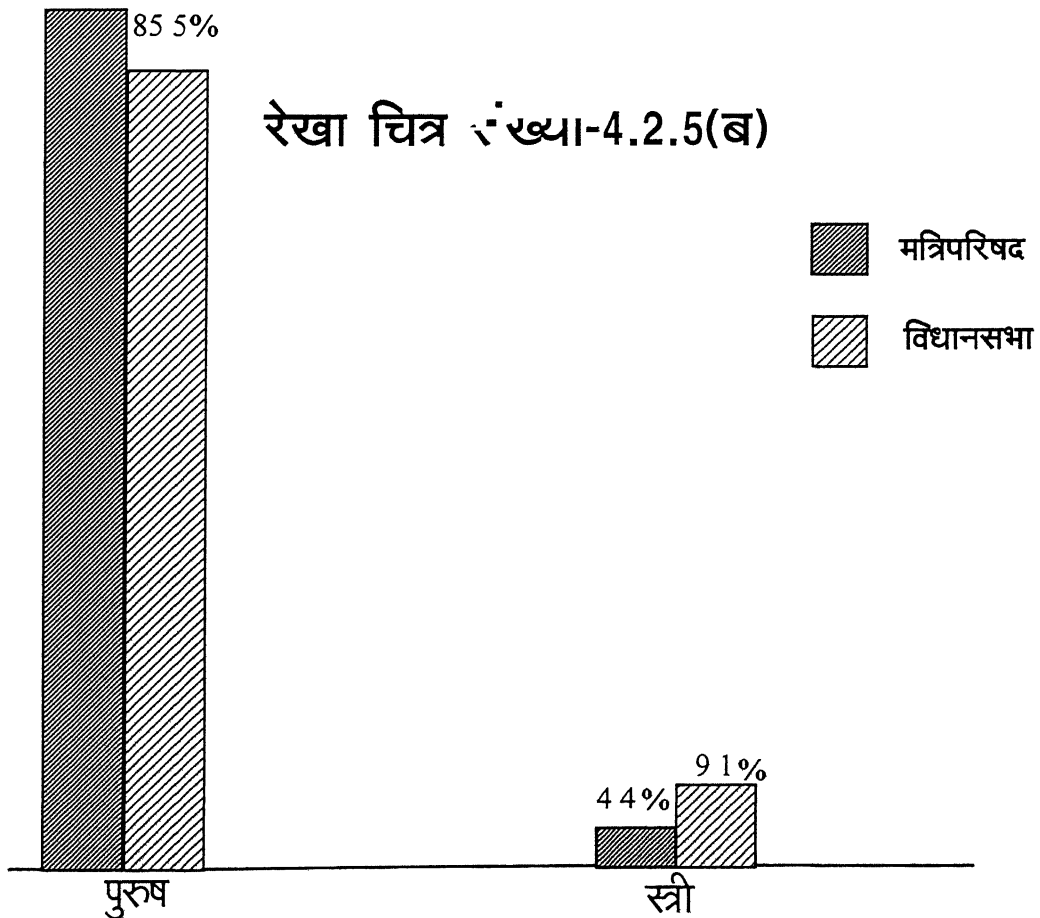
सन 1991 मे कल्याण सिह के मत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

धर्म से थे। जबकि इस काल मे विधानसभा के 426 सदस्यो मे से 377 हिन्दू धर्म से 39 मुस्लिम धर्म से तथा 10 सदस्य अन्य धर्म से थे। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि विधानसभा मे हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व 88 5 प्रतिशत रहा और मत्रिपरिषद् मे 92 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ, अर्थात विधानसभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे हिन्दू धर्म के सदस्यो को लगभग 4 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि मुस्लिम धर्म का विधानसभा मे 9 1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा और मत्रिपरिषद् मे उन्हे 4 4 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ, इस प्रकार मुस्लिमो को विधानसभा की तुलना मे लगभग आधा प्रतिनिधित्व ही प्राप्त हुआ। अन्य धर्मावलम्बी सदस्यो को विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद् मे एक प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

इस प्रकार सारिणी सख्या 4 2 5 के समस्त आकडो के प्रकाश मे यह स्पष्ट हो रहा है कि यद्यपि विधानसभा मे विभिन्न धर्मावलम्बियो के प्रतिनिधित्व मे अत्यधिक असन्तुलन विद्यमान था तथापि मत्रिपरिषद् मे यह असन्तुलन विधानसभा की तुलना मे और अधिक हो जा रहा है। इस काल मे मत्रिपरिषद मे मुस्लिम को बहुत ही अल्प प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाया जो उनके प्रदेश मे उनकी जनसख्या के अनुपात का मात्र लगभग चौथाई था।इस मत्रिपरिषद् मे विभिन्न धर्मो की स्थिति को रेखा चित्र सख्या 4 2 4 (अ) मे दर्शायी गयी है तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति रेखा चित्र सख्या 4 2 4 (ब) मे दर्शायी गयी है।

सन् 1991 से सन् 1997 तक के मध्य गठित विभिन्न मत्रिपरिषदो मे विभिन्न धर्मावलम्बी सदस्यो के प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 4 2 6 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 4 2 6 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित पाचो मत्रिपरिषदो मे प्रदेश के बहुसख्यक हिन्दू आबादी को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनमे हिन्दुओ को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथम वार गठित मत्रिपरिषद मे 94 6 प्रतिशत प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् 1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित द्वितीय मत्रिपरिषद

सारिणी संख्या 4.2.6

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद : धार्मिक स्थिति

क्रम स0	धर्म	जनसख्या (1991 की जनगणना) के अनुसार	मन्त्रिपरिषद											
			कल्याण सिह प्रथम 24-06-91 से 06-12-92 तक		मुलायम सिह यादव 04-12-93 से 03-06-95 तक		मायावती प्रथम 03-06-95 से 18-10-95 तक		मायावती द्वितीय 21-03-97 से 21-09-97 तक		कल्याण सिह द्वितीय 21-09-97 से . . . तक		समग्र 1991 से 1997 तक	
		प्रदेश मे प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	81 9	53	94 6	24	85 7	24	84 9	38	84 4	104	92	247	89 8
2	मुस्लिम	17 3	1	1 8	3	10 7	4	12 1	4	8 9	5	4 4	70	6.2
3	अन्य	8	2	3 6	1	3 6	1	3	3	6 7	4	3 6	11	4
योग		100	56	100	28	100	33	100	45	100	113	100	275	100

मे 92प्रतिशत, 1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद मे 85 7 प्रतिशत, 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद मे 84 9 प्रतिशत और 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित द्वितीय मत्रिपरिषद् मे 84 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हिन्दुओ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहा कल्याण सिह की दोनो मत्रिपरिषदो मे हिन्दुओ को 90 प्रतिशत से भी अधिक को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ , वही अन्य मत्रिपरिषदो को उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत थोडा कम 85 प्रतिशत के आस पास रहा। यदि पाचो मत्रिपरिषदो मे हिन्दुओ के सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इस काल मे (1991 से 1997 तक) हिन्दुओ को 88 9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका। इसी के साथ यदि हिन्दुओ की प्रदेश मे जनसख्या 81 1 प्रतिशत से विभिन्न मत्रिपरिषदो मे उनके प्रतिनिधित्व से तुलना करे तो यह स्पष्ट होता है कि सभी मत्रिपरिषदो मे हिन्दुओ को प्रदेश मे उनकी जनसख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

इसी प्रकार 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषदो मे मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो यह स्पष्ट है कि मुस्लिमो को प्रदेश मे उनकी जनसख्या (कुल जनसख्या का 17 3 प्रतिशत) के अनुपात मे किसी भी मत्रिपरिषद मे उन्हे प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हुआ। मुस्लिमो को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित मत्रिपरिषद मे 12 1 प्रतिशत प्राप्त हुआ जबकि सबसे निम्न प्रतिनिधित्व 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित मत्रिपरिषद मे 1 8 प्रतिशत प्राप्त हुआ। अन्य मत्रिपरिषदो मे उनका प्रतिनिधित्व क्रमश॰ 1993 मे मुलायम सिह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषदो मे 10 7 प्रतिशत, 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे द्वितीय बार गठित मत्रिपरिषद मे 8 9 प्रतिशत तथा 1997 के कल्याण सिह के नेतृत्व मे द्वितीय बार गठित मत्रिपरिषद मे 4 4 प्रतिशत प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहा कल्याण सिह के दोनो मत्रिपरिषदो मे 5 फीसदी से कम प्रतिनिधित्व मुस्लिमो को प्राप्त हुआ वही अन्य मत्रिपरिषदो मे अपेक्षाकृत थोडा अधिक (10 से 12 प्रतिशत के आस पास) प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया। यदि पाचो मंत्रिपरिषदो मे मुस्लिमो के प्रतिनिधित्व पर समग्र रुप से दृष्टि डाले तो इस काल में (1991 से 1997 के मध्य) मे

रेखा चित्र संख्या-4.2.6(अ)
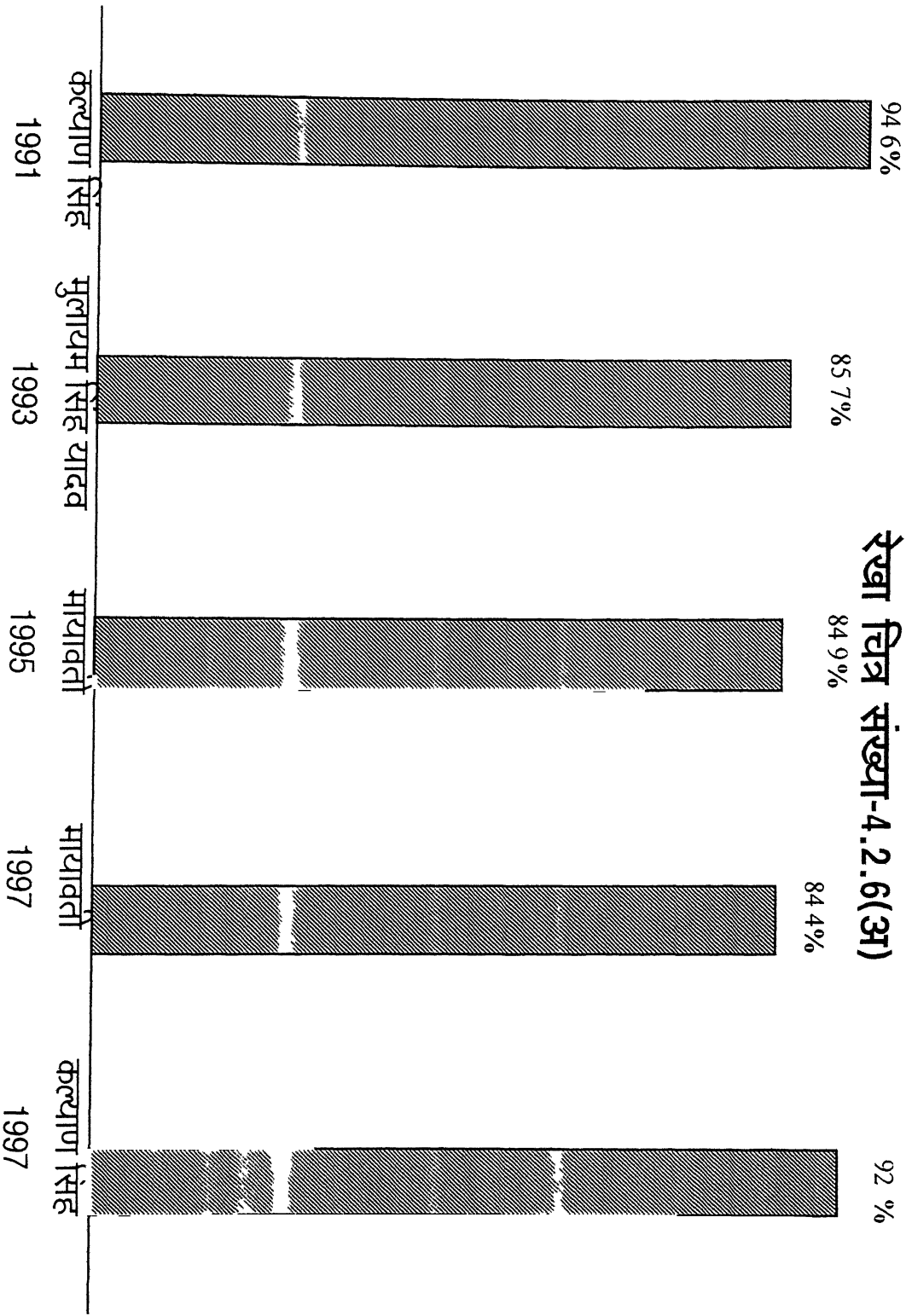
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में *हिन्दू धर्म* के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

उनको कुल 6 2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाया है।

यदि अन्य धर्मावलम्बी सदस्यो को 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो यह स्पष्ट है कि अन्य धर्मावलम्बियो को प्रदेश मे उनकी जनसख्या (कुल जनसख्या का 8 प्रतिशत) के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्रत्येक मत्रिपरिषदो मे प्राप्त हुआ। अन्य धर्मावलम्बी सदस्यो को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित मत्रिपरिषद मे 6 7 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जबकि सबसे निम्न प्रतिनिधित्व 1995 मे मायावती के ही नेतृत्व मे गठित प्रथम मत्रिपरिषद मे 3 प्रतिशत प्राप्त हुआ। जब की अन्य मत्रिपरिषदो मे उनको 3 6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यदि पाचो मत्रिपरिषदो मे अन्य धर्मावलम्बी सदस्यो पर समग्र रुप से दृष्टि डाले तो इस काल मे (1991 से 1997 के मध्य) उनको कुल 4 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाया। मत्रिपरिषद मे हिन्दुओ के प्रतिनिधित्वको रेखा चित्र सख्या 4 2 6(अ), मुस्लिमो के प्रतिनिधित्व को रेखा चित्र सख्या 4 2 6(ब), तथा इसके अतिरिक्त अन्य धर्मो के सदस्यो का प्रतिनिधित्व को रेखा चित्र सख्या 4 2 6(स) मे प्रदर्शित किया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य विधानसभा व मन्त्रिपरिषदो मे विभिन्न धर्म के सदस्यो का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। यह सारिणी सख्या 4 2 7 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 4 2 7 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित तीन विधानसभाओ मे हिन्दू सदस्यो का प्रतिनिधित्व लगातार कम हो रहा है । सन् 1991 मे गठित एकादश विधानसभा मे जहॉ हिन्दुओ का प्रतिनिधित्व 93 1 प्रतिशत रहा वही द्वादश विधानसभा मे यह कम होकर 90 9 प्रतिशत तथा त्रयोदश विधानसभा मे और भी कम होकर 88 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हिन्दुओ को प्राप्त हुआ। जबकि इस काल (1991 से 1997 तक) मे मन्त्रिपरिषद मे हिन्दुओ का प्रतिनिधित्व घटता-बढता रहा और यह भिन्न-भिन्न समयो पर 94 6 प्रतिशत से 84 4 प्रतिशत के मध्य रहा। यहॉ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि सन् 1991 मे कल्याण सिंह के नेतृत्व मे गठित प्रथम मत्रिपरिषद मे जहॉ हिन्दुओ को विधानसभा सदस्यो के अनुपात

रेखा चित्र संख्या-4.2.6(ब)
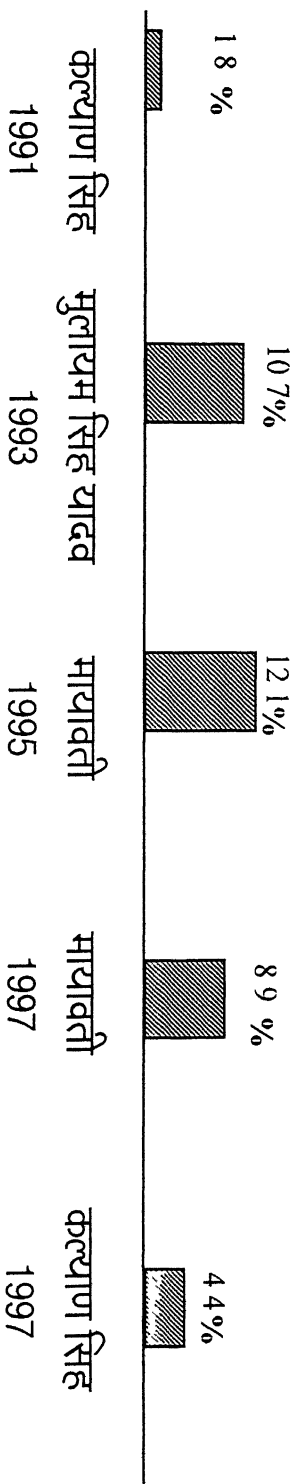
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में *मुस्लिम धर्म* के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

सारिणी सख्या-4 2.7

सन् 1991 से 1997 के मध्य विधानसभाओं एव मंत्रिपरिषदो मे - विभिन्न धर्मावली

क्रम स0	मत्रि परिषद	हिन्दू		मुस्लिम		अन्य	
		विधानसभा (% मे)	मत्रिपरिषद (% मे)	विधानसभा (% मे)	मत्रिपरिषद (% मे)	विधानसभा (% मे)	मत्रिपरिषद (% मे)
1	कल्याण सिह (प्रथम)	93 1	94 6	5 5	1 8	1 4	3 6
2	मुलायम सिह यादव	द्वादस 90 9	85 7	द्वादस 7 5	10 7	द्वादस 1 6	3 6
3	मायावती (प्रथम)		84 9		12 1		3
4	मायावती (द्वितीय)	त्रयोदस 88 5	84 4	त्रयोदस 9 1	8 9	त्रयोदस 2 4	6 7
5	कल्याण सिह (द्वितीय)		92		4 4		3 6

मे कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, वही इस काल मे गठित अन्य मन्त्रिपरिषदो मे हिन्दुओ को विधानसभा के सदस्यो के अनुपात मे कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यदि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित तीनो विधानसभाओ मे मुस्लिम सदस्यो के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इसमे लगातार बढोतरी देखी जा सकती है। सन् 1991 मे गठित एकादश विधानसभा मे जहॉ मुस्लिमो का प्रतिनिधित्व 5 5 प्रतिशत रहा ,वही द्वादश विधानसभा मे यह बढ़कर 7 5 प्रतिशत तथा त्रयोदश विधासभा मे यह और बढकर 9 1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जबकि इस काल (सन् 1991 से 1997 के मध्य) मे मन्त्रिपरिषद मे मुस्लिमो का प्रतिनिधित्व लगातार घटता-बढता रहा और यह भिन्न-भिन्न समयो पर 12 1 प्रतिशत से 1 8 प्रतिशत के मध्य प्राप्त हुआ। यहॉ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर

रेखा चित्र संख्या-4.2.6(स)
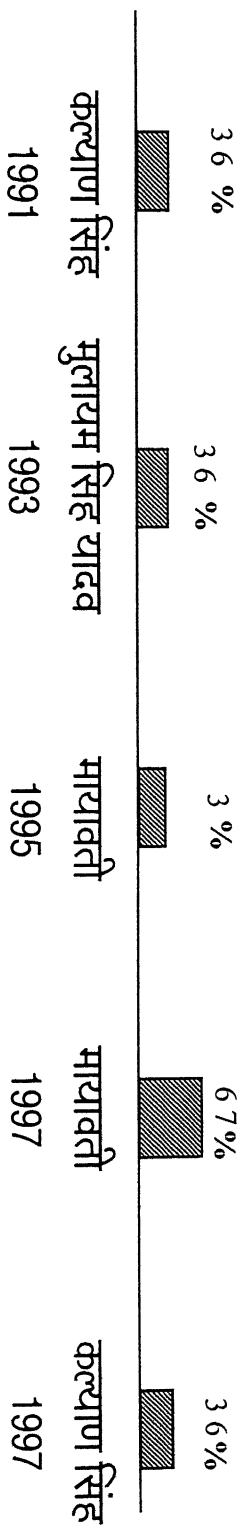
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में *अन्य धर्म* के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

होता है कि सन् 1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित प्रथम मत्रिपरिषद् व 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित प्रथम मत्रिपरिषद् मे जहा मुस्लिमो को विधानसभा सदस्यो के अनुपात मे अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वही सन् 1991 मे कल्याण सिह, सन् 1997 मे मायावती तथा सन् 1997 मे ही कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषदो मे मुस्लिमो का विधानसभा सदस्यो के अनुपात मे कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

यदि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित तीनो विधानसभाओ मे अन्य धर्मावलम्बी सदस्यो के प्रतिनिधित्वो पर दृष्टि डाले तो इसमे लगातार बढोत्तरी देखी जा सकती है। सन् 1991 मे गठित एकादश विधानसभा मे जहा अन्य धर्म के सदस्यो का प्रतिनिधित्व 1 4 प्रतिशत रहा वही द्वादश विधानसभा मे यह बढकर 1 6 प्रतिशत तथा त्रयोदश विधानसभा मे और बढकर 2 4 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जब कि इस काल (सन् 1991 से 1997 के मध्य) मे मन्त्रिपरिषद मे अन्य धर्म के सदस्यो का प्रतिनिधित्व घटता-बढता रहा है। यह भिन्न-भिन्न समय पर 3 प्रतिशत से 6 7 प्रतिशत के मध्य प्राप्त हुआ। यहॉ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित सभी मन्त्रिपरिषदो मे अन्य धर्म के सदस्यो को विधानसभा सदस्यो के अनुपात मे अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषदो के सदस्यो की धार्मिक स्थिति सम्बन्धी अध्ययन के आधार पर यह तथ्य उजागर हो रहा है कि इस काल मे गठित मत्रिपरिषदो मे प्रदेश के बहुसख्यक हिन्दू धर्म के सदस्यो का प्रभुत्व प्रत्येक मत्रिमण्डल मे विद्यमान रहा किन्तु अन्य धर्मो के प्रतिनिधित्व को भी अनदेखा नही किया गया।

यद्यपि इस काल मे गठित सभी मत्रिपरिषदो मे हिन्दुओ को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ किन्तु इनके अनुपात मे घट बढ़ देखा गया और यह 94 6 प्रतिशत से 84 4 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न मत्रिपरिषदो मे रहा। जहां कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित दोनो मत्रिपरिषदो मे हिन्दुओ को इस काल मे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और

यह लगभग 95 प्रतिशत तक था, वही मुलायम सिह यादव एव मायावती के नेतृत्व मे गठित दोनो मत्रिपरिषदो मे हिन्दुओ का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम और लगभग 85 प्रतिशत के आस पास रहा। यहा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस काल मे भारतीय जनता पार्टी ने हिन्दु राष्ट्रवाद का नारा देकर चुनाव मे भाग लिया था और 1991 के एकादश विधानसभा मे जहा उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। वही द्वादश एवम् त्रयोदश विधानसभा चुनाव मे वह सबसे बडे दल के रूप मे उभरी। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने बहुसख्यक हिन्दुओ को अपनी तरफ मोडने के प्रयास के तहत रामजन्म भूमि, हिन्दू राष्ट्रवाद और समान सिविल सहिता जैसा विवादित प्रश्न उठाया ताकि हिन्दुओ की सहानुभूति तथा समर्थन उसे प्राप्त हो सके जिसमे एक सीमा तक उसे सफलता भी प्राप्त हुई।

अत इस काल मे भारतीय जनता पार्टी ने हिन्दू सम्प्रदायिकता का दोहन करने और उसे एक वोट बैक की शक्ल प्रदान करने का जो प्रयास किया उसने प्रदेश ही नही बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित किया। कल्याण सिह के मत्रिपरिषद मे हिन्दू धर्मावलम्बियो के व्यापक प्रतिनिधित्व को उपर्युक्त तथ्यो के प्रकाश मे देखा जा सकता है।यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस काल मे विधानसभाओ मे भी हिन्दू सदस्यो का वर्चस्व रहा है।

धार्मिक दृष्टि से हिन्दुओ के बाद प्रदेश की जनसख्या मे दूसरा स्थान मुसलमानो का है। प्रादेशिक राजनीति के ही नही बल्कि भारतीय राजनीति के प्रजातात्रिक इतिहास मे मुस्लिम सम्प्रदाय का महत्व वोट बैक के रुप मे प्राय सभी राजनैतिक दलो ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप मे स्वीकार किया है। इस वोट बैक पर अपना आधिपत्य बनाये रखने के प्रयास

के कारण मुसलमानो के तुष्टीकरण की नीति को प्रोत्साहन मिला है। स्वतत्रता के पश्चात से ही मुस्लिम मतदाता काग्रेस के साथ रहा, किन्तु अस्सी के दशक के पश्चात राम जन्मभूमि सम्बन्धित काग्रेस नीतियो के कारण यह काग्रेस से विमुख हो अन्य दलो की तरफ उन्मुख हुए। प्रारम्भ मे जनता दल ,तद्पश्चात समाजवादी पार्टी एव बहुजन समाज पार्टी की तरफ उन्मुख हुए। मुसलमानो के तुष्टीकरण नीति का ही परिणाम है कि इस काल (सन् 1991 से 1997 तक) मे विधान सभा मे मुसलमानो के प्रतिनिधित्व के अनुपात की अपेक्षा बहुजन समाज पार्टी एव समाजवादी पार्टी के मत्रिपरिषद मे सदैव ही इनको अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। वही इस काल मे भारतीय जनता पार्टी के मत्रिपरिषद मे भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व की अनदेखी नही हो पाई और जहाँ 1991 के कल्याण सिह के मत्रिपरिषद मे एक मुस्लिम सदस्य सम्मिलित किया गया वही 1997 के इनके मत्रिपरिषद् मे 5 मुस्लिम सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मत्रिपरिषदो के गठन मे विभिन्न धर्मो के प्रतिनिधित्व को अनदेखा नही किया जा सकता।

सम्प्रदायिकता की दृष्टि से हिन्दू और मुस्लिम आबादी को छोड़कर प्रदेश मे अन्य धर्मो की जनसख्या कुल जनसख्या का मात्र लगभग 8 प्रतिशत रहा है तथा प्रदेश की राजनीति मे इन धर्मावलम्बियो की भूमिका अप्रभावी रही है फिर भी मत्रिपरिषद मे इनको प्रदेश मे इनकी जनसख्या तथा विधानसभा मे इनकी सख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अत यह कहा जा सकता है कि मत्रिपरिषदो के निर्माण मे धर्म की विशेष भूमिका रही है।

4 3 क्षेत्रीय पृष्ठभूमि–

'क्षेत्र' शब्द का कई अर्थ हो सकता है, किन्तु उन सब मे जो समान सूत्र सचरित होता है वह यह बुनियादी सास्कृतिक धारणा है कि यह आकार मे अपेक्षाकृत उस इलाके से छोटाहोताहै,जिसकेसन्दर्भ मे इसका उपयोग किया जाता है।[1] उदाहरण के लिए किसी देश के लिए प्रदेश, किसी प्रदेश के लिए जिले, मण्डल या किसी मण्डल के लिए जिला क्षेत्र के रूप मे समझा जा सकता है। 'क्षेत्र' का आवश्यक लक्षण यह होता है कि क्षेत्र के लोगो मे व्यापक रूप से एक दूसरे के साथ रहने की कई प्रकार के स्रोतो से आभ्यातरिक की गई भावना पाई जाती है, जिसमे समान समृद्धि, समान–सर्घष के द्वारा विकसित की गई सहयोग की इच्छा तथा अन्य से अलग होने की भावना तर्कनिहित होती है।[2] दूसरे शब्दो मे क्षेत्र की विशेषता आतरिक रूप से अधिकतम समरसता है।[3] जिसे भाषा, बोलियो, सामाजिक सघटनाओ, जातीयता, जनसख्या की सरचना, भौगोलिक सामीप्यता, सास्कृतिक प्रतिमान, आर्थिक जीवन, ऐतिहासिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि और मनोवैज्ञानिक सज्जा या सामूहिक अस्तित्व की मान्य चेतना से बल प्राप्त होता।[4]

इसप्रकारक्षेत्रवाद की सकल्पना को भूगोल, स्थालाकृति, धर्म, भाषा, सस्कृति, आर्थिक जीवन रीति रिवाजो, राजनीतिक परम्पराओ और समान ऐतिहासिक अनुभवो से जीवन प्राप्त होता है। इस दिशा मे एक नही बल्कि कई चरो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महेश्वरी का मानना है कि विभिन्नता और विषमता के कारक क्षेत्रवाद का पोषण करते है और उसे जीवन प्रदान करते है।[5] क्षेत्रवादी समस्याओ का जन्म तभी होता है जब भौगोलिक पृथक्कता, स्वतन्त्र ऐतिहासिक परम्परावाद, जातीय या वर्गगत माध्यमिक

---

1 महेश्वरी एस आर स्टेट गवरमेट इन इण्डिया, दिल्ली, मैकमिलन (2000), पृ0 219

2 महेश्वरी वही पृ0 186

3 जौहरी, जैसी भारतीय राजनीति जालन्धर, विशाल पब्लिकेशन (1995), पृ0 250

4 खान रशीउद्दी द रीजनल डाइमेन्शन नई दिल्ली के सेमिनार मे न0 164, अप्रैल 1973, पृ0 39 उद्धृत जौहरी जे सी भारतीय राजनीति वही पृ0 250

5 महेश्वरी एस आर वही0 पृ0 186

विचित्रताओ और स्थानीय या आर्थिक वर्ग हितो मे दो या दो से अधिक कारको की अन्त क्रिया होती है।[6] क्षेत्रवाद के व्यापक और सकीर्ण दोनो लक्षणार्थ है, अपने व्यापक अर्थ मे इसके अन्तर्गत केन्द्रवाद के खिलाफ आरम्भ किये गये आन्दोलनो का मामला आता है। अपने सकीर्ण अर्थ मे इसका निर्देश स्थानीय या सामाजिक महत्व के हितो के साथ लोगो के सम्बन्धो या ससक्तो से है और इस बारे मे यह स्थानीय वाद एक वर्गवाद के सादृश्य है।[7] प्रस्तुत शोध मे क्षेत्र को क्षेत्रवाद के विषय मे उपर्युक्त द्वितीय अर्थ के सन्दर्भ मे ग्रहण किया गया है।

यदि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विभाजन को देखा जायॅ, तो भौगोलिक दृष्टि से इसे मुख्यत तीन भागो मे बॉटा जा सकता है। उत्तर मे हिमालय का क्षेत्र, बीच मे गगा का मैदान और दक्षिण मे पहाडी एव पठारी भू–भाग।[8] किन्तु सामाजिक एव आर्थिक दृष्टि से इसे पॉच भागो मे बॉटा जा सकता है– उत्तराचल, पश्चिमाचल, मध्याचल, बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल। इनमे अनेक विषमता एव भिन्नता पाई जाती है।[9] यद्यपि भाषा या धर्म की दृष्टि से इन क्षेत्रो को अलग नही किया जा सकता जबकि सामान्यत सम्पूर्ण प्रदेश मे हिन्दी भाषा ही सम्वाद के रूप मे प्रचलित है। यद्यपि इसके कई रूपो का जैसे अवध ी, ब्रज, भोजपुरी आदि का प्रयोग किया जाता है किन्तु भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप मे इनमे काफी विषमता विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए उत्तराचल जो हिमालय क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण एक पर्वतीय इलाका है तथा देश की अन्य पर्वतीय इलाको की समस्या यहॉ भी विद्यमान है, जैसे आर्थिक पिछडापन, आधारभूत ढॉचा की कमी, उद्योगो का कम विकास, बेरोजगारी आदि। जबकि पश्चिम का भाग अधि ाक समृद्ध प्रतीत होता है। औद्योगीकरण, कृषि उत्पादन एव उत्पादकता, आधारभूत

---

6 महेश्वरी एस0 आर0 'स्टेट गर्वमेन्ट इन इण्डिया', वही, पृ0 219

7 जौहरी जे0 सी0 'भारतीय राजनीति' जालन्धर विशाल पब्लिकेशन्स, पृ0 251

8 उत्तर प्रदेश वार्षिकाक 1999 –पृ0 220

9 प्रस्तुत शोध के ही अध्याय दो मे क्षेत्रीय विवरण मे विस्तृत व्याख्या उपलब्ध है।

सरचना, शिक्षा, नगरीकरण, कार्यशील जनसख्या आदि मे ये प्रदेश के अन्य भागो से काफी आगे नजर आता है। इसी प्रकार यदि बुन्देलखण्ड पर दृष्टि डाले तो यह पठारी भाग अपनी भूमि से लगे मध्यप्रदेश के भागो से अपनी भौगोलिक अवस्थितिकी तथा सास्कृतिक दृष्टि से समीप्य रखता है। कमोवेश पूर्वाचल तथा मध्याचल की भी यही स्थिति है। स्वतत्रता के पश्चात् देश की विषमता दूर करने एव तीव्र आर्थिक विकास के लिए अनेक प्रयास किये गये किन्तु इसका लाभ कुछ विशेष क्षेत्रो को ही प्राप्त हो सका। उदाहरण के लिए हरित क्रान्ति का लाभ प्रदेश के पश्चिम भाग को ही मिला जबकि अन्य भाग इससे अछूते रहे। सक्षेप मे कहा जा सकता है कि विकास की यह असमानता प्रत्येक राज्य के अन्दर भी दिखाई देती है। कई सदर्भों मे यह असमानता तनाव का स्रोत भी बन गयी है।[10]

उत्तराचल' को अलग राज्य बनाने के लिए होने वाले व्यापक आन्दोलनो को इसी सन्दर्भ मे देखा जा सकता है।* इसी प्रकार पश्चिमाचल या हरित प्रदेश के रूप मे प्रदेश का पश्चिम भाग, पूर्वांचल के रूप मे पूर्वीभाग तथा बुन्देलखण्ड की भी अलग राज्य की माग उठती रही है। यद्यपि इसको व्यापक समर्थन प्राप्त नही है।

आर्थिक असन्तुलन और आर्थिक शोषण पारस्परिक मतभेदो को बढावा देने मे प्रभावकारी कारक रहा है।[11] किन्तु यह विडम्बना है कि आर्थिक विषमता मे दोनो पक्ष समृद्धशाली तथा विपन्न अपने को शोषित होता मानते हैं। जहाँ सम्पन्न पक्ष को यह लगता है कि उनकी समृद्धि का लाभ दूसरो को मिल रहा है, वही विपन्न को लगता है कि उनकी विपन्नता का कारण सम्पन्न पक्ष ही है। अत एक आधुनिक व्यवस्था मे किसी भी व्यक्ति से सकुचित हितो से ऊपर उठकर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है अर्थात् किसी मन्त्री को किसी क्षेत्र का मन्त्री नही अपितु सम्पूर्ण प्रदेश का मन्त्री होना चाहिए किन्तु वे राजनीतिक

---

10 चन्द्र विपिन, आजादी के बाद व्याप्त (1947-2000) दिल्ली विश्वविद्यालय, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, पृ0 173

11 सईद, एस0 एम0 'भारतीय राजनीतिक व्यवस्था' लखनऊ, सुवर्थ प्रकाशन (1996) पृ0 370

12 वही0 पृ0 370

* वर्तमान मे उत्तराचल को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया है।

कारणो से ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक विकास और अन्य आर्थिक योजना अपने क्षेत्र मे लाने का प्रयास करते है भले ही राष्ट्रीय हित या प्रादेशित हित की दृष्टि से ऐसा करना अनुपयुक्त ही क्यो न हो।[12]

प्रदेश की जनता मे व्याप्त क्षेत्रीयता की भावना तथा प्रदेश मे व्याप्त राजनीतिक सस्कृति के कारण शासन मे अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियो को शामिल कराने की माग दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा रही है। आज यह मॉग सामान्य रूप से सुनी जा सकती है कि 'हमारे क्षेत्र को कम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।'

इन तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए प्रस्तुत शोध के इस अध्याय मे सन् 1991 से सन् 1997 के मध्य गठित हुई विभिन्न मन्त्रिपरिषदो के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के अनुपात का अध्ययन करने का प्रयास किया गया।

इस सन्दर्भ मे सन् 1991 मे मध्यावधि चुनावो के पश्चात् कल्याण सिह के नेतृत्व मे दिनाक 24/6/91 को गठित तथा दिनाक 6/12/92 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद मे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 4 3 1 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या-4 3 1

1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

क्र0 स	क्षेत्र	जनसख्या (लाख मे) /वर्ष 1991	मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व		मत्री-जनसख्या अनुपात 1 मत्री -- लाख जनसख्या
			सख्या	प्रतिशत	
1	उत्तराचल	59 27	5	8 9	10 1
2	पश्चिमाचल	495 47	16	28 6	31
3	मध्याचल	241 87	14	25	17 3
4	बुन्देलखण्ड	67 29	3	5 4	2204
5	पूर्वांचल	527 22	18	32 12	29 3
योग		1391 12	56	100	24

सारिणी सख्या 4 3.1 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनाक 24/6/91 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित तथा 6/12/92 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद मे कुल 56 सदस्य थे। जिसमे सबसे उच्च 18 सदस्यो के रूप मे पूर्वाचल को प्रतिनिधि

रेखा चित्र संख्या-4.3.1
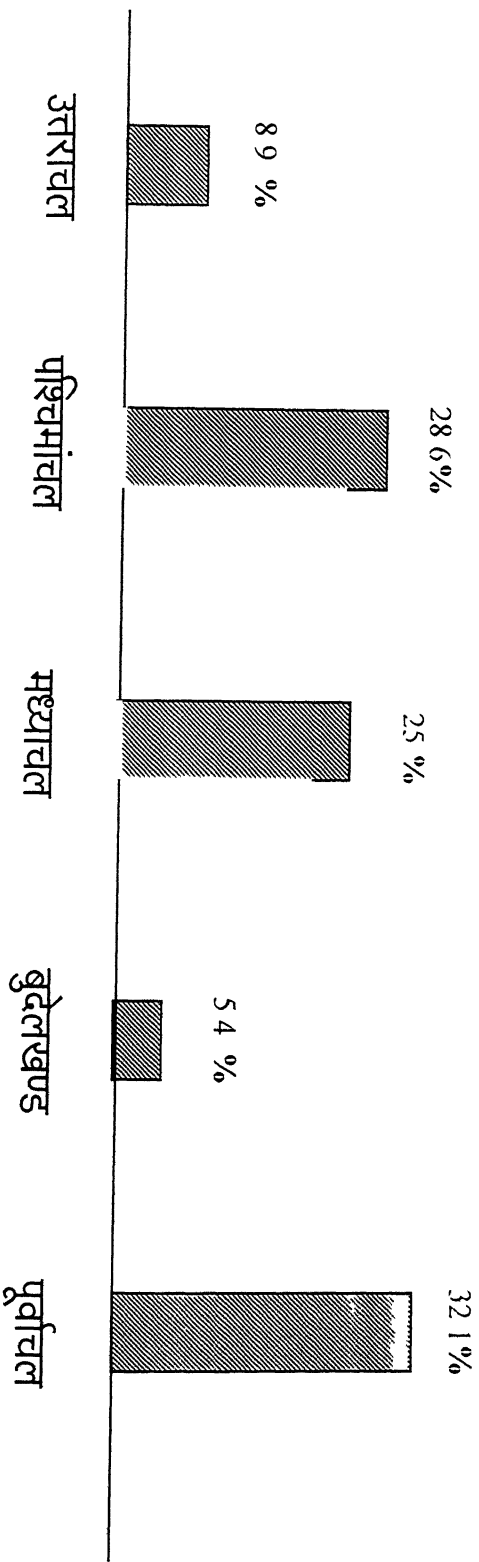
सन्1991 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के सदस्यो की क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि

ात्व प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त पश्चिमाचल के 16 सदस्य, मध्याचल के 14 सदस्य, उत्तराचल के 5 सदस्य एव बुदेलखण्ड को सबसे निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए, उसके 3 सदस्यो को मन्त्रिपरिषद मे स्थान दिया गया। इनका मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश अवरोही क्रम मे पूर्वाचल 32.1 फीसदी, पश्चिमाचल 28.6 फीसदी, मध्याचल 25 फीसदी, उत्तराचल 8 9 फीसदी तथा बुदेलखण्ड 5 3 फीसदी रहा। परन्तु यदि मन्त्री–जनसख्या अनुपात पर दृष्टि डाले तो उत्तराचल को 10 1 लाख जनसख्या पर ही एक मन्त्री प्रदान किया गया, जो सबसे ऊँचा प्रतिनिधित्व अनुपात था। इसके अतिरिक्त मध्याचल को 17 3 लाख पर, बुन्देलखण्ड को 22 4 लाख पर तथा पश्चिमाचल व पूर्वाचल को 29 3 लाख जनसख्या पर एक मत्री प्रदान किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि सदस्य सख्या की दृष्टि से पूर्वांचल तद्पश्चात् पश्चिमाचल को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया किन्तु जनसख्या के अनुपात मे देखे तो इन क्षेत्रो को सबसे निम्न अनुपात मे ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका।

यदि जनसख्या के अनुपात मे, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तुलना कल्याण सिह के सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद से करे तो स्पष्ट है कि प्रदेश की 1391 12 लाख जनसख्या पर कल्याण सिह के मन्त्रिपरिषद मे 56 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद का मत्री–जनसख्या अनुपात 24.8 लाख पर एक सदस्य है। उत्तराचल, मध्याचल व बुदेलखण्ड को उच्च तथा पश्चिमाचलव पूर्वांचल को निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथमबार गठित इस मन्त्रिपरिषद मे क्षेत्रीय भागीदारी को रेखा चित्र सख्या 4 3 1 मे दर्शाया गया है।

कल्याण सिह के प्रथम मन्त्रिपरिषद के पतन के पश्चात् हुए मध्यावधि चुनावो के उपरान्त मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित समाजवादी तथा बहुजन समाजवादी पार्टी की साझा मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न क्षेत्रो के प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 4 3 2 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या-4.3 2

1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

क्र0 स	क्षेत्र	जनसख्या (लाख मे) /वर्ष 1991	मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व		मत्री-जनसख्या अनुपात
			सख्या	प्रतिशत	1 मत्री -- लाख जनसख्या
1	उत्तराचल	59 27	0	0	0
2	पश्चिमाचल	495 47	6	21 4	82 6
3	मध्याचल	241 87	6	21 4	40 3
4	बुन्देलखण्ड	67 29	3	10 4	22 4
5	पूर्वांचल	527 22	13	46 5	40 6
योग		1391 12	28	100	49 7 समग्रका

सारिणी सख्या 4 3 2 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनाक 4/12/93 को मुलायम सिह के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक 3/6/98 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद मे कुल 28 सदस्य थे। जिसमे सबसे उच्च, 13 सदस्यो के रूप मे पूर्वाचल को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तद्पश्चात् पश्चिमाचल व मध्याचल के 6 सदस्य तथा बुन्देलखण्ड के 3 सदस्य को मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इनका मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश अवरोही क्रम मे पूर्वांचल 46 5 फीसदी, पश्चिमाचल व मध्याचल 21 4 फीसदी तथा बुन्देलखण्ड का 10 7 फीसदी रहा। परन्तु यदि मत्री जनसख्या अनुपात पर दृष्टि डाले, तो बुन्देलखण्ड को 22 4 लाख जनसख्या पर ही एक मत्री प्रदान किया गया, जो सबसे ऊँचा प्रतिनिधित्व अनुपात था।

तद्पश्चात् मध्याचल को 40 3 लाख पर, पूर्वांचल को 40 6 लाख पर तथा पश्चिमाचल को 82.6 लाख पर एक मत्री प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि प्रदेश की 139.112 लाख जनसख्या पर मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद मे कुल 28 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद का मत्री–जनसख्या अनुपात 49 7 लाख पर एक है। अर्थात् मन्त्रिपरिषद मे 49 7 लाख

रेखा चित्र संख्या-4.3.2
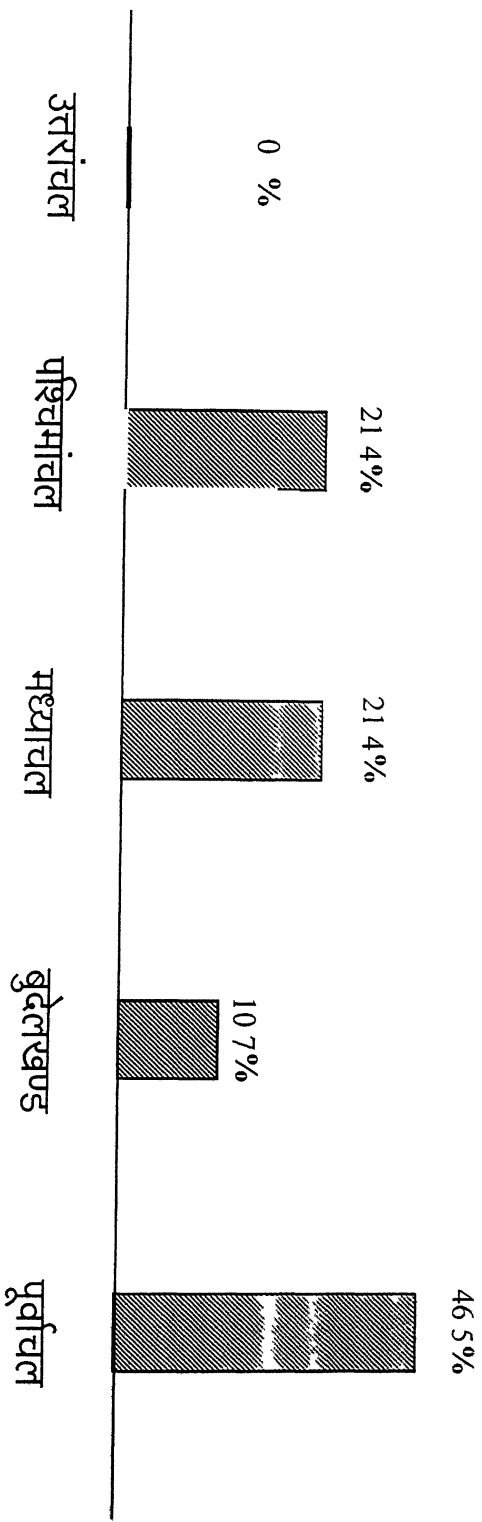
सन्1993 में मुलायम सिंह यादव के मत्रिपरिषद के सदस्यों की क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि

जनसख्या पर एक सदस्य को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यदि इसकी तुलना क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व वितरण से करे तो स्पष्ट है कि जहाँ बुन्देलखण्ड, मध्याचल तथा पूर्वाचल को समग्र मन्त्रिपरिषद के अनुपात से अधिक अनुपात मे, वही पश्चिमाचल को कम अनुपात मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद मे उत्तराचल के किसी सदस्य को प्रतिनिधित्व नही प्रदान किया गया था।

इस प्रकार समग्र ऑकडो के प्रकाश मे यह स्पष्ट है कि यद्यपि सदस्य सख्या की दृष्टि से पूर्वाचल को जहाँ सबसे उच्च प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, वही जनसख्या के अनुपात मे पश्चिमाचल को, उत्तराचल को छोडकर जिसे कोई प्रतिनिधित्व नही प्रदान किया गया, सबसे निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मुलायम सिह के नेतृत्व मे गठित इस मत्रिपरिषद के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सख्या 4 3 2 मे दर्शाया गया है।

मुलायम सिह यादव मन्त्रिपरिषद मे पतन के पश्चात् दिनाक 3 6 95 को मायावती के नेतृत्व मे गठित तथा 18.10 95 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न क्षेत्रो के प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 4 3 3 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या-4 3.3

1995 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

क्र0 स	क्षेत्र	जनसख्या (लाख मे) /वर्ष 1991	मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व		मत्री-जनसख्या अनुपात
			सख्या	प्रतिशत	1 मत्री -- लाख जनसख्या
1	उत्तराचल	59 27	0	0	0
2	पश्चिमाचल	495 47	8	24 2	61 9
3	मध्याचल	241 87	3	9 1	80 6
4	बुन्देलखण्ड	67 29	5	15 2	13 5
5	पूर्वाचल	527 22	17	51 5	31 0
योग		1391 12	33	100	42 2 (सम्पूर्ण का अनुपात)

रेखा चित्र संख्या-4.3.3
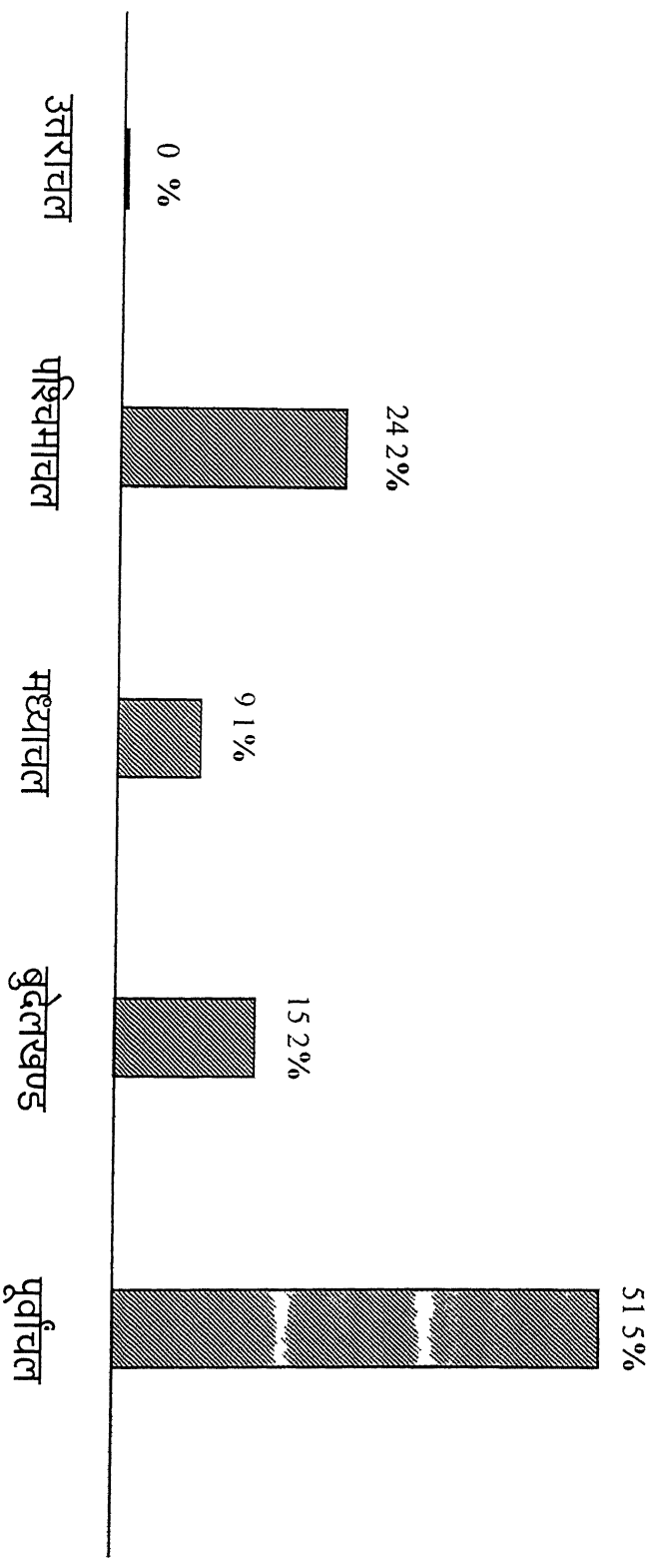
सन्1995 में मायावती के मत्रिपरिषद के सदस्यों की क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि

सारिणी सख्या 4 3 3 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनाक 3/6/95 को नेतृत्व मे गठित तथा 8/10/95 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद मे कुल 33 सदस्य थे जिससे सबसे उच्च 17 सदस्यो के रूप मे पूर्वांचल को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके अतरिक्त पश्मिाचल के 8 सदस्य, बुन्देलखण्ड के 5 सदस्य तथा मध्याचल के 3 सदस्य को मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इनका मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश अवरोही क्रम मे पूर्वांचल 51 5 फीसदी, पश्चिमाचल 24 2 फीसदी बुन्देलखण्ड 15.2 फीसदी तथा मध्याचल का मात्र 9 1 फीसदी रहा। परन्तु यदि जनसख्या के अनुपात मे मत्रियो की सख्या पर दृष्टि डाले तो बुन्देलखण्ड को 13 5 लाख जनसख्या पर ही एक मत्री प्रदान किया गया, जो सबसे ऊँचा प्रतिनिधित्व अनुपात था। इसके अतिरिक्त पूर्वाचल को 31 लाख पर पश्चिमाचल को 61 9 लाख पर एक तथा मध्याचल के 80 6 लाख जनसख्या पर एक मत्री प्रदान किया गया।

यहाँ एक तथ्य उल्लेखनीय है कि मायावती के उपर्युक्त वर्णित मन्त्रिपरिषद मे उत्तराचल मे किसी सदस्य को प्रतिनिधित्व प्रदान नही किया गया था। मायावती के नेतृत्व मे प्रथमबार गठित इस मन्त्रिपरिषद मे क्षेत्रीय भागेदारी को रेखा चित्र सख्या 4. 3 3 मे दर्शाया गया है।

त्रयोदश विधान सभा चुनाव के परिणाम स्वरूप मायावती के नेतृत्व मे दिनाक 21/3/97 को गठित तथा बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी की साझा मत्रिपरिषद मे विभिन्न क्षेत्रो के प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 4 3 4 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 4 3 4 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट है कि मायावती (21.3 97 से 21 9 97) के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित 45 सदस्य थे जिसमे सबसे उच्च 17 सदस्यो के रूप मे पश्चिमाचल को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल को 14, बुन्देलखण्ड को 5, मध्याचल को 3 तथा उत्तराचल को

सारिणी सख्या-4 3.4

1997 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

क्र0 स	क्षेत्र	जनसख्या (लाख मे) /वर्ष 1991	मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व		मत्री-जनसख्या अनुपात
			सख्या	प्रतिशत	1 मत्री -- लाख जनसख्या
1	उत्तराचल	59 27	2	4 4	25 2
2	पश्चिमाचल	495 47	17	37 8	29 2
3	मध्याचल	241 87	3	9 1	80 6
4	बुन्देलखण्ड	67 29	5	11 1	13 5
5	पूर्वाचल	527 22	14	31 1	37 7
योग		1391 12	45	100	30 9 (सम्पूर्ण अनुपात)

सबसे निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए, उसके 2 सदस्यो को मन्त्रिपरिषद मे स्थान दिया गया। इनका मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश अवरोही क्रम मे पश्चिमाचल 37 8 फीसदी, पूर्वांचल 31 1 फीसदी, बुन्देलखण्ड 11.1 फीसदी, मध्याचल 9.1 फीसदी तथा उत्तराचल 4 4 फीसदी रहा। परन्तु यदि मत्रिजनसख्या अनुपात पर दृष्टि डाले तो बुन्देलखण्ड को 13 5 लाख जनसख्या पर ही एक मन्त्री प्रदान किया गया, जो सबसे उच्च प्रतिनिधित्व अनुपात था। इसके अतिरिक्त उत्तराचल को 25.2 लाख पर पश्चिमाचल 29 2 लाख पर तथा मध्याचल को 80.6 लाख पर एक मन्त्री प्रदान किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि सदस्य सख्या की दृष्टि से पश्चिमाचल तदपश्चात् पूर्वाचल को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है किन्तु जनसख्या के अनुपात मे देखे तो बुन्देलखण्ड को सबसे उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका।

यदि जनसख्या के अनुपात मे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तुलना मायावती के सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद से करे तो स्पष्ट है कि प्रदेश की 1391.12 लाख जनसख्या पर मायावती के मन्त्रिपरिषद मे 45 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया इस प्रकार सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद का मत्री जनसख्या अनुपात 30 9 लाख पर एक सदस्य है। जिसके सापेक्ष

रेखा चित्र संख्या-4.3.4
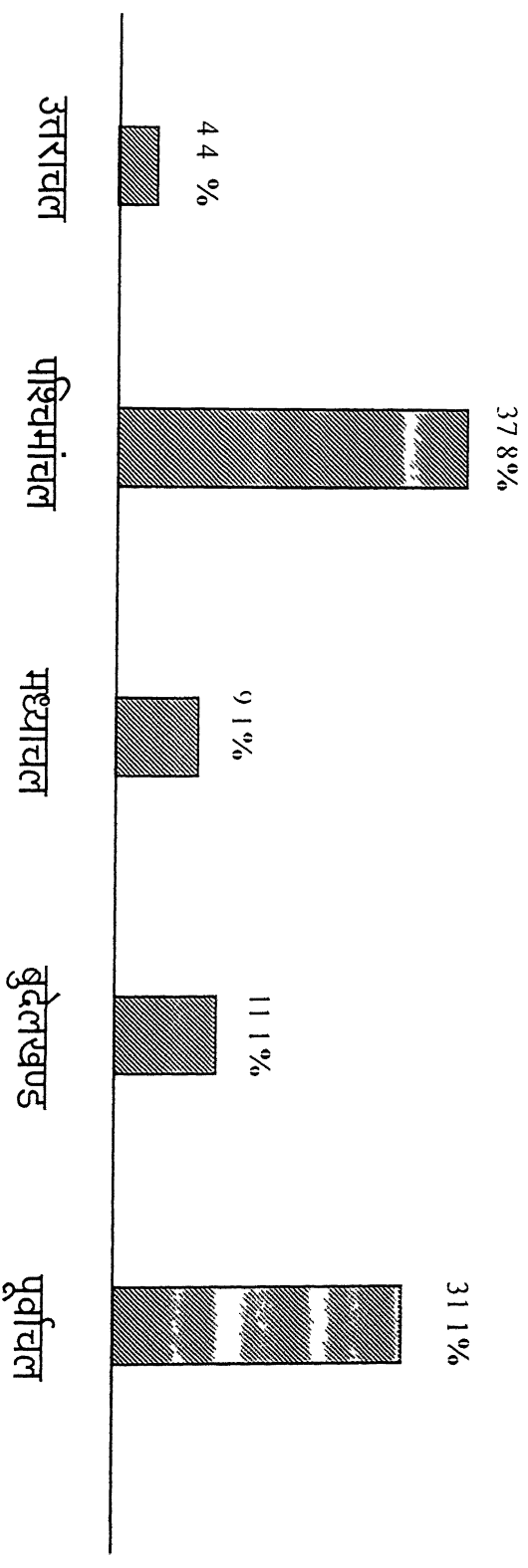
सन्1997 में मायावती के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि

बुन्देलखण्ड, उत्तराचल को उच्च तथा मध्याचल, पूर्वाचल एव पश्चिमाचल को निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मायावती के नेतृत्व मे शामिल द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की स्थिति को रेखाचित्र सख्या 4 3 4 मे दर्शाया गया है।

कल्याण सिह के नेतृत्व मे दिनाक 21 9 97 को गठित मत्रिपरिषद मे जो शोध ाकाल खण्ड के अन्त अर्थात् 31 दिसम्बर 1997 तक विभिन्न क्षेत्रो के प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 4 3.5 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या-4 3 5

1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

क्र0 स	क्षेत्र	जनसख्या (लाख मे) /वर्ष 1991	मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व		मत्री-जनसख्या अनुपात
			सख्या	प्रतिशत	1 मत्री -- लाख जनसख्या
1	उत्तराचल	59 27	4	3 5	12 6
2	पश्चिमाचल	495 47	38	33 6	13 1
3	मध्याचल	241 87	14	12 4	17 2
4	बुन्देलखण्ड	67 29	10	8 9	6 7
5	पूर्वाचल	527 22	47	41 6	11 2
योग		1391 12	113	100	12 3 (सम्पूर्ण का अनुपात)

सारिणी सख्या 4 3.5 के अन्तर्विष्ट ऑकडो के अवलोकन से स्पष्ट है कि कल्याण सिह के नेतृत्व मे द्वितीयबार गठित मन्त्रिपरिषद मे कुल 113 सदस्य थे जिसमे सबसे उच्च 47 सदस्यो के रूप मे पूर्वांचल को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त पश्चिमाचल के 38 सदस्य, मध्याचल के 14 सदस्य, बुन्देलखण्ड के 10 सदस्य एव उत्तराचल को सबसे निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए, उसके 4 सदस्यो को मन्त्रिपरिषद मे स्थान दिया गया। इनका मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश अवरोही क्रम मे पूर्वांचल 41 6 फीसदी, पश्चिमाचल 33 6 फीसदी, मध्याचल 12 4 फीसदी, बुन्देलखण्ड 8 9 फीसदी तथा उत्तराचल 3 5 फीसदी रहा। परन्तु यदि मत्री

रेखा चित्र संख्या-4.3.5
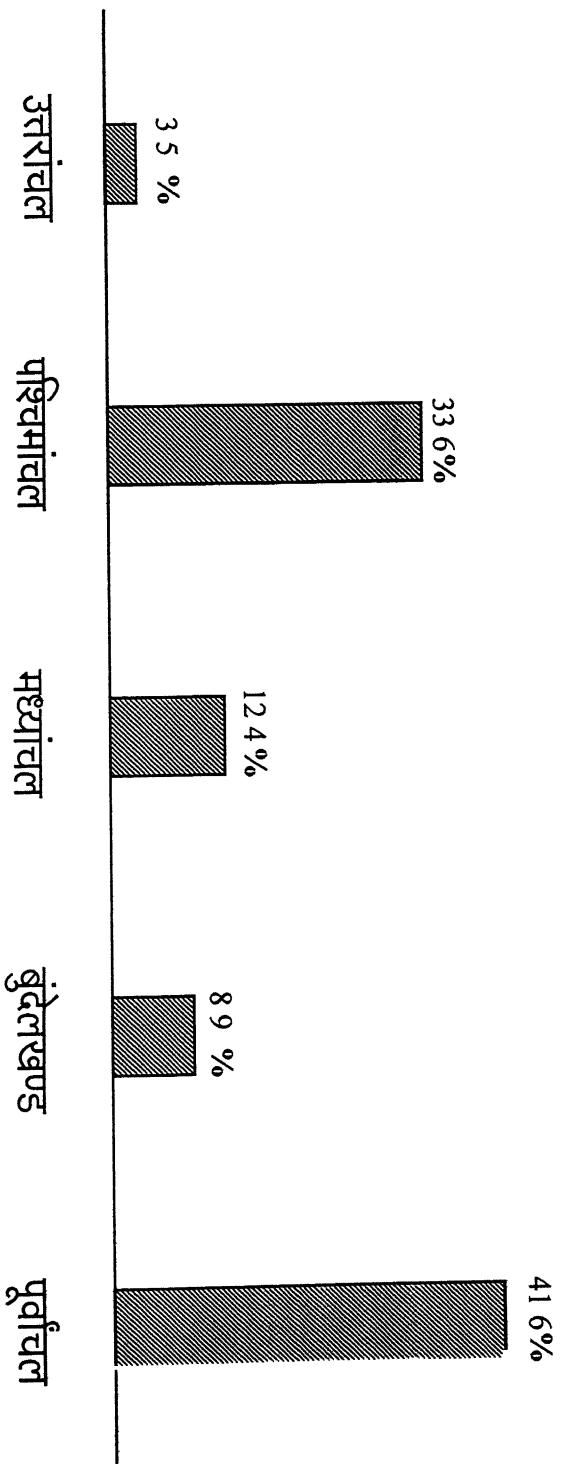
सन्1997 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की क्षेत्रीय पृष्ठ भूमि

जनसख्या अनुपात पर दृष्टि डाले तो बुन्देलखण्ड को 6 7 लाख जनसख्या पर ही एक मत्री प्रदान किया गया, जो सबसे ऊँचा प्रतिनिधित्व अनुपात था। इसके अतिरिक्त पूर्वाचल को 11.2 लाख पर, उत्तराचल को 12 6 लाख पर, पश्चिमाचल को 13 1 लाख पर तथा मध्याचल को 17 2 लाख पर एक मत्री प्रदान किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि सदस्य सख्या की दृष्टि से पूर्वाचल तद्पश्चात् पश्चिमाचल को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है किन्तु जनसख्या के अनुपात मे देखे तो बुन्देलखण्ड को सबसे उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका।

यदि जनसख्या के अनुपात मे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तुलना कल्याण सिह के सम्पूर्ण मत्रिपरिषद से करे तो स्पष्ट है कि प्रदेश की 1391 12 लाख जनसख्या पर कल्याण सिह के मत्रिपरिषद मे 113 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, इस प्रकार सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद का मत्री जनसख्या अनुपात 12 3 लाख पर एक सदस्य है। जिसके सापेक्ष बुन्देलखण्ड, पूर्वाचल को उच्च तथा उत्तराचल, पश्चिमाचल एव मध्याचल को निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित इस द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सख्या 4 3 5 मे दर्शाया गया है।

सन् 1991 से 1997 ई० के मध्य गठित विभिन्न मत्रिपरिषदो के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व समग्र रूप से सारिणी सख्या 4 3 6 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 4.3 6 के अन्तर्विष्ट ऑकडो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उत्तराचल के सदस्यो को कल्याण सिह के प्रथम मत्रिपरिषद (24 6 91 से 6 12.92 तक) मे सर्वाधिक 8.9 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तत्पश्चात् मायावती के द्वितीय मत्रिपरिषद (21.3 97 से 19 9 97 तक) मन्त्रिपरिषद मे 4 4 फीसदी तथा कल्याण सिह के द्वितीय मत्रिपरिषद मे 3 5 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। यहॉ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मुलायम सिह यादव तथा मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद मे उत्तराचल के किसी सदस्य को स्थान नही प्रदान किया गया।

1991 से 1997 ई० के मध्य गठित मत्रिपरिषदो मे उत्तराचल का प्रतिनिधित्व

सारिणी सख्या 4.3.6

1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदो का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

क्रम सख्या	क्षेत्र	जनसख्या		मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व											
				कल्याण सिह प्रथम (24 6 91 से 6 12 92 तक)		मुलायम सिह यादव (4 12 93 से 3 6 95)		मायावती (प्रथम) (3 6 95 से 18 10 95)		मायावती (द्वितीय) (21 3 97 से 21 9 97)		कल्याण सिह (द्वितीय) 21 9 97 से ’		समग्र	
		सदस्य लाख मे	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत
1	उत्तराचल	59 27	4 3	5	8 9	0	0	0	0	2	4 4	4	3 5	11	4
2	पश्चिमाचल	495 47	35 6	16	28 6	6	21 4	8	24 2	17	37 8	38	33 6	85	30 9
3	मध्याचल	241 87	17 4	4	25	6	21 4	3	9 1	3	6 7	14	12 4	44	16
4	बुदेलखण्ड	67 29	4 8	3	5 4	3	10 7	5	15 2	5	11 1	10	8 9	26	9 5
5	पूर्वांचल	527 22	37 9	18	32 1	13	46 5	17	51 5	14	31 1	47	41 6	100	39 6
		1391 12	100	56	100	28	100	33	100	45	100	113	100	275	100

’ कल्याण सिह की द्वितीय मत्रिपरिषद (21 9 97 से 12 9 99 तक) मे मत्रियो का प्रतिनिधित्व 31 दिसम्बर 1997 तक दर्शाया गया है।

प्रतिशत 4 रहा है, जिसके सापेक्ष कल्याण सिह के (प्रथम) तथा मायावती के (द्वितीय) मन्त्रिपरिषद मे उच्च तथा कल्याण सिह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे निम्न प्रतिनिधित्व उत्तराचल को प्राप्त हुआ है।

पुन यदि जनसख्या को आधार बनाकर मन्त्रिपरिषदो मे उत्तराचल के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट है कि उत्तराचल की कुल 59.27 लाख जनसख्या प्रदेश की कुल जनसख्या का 4 3 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसका ही हू–ब–हू प्रतिनिधित्व मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे दृष्टिगोचर होता है, जिसमे 4 4 प्रतिशत प्रतिनिधित्व उत्तराचल को प्रदान किया गया है। जबकि कल्याण सिह के प्रथम मन्त्रिपरिषद मे 8 9 प्रतिशत के रूप मे उच्च तथा कल्याण सिह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 3 5 प्रतिशत के रूप मे निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

यदि पश्चिमाचल का मन्त्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व का अवलोकन करे तो यह दृष्टिगोचर होता है पश्चिमाचल के सदस्यो को मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे सर्वाधिक 37 8 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तद्पश्चात् कल्याण सिह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 33 6 फीसदी कल्याण सिह के प्रथम मन्त्रिपरिषद 28 6 फीसदी, मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद मे 24 2 फीसदी एव मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद मे 21 4 फीसदी प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को प्रदान किया गया।

1991 से 1997 ई० के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदो मे समग्र दृष्टि से पश्चिमाचल का प्रतिनिधित्व प्रतिशत 30 9 फीसदी रहा जिसके सापेक्ष जहाँ मायावती व कल्याण सिह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद को उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, जो क्रमश 37 8 फीसदी व 33 6 फीसदी था। वही कल्याण सिह व मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद के साथ मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद को निम्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, जो क्रमश· 28 6 फीसदी, 24 2 फीसदी तथा 21.4 फीसदी रहा।

पुन यदि जनसख्या को आधार बनाकर मन्त्रिपरिषदो मे पश्चिमाचल के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट है कि नध्याचल की कुल 495 47 लाख जनसख्या, प्रदेश

रेखा चित्र संख्या-4.3.6(क)
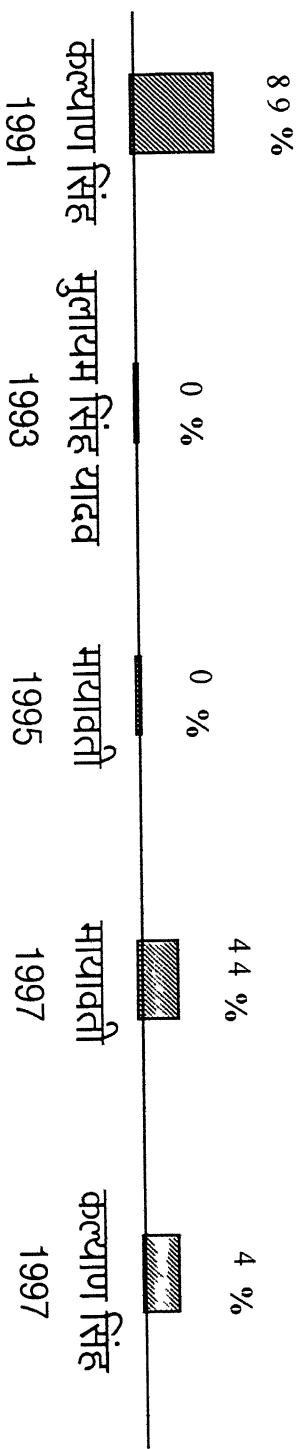
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में उत्तरांचल का प्रतिनिधित्व

की कुल जनसख्या के 35 6 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसका ही लगभग हू–ब–हू अनुसरण मायावती व कल्याण सिह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे दृष्टिगोचर होता है, जिसमे क्रमश 37 8 फीसदी व 33 6 फीसदी प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को प्रदान किया गया। जबकि कल्याण सिह व मायावती के प्रथम मन्त्रिमण्डल के साथ मुलायम सिह यादव के मन्त्रिमण्डल मे इस क्षेत्र को निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था जो क्रमश 28 6 फीसदी, 24 2 फीसदी तथा 21 4 फीसदी था।

यदि मध्याचल का मन्त्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व का अवलोकन करे, तो यह स्पष्ट है कि पश्चिमाचल के सदस्यो को कल्याण सिह के प्रथम मन्त्रिपरिषद मे सर्वाधिक 25 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तद्पश्चात् मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद मे 21 4 फीसदी, कल्याण सिह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 12 4 फीसदी तथा मायावती के दोनो मत्रिपरिषदो मे 9 1 फीसदी प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को प्रदान किया गया।

1991 से 1997 ई० के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदो मे समग्रदृष्टि से मध्याचल का प्रतिनिधित्व प्रतिशत 16 फीसदी रहा जिसके सापेक्ष जहॉ कल्याण सिह के प्रथम व मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद मे इस क्षेत्र को उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, जो क्रमश 25 फीसदी व 21 4 फीसदी रहा, वही कल्याण सिह के द्वितीय व मायावती के दोनो मन्त्रिपरिषदो मे इस क्षेत्र को निम्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जो क्रमश 12.4 फीसदी 9 1 फीसदी तथा पुन 91 फीसदी रहा।

पुन यदि जनसख्या को आधार बनाकर मत्रिपरिषदो मे मध्याचल के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट है कि मध्याचल की कुल 241 87 लाख जनसख्या, प्रदेश की कुल जनसख्या के 17 4 फीसदी भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सापेक्ष जहॉ कल्याण सिह के प्रथम व मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद को उच्च प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, वही मायावती के प्रथम व द्वितीय दोनो मन्त्रिपरिषदो मे निम्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जो क्रमश 12 4 फीसदी, 9 1 फीसदी व पुन 9.1 फीसदी रहा।

इसी प्रकार यदि बुन्देलखण्ड का मन्त्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व का अवलोकन करे

रेखा चित्र संख्या-4.3.6(ख)
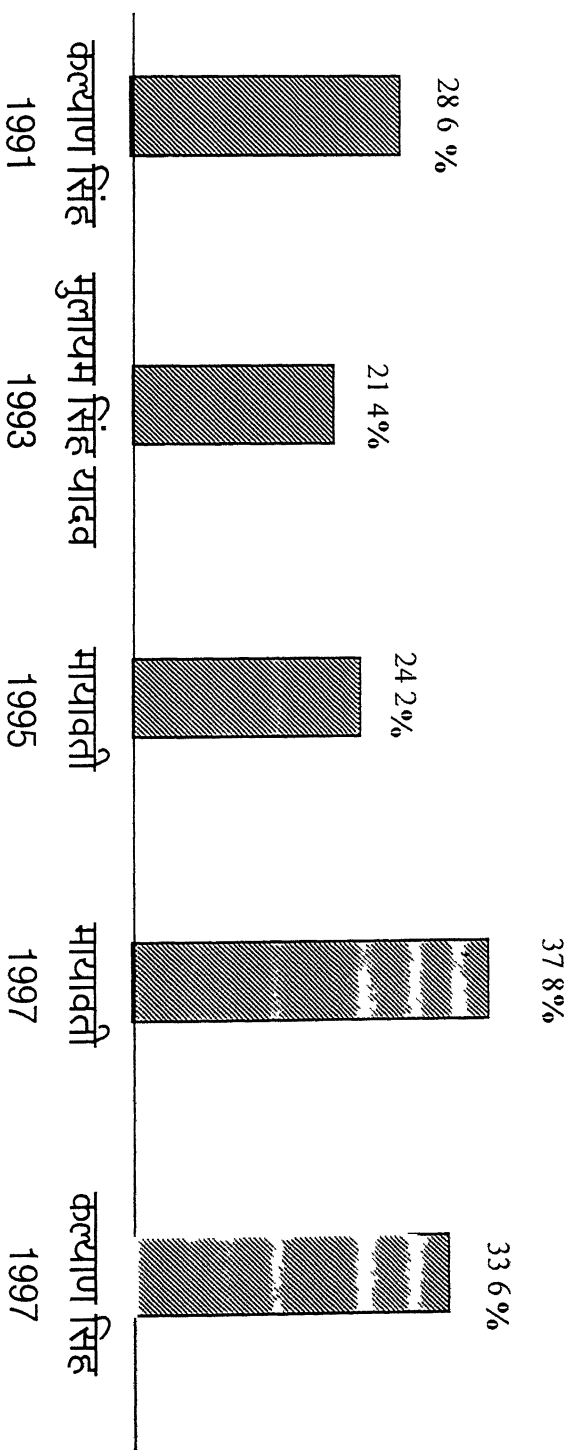
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में पश्चिमांचल का प्रतिनिधित्व

तो यह स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड को मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद मे सर्वाधिक 15 2 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तद्पश्चात् मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 11 1 फीसदी मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद मे 10 7 फीसदी कल्याण सिह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 8 9 फीसदी तथा कल्याण सिह के प्रथम मन्त्रिपरिषद को सबसे निम्न 5.4 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

1991 से 1997 ई० के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदो मे समग्र दृष्टि से बुन्देलखण्ड का प्रतिनिधित्व प्रतिशत 9 5 फीसदी रहा है, जिसके सापेक्ष जहॉ मायावती के प्रथम व द्वितीय मन्त्रिपरिषद के साथ मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद को उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जो क्रमश 15 2 फीसदी, 11.1 फीसदी व 10 7 फीसदी रहा, वही कल्याण सिह के द्वितीय व प्रथम मन्त्रिपरिषद को निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया जो क्रमश 8 9 फीसदी व 5.4 फीसदी रहा।

पुन यदि जनसख्या के आधार पर मन्त्रिपरिषदो मे बुन्देलखण्ड के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड की कुल 67 29 लाख जनसख्या, प्रदेश की कुल जनसख्या के 4 8 फीसदी हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सापेक्ष प्रत्येक मन्त्रिपरिषद मे इस क्षेत्र को उच्च प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया जो क्रमश मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद मे 15 2 फीसदी, मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 11 1 फीसदी, मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद 10 7 फीसदी, कल्याण सिह के द्वितीय मत्रिपरिषद मे 8.9 फीसदी तथा कल्याण सिह के प्रथम मन्त्रिपरिषद मे 5.4 फीसदी रहा।

यदि पूर्वांचल का मन्त्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि पूर्वाचल को मायावती के प्रथम नन्त्रिपरिषद मे सर्वाधिक 51.5 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, तद्पश्चात् मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद मे 46.5 फीसदी, कल्याण सिह के द्वितीय मत्रिपरिषद मे 41.6 फीसदी, मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 31.1 फीसदी तथा कल्याण सिह के प्रथम मत्रिपरिषद मे 32 1 फीसदी प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को प्रदान किया गया।

रेखा चित्र संख्या-4.3.6(ग)
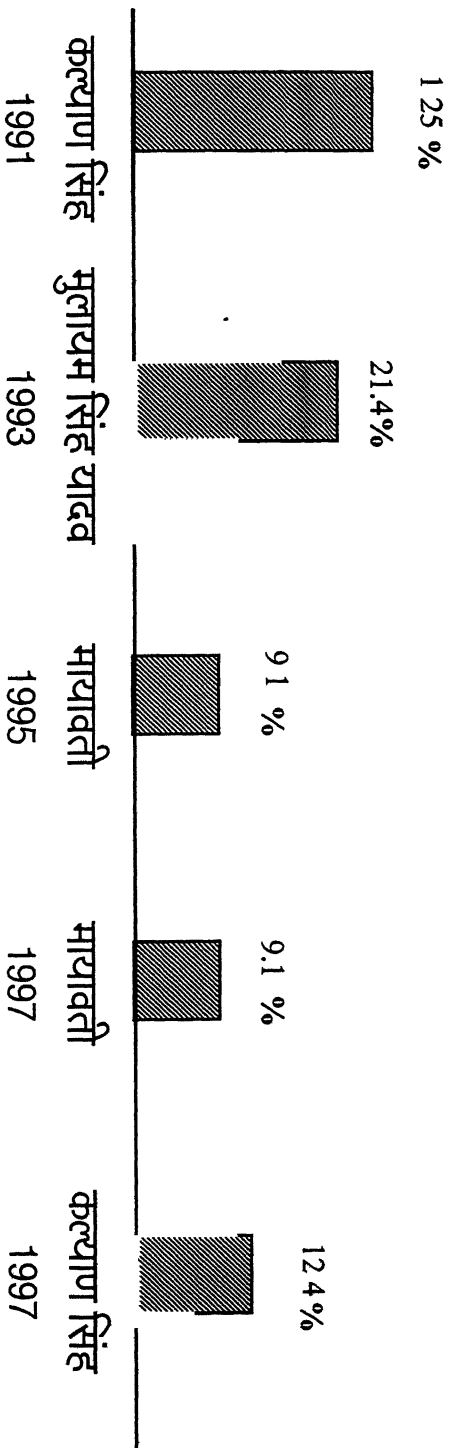
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में मध्यांचल का प्रतिनिधित्व

1991 से 1997 ई० के मध्य गठित मत्रिपरिषदो मे समग्र दृष्टि से पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व 39.6 फीसदी रहा, जिसके सापेक्ष जहाँ मायावती के प्रथम, मुलायम सिह यादव व कल्याण सिह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे इस क्षेत्र को उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, जो क्रमश 51.5 फीसदी, 46 5 फीसदी व 41 6 फीसदी रहा। वही मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद व कल्याण सिह के प्रथम मत्रिपरिषद मे निम्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जो क्रमश 31.1 फीसदी व 32 1 फीसदी रहा।

पुन यदि जनसख्या को आधार बनाकर मन्त्रिपरिषदो मे पूर्वांचल के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट है कि पूर्वाचल की कुल 527 22 लाख जनसख्या, प्रदेश की कुल जनसख्या के 37.9 फीसदी भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सापेक्ष जहाँ मायावती के प्रथम, कल्याण सिह के द्वितीय व मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद मे उच्च प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जो क्रमश 51 5 फीसदी, 46 5 फीसदी व 41 6 फीसदी रहा, वही मायावती के द्वितीय व कल्याण सिह के प्रथम मन्त्रिपरिषद को निम्न प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जो क्रमश 31 1 फीसदी व 32 1 फीसदी रहा। सन् 1991 से सन् 1997 के मध्य गठित मत्रि परिषदो मे उतराचल के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र स० 4 3.6 (क), मे, पश्मिाचल के प्रतिनिधित्व रेखाचित्र सख्या 4 3 6 ख मध्याचल के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र स० 4.3.6 (ग) मे, बुन्देलखण्ड के प्रतिनिधित्व को 4.3.6 (घ) तथा पूर्वांचल के प्रतिनिधित्व मे 4.3 6 (ड) मे प्रर्दशित किया गया।

शोधकालखण्ड सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषदो मे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के अध्ययन से जो तथ्य प्रकाश मे आ रहा है उसमे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मन्त्रिपरिषदो मे विभिन्न क्षेत्रो को किसी निश्चित अनुपात मे प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास नही किया गया है। लेकिन इसके साथ यह तथ्य भी ध्यान योग्य है कि यदि उत्तराचल को अलग कर दिया जाय तो सभी क्षेत्रों को मन्त्रिपरिषद मे स्थान देने का प्रयास किया गया है।

सन् 1993 व 1995 मे क्रमश मुलायम सिह यादव व मायावती के नेतृत्व मे गठित

रेखा चित्र संख्या-4.3.6(घ)
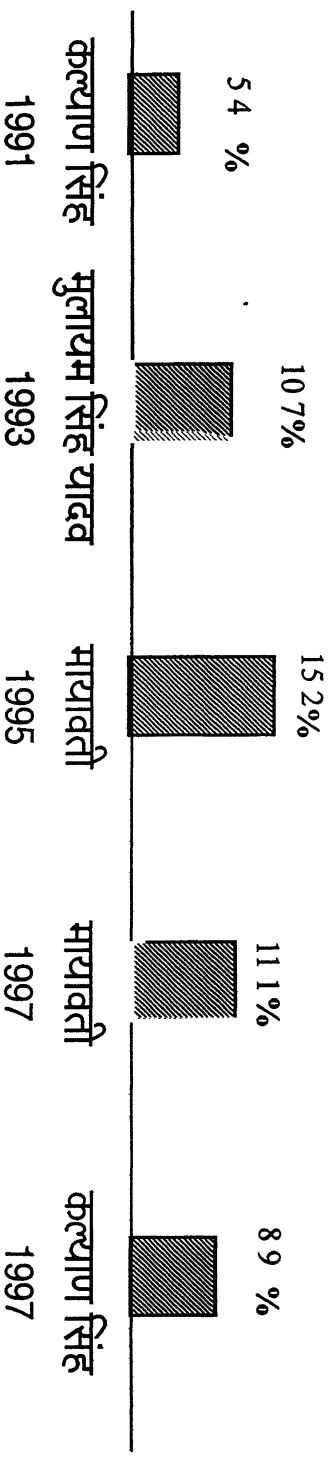
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में बुन्देखण्ड का प्रतिनिधित्व

मन्त्रिपरिषदे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सन्तुलित नही थी। इन दोनो मन्त्रिपरिषदो मे उत्तराचल को कोई प्रतिनिधित्व नही प्रदान किया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि उत्तराचल मे समाजवादी तथा बहुजन समाज पार्टी ने विधान सभा चुनावो मे बहुत दयनीय प्रदर्शन किया था और मात्र एक स्थान ही यहॉ प्राप्त कर सके थे।

इसके अतिरिक्त अन्य सभी मन्त्रिपरिषदो मे उत्तरांचल को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि इन सभी मन्त्रिपरिषदो मे भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित रही है जिसका उत्तराचल मे प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है।

इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के सरकार मे होने और उत्तराचल के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध को इस तथ्य से बल प्राप्त होता है कि जब सन् 1991 मे मध्यावधि चुनावो मे भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ तथा कल्याण सिह के नेतृत्व मे मन्त्रिपरिषद का गठन किया गया तो उत्तराचल को सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरिषदो मे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस समय 8 9 फीसदी प्रतिनिधित्व उत्तराचल को प्राप्त हुआ।

पश्चिमाचल को मत्रिपरिषदो मे सदैव प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी मायावती के नेतृत्व मे सन् 1997 में गठित द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 37.8 फीसदी रही तथा सबसे निम्न भागीदारी मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद मे 21 4 फीसदी रही। यहॉ पर यह तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि सन् 1995 के पूर्व के मन्त्रिपरिषदो की तुलना मे सन् 1995 के पश्चात् गठित दोनो मन्त्रिपरिषदो मे इस क्षेत्र को अधिक भागीदारी प्राप्त हो सकी।

पश्चिमाचल के समान ही मध्याचल को भी सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित प्रत्येक मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त होता रहा। इस क्षेत्र को सर्वाधिक भागीदारी कल्याण सिह के नेतृत्व मे सन् 1991 मे गठित मन्त्रिपरिषद मे प्राप्त हुई जो 25 फीसदी रही। वही सबसे निम्न भागीदारी मायावती के नेतृत्व मे गठित दोनो मन्त्रिपरिषद मे 9.

रेखा चित्र संख्या-4.3.6(ङ)
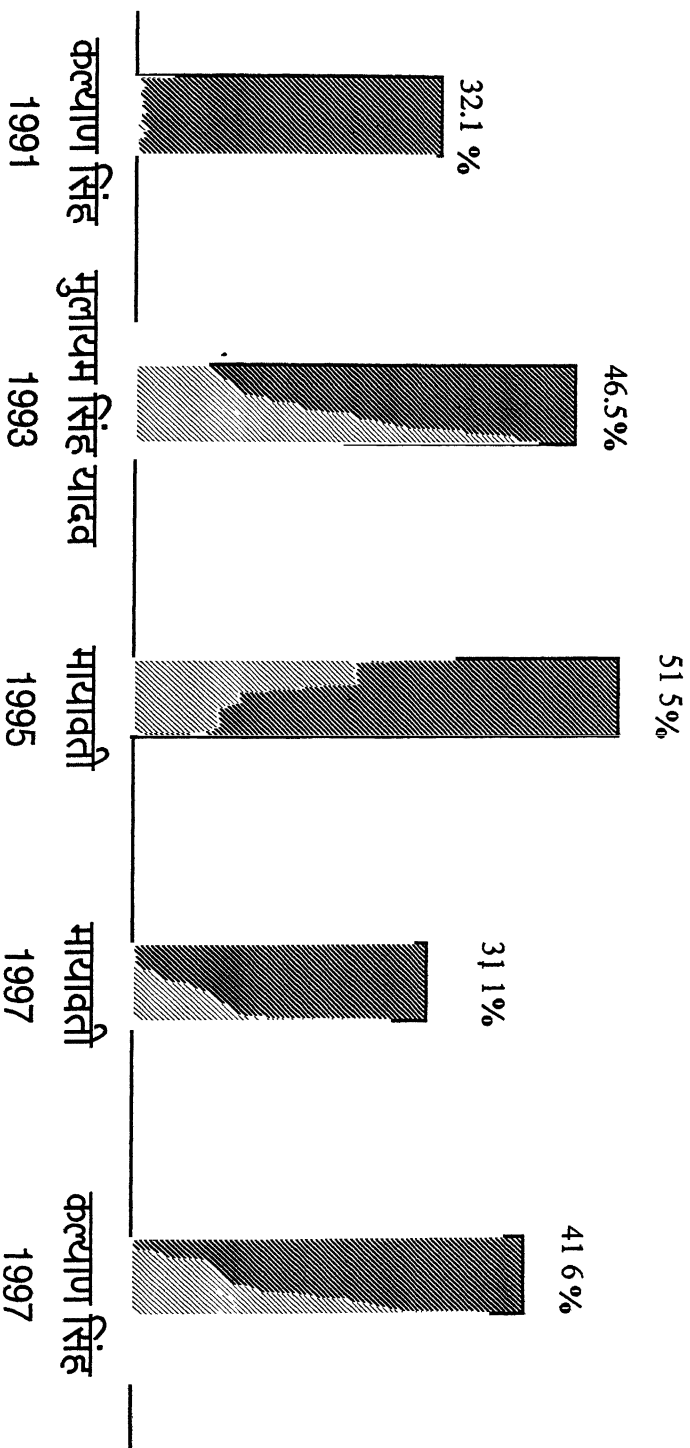
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व

1 फीसदी रही। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि शोध काल खण्ड मे गठित प्रथम दो मत्रिपरिषदो मे जहाँ इस क्षेत्र की भागीदारी अधिक रही वहाँ शेष तीन मन्त्रिपरिषदो मे इसकी भागीदारी काफी कम हो गयी और यह गिरावट आधे सेवेतिहाई (2/3) तक रही।

बुन्देलखण्ड को भी सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित सभी मत्रिपरिषदो मे निरतर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता रहा है। इस क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी मायावती के नेतृत्व मे सन् 1995 मे प्रथमबार गठित मन्त्रिपरिषद मे 15 2 फीसदी रही तथा सबसे निम्न भागीदारी कल्याण सिह के नेतृत्व मे सन् 1991 मे प्रथमबार गठित मन्त्रिपरिषद मे 5 4 रही। यहाँ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि मायावती के नेतृत्व मे गठित दोनो मत्रिपरिषदो मे इस क्षेत्र को अन्य मन्त्रिपरिषदो की तुलना मे अधिक हिस्सा प्रदान किया गया जिसका कारण सम्भवत बुन्देलखण्ड का, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गढ होना है।

चुनावो के दौरान बहुजन समाज पार्टी ने निरन्तर यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही यह तथ्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित दोनो मत्रिपरिषदो मे अन्य मन्त्रिपरिषदो की तुलना मे इस क्षेत्र को कम भागेदारी प्राप्त हो रही है।

जहाँ तक पूर्वांचल का प्रश्न है तो इसे सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित सभी मन्त्रिपरिषद मे निरन्तर प्रतिनिधित्व ही नही प्राप्त हुआ बल्कि अधिकाशत इस क्षेत्र को मत्रिपरिषदो मे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी मायावती के नेतृत्व मे सन् 1995 मे प्रथमबार गठित मत्रिपरिषद में 51 5 फीसदी रही तथा सबसे निम्न भागेदारी भी मायावती के नेतृत्व मे सन् 1997 मे द्वितीयबार गठित मन्त्रिपरिषद मे 31.1 फीसदी रही।

यदि जनसख्या के अनुपात पर प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो बुन्देलखण्ड को सबसे कम जनसख्या पर मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है जबकि

पश्चिमाचल को सबसे अधिक जनसख्या पर मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। लेकिन इस आधार पर यदि विभिन्न मन्त्रिपरिषदो का अलग–अलग विश्लेषण किया जाय तो कल्याण सिह की प्रथमबार गठित सन् १६६१ के मन्त्रिपरिषद मे उत्तराचल तथा शेष सभी मन्त्रिपरिषदो मे बुन्देलखण्ड को उच्च प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अर्थात् कल्याण सिह के प्रथम मन्त्रिपरिषद मे उत्तराचल तथा शेष मे बुन्देलखण्ड को जनसख्या के अनुपात मे सबसे अधिक स्थान मन्त्रिपरिषद मे प्रदान किया गया।

यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि शोधकाल खण्ड सन् 1991 से सन् 1997 के मध्य गठित सभी मन्त्रिपरिषदो के मुख्यमत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही निर्वाचित हो कर आये, जैसे कल्याण सिह अतरौली (अलीगढ), मुलायम सिह यादव इटावा तथा मायावती आरक्षित सीट हरौडा (सहारनपुर) से चुनकर विधानसभा मे पहुॅचे।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि अपवादो को छोड दिया जाय तो मन्त्रिपरिषदो मे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मे सन्तुलन बनाने का प्रयास किया गया है और यह तथ्य कल्याण सिह के दोनो मन्त्रिपरिषद मे स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। अन्य मन्त्रिपरिषद के विषय मे साझा सरकारो की विवशता तथा विधानसभा चुनावो मे इन दलो के प्रदर्शन को ध्यान मे रखा जाय तो यह स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी ने जब–जब मन्त्रिपरिषद का निर्माण किया, उसे विधान सभा मे मात्र 67 स्थान ही प्राप्त हुआ और इन स्थानो मे भी अधिकाशत प्रदेश के कुछ निश्चित क्षेत्र मे प्राप्त हुए थे। तथा इस काल मे गठित सभी सरकारे कल्याण सिह की प्रथम मन्त्रिपरिषद को छोडकर साझा सरकारे थी। इन मजबूरियो के पश्चात् भी इस काल मे गठित मन्त्रिपरिषदो मे क्षेत्रीय सन्तुलन बनाये रखने का यथा सम्भव प्रयास दृष्टिगोचर हो रहा है।

पंचम अध्याय

मंत्रिपरिष. के सदस्यों की शैक्षणिक एवं व्यव.ायिक स्थिति

अध्याय-5
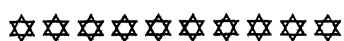
मंत्रि परिषद के सदस्यों की शैक्षणिक एवं व्यवसायिक स्थिति

5 1 शैक्षिक स्थिति

शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो व्यक्ति को पशुता से उठाकर मानव बनाता है। शिक्षा के प्रधान उद्देश्य व्यक्ति को प्रभावित करते हुए उसे इस योग्य बनना है कि वह अपने समाज के मूल्यो तथा आदर्शो का अनुशीलन करते हुए समाज के स्वस्थ तथा वाछित विकास मे योगदान प्रदान कर सके। समनर ने लिखा है कि शिक्षा यह सिखाती है कि कौन सा आचरण समाज के द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत है, किस प्रकार का मनुष्य सबसे अधिक प्रशसनीय होता है, सब प्रकार के कार्यो मे उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और उसे किस बात मे विश्वास अथवा अविश्वास करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा को भावी जीवन के समायोजन का एक आदर्श माना जाता है। शिक्षा वह महत्वपूर्ण अवयव है जो किसी समाज या राष्ट्र के नागरिको के राजनीतिक समाजीकरण मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।वस्तुत शिक्षा का अर्थ प्रचलित मूल्यो के अनुकूल ज्ञान एव अनुभव प्राप्त करना है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति के सर्वागीण विकास मे ही नही बल्कि समाज, राज्य, सभ्यता एव सस्कृति के प्रगति एव उत्थान मे अनिवार्य एव अपरिहार्य अवयव है। इस प्रकार प्राचीन समय से ही शिक्षा के महत्व को समझ कर उसकी समुचित व्यवस्था की गयी थी। प्राचीन काल के आचार्यो का विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपना शरीरिक, मानसिक, समाजिक तथा अध्यात्मिक विकास कर सकता है। ज्ञान से मनुष्य के अर्न्चक्षु खुल जाते है। अतएव उनके अनुसार ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वो के मूल को समझने मे समर्थ बनाता है तथा उसे सही कार्यो मे प्रवृत्त करता है।

ज्ञान तृतीय मनुजस्य नेत्रं समस्ततत्वार्थ विलोकिदक्षम।

ते जो नपेक्ष विगतान्तराय प्रवृत्ति भत्सर्व जगत्ययपि ।।[1]

1- सुभाषित रत्न, सग्रह पृष्ठ 194।

इसी प्रकार महाभारत मे कहा गया है कि विद्या के समान कोई दूसर नेत्र नही होता।

नास्ति विद्यासम चक्षुर्नास्ति सत्यसम तप।[2]

इस प्रकार विद्या के महत्व को इस काल मे इतनी प्राथमिकता दी जाती थी कि भतृहरि मे नीतिशतक मे विद्या विहिन मनुष्य को पशुतुल्य बताया है- विद्याविहीन पशु।

महात्मा गॉधी ने भी शिक्षा के महत्व को रेखाकित करते हुए कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक व व्यक्ति को शरीर मन तथा आत्मा मे अन्तर्निहित सर्वोत्तम शक्तियो का सर्वागीण विकास है।[3]

इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा समाज तथा राज्य की प्रगति के लिए आवश्यक है अर्थात् वही समाज तथा राज्य अधिक प्रगति तथा उत्थान कर सकता है जिसके निवासी शिक्षित एव सुसभ्य हो।

प्रचीन राजनीतिक आचार्यो ने शिक्षा को राज्य व्यवस्था के लिये आवश्यक तत्व माना है विशेष रुप से राज्य के शासक वर्ग के शिक्षा के प्रति यह अति सचेत थे। प्राचीन भारतीय साहित्यो मे राजा के लिए गुरुओ की शिक्षा एव मत्रणा को विशेष रुप से रेखाकित किया गया था। इसे अकर्तव्य निष्ठता और निरकुशता को नियत्रित करने के प्रमुख साधन के रुप मे स्वीकार किया गया था। प्राचीन यूनानी चिन्तक 'प्लेटो' ने भी अपने आदर्श राज्य के विचार मे शिक्षा की व्यापक व्यवस्था की बात करता है। जिसके महत्व को दर्शाते हुए 'इवेन्स्टीन' का कथन है-' उत्तमतर तथा सार्वजनिक सेवा का मार्ग एक समुचित रुप से नियोजित शिक्षा पद्धति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।[4]

यद्यपि वर्तमान शासन व्यवस्था का स्वरुप प्राय लोकतात्रात्मक है, इसमे राज्य का शासन

2- महाभारत, 12, 339, 6

3 महात्मा गॉधी 'वेसिक एजुकेशन', पृष्ठ 30-31

4 ईवेस्टिन डब्लू ई 'ग्रेट पॉलिटिकल थिकर', एन डी ऑक्सफोर्ड, आई बी एच 1960, पृष्ठ म0-4

जनता के द्वारा उनके ही मध्य से चुने हुए प्रतिनिधियो के द्वारा होता है और यही विधान मडलो तथा मत्रिपरिषदो मे शासन की नितियो का निर्माण एव क्रियान्वयन करते है। इस प्रकार यह आम जनता के प्रतिनिधि होने के साथ उनका नेतृत्व भी करते है। अत उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्रियाकलापो एव व्यवहार से समाज में आदर्श स्थापित करे। जिसके लिए उनका शिक्षित एव सुसभ्य होना आवश्यक है।

आधुनिक राजनीतिक सामाजिक वैज्ञानिको का यह मत है कि किसी व्यवस्था के आधुनिकीकरण मे शिक्षा एक प्रमुख तत्व है, क्योकि शिक्षा का स्तर व्यक्ति के विचारो मे व्यापकता ला देता है उसे सर्कीणता तथा जातिवाद, क्षेत्रवाद, सप्रदायवाद, वशवाद आदि से उपर उठने मे सहायता प्रदान करता है। 'डब्लू सी स्मिथ' ने आधुनिकीकरण की तीन आवश्यक दशाओ - प्रथम-ज्ञान, द्वितीय-विकल्पो के बीच चयन की स्वतत्रता और तृतीय-कार्यान्वयन की क्षमता[5] को माना है। इस प्रकार आधुनिकीकरण के लिए यह जानना आवश्यक है कि किस प्रकार का परिवर्तन लाना है और क्या यह सम्भव है। निश्चय ही यह ज्ञान शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए स्मिथ ने शिक्षा को आधुनिकीकरण की पहली शर्त मानी है।[6] माइनर विनर का मानना है कि शिक्षा के अभाव मे कोई भी परम्परागत समाज आधुनिकीकरण से नही गुजर सकता[7] और मत्रिपरिषद क्योकि शासन की मुख्य धुरी होती है इसलिए उनका शैक्षिक स्तर आधुनिकीकरण की गति से सीधे सम्बद्ध होता है।

वस्तुत व्यक्ति शिक्षा तो जन्म से मृत्यु तक दिन-प्रतिदिन चेतन या अचेतन रुप मे प्राप्त करता है। किन्तु प्रस्तुत शोध मे जिस शिक्षा के अध्ययन का विषय बनाया गया है वह औपचारिक शिक्षा है जिसे सस्थागत शिक्षा के रुप मे भी जाना जाता है।

5- स्मिथ डब्लू सी 'मार्डनाइजेशन ऑफ ए ट्रेडिशनल सोसाईटी', बम्बई (1965), पृष्ठ 20-22

6 वही पृष्ठ 20

7 माइनर विनर, 'मार्डनाइजेशन द डाईनिमिक्स ऑफ ग्रोथ', उध्दृत, सिह जे पी 'सामाजिक परिवर्तन स्वरुप एव सिद्धान्त, नई दिल्ली, प्रेंटिस-हॉल ऑफ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड (1999) पृष्ठ 166

मई जून 1991 मे एकादश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात दिनाक 24-6-91 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथमवार गठित तथा दिनाक 6-12-92 तक कार्यरत मत्रिपरिषद के सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति सारिणी सख्या 5 1 1 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या -5.1 1

सन् 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मंत्रिपरिषद

क्र० स०	शैक्षिक स्तर पर	विधानसभा		मत्रिपरिषद		विधानसभा मे सदस्यो के आधार पर मत्रिपरिषद प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	इण्टरमीडिएट या कम	112	26 8	8	14 3	7 1
2	स्नातक	127	30 4	28	50	39 4
3	स्नातकोत्तर एव पी एच डी	114	27 3	18	32 1	15 8
4	अनुपलब्ध	65	15 6	2	3 6	3 1
योग		418	100	56	100	13 4 प्रतिशत

सारिणी सख्या 5 1 1 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनाक 24 6 91 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक 6-12-92 तक कार्यरत मत्रिपरिषद मे कुल 56 सदस्य सम्मिलित थे, जिसमे 8 सदस्यो की शैक्षिक अवस्थिति इण्टरमीडिएट या उससे कम स्तरीय रही है 28 सदस्यो की स्नातक स्तरीय रही जबकि 18 सदस्यो की शैक्षिक प्र स्थिति स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय रही है। शेष 2 सदस्य ऐसे रहे है जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। इसी काल मे विधान सभा के कुल 418 सदस्यो मे 112 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या कम स्तरीय रही, 127 सदस्यो की स्नातक स्तरीय तथा 114 सदस्यो की स्नाकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय रही है शेष 65 सदस्य ऐसे रहे है कि जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात

रेखा चित्र संख्या-5.1.1 (अ)
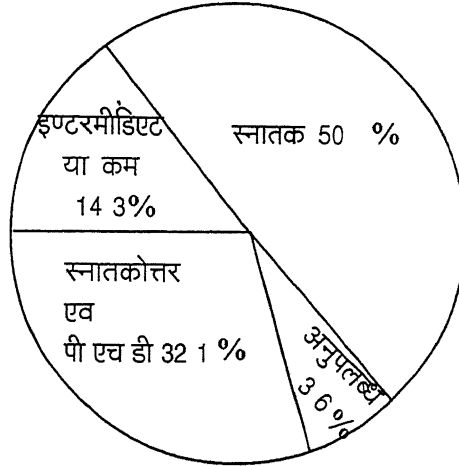
सन 1991 मे कल्याण सिह के मंत्रिपरिषद मे शैक्षिक प्रस्थिति

रेखा चित्र संख्या-5.1.1.(ब)
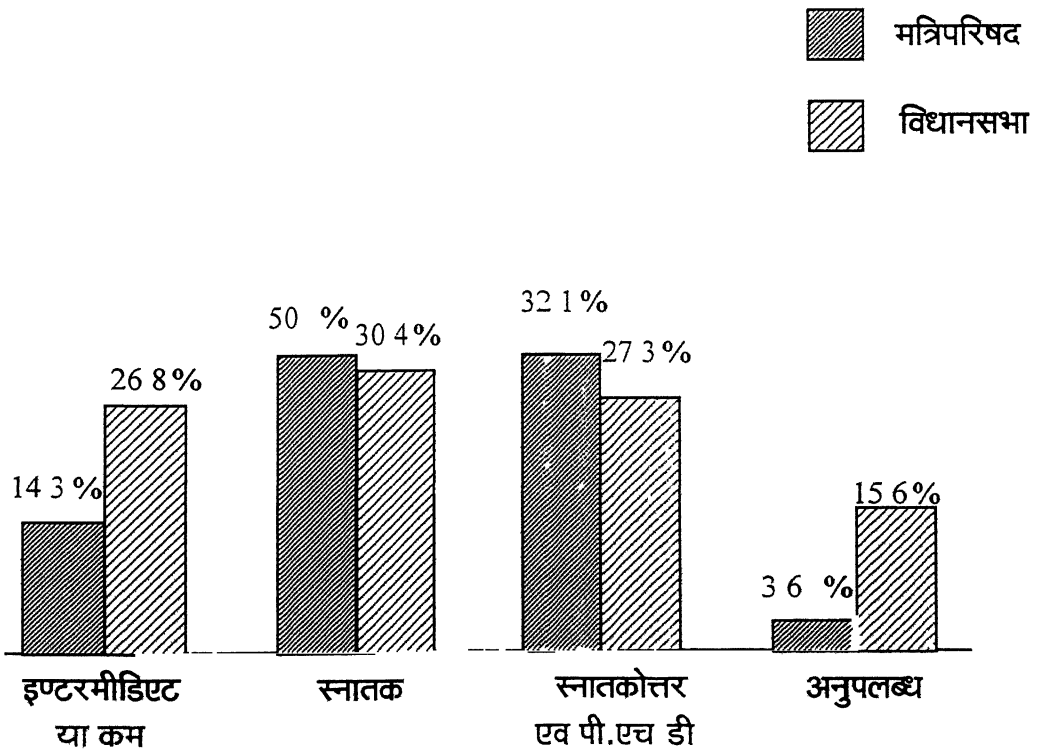
सन 1991 मे कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में शैक्षिक प्रस्थिति

रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोक से यह स्पष्ट होता है कि विधान सभा मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व 26 8 प्रतिशत रहा और मत्रिपरिषद मे उन्हे 14 3 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ इस प्रकार विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक स्तर के सदस्यो को लगभग 12 प्रतिशत कम स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि विधानसभा मे स्नातक स्तरीय शैक्षिक स्तर प्राप्त सदस्यो का प्रतिनिधित्व 30 4 प्रतिशत रहा और मत्रिपरिषद मे उन्हे 50 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ इस प्रकार विधानसभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे स्नातक स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त सदस्यो को लगभग 20 प्रतिशत अधिक स्थान प्राप्त हुआ। वही स्नाकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक स्तर प्राप्त सदस्यो का विधान सभा मे प्रतिनिधिथ्व 27 3 रहा और मत्रिपरिषद मे उन्हे 32 1 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधानसभा कीतुलना मे मत्रिपरिषद मे स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शिक्षा प्रस्थिति वाले सदस्यो को लगभग 5 प्रतिशत अधिक स्थान प्राप्त हुआ।

इस प्रकार सारिणी सख्या 5 1 1 के समस्त आकडो के प्रकाश मे यह स्पष्ट हो रहा है कि कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथमवार गठित मत्रिपरिषद मे सर्वाधिक सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातक स्तरीय रही है तथा इस काल मे विधान सभा मे भी सर्वाधिक सदस्य इसी शैक्षिक स्तर के रहे है। जबकि इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो की सख्या इस काल मे विधान सभा एव मत्रिपरिषद मे निम्नतम रही है। इसके साथ ही यह तथ्य भी प्रदर्शित हो रहा है कि विधान सभा के सदस्यो के आधार पर मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का दर (प्रतिशत) स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थति वालेसदस्यो का सबसे उच्च एव इण्टरमीडिएट एव कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का सबसे निम्न रहा है। यहा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कल्याण सिह की मत्रिपरिषद मे विधानसभा शैक्षिक स्तर के सदस्यो को प्रतिनिधित्व के पैटर्न का ही अनुसरण किया गया है अर्थात् दोनो जगह इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को सबसे कम, इसके सापेक्ष मे स्नाकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को

उच्च तथा स्नातक शैक्षिक प्रास्थिति वाले सदस्यो को सबसे उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। किन्तु यह तथ्य दृष्टिगोचर हो रहा है कि मत्रिपरिषद मे विधान सभा के प्रतिनिधित्व अनुपात का अनुसरण नही किया गया है। कल्याण सिह की प्रथम मत्रिपरिषद मे सदस्यो के शैक्षिक स्तर को रेखा चित्र सख्या 5 1 1 (अ) तथा विधान सभा के साथ इसकी तुलना रेखा चित्र स0 5 1 1 (ब) मे प्रदर्शित किया गया है।

नवम्बर 1993 के द्वादश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनावो के परिणाम स्वरुप दिनाक 4-12-93 को मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक 3-6-95 तक कार्यरत समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी की साझा मत्रिपरिषद के सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति सारिणी सख्या 5 1 2 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 5 1 2

सन् 1993 मे मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद

क्र० स०	शैक्षिक स्तर पर	विधानसभा		मत्रिपरिषद		विधानसभा मे सदस्यो के आधार पर मत्रिपरिषद प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	इण्टरमीडिएट या कम	99	23 2	4	14 3	4
2	स्नातक	138	32 4	9	32 1	6 5
3	स्नातकोत्तर एव पी एच डी	134	31 5	11	39 3	8 2
4	अनुपलब्ध	55	12 9	4	14 3	73
	योग	426	100	28	100	6 6 (प्रतिशत)

सारिणी सख्या 5 1 2 के अतर्विष्ट आकड़ो के अवलोक से यह स्पष्ट हो रहा है कि दिनाक 4-12-93 को मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक 3-6-95 तक कार्यरत

रेखा चित्र संख्या-5.1.2 (अ)
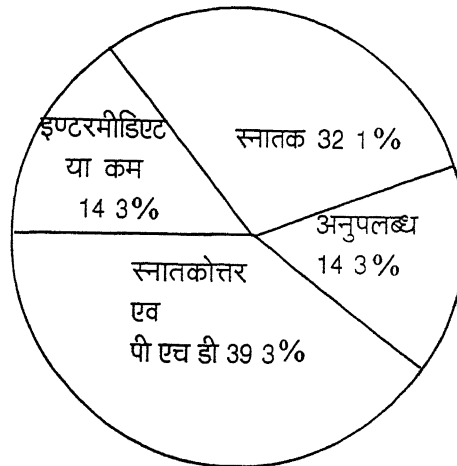
सन 1993 मे मुलायम सिह यादव के मंत्रिपरिषद मे शैक्षिक प्रस्थिति

रेखा चित्र संख्या-5.1.2.(ब)
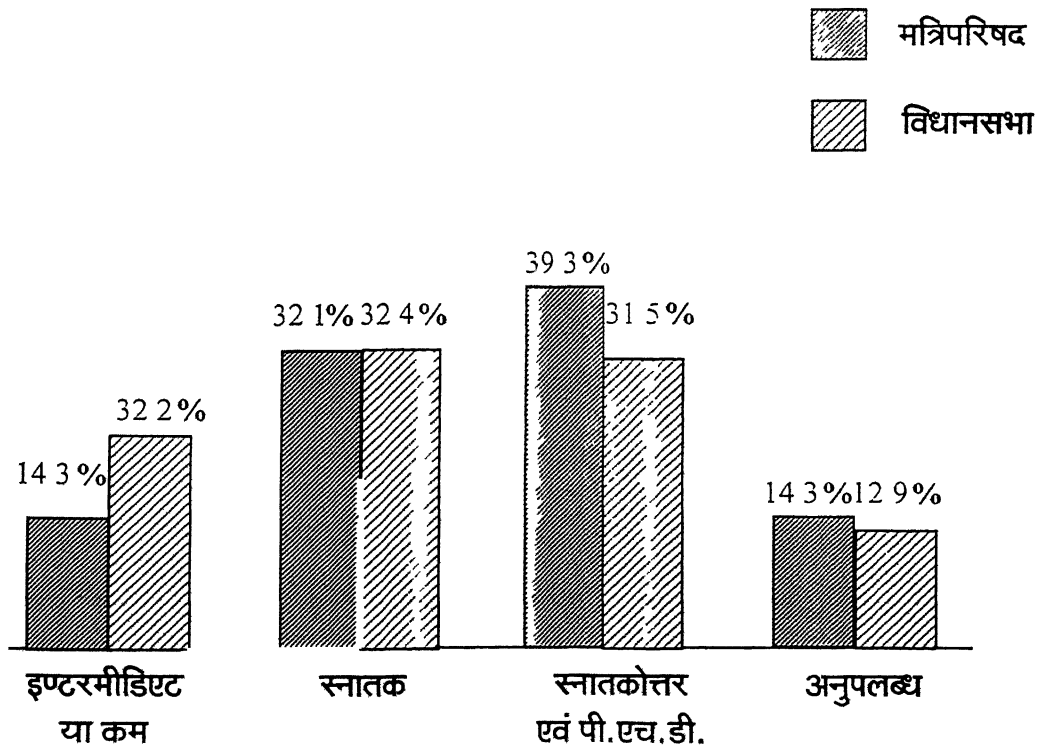
सन 1993 में मुलायम सिह यादव के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में शैक्षिक प्रस्थिति

मत्रिपरिषद मे कुल 28 सदस्य सम्मिलित थे, जिसमे 4 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या उससे निम्न स्तरीय रही है 9 सदस्यो की स्नातक स्तरीय रही 138 सदस्योकी स्नातक स्तरीय तथा 134 सदस्यो की स्नाकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय रही है। शेष 55 सदस्य ऐसे रहे है जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधानसभा मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व 23 4 प्रतिशत रहा और मत्रिपरिषद मे उन्हे 14 3 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को लगभग 9 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि विधानसभा मे स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व 32 4 प्रतिशत रहा और मत्रिपरिषद मे उन्हे 32 1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व विधान सभा एव मत्रिपरिषद मे लगभग समान प्राप्त हुआ। वही स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का विधान सभा मे प्रतिनिधित्व 31 5 प्रतिशत रहा और मत्रिपरिषद मे उन्हे 39 3 प्रतिशत प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे लगभग 8 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

सारिणी सख्या 5 1 2 के समस्त आकडो के प्रकाश मे यह तथ्य उजागर हो रहा है कि मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद मे सर्वाधिक सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरी रही है तथा इस काल मे विधान सभा मे सर्वाधिक सदस्यो की शैक्षणिक प्रस्थिति स्नातक स्तरीय रही है। जबकि इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व विधान सभा एव मन्त्रिपरिषद मे न्यूनतम रहा। अत यह प्रतीत होता है कि इस काल मत्रिपरिषद मे अधिक शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो की तुलना मे प्रतिनिधित्व

प्रदान करने की वरीयता दी गई है। इसके साथ ही यह तथ्य भी प्रदर्शित हो रहा है कि विधान सभा के सदस्यो के आधार पर मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त करने ा दर (प्रतिशत) स्नातकोत्तर का सबसे उच्च रहा है वही इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का न्यूनतम रहा। यहा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विधान सभा मे विभिन्न शैक्षिक स्तर के सदस्यो को प्राप्त प्रतिनिधित्व के पैटर्न का अनुसरण मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद मे नही किया गया प्रतीत होता है। मुलायम सिह यादव की मत्रिपरिषद मे सदस्यो के शैक्षिक स्तर को रेखा चित्र सख्या 5 1 2 (अ) तथा विधान सभा के साथ इसकी तुलना रेखा चित्र स0 5 1 2 (ब) मे प्रदर्शित किया गया है।

मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद के पतन के पश्चात दिनाक 3-6-95 को मायावती के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक 18-10-95 तक कार्यरत मत्रिपरिषद के सदस्यो की शैक्षणिक प्रस्थिति सारिणी सख्या 5 1 3 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 5 1 3

सन् 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद

क्र० स०	शैक्षिक स्तर पर	विधानसभा		मत्रिपरिषद		विधानसभा मे सदस्यो के आधार पर मत्रिपरिषद प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	इण्टरमीडिएट या कम	99	23 2	7	21 2	7 1
2	स्नातक	138	32 4	11	33 3	8
3	स्नातकोत्तर एव पी एच डी	134	31 5	10	30 3	7 5
4	अनुपलब्ध	55	12 9	5	15 2	9 1
	योग	426	100	33	100	7.7 (प्रतिशत)

रेखा चित्र संख्या-5.1.3 (अ)
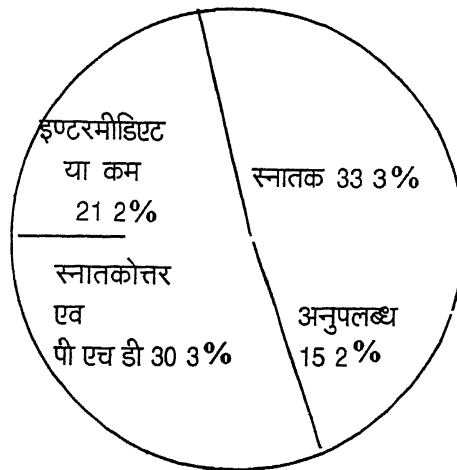
सन 1995 मे मायावती के मत्रिपरिषद मे शैक्षिक प्रस्थिति

रेखा चित्र संख्या-5.1.3.(ब)
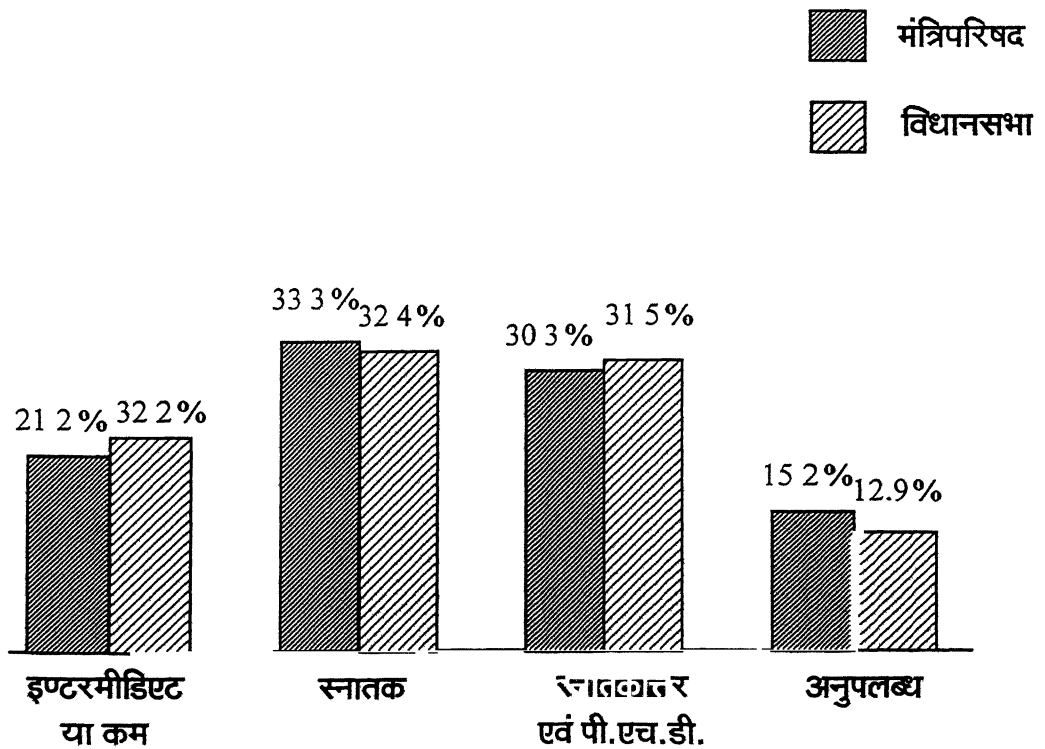
सन 1995 में मायावती के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में शैक्षिक प्रस्थिति

सारिणी सख्या 5 1 3 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनाक 3-6-95 के नेतृत्व मे प्रथम वार गठित तथा दिनाक 18-10-95 तक कार्यरत मत्रिपरिषद मे कुल 33 सदस्य सम्मिलित थे जिसमे 7 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या उससे निम्न स्तरीय रही है 11 सदस्यो की स्नातक स्तरीय रही जबकि 10 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातकोत्तर या पी0 एच0 डी0 स्तरीय रही है, शेष 5 सदस्य ऐसे रहे है जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। जबकि इस काल मे विधान सभा के कुल 426 सदस्यो मे 99 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या कम स्तरीय रही, 138 सदस्यो की स्नातक स्तरीय रही है तथा 134 सदस्यो की स्नातत्कोर एव पी 0 एच डी0 स्तरीय रही है, शेष 55 सदस्यो ऐसे रहे है जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोक से यह स्पष्ट हो रहा है कि विधानसभा में इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व 23 2 प्रतिशत रहा और मत्रिपरिषद मे उन्हे 21 2 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को 2 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि विधान सभा मे स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व 32 4 रहा और मत्रिपरिषद मे उन्हे 33 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनधित्व विधान सभा एव मत्रिपरिषद मे लगभग समान प्राप्त हुआ। वही स्नाकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदसयो का विधान सभा मे प्रतिनिधित्व 31 5 प्रतिशत और मत्रिपरिषद मे उन्हे 30 5 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को भी विधान सभा एव मत्रिपरिषद मे लगभग समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

इस प्रकार सारिणी सख्या 5 1 3 के समस्त आकडो के प्रकाश मे यह स्पष्ट हो रहा है कि मायावती के नेतृत्व मे प्रथमवार गठित मत्रिपरिषद मे सवार्धिक प्रतिनिधित्व स्नातकस्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को प्राप्त हुआ। तथा इस काल मे विधानसभा

मे भी सवार्धिक प्रतिनिधित्व स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को ही प्राप्त हुआ। जबकि इस काल मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व विधान सभा एव मत्रिपरिषद मे न्यूनतम रहा। इसके साथ ही यह तथ्य भी प्रदर्शित हो रहा है कि विधान सभा के सदस्यो के आधार पर मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का दर (प्रतिशत)स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का सबसे उच्च तथा इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का सबसे न्यून रहा है, जबकि स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का इन दोनो के मध्य रहा है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इन दोनो के मध्य विधान सभा मे भिन्न-भिन्न शैक्षिक स्तर प्रस्थिति वाले सदस्यो को प्राप्त प्रतिनिधित्व के पैटर्न का अनुसरण मायावती के मत्रिपरिषद मे किया गया है। तथा लगभग उसी अनुपात मे विभिन्न शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया जिस अनुपात मे उनका प्रतिनिधित्व विधान सभा मे था। मायावती की प्रथम मत्रिपरिषद मे सदस्यो के शैक्षिक स्तर को रेखा चित्र सख्या 5 1 3 (अ) तथा विधान सभा के साथ इसकी तुलना रेखा चित्र स0 5 1 3 (ब) मे प्रदर्शित किया गया है।

सितम्बर -अक्टूबर मे त्रयोदश विधान सभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात दिनाक 21-3-97 को मायावती के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित तथा दिनाक 21-9-97 कार्यरत बहुजन समाज पार्टी की सयुक्त मत्रिपरिषद के सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति को सारिणी सख्या 5 1 4 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 5 1 4 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहै कि दिनाक 21-3-97 को मायावती के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित तथा दिनाक 21-9-97 तक कार्यरत मत्रिपरिषद मे कुल 45 सदस्य थे। जिसमे 7 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या उससे कम स्तरीय रही, 23 सदस्यो की स्नातक स्तरीय तथा 10 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातकोत्तर या पी0 एच0 डी0 स्तरीय रही है तथा शेष 5 सदस्य ऐसे रहे जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। इसी काल मे विधान सभा के कुल 426 सदस्यो मे 85

सारिणी सख्या - 5 1 4

सन् 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद

क्र० स०	शैक्षिक स्तर पर	विधानसभा		मत्रिपरिषद		विधानसभा मे सदस्यो के आधार पर मत्रिपरिषद प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	इण्टरमीडिएट या कम	85	20	7	15 6	8 2
2	स्नातक	138	32 4	9	32 1	6 5
3	स्नातकोत्तर एव पी एच डी	134	31 5	11	39 3	8 2
4	अनुपलब्ध	55	12 9	4	14 3	73
	योग	426	100	28	100	6 6 (प्रतिशत)

सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या कम स्तरीय, 159 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातक स्तरीय तथा 139 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातकोत्तर या पी0 एच0 डी0 स्तरीय रही है शेष 43 सदस्य ऐसे रहे है कि जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोक से यह स्पष्ट होता है कि विधान सभा मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत रहा और मत्रिपरिषद में उन्हे 15 6 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को लगभग 5 प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जबकि विधान सभा मे स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व 37 3 प्रतिशत रहा और मत्रिपरिषद मे उन्हे 51 1 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद के प्रस्थिति वाले सदस्यो को विधान सभा मे 32 6 प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और मत्रिपरिषद मे उन्हे 22 2 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्नातकोत्तर एव पी0 एच0
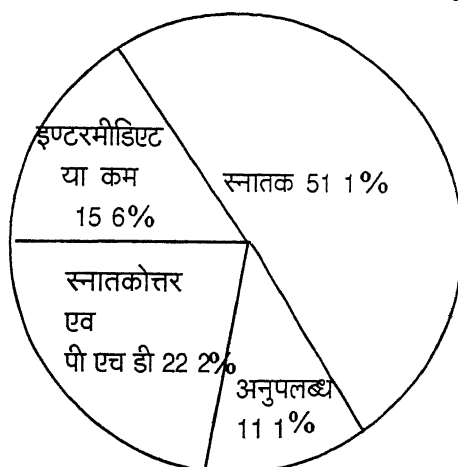
रेखा चित्र संख्या-5.1.4 (अ)

सन 1997 मे मायावती के मंत्रिपरिषद मे शैक्षिक प्रस्थिति

रेखा चित्र संख्या-5.1.4.(ब)

मत्रिपरिषद
विधानसभा

51 1%
37 3%
32 6%
22 2%
15 6% 20 %
11 1% 10 1%

इण्टरमीडिएट
या कम
स्नातक
स्नातकोत्तर
एवं पी एच.डी.
अनुपलब्ध
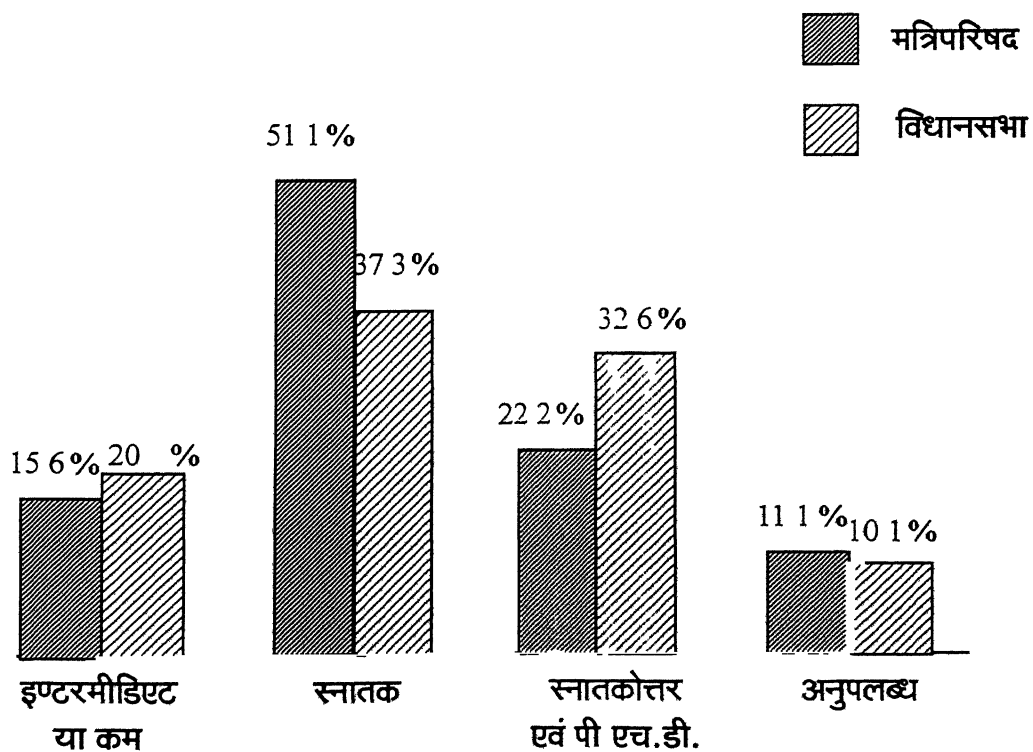
डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को विधानसभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे लगभग 10 प्रतिशत कम स्थान प्राप्त हुआ।

इस प्रकार सारिणी सख्या 5 1 4 के समस्त आकडो के प्रकाश मे यह स्पष्ट हो रहा है कि मायावती के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित मत्रिपरिषद मे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व स्नातकस्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को प्राप्त हुआ तथा इस काल मे विधान सभा मे भी सर्वाधिक प्रतिनिधित्व स्नातकस्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को ही प्राप्त हुआ, जबकि इस काल मे इण्टरमीडिएट तथा कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व विधानसभा एव मत्रिपरिषद मे न्यूनतम रहा इसके आधार पर मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का दर(प्रतिशत) स्नातकस्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का सबसे उच्च तथा स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का सबसे उच्च तथा स्नातकोत्तर या पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का न्यून्तम रहा जबकि इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का इन दोनो के मध्य रहा है। यहा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विधान सभा मे भिन्न-भिन्न शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को प्राप्त प्रतिनिधि के पैटर्न का अनुसरण मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे किया गया है। किन्तु यह तथ्य भी दृषिटगोचर हो रहा है कि मत्रिपरिषद मे विधान सभा के प्रतिनिधित्व अनुपात का अनुसरण नही किया गया है। मायावती की द्वितीय मत्रिपरिषद मे सदस्यो के शैक्षिक स्तर को रेखा चित्र सख्या 5 1 4 (अ) तथा विधान सभा के साथ इसकी तुलना रेखा चित्र स0 5 1 4 (ब) मे प्रदर्शित किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के सविदा के परिणामस्वरुप छ महीने की अवधि के अवधि की समाप्ति के पश्चात मुख्यमत्री मायावती द्वारा दिये गये त्याग पत्र के उपरान्त दिनाक 21-9-97 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरषिद मे 31 दिसम्बर 1997 तक सम्मिलित सदस्यो की शैक्षिणित सारिणी सख्या 5 1 5 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 5 1 5

सन् 1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद

क्र० स०	शैक्षिक स्तर पर	विधानसभा		मत्रिपरिषद		विधानसभा मे सदस्यो के आधार पर मत्रिपरिषद प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	इण्टरमीडिएट या कम	85	20	15	13 3	17 6
2	स्नातक	159	37 3	46	40 7	28 3
3	स्नातकोत्तर एव पी एच डी	139	32 6	46	40 7	33 1
4	अनुपलब्ध	43	10 1	6	5 3	14
योग		426	100	113	100	26 5 (प्रतिशत)

सारिणी सख्या 5 1 5 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है दिनाक 21-9-97 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे द्वितीयवार गठित मत्रिपरिषद मे 31 दिसम्बर 1997 तक कुल 113 सदस्य सम्मिलित हुए। जिसमे 15 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या उससे कम स्तरीय रही, 46 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातक स्तरीय एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय रही। शेष 6 सदस्य ऐसे रहे है जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही ही। इसी काल मे विधान सभा के कुल 426 सदस्यो मे 85 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति इण्टरमीडिएट या कम स्तरीय, 159 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति स्नातक स्तरीय या पी0 एच0 डी0 स्तरीय रही है शेष 43 सदस्य ऐसे रहे है जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि विधान सभा मे इण्टर मीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत

रेखा चित्र संख्या-5.1.5 (अ)
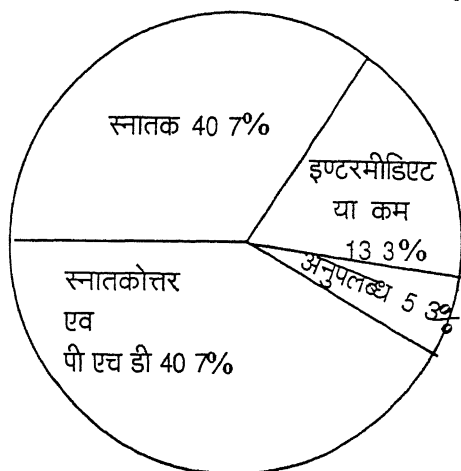
सन 1997 मे कल्याण सिह के मत्रिपरिषद मे शैक्षिक प्रस्थिति

रेखा चित्र संख्या-5.1.5(ब)
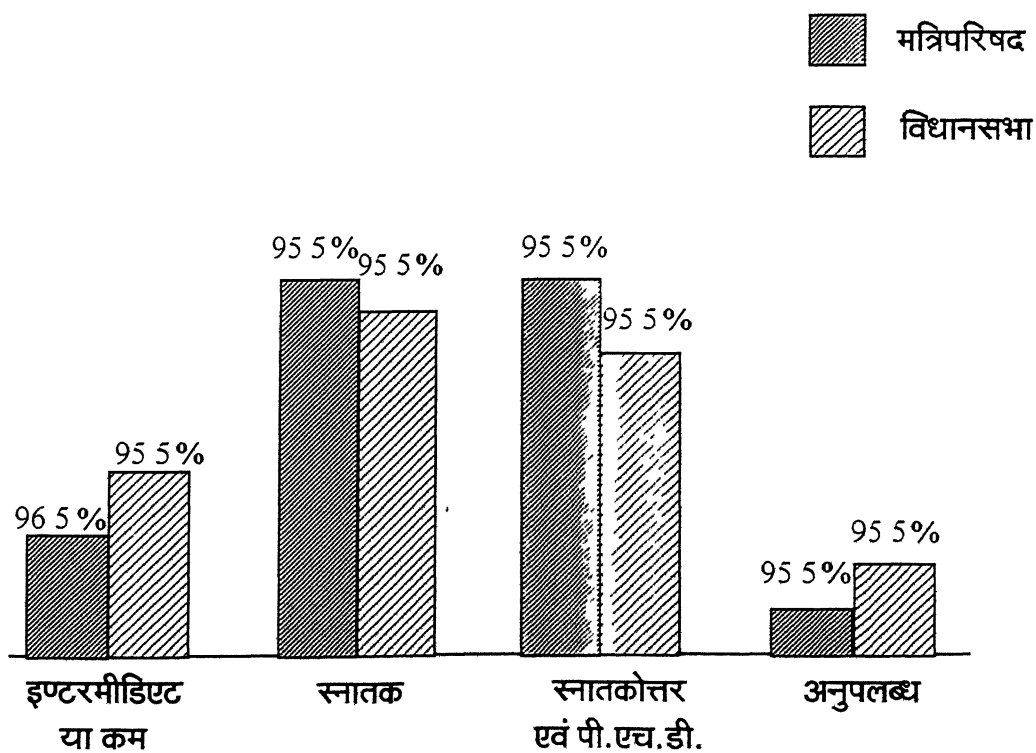
सन 1997 मे कल्याण सिंह के मत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में शैक्षिक प्रस्थिति

रहा और मत्रिपरिषद मे उन्हे 13 3 स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे इण्टर मीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को लगभग 7 प्रतिशत कम स्थान प्राप्त हुआ। जबकि विधान सभा मे स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे लगभग 3 प्रतशित अधिक स्थान प्राप्त हुआ। वही स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरी शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व विधान सभा मे 32 6 प्रतिशत रहा है और मत्रिपरिषद मे उन्हे 40 7 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधानसभा की तुलना मे मत्रिपरिषद मे स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरी शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को लगभग 8 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

इस प्रकार सारिणी सख्या 5 1 5 के समस्त आकडो के प्रकाश मे यह स्पष्ट हो रहा है कि कल्याण सिह के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित मत्रिपरिषद मे सर्वाधिक समान रुप से प्रतिनिधित्व स्नातक और स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को प्राप्त हुआ। तथा इस काल मे विधान सभा मे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को प्राप्त हुआ। जबकि इस काल मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का सबसे उच्च तथा इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का न्यूनतम रहा जबकि स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का इन दोनो के मध्य रहा। मत्रिपरिषद मे उच्च शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को कम शैक्षिक प्रस्थिति व ाले सदस्यो को विधान सभा मे उनके प्रतिनिधित्व अनुपात ।

यहा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कल्याण सिह के मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व देने मे विधान सभा के उच्च शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो पर वरीयता दी गई है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि विधान सभा मे भिन्न-भिन्न शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो के अनुपात का अनुसरण मत्रिपरिषद मे नही किया गया है। कल्याण सिह की द्वितीय मंत्रिपरिषद मे सदस्यो के शैक्षिक स्तर को रेखा चित्र सख्या

5 1 5 (अ) तथा विधान सभा के साथ इसकी तुलना रेखा चित्र स0 5 1 5 (ब) मे प्रदर्शित किया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषदो के सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति को सारिणी सख्या 5 1 6 मे दर्शाया गया है

सारिणी सख्या 5 1 6 के अन्तिर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मत्रिपरिषदो मे प्रत्येक मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व सबसे न्यून रहा है। यदि इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो के प्रतिनिधित्व को इस काल मे गठित विभिन्न मत्रिपरिषदो मे देखे तो इन्हे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 21 2प्रतिशत सन् 1995 मे मायावती के नेतृत्व में प्रथम वार गठित मत्रिपरिषद मे प्राप्त हुआ तद्पश्चात 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे द्वितीय बार गठित मत्रिपर्रिषद मे 15 6 प्रतिशत, 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथमवार गठित मत्रिपरिषद व 1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित मत्रिपरिषद मे समान रुप से 14 3 प्रतिशत और न्यूनतम 13 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि मायावती के नेतृत्व मे गठित दोनो मत्रिपरिषदो मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व उच्च रहा है अपेक्षा कृत इस काल गठित अन्य मत्रिपरिषदो के । यदि इस काल मे गठित पाचो मत्रिपरिषदो मे समग्र रुप से इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इस काल कुल 275 सदस्यो को मत्री पद प्राप्त हुए जिसमे41 सदस्य जिनका प्रतिशत 14 9 रहा इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले रहे। जिसके सापेक्ष मायावती के नेतृत्व मे गठित दोनो मत्रिपरिषदो मे इस स्तर के शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व उच्च रहा वही इस काल मे गठित अन्य मत्रिपरिषदो का न्यून रहा।

इस प्रकार सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मत्रिपरिषदो मे स्नातकस्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट है कि मत्रिपरिषद मे

सारिणी संख्या 5.1.6

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद : शैक्षिक प्रस्थिति

क्र0 स0	शैक्षिक स्तर	मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व											
		कल्याण सिंह प्रथम 24-06-91 से 06-12-92 तक		मुलायम सिह यादव 04-12-93 से 03-06-95 तक		मायावती प्रथम 03-06-95 से 18-10-95 तक		मायावती द्वितीय 21-03-97 से 21-09-97 तक		कल्याण सिह द्वितीय 21-09-97 से ----------तक		समग्र 1991 से 1997 तक	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	इण्टरमीडिएट या कम	8	14 3	4	14 3	7	21 2	7	15 6	15	13 3	41	14 9
2	स्नातक	28	50	9	32 1	11	33 3	23	51 1	46	40 7	171	42 5
3	स्नातकोत्तर एव पी एच डी	18	32 1	11	39 3	10	30 3	10	22 2	46	40 7	95	34 6
4	अनुपलब्ध	2	3 3	4	14 3	5	15 2	5	11 1	6	5 3	22	8
योग		56	100	28	100	33	100	45	100	113	100	275	100

इनका प्रतिनिधित्व घटता बढता रहा है तथा इस काल मे विभिन्न समयो मे यह 32 1 प्रतिशत से 51 1 प्रतिशत के मध्य प्राप्त हुआ। स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को इस काल मे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 51 1, सन् 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित मत्रिपरिषद मे 50 प्रतिशत सन् 1997 मे कल्याण सिह के ही नेतृत्व द्वितीय वार गठित मत्रिपरिषद मे 40 7 प्रतिशत, 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे प्रथम वार गठित मत्रिपरिषद मे 33 3 प्रतिशत और 1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद मे न्यूनतम 32 1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व स्नातकी शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहा 1997 मे गठित मायावती के द्वितीय मत्रिपरिषद मे व 1997 मे कल्याण सिह मत्रिपरिषद मे स्नातकीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और यह लगभग मत्रिपरिषद के कुल प्रतिनिधित्व का आधा या आधे से अधिक रहा। यदि इस काल मे गठित पाचो मत्रिपरिषदो मे समग्र रुप से स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो के प्रस्थिति वाले सदस्यो के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इस काल मे कुल 275 सदस्य मत्रिपरिषद मे सम्मिलित हुए जिसमे 117 सदस्य जिनका प्रतिशत 42 5 रहा स्नातकस्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले रहे। जिसके सापेक्ष मायावती के द्वितीय तथा कल्याण सिह के प्रथम मत्रिपरिषद मे इस स्तर के शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व उच्च रहा वही इस काल मे गठित अन्य मत्रिपरिषदो मे न्यून रहा।

इसी प्रकार सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मत्रिपरिषदो मे स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो पर द्ष्टि डाले तो स्पष्ट है कि मत्रिपरिषद मे इनका प्रतिनिधित्व घटता बढता रहा है तथा इस काल मे भिन्न-भिन्न मत्रिपरिषदो मे यह 22 2 प्रतिशत से 40 7 प्रतिशत के मध्य रहा स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को इस काल मे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 40 7 प्रतिशत सन् 1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्वमे द्वितीयवार गठित मत्रिपरिषद मे रहा है। तद्पश्चात सन् 1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद मे 39 3 सन् 1991 मे

रेखा चित्र संख्या-5.1.6(अ)
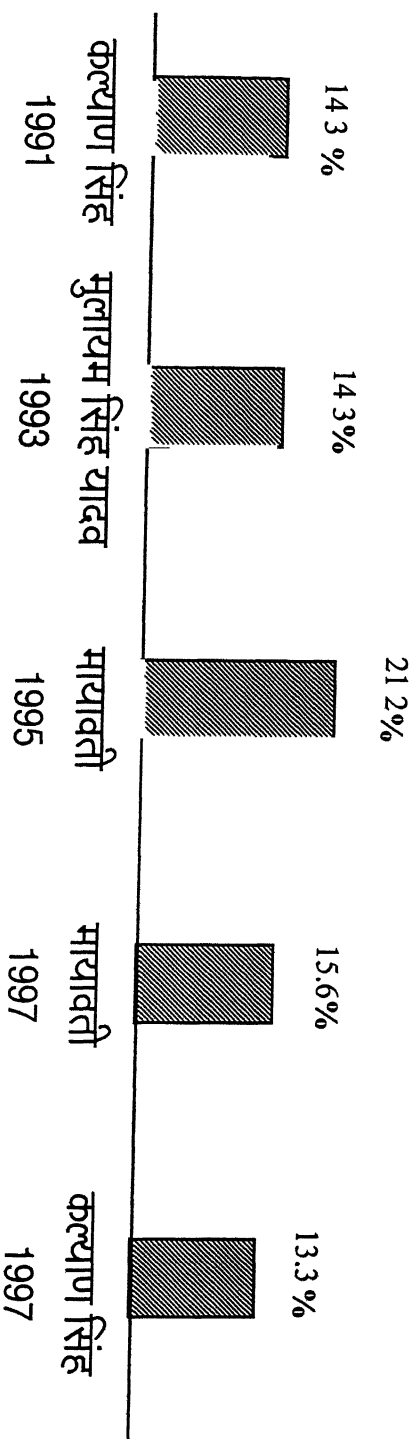
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति के सदस्य

कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद मे 32 1, सन् 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे प्रथम वार गठित मत्रिपरिषद मे 30 3 प्रतिशत तथा 1997 मे मायावती के ही नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित मत्रिपरिषद मे सबसे कम 22 2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो को प्राप्त हुआ है। यदि इस काल मे गठित पाचो मत्रिपरिषदो मे समग्र रुप से स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो इस काल मे कुल 275 सदस्यो मत्रिपरिषदो मे सम्मिलित हुए जिसमे 95 सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति इस स्तर की रही है। जिसका प्रतिशत 34 6 रहा जिसके सापेक्ष 1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे द्वितीय वार व सन् 1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद मे इस स्तर के शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व उच्च रहा वही इस काल मे गठित अन्य मत्रिपरिषदो मे न्यून रहा है।

इसके अतिरिक्त 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद मे शेष 3 6 प्रतिशत, 1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद मे शेष 14 3, मायावती की प्रथम मत्रिपरिषद मे शेष 15 2 प्रतिशत, मायावती की ही द्वितीय मत्रिपरिषद मे शेष 11 1 प्रतिशत और 1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित मत्रिपरिषद मे शेष 5 3 प्रतिशत सदस्य रहे जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही।

विभिन्न मत्रिपरिषदो मे इण्टरमीडिएट कम स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र सख्या 5 1 6 (अ) मे, तथा स्नातक स्तरीय स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो के प्रतिनीधित्व को रेखाचित्र सख्या 5 1 6 (ब) एव स्नात्कोत्तर पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र 5 1 6 (स) मे प्रर्दशित किया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद व विधान सभा के सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति सारणी सख्या 5 1 7 मे दर्शाया गया है।

रेखा चित्र संख्या-5.1.6(ब)
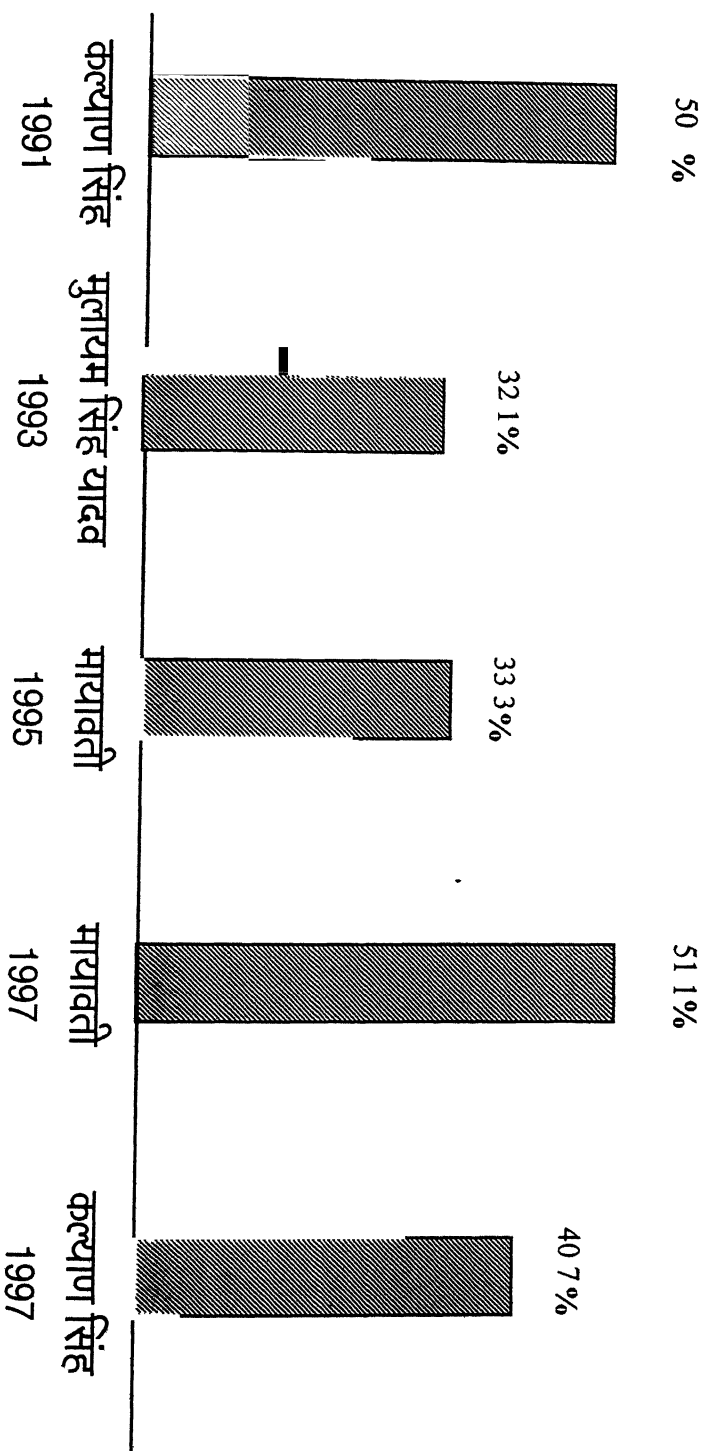
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में स्नातक शैक्षिक प्रस्थिति के सदस्य

सारिणी संख्या 5.1.7

शैक्षिक प्रस्थिति विधानसभा एवं मत्रिपरिषद

	मत्रिपरिषद	इण्टरमीडिएट या कम		स्नातकोत्तर एव पी एच डी		स्नातक		अनुपलब्ध	
		विधानसभा (% मे)	मत्रिपरिषद (% मे)	विधानसभा (% मे)	मत्रिपरिषद (% मे)	विधानसभा (% मे)	मत्रिपरिषद (% मे)	विधानसभा (% मे)	मत्रिपरिषद (% मे)
1	कल्याण सिह (प्रथम)	26 8	14 3	30 4	50	27 3	32 1	15 5	3 3
2	मुलायम सिह यादव	द्वादस 23 2	14 3	द्वादस 32 4	32 1	द्वादस 31 5	39 3	द्वादस 12 9	14.3
3	मायावती (प्रथम)		21 2		33 3		30 3		15.2
3	मायावती (द्वितीय)	त्रयोदस 20	15 6	त्रयोदस 37 3	51 1	त्रयोदस 32 6	22 2	त्रयोदस 10 1	11 1
4	कल्याण सिह (द्वितीय)		13.3		40 7		40 7		5 3

सारिणी सख्या 5 1 7 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विधानसभा के सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति मे लगातार विधान सभा दर विधानसभा बढ़ोत्तरी हो रही है। यदि इण्टरमीडिएट या कम स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो के विधान सभा मे प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो यह दृष्टिगोचर हो रहा है कि विधान सभाओ मे इस शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व लगातार कम हो रहा है। जहा 1991 मे गठित एकादश विधान सभा मे ऐसे सदस्यो का प्रतिनिधित्व 26.8 प्रतिशत हो गया तथा त्रयोदश विधान सभा मे और कम होकर 20 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। जबकि इस काल मत्रिपरिषद मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व अस्थिर रहा और यह 13 3 प्रतिशत

रेखा चित्र संख्या-5.1.6(स)
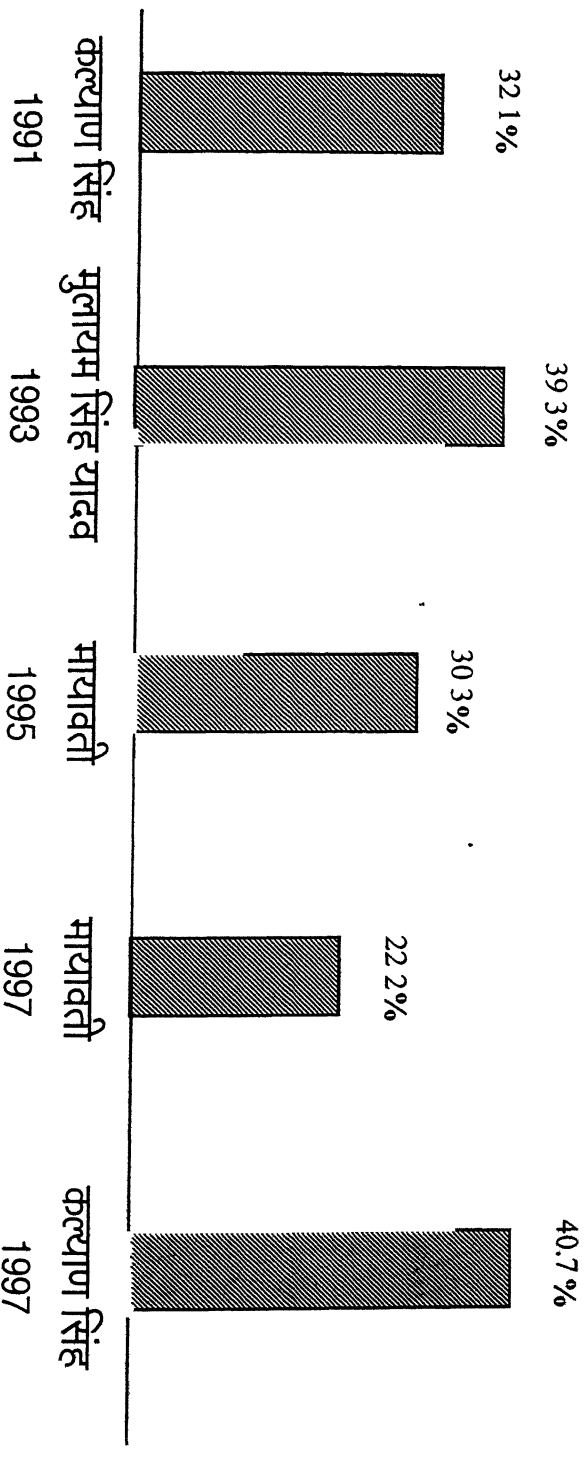
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. शैक्षिक प्रस्थिति के सदस्य

से 21 2 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न मन्त्रिपरिषदो मे रहा है। यहा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व हमेशा विधान सभा के अपेक्षा मत्रिपरिषदो मे कम रहा है।

यदि स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो के विधान सभा मे प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट होता है कि विधानसभा मे इस शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व लगातार बढ रहा है जहा 1991 मे गठित एकादश विधान सभा मे इनका प्रतिनिधित्व 34 4 प्रतिशत रहा वही 1993 मे गठित द्वादश विधान सभा मे इसका प्रतिनिधित्व बढकर 32 4 प्रतिशत रहा और त्रयोदश विधान सभा मे यह और बढकर 37 3 प्रतिशत हो गया जबकि इस काल मे (1991 से 1997) के मध्य स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो की मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व घटता-बढता रहा है और यह 51 1 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न मत्रिपरिषदो मे रहा, यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि 1993 मे गठित मुलायम सिह यादव के मत्रिमण्डल के मत्रिमण्डल को छोड दे तो इस काल मे गठित अन्य मत्रिपरिषदो मे स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व हमेशा विधान सभा मे इनके प्रतिनिधित्व से उच्च रहा है।

यदि स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यों का विधान सभा मे प्रति प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट है कि विधान सभा मे इस शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व लगातार बड रहा है। जहा 1991 मे गठित एकादश विधान सभा मे इनका प्रतिनिधित्व 27 3 रहा वही 1993 मे गठित द्वादश विधान सभा मे इनका प्रतिनिधित्व बढकर 31 5 प्रतिशत रहा है और त्रयोदश विधान सभा में यह और बढ़कर 32 6 प्रतिशात हो गया। जबकि इस काल (1991 से 1997) के मध्य स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो की मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व घटता बढता रहा है और यह 40 7 प्रतिशत से 22.2 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न मंत्रिपरिषदो मे रहा है। और यहा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि मायावती के नेतृत्व मे गठित

दोनो मत्रिपरिषदो को छोड दे तो इस काल मे गठित अन्य मत्रिपरिषदो मे स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व हमेशा विधानसभा मे इनके प्रतिनिधित्व से उच्च रहा है।

यहा यह तथ्य भी स्मरणीय है कि एकादश विधानसभा मे 15 5 प्रतिशत द्वादश विधानसभा मे 12 9 प्रतिशत तथा त्रयोदश विधानसभा मे 10 1 प्रतिशत सदस्य ऐसे रहे जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति अज्ञात रही।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषदो के सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति सम्बन्धी सम्पूर्ण आकडो के अध्ययन से जो प्रमुख तथ्य उजागर हो रहा है वह यह है कि इस काल मे मत्रिपरिषदो मे स्नातक या स्नातक से उच्च शिक्षा प्राप्त सदस्यो का ही वर्चस्व रहा है। और मत्रिपरिषद की लगभग 80 प्रतिशत प्रतिनिधित्व इन्ही को प्राप्त थी, उनको ही प्राप्त थी, जब की इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत के आस पास ही रही अत स्पष्ट है कि इस काल मे मत्रिपरिषदो के सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति काफी उच्च रही है और अधिकाशत प्रतिनिधित्व उच्च शिक्षा प्राप्त सदस्यो की भी। साथ ही इस काल मे विधान सभा मे भी उच्च शिक्षा प्राप्त सदस्यो का प्रतिनिधित्व काफी ऊचा रहा।

यदि इस काल मे गठित तीनो विधान सभाओ के सदस्यो की शैक्षिक प्रस्थिति का अवलोकन करे तो विधान सभा दर विधान सभा इनकी शैक्षिक प्रस्थिति ऊची हुई है।कितु मत्रिपरिषदो के सदस्यो के शैक्षिक स्तर मे अनुपात मे घट बढ होती रही है। सन् 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे व 1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद मे जहा इण्टरमीडिएट या कम स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो की सख्या 14 3 प्रतिशत रही है वही मायावती के दोनो मत्रिपरिषदो मे यह बढक प्रथम मत्रिपरिषद मे 21 2 व द्वितीय मंत्रिपरिषद मे 12 6 प्रतिशत रही है। यहा यह तथ्य भी उल्लेखनिय है कि मायावती की द्वितीय मत्रिपरिष भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की सयुक्त मत्रिपरिषद रही है और दोनो दलो से लगभग बराबर-बारबर सदस्य मत्रिपरिषद मे सम्मिलित

किये गये। जबकि 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे द्वितीय वार गठित मत्रिपरिषद मे इण्टरमीडिएट या कम शैक्षिक प्रस्थिति वाले सदस्यो का प्रतिनिधित्व इस काल मे गठित अन्य मत्रिपरिषदो की तुलना मे न्यूनतम 13 3 प्रतिशत रहा है इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक कम शैक्षिक स्तर वाला मत्रिपरिषद मायावती की 1995 मे प्रथम वार गठित मत्रिपरिषद रही है तत् पश्चात सबसे कम शैक्षिक प्रस्थिति वाली मत्रिपरिषद मायावती के नेतृत्व मे 1997 मे गठित बहुजन समाज पार्टी एव भारतीय जनता पार्टी की सयुक्त मत्रिपरिषद रही है। यहा यह तथ्य भी स्मर्णीय है कि 1993 के विधान सभा चुनाव तक बहुजन समाज पार्टी किसी भी उच्च जाति के सदस्य को अपने दल का उम्मिदवार नही बनाया, दूसरे शब्दो मे मायावती की बहुजन समाज पार्टी दलित एवं पिछडो को ही केन्द्र मे रख कर अपनी राजनैतिक लक्ष्यो का निर्धारण किया। शासन प्रशासन मे दलितो की भागीदारी सुनिश्चित कराना बहुजन समाज पार्टी का प्रमुख लक्ष्य रहा है। यदि दलित एवं पिछडी जाति के साक्षरता स्तर को देखे तो मायावती के मत्रिपरिषद के कम शैक्षिक स्तर को समझा जा सकता है।

लेकिन यहा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मायावती के मत्रिपरिषद मे भी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियो का ही वर्चस्व रहा है। इस आधार पर यह प्रतीत होता है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश की जनता का शैक्षिक स्तर काफी कम रहा है और पिछडो तथा दलितो की स्थिती और भी दयनीय रही है किन्तु यह अपने विधान सभा या मत्रिपरिषद के सदस्यो को उच्च शैक्षिक स्तर वाले प्रतिनिधी के रुप मे ही देखना पसन्द करते है। इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि चूकि मत्रिपरिषद एव विधान सभा मे आने वाले सदस्यो का शैक्षिक स्तर काफी ऊचा रहा है। अत राजनीतिक सफलता और शैक्षिक स्तर के बीच सह सम्बन्ध के रुप मे देखा जा सकता है आज भी उच्च शैक्षिक तथा कम शिक्षित लोगो का राजनैतिक चेतना का स्तर अपेक्षाकृत अशिक्षित तथा कम शिक्षित लोगो के स्तर से ऊंचा रहा है और यह तथ्य सभी वर्ग-धर्म जाति के लोगो पर लागू होती है क्योकि प्रत्येक

समुदाय का राजनैतिक नेतृत्व प्राय शिक्षित सभ्रान्त लोगो के रुप मे उभर कर सामने आ रहा है।

5.2 व्यवसायिक स्थिति

राजनीतिक समाज शास्त्र की यह बहु प्रचलित मान्यता है कि नीति निर्माताओ की सामाजिक पृष्ठभूमि का उनके दृष्टिकोण एव नीतियो पर प्रभाव अवश्यम्भावी है।[1] बचपन मे माता-पिता, अध्यापक, मित्र मण्डली के द्वारा जो विचार उनके मन मे घर कर दिये गये है, चेतन अथवा अवचेतन रुप में उनका प्रभाव उसके परवर्ती आचरण पर निश्चित पडता है[2] यही कारण है कि समाजशास्त्री विधायको की सामजिक एव आर्थिक पृष्ठभूमि के अध्ययन पर अधिक बल देते है। उनकी मान्यता है कि विधायको को साधारणतया अपने समाज का प्रतिबिम्ब होना चाहिए अर्थात् समाज मे जिस अनुपात मे विभिन्न सामाजिक वर्गो का प्रतिनिधित्व है उसी अनुपात मे विधान मण्डल मे उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए[3] यदि किसी विधान मण्डल की स्थिति ऐसी प्रतिनिधित्वपूर्ण नही है तो वहॉ सामाजिक तनाव आसन्न है।

समाज मे लोगो की ये आम धारणा है कि उनके व्यवसाय वर्ग का व्यक्ति जब शासन की प्रतिनिधत्व सभाओ मे पँहुचेगा तो उनकी समस्याओ एव कठिनाइयो को भली

---

1 पैरी जी - पॉलिटीकल इलीट, एलेन और यूनविन (1963) पृष्ठ सख्या 97

2 वही

3 पैरी जी - वही पृष्ठ 102

प्रकार समझ कर उनके हितो में कार्य करेगा। इस सन्दर्भ मे समाजवाद की एक शाखा श्रेणी समाजवाद की यह मान्यता है कि विधान मण्डलो का गठन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए। उनका मानना है कि एक व्यक्ति का एक व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व कभी नही किया जा सकता, प्रतिनिधित्व केवल किसी समूह के सामान हितो का किया जा सकता है जैसे- वकील, वकील हाने के नाते वकील का, डाक्टर, डाक्टर होने के नाते डाक्टर के हितो का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

व्यवसाय या वृत्ति की पृष्ठभूमि से सदस्यो के मस्तिष्क के झुकाव का बोध होता है और भिन्न-भिन्न समस्याओ के प्रति उनके दृष्टिकोण का पता चलता है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय का मत्रिपरिषद एव विधानमण्डलो मे प्रतिनिधित्व यह तथ्य भी प्रदर्शित करता है कि भिन्न-भिन्न व्यवसाय के लोगो की राजनीति के प्रति अभिरुचि कैसी है या किसी व्यवसाय वर्ग के लोगो मे राजनीतिक चेतना तथा राजनीतिक सहभागिता का स्तर क्या है ?

अतीत मे दृष्टि डाले तो, काग्रेस की स्थापना के समय जिसे राष्ट्रवादी राजनीतिक चेतना का उषाकाल माना जा सकता है, राजनीति मे पत्रकारिता तथा वकालत से जुडे लोगो की भागीदारी सर्वाधिक थी। स्वतत्रता के पश्चात लोकसभा के सदस्यो पर किए गये अध्ययन से पता चलता है कि वकीलो की सख्या घट रही है उसका स्थान कृषक एव जमीदार वर्ग के लोग ले रहे है।[4] कृषक वर्ग मे बडे जमीदारो से लेकर छोटे जर्मीदार व कृषक वर्ग सभी है लेकिन वे शहरी पेशेवर वर्ग के मुकाबले जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व किया था और स्वतत्रता के बाद सरकार का भी, देहाती जनता का प्रतिनिधित्व करते है।[5]

---

4 रत्नादत्त, 'द पार्टी रिप्रेजेन्टेटिव इन फोर्थ लोकसभा इक एड पोली, वीकली, 4 सख्या 1 व 2 जनवरी 1966 उद्धृत कोठारी रजनी - भारत मे राजनीति' नई दिल्ली, ओरिएन्ट लॉग मैन लिमिटेड, पृष्ठ 43 से ।

भारत मे दलो के नेता एव पदाधिकारियो के व्यवसायिक पृष्ठ भूमि से यह भी ज्ञात होता है कि यहॉ ऐसे दल है जिसमे कुछ निश्चित व्यवसायिक पृष्ठ भूमि के लोग ही आते है, जैसे स्वतत्र दल मे बडे जमीदार और भूमिपतियो का जमघट , जबकि मध्यम दर्जे के किसान कांग्रेस, जनसघ, बाम दलो में अधिक है, इसी तरह जनसघ मे व्यापार और उद्योग के लोग है, जो अधिकतर दुकानदार है, किन्तु स्वतत्र पार्टी में बडे व्यवसायीक और उद्योगपति है।[6] दूसरी और कम्यूनिष्ट पार्टी में अधिकाश ट्रेड यूनियन और पेशेवर राजनीतिक पत्रकार आदि है।[7]

उपर्युक्त सन्दर्भो को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध के इस अध्याय मे 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषदो के सदस्यो की व्यवसायिक पृष्ठ भूमि का अध्ययन किया गया है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्यवसाय को दस वर्गो मे विभक्त किया गया है यथा कृषि, सेवानिवृत्त अधिकारी, राजनीति एव सामाजिक कार्य, वकालत व्यापार एव उद्योग अध्यापन, लेखन एव पत्रकारिता, चिकित्सा, इन्जीनियरिंग तथा विविध।

---

5 कोठारी रजनी - 'भारत मे राजनीति' नई दिल्ली, ओरिएन्ट लॉग मैन लिमिटेड, पृष्ठ 143 से

6 रत्नादत्त वही से दृधृ।

7 कोठारी रजनी, वही

मई—जून 1991 मे एकादश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात् दिनाक 24 06 1991 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथमबार गठित तथा दिनाक 06 12 1992 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद के सदस्यो का व्यवसाय सारिणी सख्या 5.2 1 मे प्रदर्शित है—

सारिणी सख्या—5 2 1

सन् 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

क्र. स.	व्यवसाय	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा व मत्री—परिषद के मध्य)
		(अ)	(ब)	(अ)	(ब	1मत्री विधानसभा सदस्य
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि	237	56 7	10	17 9	23 7
2	सेवानिवृत्त अधिकारी	03	0 7	1	1 8	3
3	राजनीति एव सामाजिक कार्य	03	0 7	03	5 4	1
4	वकालत	44	10 5	21	37 5	2 1
5	व्यापार एव उद्योग	20	4 8	05	8 9	4
6.	अध्यापन	26	6 2	10	17 9	2 6
7	लेखन एव पत्रकारिता	04	1	01	1 8	4
8	चिकित्सा	07	1 7	03	5 4	2 3
9	इजीनियरिंग	02	0 5	-	-	-
10	विविध	08	1 9	-	-	-
11	अज्ञात	64	15 3	2	3.6	32
	योग—	418	100	56	100	7 5 (अनुपात)

सारिणी सख्या 5 2 1 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि कल्याण सिह (24 06 1991 से 06 12 1992 तक) के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित मत्रिपरिषद मे वकालत व्यवसाय से सर्वाधिक 21 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिसका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 37 5 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त कृषि व अध्यापन से 10-10 सदस्यो को, व्यापार व उद्योग से 5 सदस्यो को, राजनीति व सामाजिक कार्य तथा चिकित्सा से 3-3 सदस्यो को, सेवा निवृत्त अधिकारी वर्ग तथा लेखन व पत्रकारिता से 1-1 सदस्य को मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश कृषि तथा अध्यापन 17 9 फीसदी, व्यापार एव उद्योग 8 9 फीसदी, राजनीति व सामाजिक कार्य तथा चिकित्सा 5 4 फीसदी और सेवा निवृत्त अधिकारी एव लेखन व पत्रकारिता के व्यवसाय मे लिप्त सदस्यो का 1 8 फीसदी रहा।

यदि विधान सभा सदस्यो की व्यावसायिक प्रस्थिति का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि विधान सभा मे कृषि व्यवसाय से सर्वाधिक 237 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 56 7 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त क्रमश वकालत से 44, अध्यापन से 26, व्यापार एव उद्योग से 20, चिकित्सा से 7, सेवा निवृत्त अधिकारी व राजनीतिक एव सामाजिक कार्य से 03-03 इन्जीनियरिंग से 02 तथा विविध ा से 08 सदस्यो को विधान सभा मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिशत क्रमश वकालत–10 5, अध्यापन 6 2, व्यापार एव उद्योग 4 8, चिकित्सा 1 7, सेवा निवृत्त अधिकारी व राजनीतिक एव समाजिक कार्य 0 7-0 7, इन्जीनियरिंग 0 5 तथा विविध 1 9 फीसदी रहा।

सारिणी सख्या 5 2 1 के कालम–7 मे अन्तर्विष्ट आकडो के आधार पर यदि विधानसभा एव मन्त्रिपरिषद के सदस्यो के अनुपात पर दृष्टि डाले तो कृषि से 23 7, सेवा निवृत्त अधिकारी वर्ग से 3, राजनीतिक एव सामाजिक कार्य से 1, वकालत से 2 1, व्यापार एव उद्योग से 4, अध्यापन से 2 6, 4, चिकित्सा से 2 3, विधानसभा सदस्यो
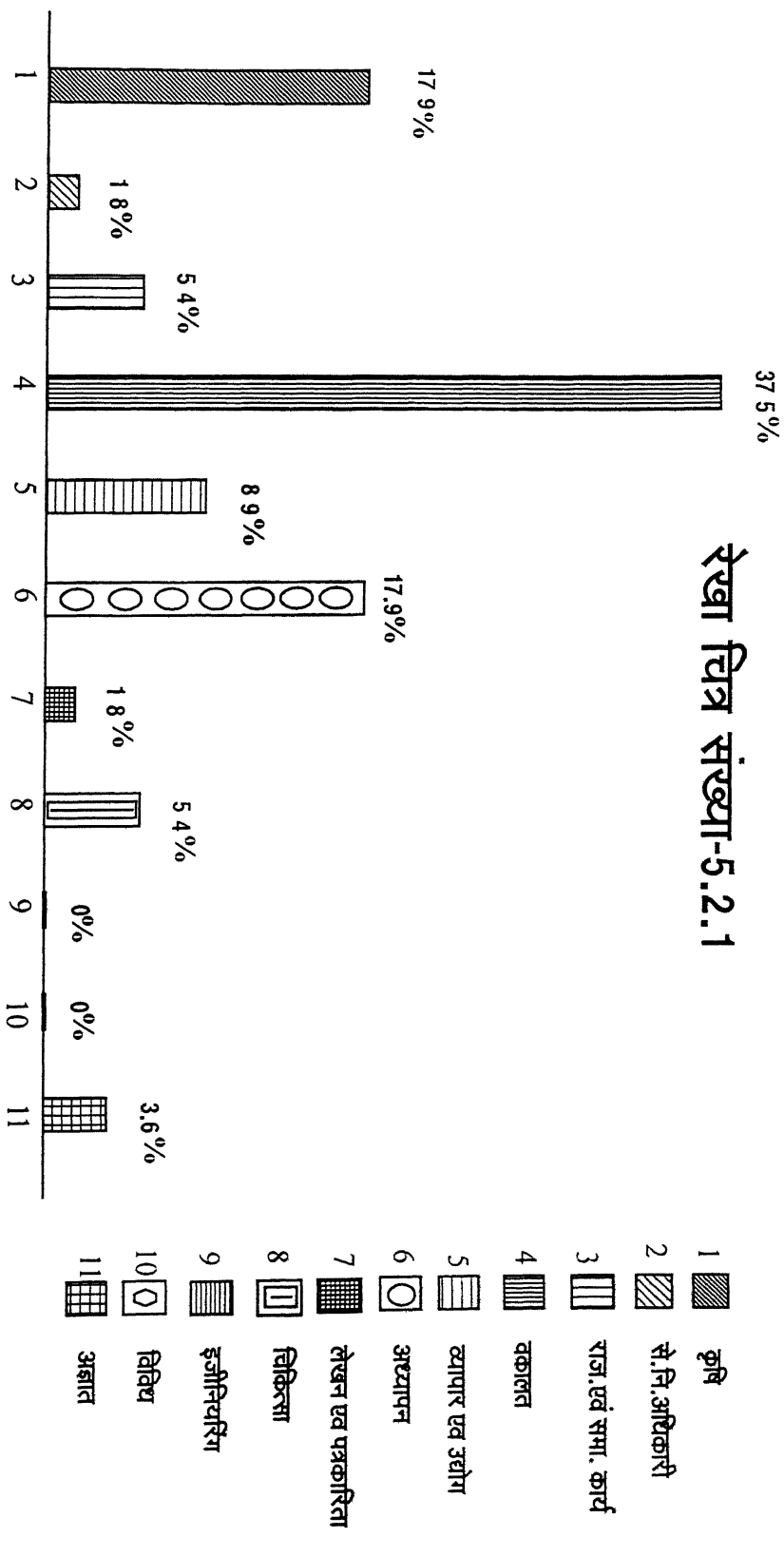
सन् 1991 में कल्याण सिंह के द्वारा गठित मंत्रिपरिषदों की व्यवसायिक प्रस्थिति

पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहा राजनीतिक एव सामाजिक कार्य करने वाले विधान सभा सदस्यो का मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व अनुपात सबसे उच्च रहा है वही कृषि कार्य करने वालो का अनुपात सबसे निम्न रहा है।

यदि उपर्युक्त अनुपातो की तुलना सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद व विधान सभा के अनुपात से करे तो स्पष्ट है कि समग्र अनुपात 7 5 है अर्थात् विधान सभा के 7 5 सदस्यो पर (चाहे वह किसी व्यवसाय का हो) मन्त्रिपरिषद मे एक सदस्य को स्थान प्रदान किया गया। जिसके सापेक्ष राजनीतिक एव सामाजिक कार्य, वकालत चिकित्सा, अध्यापन, सेवानिवृत्त अधिकारी, लेखन एव पत्रकारिता तथा उद्योग एव व्यापार को उच्च अनुपात प्रदान किया गया, वही केवल कृषि को निम्न अनुपात प्रदान किया गया। इस मन्त्रिपरिषद के सदस्यो के व्यवसाय को रेखाचित्र सख्या 5 2 1 मे दर्शाया गया है।

नवम्बर 1993 मे विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात् के दिनाक–04 12 1993 को मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक–03 06 1995 तक कार्यरत समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी की साझा मन्त्रिपरिषद के सदस्यो का व्यवसाय सारिणी सख्या 5 2 2 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 5 2 2 मे अन्तर्विष्ट ऑकडो के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि मुलायम सिह यादव (04 12 1993 से 03 06.1995 तक) के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद मे कृषि व्यवसाय के सर्वाधिक 10 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 16 1 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त राजनीति व सामाजिक कार्य व वकालत से 4-4 सदस्यो को, अध्यापन से 3 सदस्यो को, सेवा निवृत्त अधिकारी, व्यापार एव उद्योग, लेखन एव पत्रकारिता व चिकित्सा से 1-1 सदस्यो को मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश राजनीतिक कार्य तथा वकालत 14.3 फीसदी, अध्यापन 10 7 फीसदी, सेवा निवृत्त अधिकारी, व्यापार एव

उद्योग, लेखन एव पत्रकारिता व चिकित्सा से 3 6 फीसदी रहा।

यदि विधान सभा सदस्यो की व्यवासयिक प्रस्थिति का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि विधान सभा मे कृषि व्यवसाय से सर्वाधिक 161 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 37 8 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त क्रमश

सारिणी सख्या-5 2 2

1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद के सदस्यो का व्यवसाय

क्र. स.	व्यवसाय	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा व मत्री-परिषद के मध्य) 1मत्री विधानसभा सदस्य
		(अ) सख्या	(ब) प्रतिशत	(अ) सख्या	(ब) प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि	161	37 8	10	35 7	16 1
2.	सेवानिवृत्त अधिकारी	03	0.7	1	3.6	3
3	राजनीति एव सामाजिक कार्य	10	2 4	4	14 3	2 5
4	वकालत	64	15	4	14.3	16
5	व्यापार एव उद्योग	60	14 1	1	3 6	60
6	अध्यापन	47	11	3	10.7	15 7
7	लेखन एव पत्रकारिता	11	2.6	1	3 6	11
8	चिकित्सा	7	1.6	1	3 6	7
9	इजीनियरिग	02	0.5	-	-	-
10.	विविध	06	1.4	-	-	-
11	अज्ञात	55	12.9	3	10.7	18.3
	योग-	426	100	28	100	15.2 (अनुपात)

वकालत से 64, व्यापार एव उद्योग से 60, अध्यापन से 47, लेखन एव पत्रकारिता से 11, राजनीति एव सामाजिक कार्य से 10, चिकित्सा से 07, सेवा निवृत्त अधिकारी से 03, इजीनियरिंग से 02 तथा विविध से 06 सदस्यो को विधान सभा मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिशत क्रमश वकालत से 15 फीसदी, व्यापार एव उद्योग से 14.1 फीसदी, अध्यापन से 11 फीसदी, लेखन एव पत्रकारिता से 2 6, राजनीति एव सामाजिक कार्य से 2 4 फीसदी, चिकित्सा से 1 6 फीसदी, सेवा निवृत्त अधिकारी से 0 7 फीसदी, इजीनियरिंग से 0 5 फीसदी तथा विविध से 1.4 फीसदी रहा।

सारिणी सख्या 5.2 2 के कालम–7 मे अन्तर्विष्ट आकडो के आधार पर यदि विधानसभा एव मन्त्रिपरिषद के सदस्यो के अनुपात परदृष्टि डाले तो कृषि से 16 1, सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग से 3, राजनीति एव सामाजिक कार्य से 2 5, वकालात से 16, व्यापार एव उद्योग से 60, अध्यापन से 15 7, लेखन एव पत्रकारिता से 11, चिकित्सा से 7 विधान सभा सदस्यो पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहॉ राजनीति एव सामाजिक कार्य करने वाले विधानसभा सदस्यो का मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व अनुपात सबसे उच्च रहा है वही कृषि कार्य करने वालो का अनुपात सबसे निम्न रहा है।

यदि विभिन्न व्यवसाय के सन्दर्भ प्राप्त अनुपातो की तुलना सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद व विधान सभा के अनुपात से करे तो, स्पष्ट है कि समग्र अनुपात 15.2 है अर्थात् 15.2 विधानसभा सदस्यो (चाहे वह किसी व्यवसाय से सम्बन्धित हो) पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद मे स्थान प्रदान किया गया। जिसके सापेक्ष जहॉ राजनीतिक एव सामाजिक कार्य, सेवा निवृत्त अधिकारी वर्ग, लेखन एव पत्रकारिता तथा चिकित्सा को उच्च अनुपात मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है वही कृषि, वकालत, व्यापार एव उद्योगो को निम्न अनुपात मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस मन्त्रिपरिषद के सदस्यो के व्यवसाय को रेखाचित्र सख्या 5.2 2 मे दर्शाया गया है।
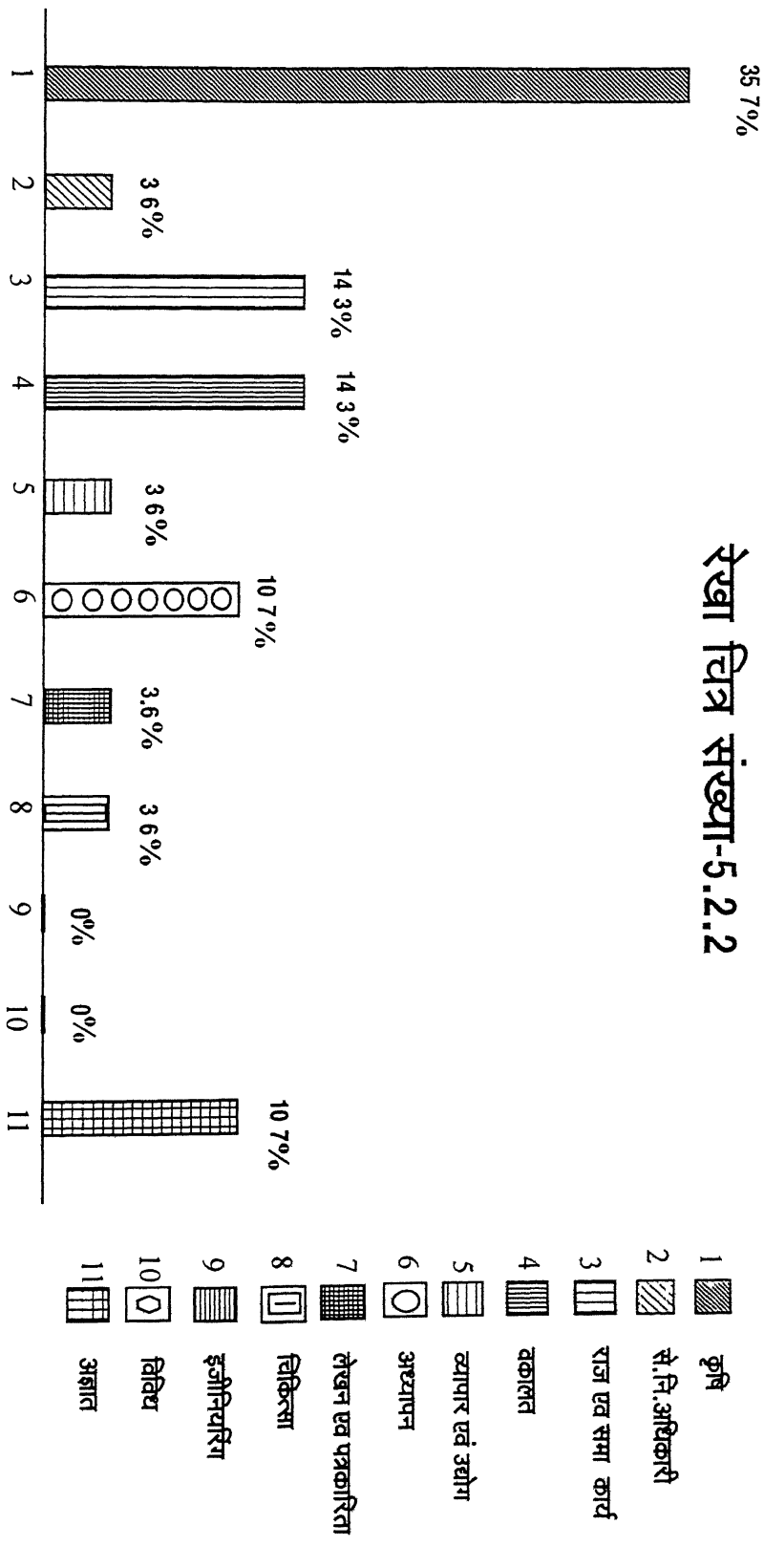
सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के द्वारा गठित मंत्रिपरिषदों की व्यवसायिक प्रस्थिति

मुलायम सिह यादव के मन्त्रि–परिषद के पतन के पश्चात् दिनाक– 03 06 1995 को मायावती के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक–18 10.1995 तक कार्यरत मन्त्रि–परिषद के सदस्यो का व्यवसाय सारिणी सख्या–5 2 3 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 5 2 3 अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि मायावती (03 06.1995 से 08 10 1995 तक) के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद मे कृषि व्यवसाय से सर्वाधिक 12 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 36.4 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त वकालत से 08 सदस्यो को, व्यापार एव उद्योग से 05 सदस्यो को, राजनीति व सामाजिक कार्य से 02 सदस्यो को तथा अध्यापन व लेखन एव पत्रकारिता से 1–1 सदस्यो को मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश वकालत 24 2 फीसदी, व्यापार एव उद्योग 15 2 फीसदी, राजनीति व सामाजिक कार्य 6 1 फीसदी तथा अध्यापन व लेखन एव पत्रकारिता से 03 0 फीसदी रहा।

यदि विधान सभा सदस्यो की व्यावासयिक प्रस्थिति का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि विधान सभा मे कृषि व्यवसाय से सर्वाधिक 161 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 37 8 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त क्रमश वकालत से 64, व्यापार एव उद्योग से 60, अध्यापन से 47, लेखन एव पत्रकारिता से 11, राजनीति एव सामाजिक कार्य से 10, चिकित्सा से 07, सेवा निवृत्त अधिकारी से 03, इजीनियरिंग से 02 तथा विविध से 06 सदस्यो को विधान सभा मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिशत क्रमश वकालत से 15 फीसदी, व्यापार एव उद्योग से 2 6 फीसदी, राजनीति एव सामाजिक कार्य से 2 4 फीसदी, चिकित्सा से 1 6 फीसदी, सेवा निवृत्त अधिकारी से 0 7 फीसदी, इजीनियरिंग से 0 5 फीसदी तथा विविध से 1 4 फीसदी रहा।

सारिणी सख्या 5.2.3 के कालम–7 मे अन्तर्विष्ट आकडो के आधार पर यदि विधानसभा एव मन्त्रिपरिषद के सदस्यो के अनुपात परदृष्टि डाले तो कृषि से 13.4,

राजनीति एव सामाजिक कार्य से 5, वकलात से 8, व्यापार एव उद्योग से 12, अध्यापन से 47, लेखन एव पत्रकारिता से 11 विधान सभा सदस्यो पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहा राजनीति एव सामाजिक कार्य करने वाले विधान सभा सदस्यो का मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व अनुपात सबसे उच्च रहा है, वही अध्यापन कार्य करने वालो का अनुपात सबसे निम्न रहा है।

सारिणी सख्या-5 2.3

1995 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रि-परिषद के सदस्यो का व्यवसाय

क्र. स.	व्यवसाय	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा व मत्री-परिषद के मध्य) 1मत्री विधानसभा सदस्य
		(अ) सख्या	(ब) प्रतिशत	(अ) सख्या	(ब) प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि	161	37 8	12	36 4	13.4
2	सेवानिवृत्त अधिकारी	03	0 7	-	-	-
3	राजनीति एव सामाजिक कार्य	10	2 4	2	6 1	5
4.	वकालत	64	15	8	24 2	8
5.	व्यापार एव उद्योग	60	14 1	5	15 2	12
6.	अध्यापन	47	11	1	3.1	47
7.	लेखन एव पत्रकारिता	11	2.6	1	3	11
8.	चिकित्सा	7	1 6	-	-	-
9.	इजीनियरिग	02	0 5	-	-	-
10	विविध	06	1 4	-	-	-
11	अज्ञात	55	12.9	4	12 1	13.8
	योग-	426	100	33	100	12.9(अनुपात)

यदि विभिन्न व्यवसाय के सन्दर्भ मे प्राप्त अनुपातो की तुलना सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद व विधान सभा के अनुपात से करे तो, स्पष्ट है कि समग्र अनुपात 12 9 है अर्थात् 12 9 विधानसभा सदस्यो (चाहे वह किसी व्यवसाय से सम्बन्धित हो) पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद मे स्थान प्रदान किया गया। जिसके सापेक्ष जहॉ राजनीतिक एव सामाजिक कार्य, वकालत तथा लेखन एव पत्रकारिता तथा चिकित्सा को उच्च अनुपात मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है वही अध्यापन, कृषि तथा व्यापार एव उद्योग को निम्न अनुपात मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस मन्त्रिपरिषद के सदस्यो के व्यवसाय को रेखाचित्र सख्या 5 2 3 मे दर्शाया गया है।

सितम्बर–अक्टूबर 1998 मे त्रयोदश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात् दिनाक 21 3.97 को मायावती के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक 21·9·97 तक कार्यरत, भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की साझा मत्रिपरिषद के सदस्यो का व्यवसाय सारिणी सख्या 5 2 4 मे प्रदर्शित है।

सारिणी सख्या 5 2 4 के अन्तर्विष्ट ऑकडो के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि मायावती (21 3 97 से 21 9.97 तक) के नेतृत्व मे गठित द्वितीय मत्रिपरिषद मे कृषि व वकालत व्यवसाय से सर्वाधिक 13-13 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 28 9 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त राजनीति एव सामाजिक कार्य व अध्यापन से 05–05 सदस्यो को, व्यापार एव उद्योग से 03 सदस्य को, सेवा निवृत्त अधिकारी से 02 सदस्य, तथा लेखन एव पत्रकारिता से 01 सदस्य को मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश राजनीति एव सामाजिक कार्य व अध्यापन 11 1 फीसदी, व्यापार एव उद्योग 6 7 फीसदी, सेवा निवृत्त अधिकारी 4 4 फीसदी तथा लेखन एव पत्रकारिता 2 2 फीसदी रहा।

यदि विधानसभा सदस्यो की व्यावसायिक प्रस्थिति का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि विधानसभा में कृषि व्यवसाय से सर्वाधिक 170 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ

रेखा चित्र संख्या-5.2.3
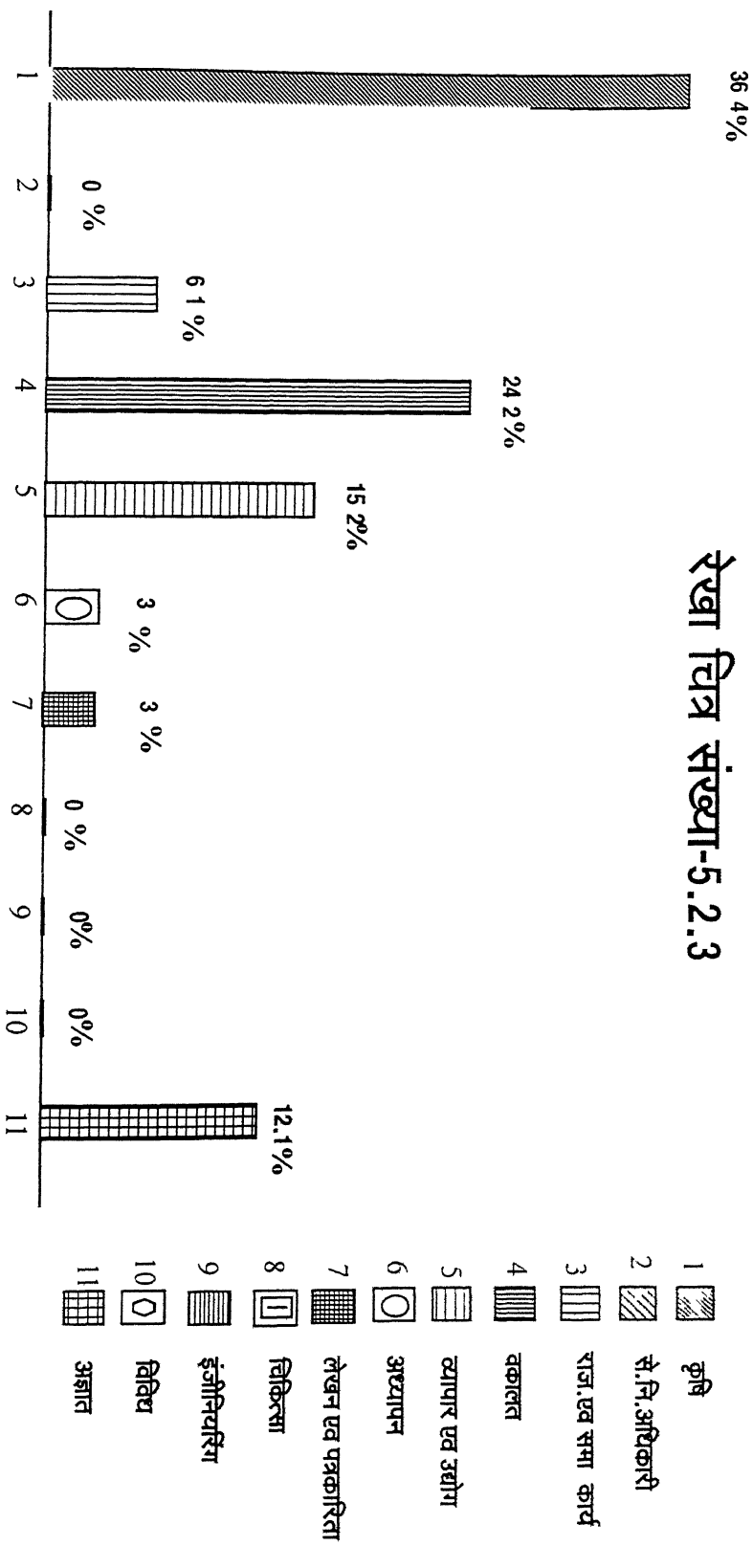
सन् 1995 में मायावती के द्वारा गठित मंत्रिपरिषदों की व्यवसायिक प्रस्थिति

सारिणी सख्या–5.2.4

1997 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद के सदस्यो का व्यवसाय

क्र० स०	व्यवसाय	विधानसभा		मन्त्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा व मत्रीपरिषद के मध्य) 1 मत्री विधानसभा सदस्य
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि	170	39 9	13	28 9	13 1
2	सेवानिवृत्त अधिकारी	03	0 7	02	4 4	1 5
3	राजनीति एव सामाजिक कार्य	11	2.6	05	11.1	2 2
4	वकालत	74	17 4	13	28 9	5 9
5	व्यापार एव उद्योग	63	14 8	03	6 7	21
6	अध्यापन	34	8	05	11 1	6 8
7	लेखन एव पत्रकारिता	10	2 4	01	2 2	10
8	चिकित्सा	10	2 4	-	-	-
9	इजीनियरिंग	02	0 5	-	-	-
10	विविध	06	1 4	-	-	-
11	अज्ञात	41	9 6	03	6 7	13.7
	योग	426	100	45	100	9 5

जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 39 9 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त क्रमश वकालत से 74, व्यापार एव उद्योग से 63, अध्यापन से 34, राजनीति एव सामाजिक कार्य से 11, लेखन एव पत्रकारिता व चिकित्सा से 10-10, सेवा निवृत्त अधिकारी से 03, इजीनियरिंग से 02 तथा विविध से 06 सदस्यो को विधान सभा मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिशत क्रमश

राजनीति एव सामाजिक कार्य से 2 6 फीसदी, लेखन एव पत्रकारिता व चिकित्सा से 2 4 फीसदी, सेवानिवृत्त अधिकारी से 0 7 फीसदी, इजीनियरिंग से 0 5 फीसदी तथा विविध से 1 4 फीसदी रहा।

सारिणी सख्या 5 2.4 के कालम (V) मे अन्तर्विष्ट ऑकडो के आधार पर यदि विधानसभा एव मत्रिपरिषद के सदस्यो के अनुपात पर दृष्टि डाले तो कृषि से 13 1, सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग से 1 5 राजनीति एव सामाजिक कार्य से 2 2, वकालत से 5 9, व्यापार एव उद्योग से 21, अध्यापन से 6 8 लेखन एव पत्रकारिता से 10, विधानसभा सदस्यो एक सदस्य को मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहॉ सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग को विधानसभा सदस्यो का मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व अनुपात सबसे उच्च रहा है वही कृषि कार्य करने वालो का अनुपात सबसे निम्न रहा।

यदि विभिन्न व्यवसायो के अनुपात की तुलना सम्पूर्ण मत्रिपरिषद व विधानसभा के अनुपात से करे तो स्पष्ट है कि समग्र अनुपात 9 5 है अर्थात् विधानसभा के 9 5 सदस्यो पर (चाहे वह किसी भी व्यवसाय से सम्बन्धित) मत्रिपरिषद मे एक सदस्य को स्थान प्रदान किया गया। जिसके सापेक्ष सेवानिवृत्त अधिकारी, राजनीति एव सामाजिक कार्य, वकालत व अध्यापन को उच्च अनुपात मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया वही कृषि, व्यापार एव उद्योग तथा लेखन एव पत्रकारिता को निम्न अनुपात मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस मत्रिपरिषद के सदस्यो के व्यवसाय को रेखाचित्र सख्या 5 2.5 मे दर्शाया गया है।

भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के सविदा के परिणाम स्वरूप छ महीने की अवधि की सामाप्ति के पश्चात् मुख्यमत्री मायावती द्वरा दिये गये त्यागपत्र के उपरान्त दिनाक 21 9 97 को कल्याण सिह के नेतृत्व मेगठित मत्रिपरिषद मे 31 दिसम्बर 1997 तक विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यो के प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 8 5 मे प्रदर्शित किया गया है।

रेखा चित्र संख्या-5.2.4
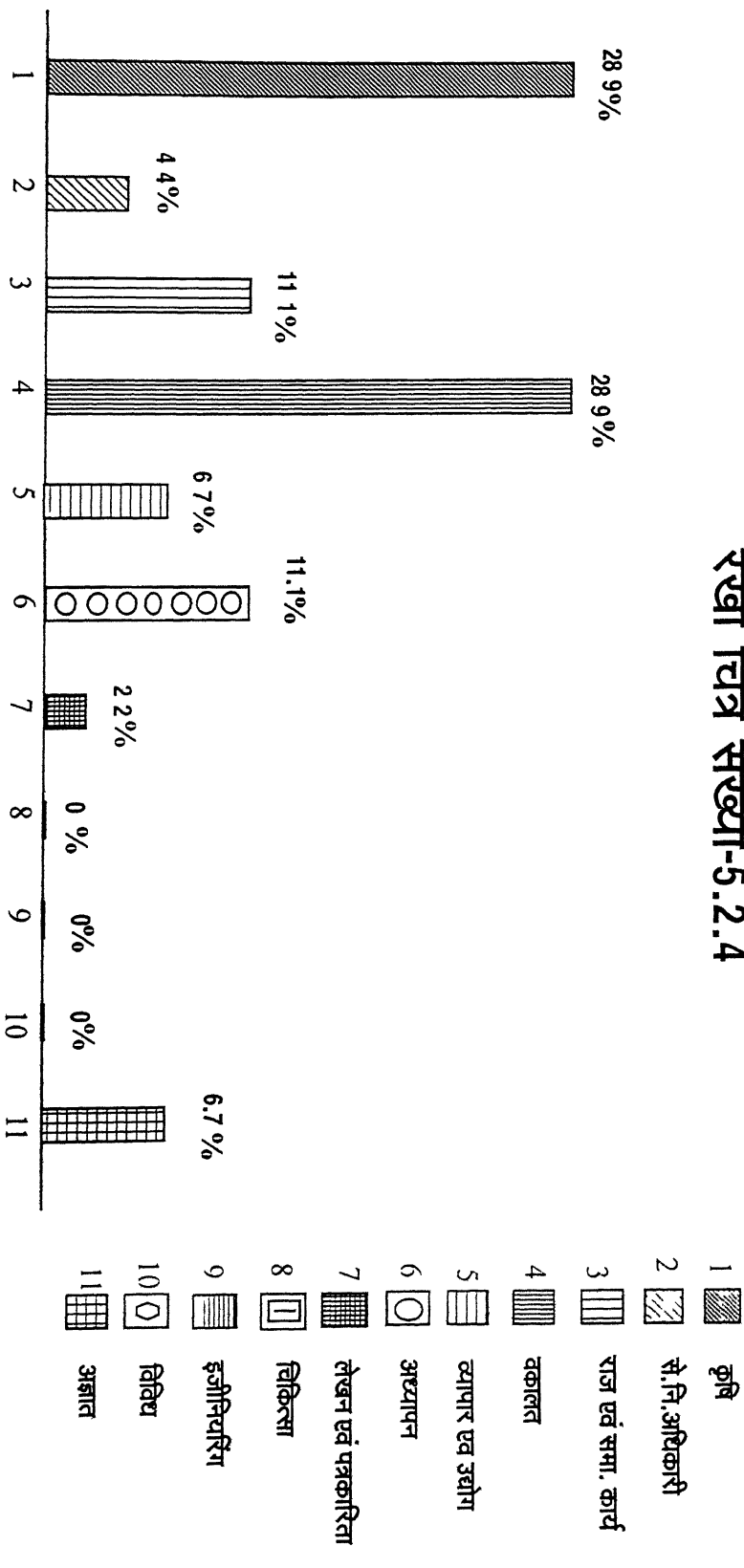
सन् 1997 में मायावती के द्वारा गठित मंत्रिपरिषदों की व्यवसायिक प्रस्थिति

सारिणी सख्या–5.2.5

1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद के सदस्यो का व्यवसाय

क्र० स०	व्यवसाय	विधानसभा		मत्रिपरिषद		अनुपात (विधानसभा व मत्रीपरिषद के मध्य) 1 मत्री विधानसभा सदस्य
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	कृषि	170	39 9	48	42 5	3 5
2	सेवानिवृत्त अधिकारी	03	0 7	03	2 6	1
3	राजनीति एव सामाजिक कार्य	11	2 6	06	5 3	1 8
4.	वकालत	74	17.4	27	23 9	2.7
5	व्यापार एव उद्योग	63	14.8	12	10 6	5.3
6	अध्यापन	34	8	09	8	3 8
7	लेखन एव पत्रकारिता	10	2 4	3	2 6	3 3
8	चिकित्सा	10	2 4	1	9	10
9.	इजीनियरिंग	02	0 5	-	-	-
10.	विविध	06	1 4	1	9	6
11.	अज्ञात	41	9 6	03	2 7	13 7
		426	100	113	100	3 8 अनुपात

सारिणी सख्या 5.2 5 के अन्तर्विष्ट ऑकडो के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि मायावती (21 3 97 से 21 9 97 तक) के नेतृत्व मे गठित द्वितीय मत्रिपरिषद मे कृषि व वकालत व्यवसाय से सर्वाधिक 13-13 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 42.5 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त वकालत से 9 सदस्य को राजनीति एव सामाजिक कार्य से 06 सदस्यो को, सेवानिवृत्त अधिकारी व लेखन एव पत्रकारिता से 03-03

सदस्यो को , तथा चिकित्सा तथा विविध से 1-1 सदस्यो को मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश वकालत 23 9 फीसदी, व्यापार एव उद्योग 10 6 फीसदी अध्यापन 8 फीसदी, राजनीति एव सामाजिक कार्य 5 3 फीसदी, सेवा निवृत्त अधिकारी व लेखन एव पत्रकारिता 2 6 फीसदी, चिकित्सा तथा विविध 9 फीसदी रहा।

यदि विधानसभा सदस्यो की व्यावसायिक प्रस्थिति का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि विधानसभा मे कृषि व्यवसाय से सर्वाधिक 170 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 39 9 फीसदी रहा। इसके अतिरिक्त क्रमश वकालत से 74, व्यापार एव उद्योग से 63, अध्यापन से 34, राजनीति एव सामाजिक कार्य से 11, लेखन एव पत्रकारिता व चिकित्सा से 10-10, सेवा न्विृत्त अधिकारी से 03, इजीनियरिंग से 02 तथा विविध से 06 सदस्यो को विधान सभा मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनका प्रतिशत क्रमश वकालत से 17 4 फीसदी, व्यापार एव उद्योग से 14 8 फीसदी, अध्यापन से 8 फीसदी, राजनीति एव सामाजिक कार्य से 2 6 फीसदी, लेखन एव पत्रकारिता व चिकित्सा से 2 4 फीसदी, सेवानिवृत्त अधिकारी से 0 7 फीस्दी, इजीनियरिंग से 0 5 फीसदी तथा विविध से 1 4 फीसदी रहा।

सारिणी सख्या 5 2 5 के कालम (V) मे अन्तर्विष्ट ऑकडो के आधार पर यदि विधानसभा एव मत्रिपरिषद के सदस्यो के अनुपात पर दृष्टि डाले तो कृषि से 13.5, सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग से 1 राजनीति एव सामाजिक कार्य से 1 8, वकालत से 2.7, व्यापार एव उद्योग से 5 3, अध्यापन से 3 8 लेखन एव पत्रकारिता से 3 3, चिकित्सा से 10 एव विविध से 6, विधानसभा सदस्यो पर एक सदस्य को मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहॉ सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग को विधानसभा सदस्यो का मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व अनुपात सबसे उच्च रहा है वही कृषि कार्य करने वालो का अनुपात सबसे निम्न रहा।

यदि विभिन्न व्यवसायो के अनुपात की तुलना सम्पूर्ण मत्रिपरिषद व विधानसभा के अनुपात से करे तो स्पष्ट है कि समग्र अनुपात 3 8 है अर्थात् विधानसभा के 3 8 सदस्यो पर

रेखा चित्र संख्या-5.2.5
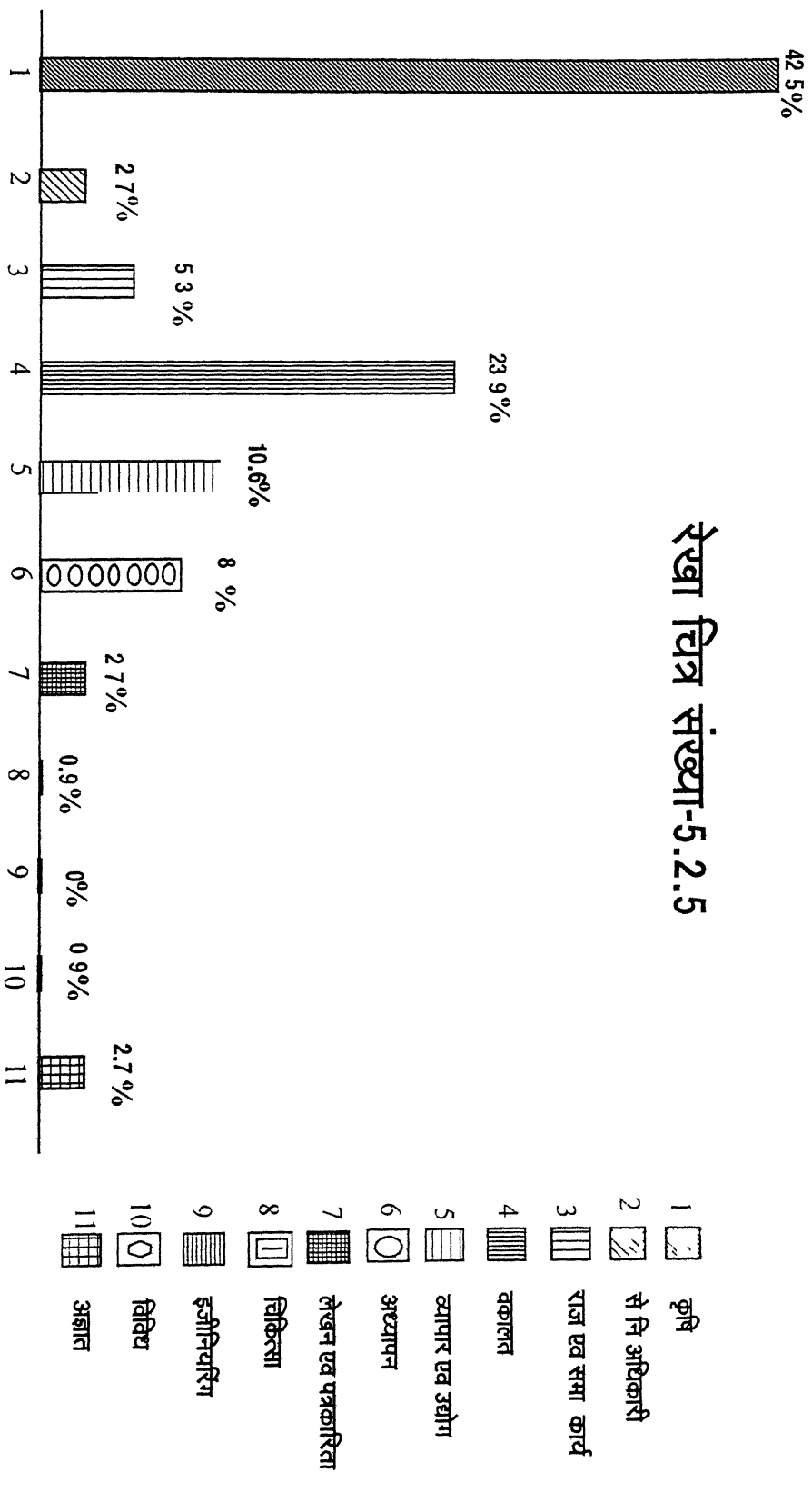
सन् 1997 में कल्याण सिंह के द्वारा गठित मंत्रिपरिषदों की व्यवसायिक प्रस्थिति

(चाहे वह किसी भी व्यवसाय से सम्बन्धित) मत्रिपरिषद मे एक सदस्य को स्थान प्रदान किया गया। जिसके सापेक्ष सेवानिवृत्त अधिकारी, राजनीति एव सामाजिक कार्य, वकालत व अध्यापन को उच्च अनुपात मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया वही कृषि, व्यापार एव उद्योग तथा लेखन एव पत्रकारिता को निम्न अनुपात मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस मत्रिपरिषद के सदस्यो के व्यवसाय को रेखाचित्र सख्या 5 2.5 मे दर्शाया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्यगठित विभिन्न मत्रिपरिषद मे विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यो मे प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 5 2 6 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 5 2 6 के अन्तर्गत ऑकडो के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन् 1991 से सन् 1997 के मध्य गठित पॉचो मत्रिपरिषदो मे प्रत्येक मे सर्वाधिक सदस्य कृषि व्यवसाय से आये जिसमे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 42 5 फीसदी 1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित द्वितीय मत्रिपरिषद का रहा। तद्पश्चात् मायावती के प्रथम मत्रिपरिषद मे 36 4 प्रतिशत, मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद मे 35 7 प्रतिशत, मायावती के द्वितीय मत्रिपरिषद मे 28 9 प्रतिशत तथा कल्याण सिह की सन् 1991 मे गठित प्रथम मत्रिपरिषद मे 17 9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व कृषि व्यवसाय करने वाले सदस्यो को प्राप्त हुआ।

यदि सारिणी सख्या 5.2 6 के माध्यम से सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग का विभिन्न मत्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि इस वर्ग के सदस्यो को सर्वाधि ाक प्रतिनिधित्व 4.4 प्रतिशत मायावती के 1997 मे गठित द्वितीय मत्रिपरिषद मे प्राप्त हुआ, तद्पश्चात् मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद मे 3 6 प्रतिशत, कल्याण सिह ने द्वितीय मत्रिपरिषद मे 2.7 प्रतिशत और कल्याण सिह के प्रथम मत्रिपरिषद मे 1.8 प्रतिशत प्रतिनिधि ात्व इस वर्ग के सदस्यो को प्राप्त हुआ, यहा यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मायावती के प्रथम मत्रिपरिषद मे सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नही था ।

यदि राजनीति एव सामाजिक कार्य करने वाले सदस्यो के प्रतिनिधित्व की स्थिति विभिन्न मत्रिपरिषदो मे क्या है? का अवलोकन करे तो सारिणी सख्या 5.2.6 मे स्पष्ट है कि इस व्यवसाय वर्ग के सदस्यो को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 14.3 प्रतिशत मुलायम सिह यादव के

सारिणी संख्या- 5.2.6

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषद : व्यवसाय

क्र0 स0	व्यवसाय	मन्त्रिपरिषद										
		कल्याण सिह प्रथम 24-06-91 से 06-12-92 तक		मुलायम सिह यादव 04-12-93 से 03-06-95 तक		मायावती प्रथम 03-06-95 से 18-10-95 तक		मायावती द्वितीय 21-03-97 से 21-09-97 तक		कल्याण सिह द्वितीय 21-09-97 से ----------तक		समग्र 1991 से 1997
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या
1	कृषि	10	17 9	10	35 7	12	36 4	13	28 9	48	42 5	93
2	सेवा निवृत्व अधिकारी	1	1 8	1	3 6	-	-	2	4 4	3	2 7	7
3	राजनिती एव सामाजिक कार्य	3	5 4	4	14 3	2	6 1	5	11 1	6	5 3	20
4	वकालत	21	37 5	4	14 3	8	24 2	13	38 9	27	23 9	73
5	व्यापार एव उद्योग	5	8 9	1	3 6	5	15 2	3	6 7	12	10 6	26
6	अध्यापन	10	17 9	3	10 7	1	3	5	11 1	9	8	28
7	लेखन एव पत्रकारिता	1	1 8	1	3 6	1	3	1	2 4	3	2 7	7
8	चिकित्सा	3	5 4	1	3 6	-	-	-	-	1	0 9	6
9	इजीनियरिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0 9	1
11	अज्ञात	2	3 6	3	10 7	4	12 1	3	6 7	3	2 7	15
योग		56	100	28	100	33	100	45	100	113	100	275

मत्रिपरिषद मे प्राप्त मे हुआ है, तत्पश्चात् मायावती के द्वितीय मत्री–परिषद मे 11 1 प्रतिशत मायावती के प्रथम मत्रिपरिषद मे 6 1 प्रतिशत कल्याण सिह के प्रथम एव द्वितीय मत्रिपरिषद मे क्रमश 5 4 प्रतिशत व 5 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

यदि सारिणी सख्या 5 2 6 के माध्यम से वकालत पेशे से आयी सदस्यो का विभिन्न मत्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि इस व्यवसाय वर्ग के सदस्यो को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 5 3 प्रतिशत कल्याण सिह के प्रथम मत्रिपरिषद मे प्राप्त हुआ, तत्पश्चात् मायावती के द्वितीय मत्री परिषद मे 24 2 प्रतिशत कल्याण सिह के द्वितीय मत्रिपरिषद मे 23 9 प्रतिशत तथा मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद मे 14 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व इस व्यवसाय वर्ग के सदस्यो को प्राप्त हुआ । यहा यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 1991 से 1997 के मध्य गठित होने वाले पॉचो मत्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व कृषि के बाद सर्वाधिक इसी पेशे से आने वाले सदस्यो का है।

यदि सारिणी 5 2 6 के माध्यम से व्यापार एव उद्योग वर्ग से आने वाले सदस्यो का विभिन्न मत्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि इस वर्ग के सदस्यो को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 15 2 फीसदी मायावती की प्रथम मत्रिपरिषद मे प्राप्त हुआ। तद्पश्चात् कल्याण सिह की द्वितीय मत्रिपरिषद मे 10 6 प्रतिशत, कल्याण सिह के प्रथम मन्त्रिपरिषद मे 8.9 प्रतिशत, मायावती की द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 6.7 प्रतिशत तथा मुलायम सिह यादव की मन्त्रिपरिषद मे 3 6 प्रतिशत स्थान व्यवसाय वर्ग के सदस्यो को प्राप्त हुआ।

यदि सारिणी सख्या 5 2 6 के माध्यम से अध्यापन कार्य करने वाले सदस्यो का विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि इस वर्ग के सदस्यो को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 17 9 प्रतिशत कल्याण सिह की प्रथम मन्त्रिपरिषद मे प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 11 1 प्रतिशत, कल्याण सिह

के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 8 प्रतिशत तथा मुलायम सिह यादव एव मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद मे 3-3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व इस व्यवसाय वर्ग के सदस्यो को प्राप्त हुआ है।

यदि सारिणी सख्या 5 2 6 के माध्यम से लेखन एव पत्रकारिता से सम्बन्धित सदस्यो का विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि इस व्यवसाय वर्ग के सदस्यो को सर्वाधिक 3 6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद मे प्राप्त हुआ। तद्पश्चात् मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषद मे 3 प्रतिशत, कल्याण सिह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 2 7 प्रतिशत, मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 2 2 प्रतिशत तथा कल्याण सिह के प्रथम मन्त्रिपरिषद मे 1 8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व इस व्यवसाय वर्ग के सदस्यो को प्राप्त हुआ।

यदि सारिणी सख्या 5 2 6 के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र मे कार्यरत सदस्यो का विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि इन व्यवसाय वर्ग के सदस्यो को सर्वाधिक 5.4 प्रतिशत प्रतिनिधित्व कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित प्रथम मन्त्रिपरिषद मे प्राप्त था। तद्पश्चात् मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद मे 3.6 प्रतिशत, कल्याण सिह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 0 9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व चिकित्सा क्षेत्र मे कार्यरत सदस्यो को प्राप्त हुआ। यहॉ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मायावती के प्रथम एव द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे इस व्यवसाय वर्ग के किसी सदस्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो सका।

यदि सरिणी सख्या 5 2.6 के माध्यम से इजीनियरिंग क्षेत्र मे कार्यरत सदस्यो के विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि इस व्यवसाय वर्ग के किसी भी सदस्य को किसी भी मन्त्रिपरिषद मे कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो पाया।

यदि सारिणी सख्या 5 2.6 के माध्यम से विविध (फोटोग्राफी, जीवन बीमा

एजेन्ट, ट्रासपोर्टेशन एव सन्यास दीक्षा आदि) क्षेत्रो मे कार्यरत सदस्यो का विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि केवल कल्याण सिह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 0 9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व इन क्षेत्रो मे कार्यरत सदस्यो को प्राप्त हुआ, जबकि अन्य मन्त्रिपरिषदो मे इस वर्ग के सदस्यो को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो सका।

इसके अतिरिक्त कल्याण सिह के प्रथम मन्त्रिपरिषद मे 3 6 प्रतिशत, मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद मे 10.7 प्रतिशत मायावती के प्रथम मन्त्रिपरिषदो मे 12 1 प्रतिशत एव मायावती के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 6 7 प्रतिशत तथा कल्याण सिह के द्वितीय मन्त्रिपरिषद मे 2 7 प्रतिशत सदस्यो के व्यवसाय के विषय मे कोई जानकारी शोधार्थिनी को प्राप्त नही हो पायी। इन तथ्यो को रेखाचित्र सख्या 8.6 मे दर्शाया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यो की प्रस्थिति का अवलोकन करने के पश्चात् जो तथ्य उजागर हो रहा है उसमे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यो की प्रतिनिधित्व का कोई निश्चित अनुपात नही रहा है, अर्थात् विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यो का प्रतिनिधित्व घटता–बढता रहा है। लेकिन प्रत्येक मन्त्रिपरिषदो मे एक तथ्य सामान्य है कि कृषि क्षेत्र मे कार्यरत सदस्यो को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है जो इस काल मे गठित सभी मन्त्रिपरिषदो मे (कल्याण सिह के प्रथम मन्त्रिपरिषद को छोडकर) 17 9 प्रतिशत से 42.5 प्रतिशत के बीच ठहरता है यदि इसकी तुलना प्रदेश की जनसख्या मे कृषि कार्य मे रत व्यक्तियो के प्रतिशत से करे तो यह कहा जा सकता है कि मन्त्रिपरिषद मे इस व्यवसाय वर्ग को यद्यपि सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान हो रहा है तथापि प्रदेश की जनसख्या के कृषि कार्य करने वाले भाग का हू बहू प्रतिनिधित्व नही करते, अर्थात् इसे प्रदेश की जनसख्या मे कृषि कार्य मे रत व्यक्तियो के प्रतिशत से निम्न प्रतिशत मे मन्त्रिपरिषदो मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है।

इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उजागर होरहा है कि मन्त्रिपरिषदो मे कृषि के अलावा सर्वाधिक वकालत, अध्यापन तथा व्यापार एव उद्योग, व्यवसाय वर्ग से आने वाले सदस्यो को प्रतिधिनित्व प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक मन्त्रिपरिषद मे लगभग दो तिहाई या उससे अधिक इन्ही व्यवसाय वर्ग से आने वाले सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है। यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विधान सभाओ मे भी इन्ही अर्थात् कृषि, वकालत, व्यापार एव उद्योग तथा अध्यापन क्षेत्र से आने वाले सदस्यो की प्रमुखता रही है तथा विधान सभा मे लगभग दो तिहाई प्रतिनिधित्व इन्ही व्यवसाय वर्ग के लोगो का रहा है।

अध्ययन के माध्यम से यहॉ यह तथ्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि मन्त्रिपरिषदो मे तकनीकी क्षेत्र से अर्थात् चिकित्सा, इन्जीनियरिंग क्षेत्रो के कार्यरत सदस्यो को मन्त्रिपरिषदो मे अत्यन्त अल्प प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है तथा कई मन्त्रिपरिषदो मे इन्हे कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो सका है। लेकिन अध्ययन मे यह तथ्य भी प्रकट हो रहा है कि तकनीकी क्षेत्रो मे कार्यरत सदस्यो का निर्वाचित होकर विधान सभा मे आने का प्रतिशत अत्यन्त अल्प रहा है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि तकनीकी क्षेत्र मे कार्यरत व्यक्तियो की प्रदेश की सक्रिय राजनीति मे सहभागिता के प्रति रूचि का अभाव रहा है। यहॉ यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि जो सदस्य इस व्यवसाय से चुन कर विधान सभा मे आये है, उनका मन्त्रिपरिषद मे सम्मिलित होने की अनुपात की दर काफी उच्च रही है, अध्ययन के माध्यम से यह तथ्य भी प्रकाश मे आ रहा है कि सेवा निवृत्त अधिकारी, राजनीतिक एवम् सामाजिक कार्य तथा लेखन एव पत्रकारिता मे सलग्न व्यक्तियो मे जो विधान सभा के लिए निर्वाचित होते है उनमे मन्त्रिपरिषद मे सम्मिलित होने की सम्भावना सर्वाधिक होती है।

अध्ययन के आधार पर यह तथ्य भी सामने आता है कि 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यो को जो प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है वह इसी दौरान कार्यरत विधानसभा मे विभिन्न व्यवसाय वर्ग

के सदस्यो के प्रतिनिधित्व से भिन्न है अर्थात् विधान सभा मे व्यवसाय वर्ग के प्रतिनिधित्व का समान चित्र कल्याण सिह के मन्त्रिपरिषद मे प्रस्तुत नही किया गया। किन्तु इसके पश्चात् मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद के अध्ययन से स्पष्ट हो रहा है कि उस समय विधान सभा मे विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यो को जिस अनुपात मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है लगभग उसी अनुपात का अनुसरण मुलायम सिह यादव के मन्त्रिपरिषद मे करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार का प्रयास 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित प्रथम मन्त्रिपरिषद मे भी किया गया। किन्तु मायावती के इस मन्त्रिपरिषद के विषय मे यह तथ्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि सेवा निवृत्त अधिकारी वर्ग के साथ तकनीकी क्षेत्र मे कार्यरत सदस्यो को कोई प्रतिनिधित्व प्रदान नही किया गया।

इसी क्रम 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित द्वितीय मन्त्रिपरिषद के विषय मे अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विधानसभा मे विभिन्न वर्गो के व्यक्तियो के अनुपात का अनुसरण मायावती के मन्त्रिपरिषद मे नही किया गया। साथ ही इस मन्त्रिपरिषद मे तकनीकी क्षेत्र मे कार्यरत सदस्यो को प्रतिनिधित्व नही प्रदान किया गया। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट उजागर हो रहा है कि मायावती अर्थात् बसपा के नेतृत्व मे जब–जब मन्त्रिमण्डल का गठन हुआ तकनीकी क्षेत्र मे कार्यरत सदस्यो की अवहेलना की गयी। 1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद के विषय मे यह तथ्य प्रकाश मे आ रहा है कि विभिन्न व्यवसाय वर्ग के सदस्यो को विधान सभा मे जिस अनुपात मे प्रतिनिधित्व प्राप्त है, लगभग उसी का अनुसरण मन्त्रिपरिषद मे करने का प्रयास किया गया है या प्रदान किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस काल मे मत्रिपरिषद के सदस्यो का शैक्षिक पृष्ठ भूमि अत्यन्त उत्साहवर्धक है। अत यह लोकतत्र को सशक्त सम्न्वय प्रदान करती हुई प्रतीत हो रही है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा का जेतना उन्नत स्तर मत्रियों का है सदन मे उनके आचरण और सम्भाषण मे भी वही

षष्ठम् अध्याय

मंत्रिपरिषद में स्त्री-पुरूष का प्रतिनिधित्व

अध्याय- 6

मंत्रिपरिषद में स्त्री - पुरुष का प्रतिनिधित्व

स्वतत्र भारत मे सविधान निर्माताओ ने जब पुरुष और नारी को समान अधिकार प्रदान किए तथा इन अधिकारो की रक्षा के लिए [1] सविधान मे समुचित व्यवस्था [2] की तो उनका यह कदम क्रान्तिकारी माना गया।[3] यह क्रान्तिकारी इसलिए था कि प्रथम तो, इसने भारतवर्ष को न केवल अन्य विकसित राष्ट्रो की पक्ति मे ला खडा किया वरन् कुछ दिशाओ मे विकसित राष्ट्रो को भी पीछे ढकेल दिया तथा दूसरे, यह प्रचलित भारतीय परम्पराओ, जिनने नारी की स्थिति पुरुष की अपेक्षा अत्यन्त हीन मानी गयी है, से सर्वथा भिन्न था।

जहा तक अन्य राष्ट्रो का सम्बन्ध है ब्रिटेन, फ्रान्स तथा स्विटरजरलैण्ड विश्व के उन कुछ गिने चुने राष्ट्रो मे से है-जिनकी राजनीतिक व्यवस्था अत्यन्त विकसित तथा प्रगतिशील मानी जाती है किन्तु फिर भी ब्रिटेन मे सन् 1958 से पूर्व महिलाओ को लार्ड सभा की सदस्यता से वचित रखा गया था, फ्रान्स मे चतुर्थ गणतन्त्र से पूर्व महिलाओ को मताधिकार प्राप्त नही था स्विटजरलैण्ड मे सन् 1971 से पूर्व महिलाओ को राष्ट्रीय परिषद् के निर्वाचन मे मत देने का अधिकार प्राप्त नही था। इस दृष्टि से भारतीय सविधान सभा का निर्णय निश्चित ही प्रगतिशील एव क्रान्तिकारी कहा जाना चाहिए।

जहा तक भारतीय परम्पराओ का सम्बन्ध है यह सत्य है कि स्वतन्त्रता से पूर्व महिलाओ

---

1 भारतीय सविधान, अनुच्छेद 14, 15, 16

2 वही, अनुच्छेद 32 एव 226

3 स्टेटस ऑफ वूमेन इन इण्डिया (सिनोपासिस आफ द रिपोर्ट द नेशनल कमेटी आन द स्टेटस आफ ओमन (1971-74) इण्डियन काउन्सिल आफ सोशल साइस एण्ड रिसर्च ,

की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त दुर्बल थी। प्राचीन काल मे भारतीय महिलाओ को कोई राजनैतिक अधिकार प्राप्त नही थे। उन दिनो तो पुरुषो को भी आज की भाति स्वतन्त्र राजनैतिक अधिकार प्राप्त नही थे, अत स्त्रियो की स्वतन्त्र राजनीतिक स्थिति का कोई प्रश्न ही नही उठता। उन दिनो राजनैतिक अधिकार केवल शासको को प्राप्त थे और शासक अधिकाशतमे पुरुष ही होते थे। महिला शासको का दृष्टान्त केवल दो प्रदेशो, कश्मीर एव लका मे मिलते है।कश्मीर की सुगन्धा एव दिद्धा तथा लका की लालवती ऐसी विधवा रानिया थी जो अपने पतियो के निधन के उपरान्त सत्तारुढ हुई। तत्कालीन अशान्त राजनीतिक स्थिति के ही कारण शासन-कार्य का सुअवसर उन्हे प्राप्त हुआ। महावश मे तीन और रानियो का उल्लेख मिलता है जिन्होने लका मे शासन किया था और उनके नाम है-अनुला, शिवाली और कल्याणवती। कश्मीर के शासक अनन्त की पत्नी सूर्यमती का भी उल्लेख मिलता है जिसने अपने पति के साथ सयुक्त रुप से कश्मीर का शासन किया था।[4]

मध्य काल मे दिल्ली की रजिया सुल्ताना, बीजापुर की चादबीबी और आधुनिक काल मे भावणकोर की गौरी लक्ष्मी बाई तथा गौरी पार्वती बाई का भी उल्लेख मिलता है जिन्होने अपने-अपने क्षेत्र मे शासन-कार्य सम्पादित किया।[5]

भोपाल तो लगभग एक शताब्दी तक महिला-शासको द्वारा शासित होता रहा। भोपाल की प्रमुख शासिका थी- नवाब कुदसिया बेगम, नबाब सुल्ताना जहा बेगम, नवाब सिकन्दर तथा नवाब शाहजहॉ बेगम।[6]

जहा तक साधारण महिलाओ का सम्बन्ध है उनके राजनैतिक उत्थान का आरम्भ होता है अखिल भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापनासे, जिसने अपने प्रारम्भिक काल से ही महिलाओ को काग्रेस सगठन के चुनावो मे मतदान करने, काग्रेस के वार्षिक अधिवेशनो मे **प्रत्याशि** (डेलीगेटस)

---

4 इन्दिरा - 'द स्टेटस आफ ओमन', लाहौर 1904 पृ0 174-175

5 सेनगुप्ता, पदमिनी द स्टोरी आफ ओमन आफ इण्डिया, नई दिल्ली, पृ0132, 133, 134, 173, 175

6 वही, पृ0 177

बनने तथा काग्रेस मच से भाषण करने का अधिकार प्रदान किया और 1917 मे एक महिला को काग्रेस अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया।[7]

शासकीय सगठनो मे सन् 1914-15 मे भारतीय महिलाओ को सर्वप्रथम बम्बई तथा मद्रास प्रेसीडेन्सी की नगरपालिकाओ के चुनावो मे मतदान का अधिकार दिया गया, किन्तु यह इतनी कम महिलाओ को प्राप्त हुआ कि इसका महिलाओ की चेतना पर कोई विशेष प्रभाव नही पडा और जब कुछ ही समय बाद इसे समाप्त कर दिया गया तो इसके विरुद्ध कोई आवाज भी नही उठायी गई।

भारतीय महिलाओ को राजनीतिक स्थिति मे एक नये मोड का आरम्भ होता है सन् 1917 से जब श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व मे एक शिष्टमण्डल ने तत्कालीन भारत-मन्त्री माण्टेग्यु के समक्ष एक स्मृति-पत्र रखा [8] जिसमे अन्य बातो के साथ यह माग भी रखी गयी कि महिलाओ के साथ, लिग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाय और उन्हे वे समस्त अधिकार प्रदान किये जायें जो पुरुषो को प्राप्त हों।[9] किन्तु माण्टेग्यु ने इस माग को अस्वीकर कर दिया और सन् 1918 मे मताधिकार से सम्बन्धित सिफारिशे देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त (साउथ बरो) समिति ने भी माण्टेग्यु के इस विचार से सहमति व्यक्त की थी। [10] परिणामस्वरुप सन् 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा महिलाओ को मताधिकार प्राप्त नही हो सका किन्तु माण्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारो द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि नव निर्वाचित विधानमण्डल चाहे तो महिलाओ को मताधिकार दे सकते है। इस व्यवस्था का लाभ उठाते हुए सर्वप्रथम मद्रास ने 1921 मे प्रान्तीय विधान परिषद के निर्वाचन मे महिलाओ को मताधिकार प्रदान किया।[11] कालातर मे अन्य प्रातो मे एक के

---

7 मेनन एल एन- पालिटिकल राइट आफ ओमन इन इण्डिया मे से उद्धृत अप्पादोरई0 ए0 (सम्पा0) द स्टेटस आफ ओमन इन साउथ एशिया, कलकत्ता, 1954 पृ0 86

8 बेग टी0 ए0(सम्पा0) - ओमन आफ इण्डिया, दिल्ली 1956 पृ035

9 मेनन एल0 एन0, वही से उध्दृत पृ086

10कुप्पूस्वामी बी- सोशल चेन्ज इन इण्डिया. दिल्ली (1972) पृ0 192

11 मेनन एल0 एन0, वही से उध्दृत प0 86

बाद एक, मताधिकार दिया जाने लगा। सन् 1926 तक भारत के सभी प्रान्तो मे महिलाओ को मताधिकार प्राप्त हो गया। [12] किन्तु मताधिकार सम्बन्धित शर्ते (सम्पत्ति तथा शिक्षा सम्बन्धी योग्यताए) इतनी कडी थीं कि सन् 1921 से 1933 के बीच जहा एक ओर 6,80,00,000 पुरुषो को मताधिकार प्राप्त था, वही दूसरी ओर इस अवधि मे केवल 3,15,651 महिलाओ को ही मताधिकार प्राप्त था। [13] जब सन् 1932 मे मताधिकार से सम्बन्धित लोथयिन कमेटी भारत आई तो भारतीय महिलाएँ इतनी सगठित हो चुकी थी कि उनकी मागो की सर्वथा उपेक्षा सम्भव नही थी। परिणामस्वरुप महिलाओ के मताधिकार से सम्बन्धित व्यवस्था मे कुछ ढिलाई की गई। अब महिलाओ को पत्नीत्व के आधार पर मताधिकार प्राप्त हो गया तथा उनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता मे भी कमी कर दी गयी।[14]

इसका परिणाम यह निकला कि भारतीय प्रान्तो मे महिला मतदाताओ की सख्या बढकर 60,00,000 हो गई किन्तु फिर भी स्त्री और पुरुष मतदाताओ का अनुपात1-5 का बना रहा।[15]

जहा तक ईम्पीरियल लेजिस्लेटिव एसेम्बली एव कौसल आफ स्टेट का सम्बन्ध है उन प्रान्तो को जिनमे महिलाओ को मताधिकार प्रदान कर दिया गया, अनुमति दे दी गई कि वे उक्त दोनो सदनो के निर्वाचन के लिए महिलाओ को मताधिकार प्रदान कर सकते है। सर्वप्रथम सन् 1923 मे महिलाओ ने इससे लाभ उठाया।[16]

सन् 1923 मे भारत सरकार ने एक प्रगतिशील कदम और उठाया। उसने महिलाओ को प्रान्तीय विधान परिषदो की सदस्यता की अनुमति दे दी।[17]

---

12 मेनन एल0 एन0, वही से उध्दृत प0 86

13 मेनन एल0 एन0, वही से उध्दृत प0 86

14 मेनन एल0 एन0, वही से उध्दृत प0 86

15 कोवेकर एस वी द रोल आफ ओमन इन द जनरल इलेक्शन इन इण्डिया(1951-52) इन अप्पादोरई ए0 (संपा0) द स्टेटस आफ ओमन इन साउथ एशिया, कलकत्ता, 1954, पृ0 104

16 इण्डियन इयर बुक, 1929 बम्बई, पृ0577

17 वेग टी0 ए0 (सपा0) वहीं से उध्दृत पृ0 92

मद्रास पहला प्रान्त था जिसकी विधान परिषद मे महिलाएँ सर्वप्रथम प्रवेश पा सकी।[18] महिलाएँ विधानमण्डल मे एक निश्चित अनुपात मे निर्वाचित हो सके इसके लिए कालान्तर मे विधानमण्डलो मे उनके लिए कुछ सीटें भी सुरक्षित रख दी गयीं।[19] परणिामस्वरुप सन् 1933 से 1936 के बीच तीन प्रान्तो-मध्य प्रान्त, सयुक्त प्रान्त तथा मद्रास की विधान परिषदों मे, प्रत्येक मे, एक-एक महिला को सदस्यता का अवसर प्राप्त हुआ।[20]

सन् 1937 के निर्वाचन मे 8 महिलाए साधारण निर्वाचन क्षेत्रो से एव 42 सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रो से विभिन्न प्रान्तीय विधान सभाओ मे निर्वाचित हुयीं । 5 महिलाओ को विधान मण्डल के द्वितीय सदन मे नामाकित भी किया गया।[21] दो महिलाए-श्रीमती अनुसूया बाई काले तथा श्रीमती सिफाई मलानी क्रमश मध्य प्रान्त एव सिन्ध विधानसभाओ की उपाध्यक्ष भी चुनी गयीं ।[22] श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति एव श्रीमती ज्योति वेकटाचलम् मद्रास मे,[23] श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित सयुक्त प्रान्त मे[24] मन्त्रीपद पर भी नियुक्त की गयीं । श्रीमती जहाआरा शाहनवाज पजाब मे पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी नियुक्त हुई ।[25]

जहाँ तक केन्द्रीय विधान मण्डल का सम्बन्ध है, सन् 1936 से 42 के बीच 1 और 1943 मे 2 महिलाएं केन्द्रीय विधान सभा की सदस्याएँ रही ।[26]

---

18 इण्डियन इयर बुक, 1929 बम्बई, पृ0 577

19 मेनन एल0 एन0, वहीं से उध्दृत प0 86

20 मित्रा द इण्डियन एनुअल, रजिस्टर, कलकत्ता, वैल्यूम 1 आफ 1933, 1935 और 1936

21 मेनन एल0 एन0, वहीं से उध्दृत पृ0 86-87

22 वेग टी0 ए0 (सपा0) वहीं से उध्दृत पृ0 98

23 वेग टी0 ए0 (सपा0) वहीं से उध्दृत पृ0 92

24 मित्रा द इण्डियन एनुअल, रजिस्टर, कलकत्ता, वैल्यूम 1 आफ 1938, पृ0 178

25 मित्रा द इण्डियन एनुअल, रजिस्टर, कलकत्ता, वैल्यूम 1 आफ 1938, पृ0 234

26 मित्रा: द इण्डियन एनुअल, रजिस्टर, कलकत्ता, वैल्यूम 1 आफ 1939, पृ0 40-41 और 42

भारत की विभिन्न देशी रियासतो मे भावणकोर पहली रियासत थी जिसने सन् 1920 के अन्तिम चरण मे महिलाओ को मताधिकार प्रदान किया और इसके तत्काल बाद झालावाड ने भी इसका अनुगमन किया। [27] इतना ही नही, सन् 1926 तक भारत की तीन रियासतो भावणकोर, कोचीन एव राजकोट मे लिग के आधार पर भेदभाव को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। वहा न केवल महिलाओ को विधानमण्डल के लिए निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, वरन् दो महिलाए राजकोट की नवगठित प्रतिनिधि परिषद् की सदस्याए निर्वाचित हुई। एक महिला श्रीमती पूनम लुखोज तो सन् 1925 मे कोचीन रियासत मे स्वास्थ्य मन्त्री पद पर नियुक्त भी हुई। [28]

जहॉ तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है सन् 1923 मे सयुक्त प्रान्तीय विधान परिषद ने सर्वानुमति से यह प्रस्ताव पास किया कि महिलाओ को मताधिकार प्रदान किया जाय।[29] सन् 1926 से 1936 के बीच सयुक्त प्रान्तीय विधान परिषद् ने सदैव 1 महिला सदस्या बनी रही। [30] सन् 1937 के निर्वाचन मे 11 महिलाए विधानसभा के लिये निर्वाचित हुई तथा 3 महिलाए विधानपरिषद् की सदस्या बनी ।[31]

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भी भारतीय राजनीति मे महिलाओ की सक्रिय भूमिका बनी रही है। केवल मताधिकार एव निर्वाचन मे ही महिलाओ ने भाग नही लिया। वरन् विभिन्न राजनीतिक एव शासन के पदो पर भी महिलाओ ने आसीन होकर सक्रिय योगदान दिया है। श्रीमती गाधी भारत की वह प्रतिभाशाली महिला थी जो लगभग 16 वर्षो तक प्रधान मत्री पद पर रहीं। सरोजिनी नायडू के रुप मे प्रदेश को एक प्रतिभाशाली मुख्यमत्री मिला।

रंग, जाति , धर्म भाषा के समान ही लिग के भेद-भाव को अस्वीकार कर महिलाओ को

---

27 इण्डियन इयर बुक, 1929 बम्बई, पृ0576

28 इण्डियन इयर बुक, 1929 बम्बई, पृ0577

29इण्डियन इयर बुक, 1929 बम्बई, पृ0576

30 वेद इण्डियन इयर बुक और इण्डियन एनुयल रजिस्टर फार दीज इयर

31 मित्रा: द इण्डियन एनुअल, रजिस्टर, कलकत्ता, वैल्यूम 1 आफ 1938, पृ0 177-180

पुरुषो के समान अवसर की समानता का अधिकार उपलब्ध है। यद्यपि स्त्रियो के पुरुषो के समान अधिकार, अवसर की समानता तथा सैद्धान्तिक रुप मे स्त्री-पुरुष समानता है तथापि यह सत्य अस्वीकार नही किया जा सकता कि भारतीय समाज व्यवहार मे पुरुष प्रधान समाज है। सामाजिक रीतिया, परम्पराए, धर्म, निर्धनता एव अशिक्षा आदि महिलाओ के शोषण एव महिलाओ पर पुरुषो की प्रधानता स्थापित करने मे सहायक हुई है तथा कानून द्वारा उपलब्ध समानता ही यदा-कदा महिलाओ के उत्पीडन को रोकने मे सहायक रही है। अधिकाशत केवल अभिजन वर्ग की महिलाओ को ही पुरुषो के समान स्वतन्त्रता को भोगने के अवसर मिले है।

प्रदेश मे विद्यमान वर्तमान राजनीतिक परिवेश मे सामान्य महिलाओ की पुरुषो के समकक्ष भागीदारी की अपेक्षा भी नही की जा सकती। दिन-प्रतिदिन मूल्यविहीन राजनीति के प्रसार मे महिलाओ का पुरुषो के समान सक्रिय होकर पुरुषो के बराबर भागीदारी प्राप्त कर पाना अभी प्रश्नचिन्हित ही है।

मई-जून 1991 मे एकादश विधान सभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात दिनाक 24-6-91 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथमवार गठित तथा दिनाक 6-12-92 तक कार्यरत मन्त्रिपरिषद मे स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 6 1 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या-6 1

सन् 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद

क्र० स०	लिग	विधानसभा		मत्रिपरिषद		विधानसभा मे सदस्यो के आधार पर मत्रिपरिषद प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
१	पुरुष	408	97.6	54	96 4	13.2
२	स्त्री	10	2.4	2*	3.6	20
योग		418	100	56	100	13 4

*कल्याण सिह के इस मत्रिपरिषद मे दो महिला सदस्य श्रीमती प्रेमलता कटियार कैबिनेट मत्री तथा श्रीमती शारदा चौहान राज्य मत्री थी।

सारिणी सख्या 6 1 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनाक 24-6-91 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित तथा 6-12-92 तक कार्यरत मत्रिपरिषद मे कुल 56 सदस्य थे, जिसमे 54 पुरुष तथा 2 स्त्री सदस्य थी, इस प्रकार मत्रिपरिषद् मे उनका प्रतिनिधि प्रतिशत क्रमश पुरुषो का 96 47 प्रतिशत तथा स्त्रीयो का 3 6 प्रतिशत रहा। जबकि विधानसभा मे 418 सदस्यो मे 408 पुरुष तथा 10 स्त्री सदस्या थीं। इनका प्रतिशत क्रमश पुरुष 97 6 प्रतिशत तथा स्त्री 2 4 प्रतिशत रहा।

यहा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विधान सभा की कुल 10 महिला सदस्यो मे से 2 को मत्रिपरिषद मे सम्मिलित किया गया जो विधान सभा मे महिला सदस्यो के प्रतिनिधित्व के आधार पर 20 प्रतिशत रहा। इस प्रकार यह विधान सभा के पुरुष सदस्यो के मत्रिपरिषद् मे सम्मिलित होने के प्रतिशत 13 2 से उच्च रहा।

इस प्रकार सारिणी सख्या 6 1 के सम्पूर्ण तथ्यो के प्रकाश मे यहा कहा जा सकता है कि इस काल मे यद्यपि मत्रिपरिषद् एवम् विधान सभा मे पुरुषो की तुलना मे स्त्रियो का प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प रहा है तथापि विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद् मे स्त्रियो को थोडा अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, किन्तु यह अन्तर भी नाम मात्र का है। यहॉ यह तथ्य भी ध्यान योग्य है कि विधानसभा मे से मत्रिपरिषद् मे आने की सम्भावना पुरुषो की तुलना मे स्त्रियो की अधिक है।कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित इस मन्त्रिपरिषद मे स्त्री-पुरूष प्रतिनिधित्व को रेखा चित्र सख्या 6 1 (अ) तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलना रेखाचित्र सं0 6 1 (ब) मे दर्शाया गया है।

नवम्बर 1993 मे द्वादश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनावों के परिणामस्वरुप दिनाक 4-12-93 को मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक 3-6-95 तक कार्यरत समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी की साझा मत्रिपरिषद् मे स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 6 2 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 6 2 के अन्तर्विष्ट आकड़ो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनाक 4-12-93 को मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित तथा 3-6-95 तक कार्यरत मंत्रिपरिषद् मे कुल
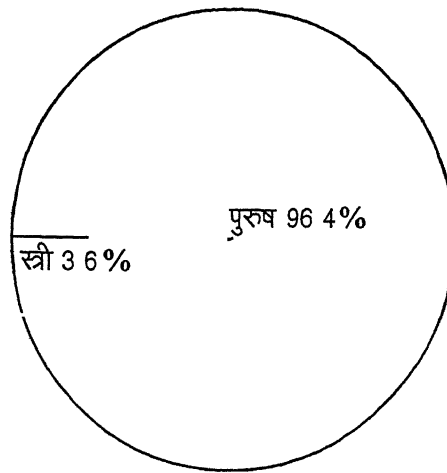
सन 1991 मे कल्याण सिह के मंत्रिपरिषद मे स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व
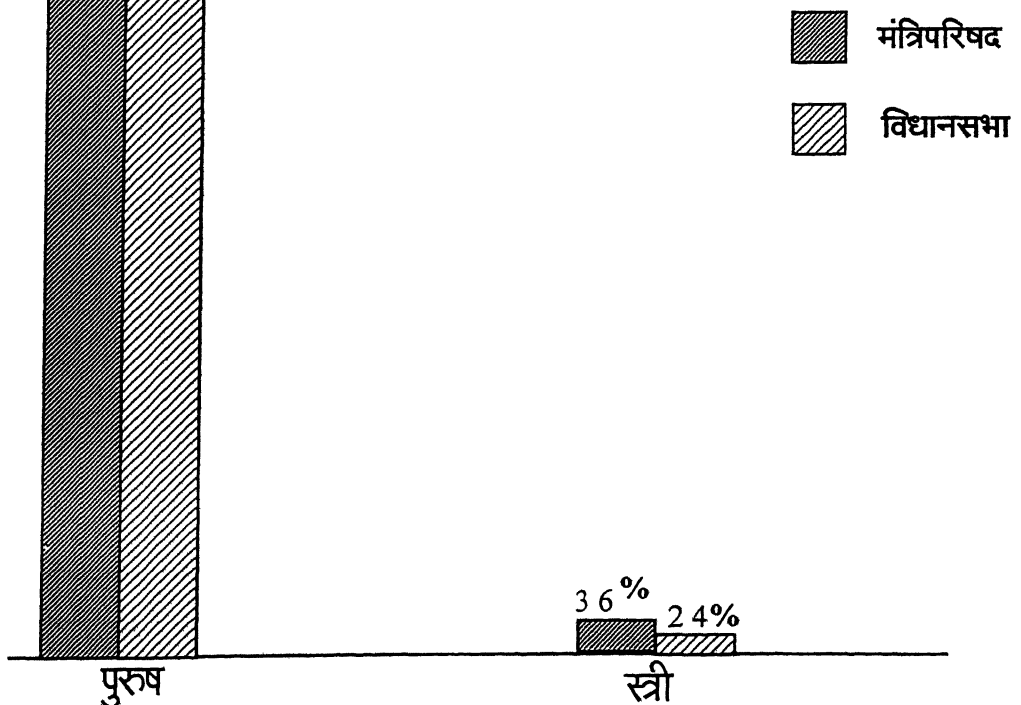
सन 1991 में कल्याण सिंह के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

सारिणी सख्या-6.2

सन् 1993 में मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद

क्र० स०	लिग	विधानसभा		मत्रिपरिषद		विधानसभा मे सदस्यो के आधार पर मत्रिपरिषद प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	पुरुष	412	96 7	28	100	6 8
2	स्त्री	14	3 3	0	0	-----
योग		426	100	28	100	10 6

28 सदस्य थे जो सभी पुरुष थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुलायम सिह यादव के इस मत्रिपरिषद् मे किसी स्त्री सदस्या को प्रतिनिधित्व प्रदान नही किया गया जबकि विधान सभा के 426 सदस्यो मे से 412 पुरुष तथा 14 स्त्रियॉ थी, इस प्रकार विधान सभा मे इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश पुरुष 96 7 प्रतिशत तथा स्त्री 3 3 प्रतिशत रहा।

सारिणी सख्या 6 2 के सम्पूर्ण तथ्यो के-प्रकाश मे यह कहा जा सकता है कि इस काल मे जहा विधान सभा मे पुरुषो की तुलना मे स्त्रियो का प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प रहा वही मंत्रिपरिषद् मे कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हुआ। मुलायम सिंह के नेतृत्व मे गठित मंत्रिपरिषद मे स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व को रेखाचीत्र स0 6 2 (अ) तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलना रेखाचित्र स0 6 2 (ब) दर्शाये गया है।

मुलायम सिह यादव केमत्रिपरिषद् के पतन के पश्चात् दिनाक 3-6-1995 को मायावती के नेतृत्व मे गठित तथा दिनांक 18-10-95 तक कार्यरत मत्रिपरिषद् मे स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 6 3 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 6.3 के अन्तर्विष्ट आकड़ो से स्पष्ट हो रहा है कि दिनाक 3-6-95 को

रेखा चित्र संख्य -6.2 (अ)
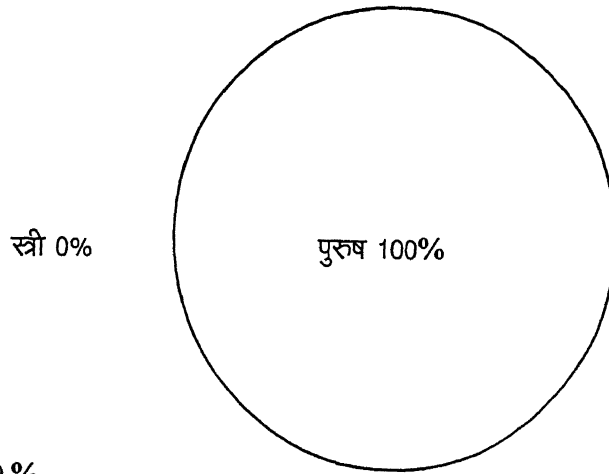
सन 1993 मे मुलायम सिंह यादव के मंत्रिपरिषद मे स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

रेखा चित्र संख्या-6.2.(ब)
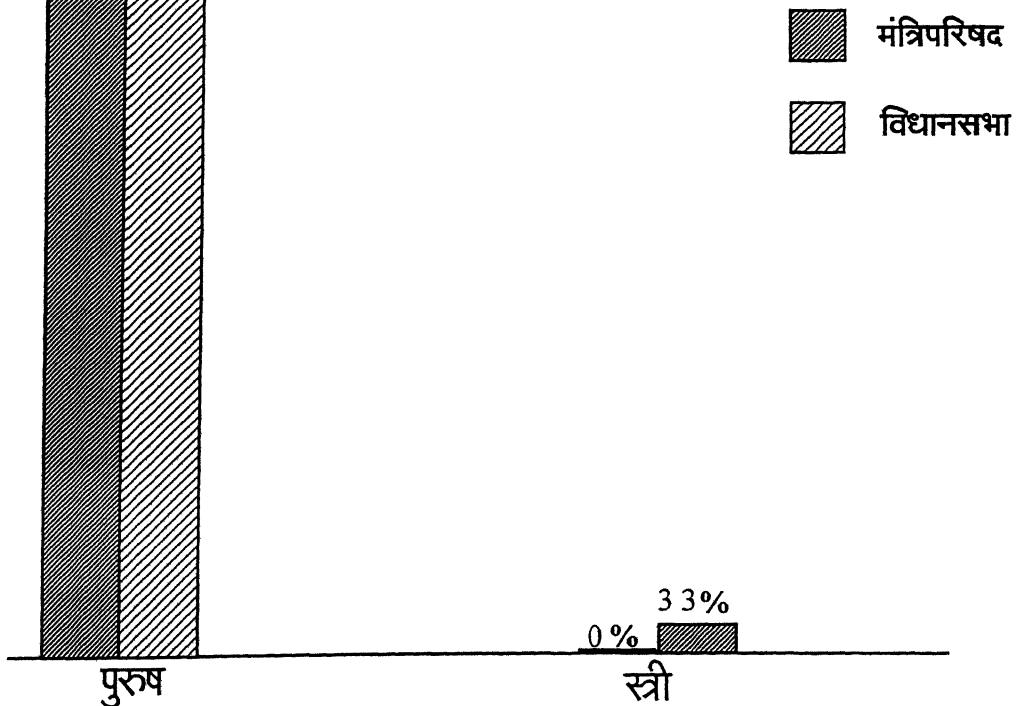
सन 1993 में मुलायम सिंह यादव के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

मायावती के नेतृत्त्व मे गठित तथा 8-10-95 तक कार्यरत मत्रिपरिषद मे कुल 33 सदस्य थे, जिसमे 31 पुरुष तथा 2 स्त्री सदस्या थी, इस प्रकार मत्रिपरिषद मे इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश पुरुष का 93 9 प्रतिशत था स्त्रियो का 6 1 प्रतिशत रहा। जबकि इस काल मे विधान सभा के 426 सदस्या

सारिणी सख्या -6 3

सन् 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद्

क्र० स०	लिग	विधानसभा		मत्रिपरिषद		विधानसभा मे सदस्यो के आधार पर मत्रिपरिषद प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	पुरुष	412	96 7	31	93 9	7 5
2	स्त्री	14	3 3	2*[1]	6 1	14 3
योग		426*[2]	100	33	100	7.7

*[1] मत्रिपरिषद् मे स्त्री सदस्या मुख्यमत्री मायावती व सुशीला सरोज चौहान राज्यमत्री रहीं।

*[2] विधानसभा मे 426 सदस्यो का आकड़ा है इसमे मृत्त सदस्य के साथ उपचुनाव मे विजयी सदस्य को शामिल किया गया है जिससे यह विधान सभा के कुल सदस्य सख्या 425 से अधिक हो गया है।

मे 412 पुरुष तथा 14 स्त्रिया थी, इनका प्रतिशत क्रमश पुरुष 96 7 प्रतिशत तथा स्त्री 3 3 प्रतिशत रहा।

यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विधान सभा की कुल 14 महिला सदस्यो मे से 2 को मत्रिपरिषद् मे सम्मिलित किया गया, जो विधान सभा मे महिला सदस्यो के प्रतिनिधित्व के आधार पर 14 3 रहा, इस प्रकार यह विधान सभा के पुरुष सदस्यो के मत्रिपरिषद् मे सम्मिलित होने के प्रतिशत 7 5 से लगभग दुगना रहा।

इस प्रकार सारिणी सख्या 6 3 के सम्पूर्ण तथ्यो के प्रकाश मे यह कहा जा सकता है कि
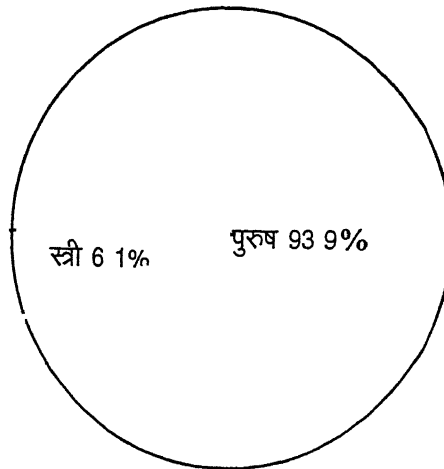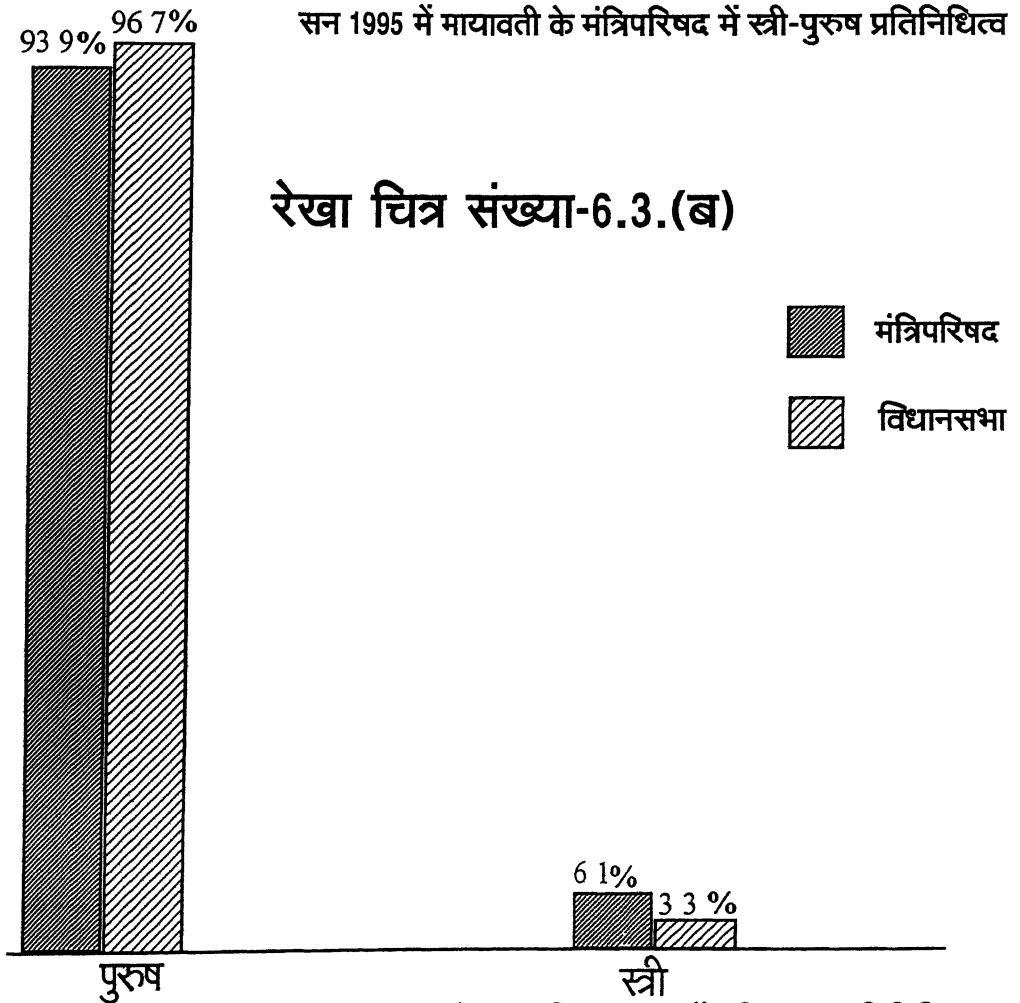
सन 1995 मे मायावती के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

इस काल मे मत्रिपरिषद् एव विधान सभा मे पुरुषो की तुलना मे स्त्रियो का प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प रहा, किन्तु विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद् मे स्त्रियो को लगभग दो गुना अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, फिर भी यह मात्र 6 1 प्रतिशत ही रहा, यहा यह तथ्य भी ध्यान योग्य है कि विधान सभा से मत्रिपरिषद् मे आने की सम्भावना पुरुषो की तुलना मे स्त्रियो की अधिक रही। मायावती के इस मत्रिपरिषद मे स्त्री पुरुष प्रतिनिधित्व को रेखाचीत्र स0 6 3 (अ) तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलना रेखाचित्र स0 6 3 (ब) मे दर्शाया गया है।

सितम्बर-अक्टूबर 1996 मे त्रयोदश विधानसभा के लिए सम्पन्न मध्यावधि चुनाव के पश्चात दिंनाक 21-3-97 को मायावती के नेतृत्व मे गठित तथा दिनाक 21-9-97 तक कार्यरत भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की साझा मत्रिपरिषद् मे स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 6 4 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 6.4

सन् 1997 मे मायावती के नेतृत्व में गठित मत्रिपरिषद्

क्र0 सं0	लिग	विधानसभा		मत्रिपरिषद		विधानसभा मे सदस्यो के आधार पर मत्रिपरिषद प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	पुरुष	407	95.5	42	93.3	10.3
2	स्त्री	19	4.5	3*[1]	6.7	15 8
योग		426*[2]	100	45	100	10.6

*[1] मत्रिपरिषद् मे मुख्यमत्री मायावती, प्रभा द्विवेदी कैबिनेट मत्री तथा राजराय सिह राज्य मत्री के रूप मे स्त्री सदस्या थी।

*[2] विधानसभा मे 426 सदस्यो का आकड़ा है इसमे मृत्त सदस्य के साथ उपचुनाव में विजयी सदस्य को शामिल किया गया है जिससे यह विधान सभा के कुल सदस्य सख्या 425 से अधिक हो गया है।

रेखा चित्र संख्य -6.4 (अ)
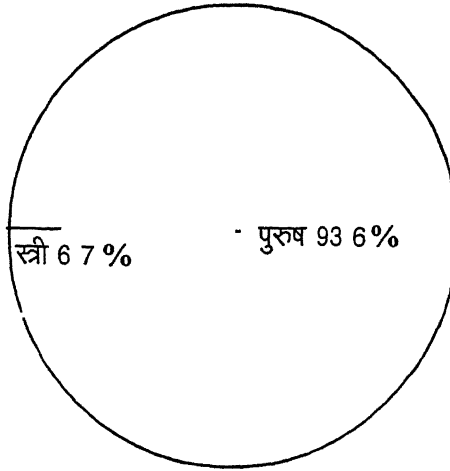
सन 1997 मे मायावती के मत्रिपरिषद मे स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

रेखा चित्र संख्य -6.4.(ब)
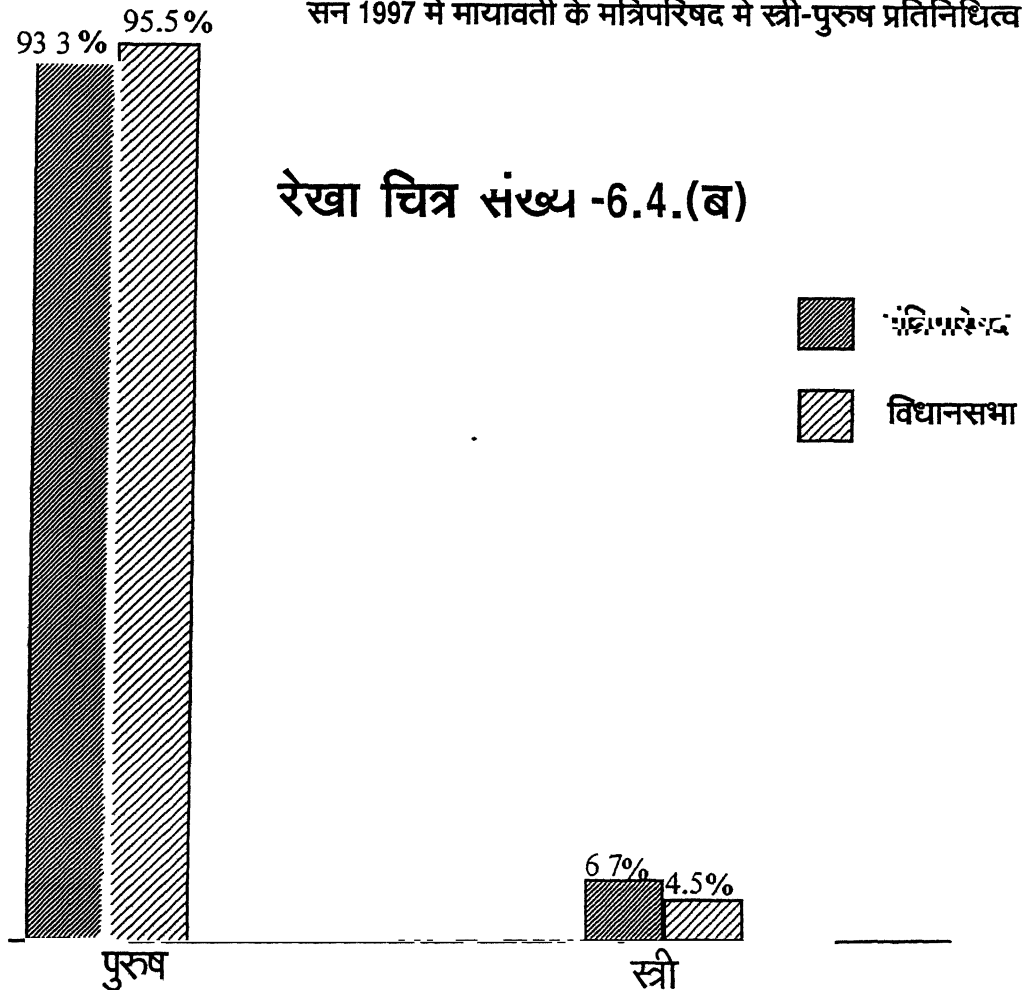
सन 1997 में मायावती के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा मे स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

सारिणी सख्या 6 4 के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि दिनाक 21-3-97 को मायावती के नेतृत्व मे गठित तथा 21-9-97 तक कार्यरत मत्रिपरिषद् मे कुल 45 सदस्य थे, जिमसे 42 पुरुष तथा 3 स्त्री सदस्या थीं। इस प्रकार मत्रिपरिषद् इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश पुरुषा का 93 3 प्रतिशत तथा स्त्रियो का 6 7 प्रतिशत रहा। जबकि इस कार्यरत विधान सभा के 426 सदस्यो मे 407 पुरुष तथा 19 स्त्री सदस्या थीं, इनका प्रतिशत क्रमश पुरुष 95 5 प्रतिशत तथा स्त्री 4 5 प्रतिशत रहा।

यहा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विधान सभा की 19 महिला सदस्यो मे से 3 को मत्रिपरिषद् मे सम्मिलित किया गया, जो विधान सभा मे महिला सदस्यो के प्रतिनिधित्व के आधार पर 15 8 प्रतिशत रहा, इस प्रकार यह विधान सभा के पुरुष सदस्यो के मत्रिपरिषद मे सम्मिलित होने के प्रतिशत 1013 से उच्च रहा।

इस प्रकार सारिणी सख्या 6 4 के सम्पूर्ण तथ्यो के प्रकाश मे यह कहा जा सकता है कि इस काल मे मत्रिपरिषद् एव विधान सभा मे पुरुषो की तुलना मे स्त्रियो का प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प रहा, किन्तु विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद् मे स्त्रियो को थोडा अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, फिर भी यह आकडा 6 7 प्रतिशत ही तक पहुच पाया यहाँ यह तथ्य ध्यान योग्य है कि विधान सभा से मत्रिपरिषद् मे आने की सम्भावना पुरुषों की तुलना मे स्त्रियो की अधिक है। मायावती के (1997) इस मत्रिपरिषद मे स्त्री पुरुष प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र स0 6 4 (अ) तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलना रेखाचित्र स0 6 4 (ब) मे दर्शाया गया है।

भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के सविदा के परिणाम स्वरुप छ महीने की अवधि की समाप्ति के पश्चात मुख्यमत्री मायावती द्वारा दिये गये त्यागपत्र के उपरान्त दिनाक 21-9-97 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद् मे 31 दिसम्बर 1997 तक स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 6 5 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 6 5 के अवलोकन सेस्पष्ट हो रहा है कि दिनाक 29-9-97 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद् मे दिनाक 31-12-97 तक कुल 113 सदस्यो को सम्मिलित

सारिणी संख्या -6.5

सन् 1997 में कल्याण सिंह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद्

क्र० स०	लिग	विधानसभा		मत्रिपरिषद		विधानसभा मे सदस्यो के आधार पर मत्रिपरिषद प्रतिनिधित्व प्रतिशत
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	पुरुष	407	95.5	109	96 5	26.8
2	स्त्री	19	4.5	4*[1]	3 5	21
योग		426*[2]	100	113	100	26 5

*[1] मत्रिपरिषद मे चार महिला सदस्या-प्रेमलता कटियार, व प्रभा द्विवेदी कैबिनेट मत्री तथा गुलाब देवे व राजराय सिह राज्य मत्री थीं।

*[2] विधानसभा मे 426 सदस्यो का ऑकड़ा है इसमे मृत्त सदस्य के साथ उपचुनाव ने विजयी सदस्य को शामिल किया गया है जिससे यह विधान सभा के कुल सदस्य सख्या 425 से अधिक हो गया है।

किया गया(कल्याण सिह सहित) जिसमे 109 पुरुष तथा 4 स्त्री सदस्या थीं, इस मत्रिपरिषद् मे इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश पुरुषो का 96 5 प्रतिशत तथा स्त्रियो का 3 5 प्रतिशत रहा। जबकि इस समय कार्यरत विधान सभा के 426 सदस्यो मे 407 पुरुष तथा 19 स्त्री सदस्या थीं,इनका प्रतिशत क्रमश पुरुष 95 5 प्रतिशत तथा स्त्री 4 5 प्रतिशत रहा।

इसके साथ ही विधान सभा की 19 महिला सदस्यो मे से 4 को मत्रिपरिषद् मे सम्मिलित किया गया जो विधान सभा मे महिला सदस्यो के प्रतिनिधित्व के आधार पर 21 प्रतिशत रहा, जबकि विधान सभा के 407 पुरुष सदस्यो मे 109 को मत्रिपरिषद् मे सम्मिलित किया गया जो विधान सभा के पुरुष सदस्यो के प्रतिनिधित्व के आधार पर 26 8 प्रतिशत रहा। इस प्रकार शोधकाल खण्ड 1991 मे सन् 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषदो् मे यह ही एक ऐसी मत्रिपरिषद् थी जिसमे विधान सभा

रेखा चित्र संख्या-6.5 (अ)
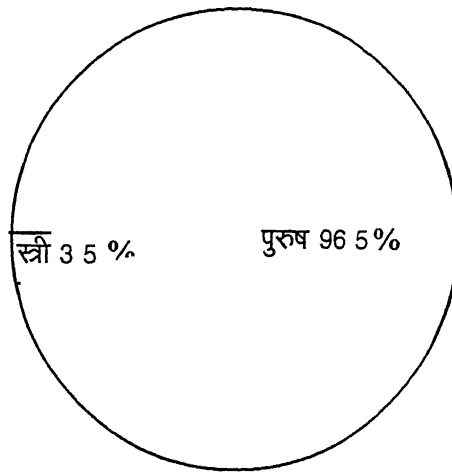
सन 1997 में कल्याण सिह के मत्रिपरिषद में स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व
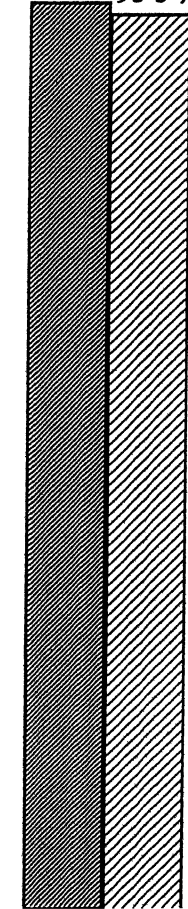
रेखा चित्र संख्या-6.5.(ब)

सन 1997 में कल्याण सिह के मंत्रिपरिषद के साथ विधानसभा मे स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व

से मत्रिपरिषद् मे आने की सम्भावना स्त्री की तुलना मे पुरुष की अधिक रही।

इस प्रकार सारिणी सख्या 6 5 के सम्पूर्ण तथ्यो के प्रकाश मे यह कहा जा सकता है कि मत्रिपरिषद् एव विधान सभा मेपुरुषो की तुलना मे स्त्रियो का प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प रहा और इनकी स्थिति विधान सभा की तुलना मे मत्रिपरिषद् मे और दयनीय हो जाती है। कल्याण सिह के इस मत्रिपरिषद मे स्त्री पुरुष प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र स0 6 5 (अ) तथा विधानसभा के साथ इसकी तुलना रेखाचित्र स0 6 5 (ब) मे दर्शाया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे स्त्री-पुरुष अनुपात के प्रतिनिधित्व को सारिणी सख्या 6 6 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी सख्या 6 6 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि 1991 से 1997 के मध्य गठित सभी मत्रिपरिषद् मे स्त्रियो के प्रतिनिधित्व की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है। स्त्रियो की सर्वाधिक भागीदारी सन् 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे द्वितीयबार गठित मत्रिपरिषद् मे 6 7 प्रतिशत रही। जबकि पुरुषो का प्रभुत्व इस काल के सभी मन्त्रिपरिषद् मे बना रहा तथा मुलायम सिह यादव के नेतृत्व में गठित मत्रिपरिषद् मे तो सभी सदस्य पुरुष ही थे।

यदि सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मत्रिपरिषदो मे स्त्री-पुरुष प्रतिनिधित्व पर एक-एक कर दृष्टि डाले तो सन् 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद् मे कुल 56 सदस्यो मे 54 पुरुष तथा 2स्त्रिया थी। इस प्रकार इनका प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुरुष 96 4 प्रतिशत तथा स्त्री 3 6 प्रतिशत रहा। तदपश्चात् सन् 1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद् मे कुल 28 सदस्य थे और सभी पुरुष थे इस प्रकार इस मत्रिपरिषद मे पुरुषो को 100 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जबकि स्त्रियो को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो सका। तदोपरान्त सन् 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद् मे कुल 33 सदस्य थे जिसमे 31पुरुष तथा 2 स्त्रिया थी। इस प्रकार इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत पुरुष 93 9 प्रतिशत तथा स्त्री 6 1 प्रतिशत रहा। मायावती के सन् 1995 के मत्रिपरिषद् के बाद सन् 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे द्वितीयवार गठित मत्रिपरिषद् मे कुल 45 सदस्यो मे 42 पुरुष तथा 3 स्त्रिया थी। इस प्रकार इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत

सारिणी संख्या-6.6
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्री परिषद : स्त्री - पुरुष

क्र0 स0	लिंग	मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व											
		कल्याण सिह प्रथम 24-06-91 से 06-12-92 तक		मुलायम सिह यादव 04-12-93 से 03-06-95 तक		मायावती प्रथम 03-06-95 से 18-10-95 तक		मायावती द्वितीय 21-03-97 से 21-09-97 तक		कल्याण सिह द्वितीय 21-09-97 से ----------तक		समग्र 1991 से 1997 तक	
		सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	पुरुष	54	94 4	28	100	31	93 9	42	93 3	109	96 5	246	96
2	स्त्री	2	3 6	0	0	2	6 1	3	6 7	4	3 5	11	4
योग		56	100	28	100	33	100	45	100	113	100	275	100

पुरुष 93 3प्रतिशत तथा स्त्री 6 7 प्रतिशत रहा। अन्तत 1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे द्वितीयवार गठित मन्त्रिपरिषद मे 31 दिसम्बर 1997 तक कुल 113 सदस्य सम्मिलित हुए जिसमे 109 पुरुष तथा 4 स्त्रियॉ थी। सख्या की दृष्टि से अन्य मत्रिपरिषदो की तुलना मे इस मत्रिपरिषद् मे स्त्रियो को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। किन्तु मत्रिपरिषद् की सदस्य सख्या 113 के सापेक्ष देखे तो स्त्रियो का यह प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प था। यदि कल्याण सिह की द्वितीय मत्रिपरिषद् मे प्रतिनिधित्व प्रतिशत पर दृष्टि डाले तो पुरुषो की 96 5 प्रतिशत की तुलना मे स्त्रियो को 3 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व ही प्राप्त हो सका।

अत सारिणी सख्या 6 6 के सम्पूर्ण ऑकडो के प्रकाश मे जो तथ्य उजागर हो रहा, उसमे प्रथम तो यह है कि इस काल मे मत्रिपरिषदो मे स्त्री पुरुष प्रतिनिधित्व मे काफी विषमता रही तथा समाज की लगभग 50 फीसदी भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली स्त्रिया मत्रिपरिषद मे कमी की 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व नही प्राप्त कर पायी। इस काल मे मत्रिपरिषदो मे स्त्रियो की सबसे अधिक भागेदारी मायावती के नेतृत्व मे गठित दोनो मत्रिपरिषदो मे प्राप्त हुई। फिर भी यह 6 से 7 प्रतिशत के बीच ही रहा।

यदि शोध काल खण्ड 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषदो मे स्त्री पुरुष प्रतिनिधित्व पर समग्र रुप से दृष्टि डाले तो इस काल मे 275 सदस्य मत्रिपरिषदो मे सम्मिलित हुए जिसमे 264 पुरुष तथा 11 स्त्रिया थी। इस प्रकार इनका प्रतिशत क्रमश पुरुष 96 प्रतिशत तथा स्त्री 4 प्रतिशत रहा। इस काल खण्ड मे स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र स0 6 6 (अ) तथा पुरुषो के प्रतिनिधित्व को रेखाचित्र स0 6 6 (ब) मे दर्शाया गया है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य विधान सभा व मत्रिपरिषदो मे स्त्री-पुरुष अनुपात का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। यह सारिणी सख्या 6 7 मे दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 6 7 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस काल मे विधान सभाओ मे लगातार स्त्रियो के प्रतिनिधित्व मे वृद्धि हुई है, जबकि इस काल मे गठित मत्रिपरिषदो मे स्त्रियों का प्रतिनिधित्व घटता-बढ़ता रहा है और यह 3 5 से 6 7 के मध्य भिन्न-भिन्न मत्रिपरिषदो मे प्राप्त हुआ।

रेखा चित्र संख्या- 6.6(अ)
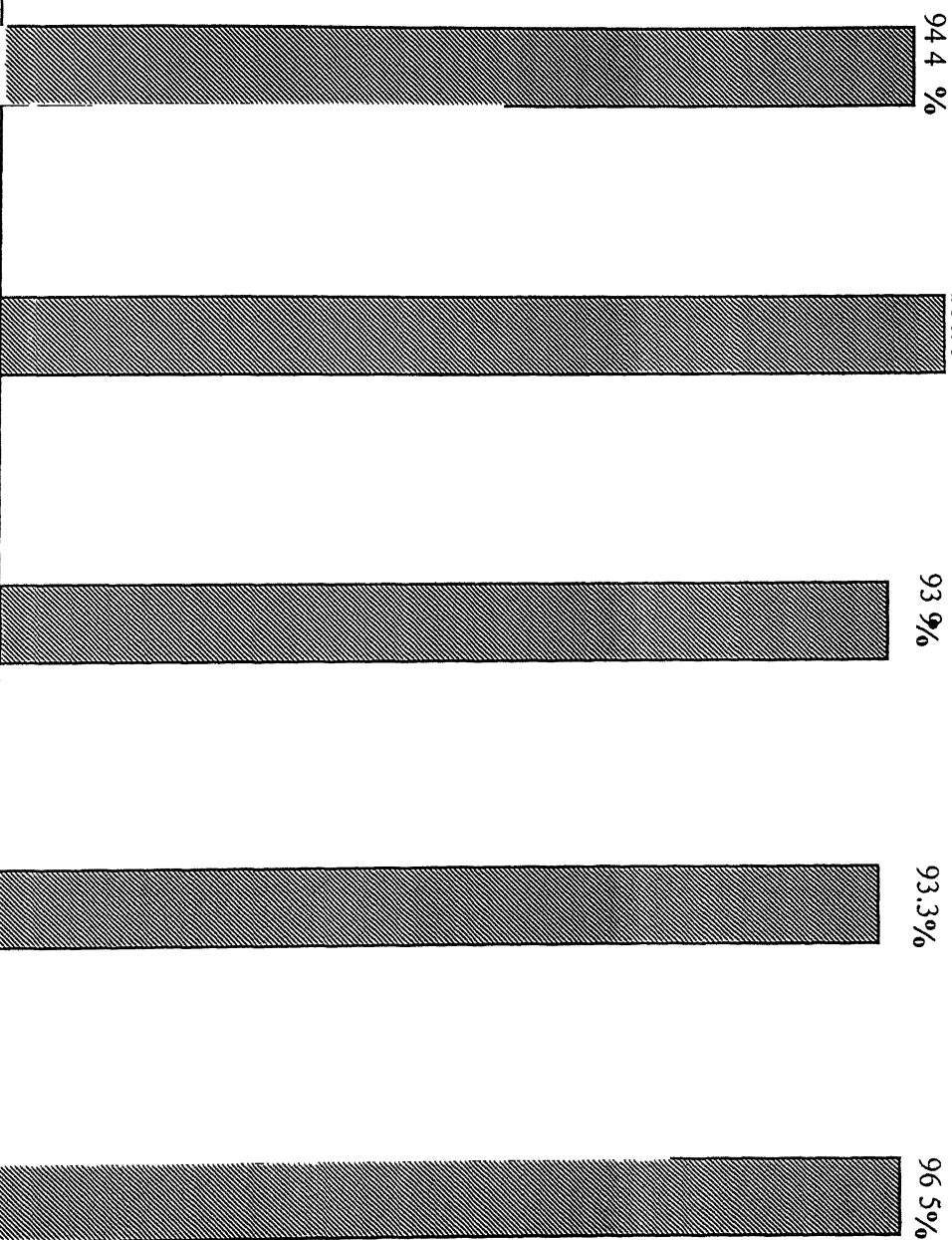
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में *पुरुषों* का प्रतिनिधित्व

रेखा चित्र संख्या- 6.6(ब)
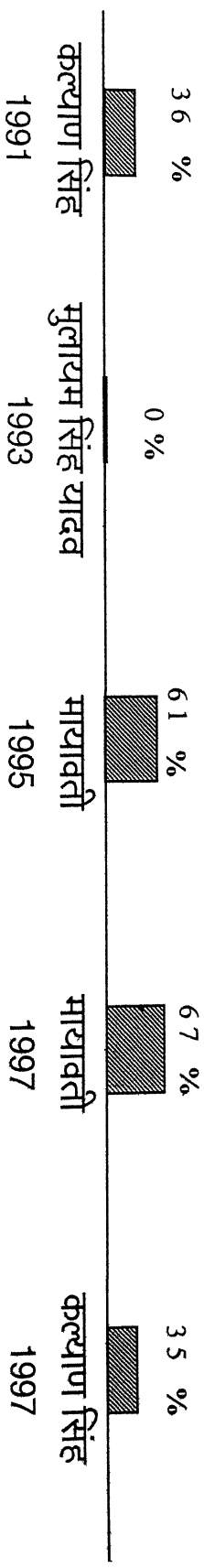
न् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व

सारिणी सख्या 6.7

1991 से 1997 के मध्य मत्रिपरिषद् व विधान सभा स्त्री पुरुष अनुपात

क्रम	मत्रि परिषद	पुरुष		स्त्री	
		विधानसभा	मत्रिपरिषद	विधानसभा	मत्रिपरिषद
1	कल्याण सिह (प्रथम)	97 6	94 4	2 4	3 6
2	मुलायम सिह यादव	द्वा वा द 96 7	0	द्वा वा द 3 3	0
3	मायावती (प्रथम)		93 9		6 1
4	मायावती (द्वितीय)	त्र यो द 95 5	93 3	त्र यो द 4 5	6.7
5	कल्याण सिह (द्वितीय)		96 5		3 5

1991 मे गठित एकादश विधान सभा मे स्त्रियो का प्रतिनिधित्व 2 4 प्रतिशत रहा है 1993 मे द्वादश विधान सभा मे यह बढकर 3 3 प्रतिशत हो गया तथा त्रयोदश विधान सभा में यह और बढकर 4 5 प्रतिशत हो गया जबकि मत्रिपरिषदो मे स्त्रियो के प्रतिनिधित्व को देखें तो 1991 मे कल्याण सिंह के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद् मे स्त्रियो का प्रतिनिधित्व 3 6 प्रतिशत है, जबकि 1993 में गठित मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद मे किसी स्त्री सदस्य को सम्मिलित नहीं किया गया। किन्तु मायावती के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषदो मे स्त्रियो को इस काल मे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जहाँ 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मत्रिपरिषद् में 6 1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व स्त्रियों कोप्रदानकिया गया वही इन्ही की 1997 के मत्रिपरिषद् मे स्त्रियो को 6 7 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जबकि 1997 के कल्याण सिह के मंत्रिपरिषद् मे मात्र 3.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व स्त्रियो को प्रदान किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहॉ विधान सभा की तुलना मे कल्याण

सिह की प्रथम मत्रिपरिषद् तथा मायावती की दोनो मत्रिपरिषद् मे स्त्रियो को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, वही कल्याण सिह की 1997 के मत्रिपरिषद मे कम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

यद्यपि शोध कालखण्ड मे मत्री रही स्त्रियो की सख्या 11 थी लेकिन यदि अन्य दृष्टि से देखे तो केवल 7 स्त्रियॉ थी जिन्हे मत्री पद प्राप्त हुआ क्योकि इनमे कई ने एक बार से अधिक मत्रीपद को सुशोभित किया अत उनकी कुल सख्या 11 तक पहुंच जाती है।

इनमे प्रेमलता कटियार, कल्याण सिह की दोनो मत्रिपरिषदो तथा प्रभा द्विवेदी तथा राज राय सिह मायावती तथा कल्याण सिह के 1997 मे गठित मत्रिपरिषद् मे सदस्या थी। मुख्यमत्री के रुप मे मायावती स्वय मे दो बार 1995 व 1997 मे मत्रिपरिषद् मे रही। इसके अतिरिक्त वे स्त्रिया जो मत्रिपरिषद् मे केवल सम्मिलित हुई सुशीला सरोज, शारदा चौहान, और गुलाब देवी रहीं।

सन् 1991 से 1997 के मध्य मत्रिपरिषद् मे सम्मिलित महिलाओ की दलीय स्थिति सारिणी सख्या 6 8 1 मे दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 6.8.1

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद् मे स्त्री प्रतिनिधित्व दल

क्र0सं0	दल	स्त्री प्रतिनिधित्व	
		सख्या	प्रतिशत
1	भारतीय जनता पार्टी	5	71 4
2	बहुजन समाज पार्टी	1	14 3
3	समाजवादी पार्टी	1	14 3
4	अन्य		
योग		7	100

सारिणी सख्या 6 8 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1991 से 1997 के मध्य 7 स्त्रिया मत्रिपरिषद् मे सम्मिलित हुई जिसमे सर्वाधिक 5 भारतीय जनता पार्टी, 1 बहुजन समाज पार्टी, तथा 1 समाजवादी पार्टी से आयी थी। इनका प्रतिशत क्रमशः भारतीय जनता पार्टी की स्त्री सदस्यो का

71 4 प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी की स्त्री सदस्याओ का 14 3 प्रतिशत और समाजवादी पार्टी की स्त्री सदस्याओ का भी 14 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा है। अन्य दल की किसी स्त्री सदस्या को मत्रिपरिषद् मे प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो पाया।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषदो मे सम्मिलित स्त्रियो की धार्मिक प्रस्थिति सारणी सख्या 6 8 2 मे दर्शायी गया है।

सारिणी संख्या 6.8.2

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद् मे स्त्री प्रतिनिधित्वः धार्मिक प्रस्थिति

क्र0स0	धर्म	स्त्री प्रतिनिधित्व	
		सख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	6	85 7
2	मुस्लिम		
3	अन्य	1	14 3
योग		7	100

सारिणी सख्या 6 8 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन् 1991 से 1997 के मध्य जो सात स्त्रिया मत्रिपरिषद मे सम्मिलित हुई उनमे से 6 हिन्दू जिनका प्रतिशत 85.7 रहा जबकि 1 सदस्या अन्य धर्म से सम्बन्धित रही जिसका प्रतिनिधित्व प्रतिशत 14 3 प्रतिशत रहा। यहाँ उल्लेखनीय है कि किसी भी मुस्लिम सदस्या को इस काल मे मत्रिपरिषद् मे प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हुआ।

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषदो मे सम्मिलित स्त्रियो की जातीय स्थिति को सारिणी सख्या 6 8 3 मे दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 6 8 3 के अन्तर्विष्ट आकडो के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस काल मे 7 स्त्री सदस्योको मत्रिपरिषद् मे सम्मिलित किया गया। उनमे 2 उच्च जाति, 2 मध्यम जाति तथा 3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित थी। इनका प्रतिनिधित्व प्रतिशत क्रमश उच्च जाति का 28.6 प्रतिशत मध्यम जाति का 28 6 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एव जन जाति का 42.8 प्रतिशत रहा।

सारिणी सख्या 6.8 3

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद् मे स्त्री प्रतिनिधित्व जाति

क्र0स0	जाति	स्त्री प्रतिनिधित्व	
		सख्या	प्रतिशत
1	उच्च	2	28 6
2	मध्यम	2	28 6
3	अनु जाति व ज जा	3	42 8
4	अनुपलब्ध		
योग		7	100

यहॉ यह तथ्य का उल्लेखनीय है कि मत्रिपरिषद् मे सम्मिलित अनुसूचित जाति एव जनजाति की महिला सदस्या आरक्षित सीटो से चुन कर आयी थीं।

सन् 1991 से 1997 के मध्य मत्रिपरिषदो मे सम्मिलित स्त्री सदस्याओ का शैक्षिक स्तर सारिणी सख्या 6 8 4 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 6.8.4

सन् 1991से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद मे स्त्री प्रतिनिधित्व शैक्षिक स्तर

क्र0स0	शैक्षिक स्तर	स्त्री प्रतिनिधित्व	
		सख्या	प्रतिशत
1	इण्टरमीडिएट या कम		.
2	स्नातक	4	57 1
3	स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0	3	42.9
4	अनुपलब्ध		.
योग		**7**	**100**

सारिणी सख्या 6 8 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1991 से 1997 के मध्य मत्रिपरिषद् मे प्रतिनिधित्व प्राप्त स्त्री सदस्यो मे 4 प्रतिशत स्नातक स्तरीय रहा तथा 3 का स्नातकोत्तर एवं पी0 एच0 डी0 स्तरीय रहा है। इस प्रकार स्नातक स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाली महिला सदस्यो का प्रतिनिधित्व 57 1 प्रतिशत रहा तथा स्नातकोत्तर एव पी0 एच0 डी0 स्तरीय शैक्षिक प्रस्थिति वाली महिला सदस्यो का प्रतिनिधित्व 42 9 प्रतिशत रहा।

सन् 1991 से 1997 के मध्य मन्त्रि परिषदो मे सम्मिलित स्त्री सदस्यो का व्यवसाय सारिणी सख्या 6.8 5 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 6.8.5

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मत्रिपरिषद् मे स्त्री प्रतिनिधित्व: व्यवसाय

क्रम स0	व्यवसाय	स्त्री प्रतिनीधित्व	
		सख्या	प्रतिशत
1	कृषि	1	14 3
2	सेवा निवृत्त अधिकारी	1	14 3
3	राजनीति एव समाजिक कार्य	1	14 3
4	वकालत	1	14 3
5	व्यपार एव उद्योग	1	14 3
6	अध्यापन	1	14 3
7	लेखन एव पत्रकारिता	.	
8	चिकित्सा	..	.
9	ईन्जीनियरिंग		
10	विविध	1	14 3
11	अज्ञात	.	. .
योग		**7**	**100**

सारिणी संख्या 6.8 5 के अन्तर्विष्ट आकडों के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1991 से 1997 के मध्य मत्रिपरिषद् में कृषि सेवानिवृत्त अधिकारी, राजनीतिक एवंसामाजिक कार्य, वकालत उद्योग

एव व्यापार, अध्यापन तथा विविध व्यवसाय वर्ग से एक एक सदस्या को मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

सम्पूर्ण आकडो के अध्ययन से स्पष्ट है कि यद्यपि भारतीय सविधान तथा विधि मे लिग भेद स्वीकार नही किया गया है तथा स्त्री व पुरुष को समान दर्जा प्रदान है, फिर भी इस काल मे (1991 से 1997 तक) उत्तर प्रदेश की मत्रिपरिषदो मे महिला सदस्यो का प्रतिनिधित्व अत्यन्त ही अल्प और अपर्याप्त रहा है। विधान सभा की स्थिति इससे भिन्न नही थी। वस्तुत मत्रिपरिषद मे पुरुषो के बर्चस्व का जो चित्र उपस्थित हो रहा है वह विधान सभा, प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में पुरुषो के वर्चस्व के चित्र का ही प्रतिबिम्ब है। उल्लेखनीय है कि लोकतन्त्र मे विधान सभा तथा मत्रिपरिषद् वास्तव मे उसी समाज का रुप प्रदर्शित करती है जिसके अन्तर्गत वह क्रियाशील होती है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के मत्रिपरिषदो एव विधानसभाओ मे महिलाओ का कम प्रतिनिधित्व प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सास्कृतिक पृष्ठभूमि मे खोजा जा सकता है। सम्भवत स्त्रियो का आर्थिक रुप से पुरुषो पर अवलम्बित होना, साक्षरता की कमी, घरेलू स्वभाव, परम्परागत रीति-रिवाज एव मान्यताए जिसके तहत सार्वजनिक क्रियाकलापो मे स्त्रियो की भागीदारी को अच्छा न माना जाना, महिलाओ को अपने पति की आज्ञाओ एव विचारो के अनुरुप कार्य करने का सस्कार आदि मे देखा जा सकता है। निष्कर्षत यह कह सकते है कि प्राचीन काल से ही स्त्री को द्वितीय दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि आज का समाज भी इसका अपवाद नही है।

सन् 1991 से 1997 के मध्य स्त्रियो को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मायावती के नेतृत्व मे गठित दोनो मत्रिपरिषदो मे प्राप्त हुआ किन्तु यह मात्र 6 1 प्रतिशत तथा 6 7 प्रतिशत ही था जबकि कल्याण सिह के मंत्रिपरिषदो मे यह अपेक्षाकृत कम रहा। जहॉ सन् 1991 के कल्याण सिह के मत्रिपरिषद् मे मात्र 3 6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व स्त्रियो को प्राप्त हुआ वही इन्ही के 1997 के मत्रिपरिषद मे स्त्रियो को मात्र 3.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जबकि मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद् में किसी भी स्त्री सदस्य को कोई भी प्रतिनिधित्व नही प्रदान किया गया है।

इस काल मे यदि विधान सभा मे स्त्री प्रतिनिधित्व के सापेक्ष मत्रिपरिषद् मे स्त्री प्रतिनिधित्व

को देखे तो जहा कल्याण सिह की प्रथम मत्रिपरिषद तथा मायावती के दोनो मत्रिपरिषदो मे तत्कालीन विधान सभा मे स्त्रियो के प्रतिनिधित्व से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। वही कल्याण सिह के द्वितीय मत्रिपरिषद मे कम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि इस काल मे यद्यपि मत्रिपरिषद मे स्त्रियो की प्रतिनिधित्व मे स्थिरता नही थी और उनका अनुपात घटबढ रहा था किन्तु विधान सभा मे स्त्रियो के प्रतिनिधित्व मे विधान सभा दर विधान सभा बढोत्तरी देखी गयी। यदि इस काल मे मत्रिपरिषद् मे जो स्त्रियॉ चुनकर आयीं, उनसे सम्बन्धित आकडो पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो रहा है कि यह समाज के श्रेष्ठ एव विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हे स्त्री समाज का हूबहू प्रतिनिधित्व प्राप्त नही था। इन स्त्रियो मे अधिकाशत भारतीय जनता पार्टी से रहीं, जबकि बहुजन समाज पार्टी से मात्र एक-एक सदस्य मन्त्री पद प्राप्त कर सकी। अत ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल मे अन्य दलो की तुलना मे भारतीय जनता पार्टी ने स्त्री प्रतिनिधित्व को अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया।

जाति की दृष्टि से इस काल मे मन्त्री पद प्राप्त करने वाली स्त्रियो मे सर्वाधिक 42 8 प्रतिशत स्त्रियॉ अनुसूचित जाति एव जनजाति से थी किन्तु यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यह सभी केवल उन्ही सीटो से चुनकर विधान सभा तक पहुची थीं जो अनुसूचित जाति एव जनजाति के लिए आरक्षित थी। इसके अतिरिक्त 28 6 प्रतिशत स्त्रियॉ उच्च जाति से और इतनी ही मध्यम जाति से सम्बन्धित थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक जाति वर्ग के स्त्री को मत्रिपरिषद मे समय-समय पर स्थान मिलता रहा है। उदाहरण के लिए यदि 1997 के कल्याण सिंह के मत्रिपरिषद् को लें तो इसमें सम्मिलित 4 स्त्री सदस्यो मे एक उच्च सामान्य, एक मध्यम, एक अनुसूचित जाति एव जनजाति तथा एक अल्पसख्यक वर्ग से थी। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि महिलाओ मे राजनैतिक चेतना का विकास बहुत ही कम हुआ है किन्तु जो हुआ है उसका विस्तार जाति के आधार पर नही बांधा जा सकता।

धार्मिक दृष्टि से इस काल मे मन्त्री पद प्राप्त करने वाली स्त्रियो में 85.7 प्रतिशत स्त्रिया हिन्दू धर्म से थीं तथा 14 3 प्रतिशत के साथ एक स्त्री अन्य धर्म से सम्बन्धित थी। जबकि मुस्लिम धर्म से किसी भी स्त्री सदस्या को मत्रिपरिषद् मे प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय

है कि मुस्लिम समाज मे स्त्रियो की दशा अपेक्षाकृत अधिक चिन्तनीय है।

जहा तक शैक्षिक स्तर का प्रश्न है तो इस काल मे वही स्त्री सदस्य मन्त्री पद प्राप्त कर पायी जिनकी शैक्षिक प्रस्थिति उच्च रही है। जैसा कि स्पष्ट है कि मत्रिपरिषद की सभी सदस्या स्नातक या स्नातक से उच्च शिक्षा प्राप्त थीं। अत ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक चेतना का कोई न कोई सम्बन्ध शिक्षा से होता है।

इस काल मे जो स्त्री सदस्य मन्त्री पद प्राप्त थी वह किसी न किसी व्यवसाय मे रत थी तथा इनमे अधिकाशत नगरीय तथा कस्बाई क्षेत्रो मे निवास करती थी। इसका कारण शायद यह रहा हो कि नगरीय महिलाओ मे राजनीतिक जागरुकता व आधुनिक विचारधारा का प्रभाव ज्यादा पडा हो जबकि ग्रामीण स्त्रियो के सम्भवत परम्परागत स्वभाव व सामाजिक रुढिवादिता से ग्रस्त होने के कारण उनकी राजनीतिक अभिरुचि कम रही हो। यदि यह तथ्य सही हो तो स्त्रियो के प्रतिनिधित्व के प्रश्न को औद्योगिक विकास, नगरीकरण, तथा आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के साथ जोड कर देखा जाना चाहिए।

सदस्यों की राजनीतिक पृष्ठभूमि की विवेचना से यह तथ्य भी उजागर हो रहा है कि अधिकाश सदस्य ऐसी थी जिन्हे किसी प्रकार का विधायी अनुभव प्राप्त नही था तथा विधान सभा मे प्रथम प्रवेश पर ही उन्हे मत्री पद प्रदान किया गया। यही नही इनमे अधिकाश ने राजनीतिक प्रशिक्षण स्थानीय शासन मे प्राप्त नही किया था और सीधे राज्य स्तरीय राजनीति मे प्रवेश किया।

इस काल मे यद्यपि स्त्रियो का प्रतिनिधित्व विधान सभाओ तथा मत्रिपरिषदो मे अत्यन्त अल्प रहा है किन्तु स्त्रियो की बढ़ती साक्षरता दर तथा इस दिशा मे सरकारी और गैर सरकारी सस्थाओ द्वारा किये जाने वाले कार्यो, सरकारी नौकरियो मे महिलाओ के लिए आरक्षण तथा प्रत्येक आर्थिक गतिविधियो मे महिला पुरुष समानता को प्रोत्साहन, यह ऐसे कदम हैं जो निश्चय ही स्त्रियो को आर्थिक स्वालम्बन की तरफ ले जायेगे। जिसके प्रभाव से उनमे स्वतन्त्र निर्णयन की क्षमता में वृद्धि होगी तथा यह सार्वजनिक गतिविधियो मे अपने को अधिक मुक्त पा सकेगी।

सप्तम् अध्याय

मंत्रिपरिषद एवं विधानसभा, विधान परिषद

अध्याय– 7

मत्रिपरिषद एव विधानसभा, विधान परिषद

आधुनिक युग मे विधान मडलो का स्वरूप प्राय द्विसदनीय है। द्विसदनीय विधान मडल मुख्यत दो कारण से अपरिहार्य समझा जाता है। सघीय व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्त के रूप मे तथा सविधान के लोकप्रिय सिद्धान्तो पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए[1]। प्रथम कारण के आधार पर सघीय शासन व्यवस्था मे द्वितीय सदन की उपस्थिति को समझा जा सकता है किन्तु वर्तमान विश्व अधिकाश गैर सघीय एकात्मक शासन व्यवस्था मे इसकी उपस्थिति को द्वितीय कारण के आधार पर समझा जा सकता है। वस्तुत द्वितीय सदन की आवश्यकता केवल सघीय राज्यो मे इकाइयो के प्रतिनिधित्व के लिए न होकर मुख्यत प्रथम सदन की निरकुश लोकप्रियता के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने के लिए है, जिसके शीघ्रता से बनाये गये, स्वार्थमूलक अथवा बिना सोचे–विचारे गये कानूनो पर यदि स्थायी न सही तो कम से कम सामयिक रोक लगाकर लोकमत को सगठित होने का अवसर दिया जा सके। इसी कारण एकात्मक सरकारो मे भी द्वितीय सदन को वाछनीय समझा गया[2]। किन्तु सभी विद्वानो का यह मत नही 'ऐबेसिये' ने अनिवार्यता एव उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि 'यदि दोनो सदन सहमत है तो द्विसदन अनावश्यक है, और यदि उनमे मतभेद है तो यह भयावह है[3]। लेकिन फाइनर ने 'ऐबेसिये' के इस भ्रम को दूर करते हुए कहा कि यदि

---

1 फाइनर एच 'थ्योरी एण्ड प्रैक्टिकल ऑफ मार्डन गवर्नमेण्ट', एडिशन 4, सूरजीत पब्लिशिंग, दिल्ली

2. शुक्ल देवी प्रसाद व श्रीवास्तव वृजेन्द्र कुमार. आधुनिक सविधानो के सिद्धान्त और व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1986 पृ0 315

3. फाइनर· वही0 पृ0 403

दोनो सदन सहमत है तो अति उत्तम है, क्योकि इससे ज्ञान और विधि के न्याय के प्रति विश्वास बढता है और यदि उनमे मतभेद है तो जनता को अवसर मिलता है कि वह अपने दृष्टिकोण पर पुन विचार करे।

एकात्मक शासन व्यवस्था मे द्वितीय सदन के पक्ष विपक्ष मे दिये गये इन मतो के आधार पर 'प्रदेश' मे द्विसदनीय विधान मडल की आवश्यकता तथा अनावश्यकता का मूल्याकन किया जा सकता है। यद्यपि सविधान सभा मे भी इस विषय पर काफी विवाद था कि राज्यो का विधानमडल एकसदनीय हो या द्विसदनीय। एच0 वी0 कामथ का मानना था कि प्रान्तो मे द्वितीय सदन का होना हानिकारक तथा दोषपूर्ण है।[4] प्रो0 के0 टी0 शाह का भी यही मत था, उन्होने इसे 'व्यर्थ' एव 'खतरनाक' बताया।[5] असम के कुलदीप चलिया ने द्वितीय सदन को परम्परा की देन तथा प्रगतिशील विधान के मार्ग मे बाधा के अतिरिक्त कुछ नही बताया।[6] रेणुका राय का मानना है कि द्वितीय सदन का होना प्रतिगामी न भी माना जाय अनावश्यक तो माना ही जायेगा।[7] किन्तु एल कृष्णा स्वामी भारतीय का मत इससे भिन्न है, उनका विचार है कि द्वितीय सदन का विरोध पूर्वाग्रह पर आधारित है। उनके अनुसार द्वितीय सदन बनाने के पीछे लक्ष्य जल्दबाजी मे बनाये जाने वाले विधान पर रोक लगाना है। भीमराव अम्बेडकर ने सविधान सभा मे हुए वाद–विवाद का उत्तर देते हुए कहा 'जहॉ तक मेरी बात है, मै यह नही कह सकता कि मै द्वितीय सदन को बनाये जाने का बहुत बडा पक्षपाती हूॅ। मेरे लिए यह एक 'क्यूरेट के अण्डे' के समान है जो केवल अशत उपयोगी है। इसे सविधान का एक अलकारिक भाग बताया गया है तथा इसे एक प्रायोगिक दृष्टि से सविधान मे रखने की सलाह दी गयी है।[8]

---

4 सी0 ए 0 डी0 वैल्यू0 9 पृ0 14-16

5 सी0 ए 0 डी0 वैल्यू0 10 पृ0 87-88

6 सी0 ए 0 डी0 वैल्यू0 7 पृ0 1310

7 वही0 पृ0 1312

8 सी0 ए0 डी0 वैल्यू0 8 पृ0 1317

उपर्युक्त कारणो से ही सविधान मे राज्यो मे द्वितीय सदन के सृजन और उत्सादन की अत्यधिक नमनीय व्यवस्था की गयी है, जो एक साधारण प्रक्रिया है जिसमे सविधान सशोधन की आवश्यकता नही है।[9] अम्बेडकर ने सविधान सभा मे इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि– कोई राज्य विधानसभा की कुल सदस्य सख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एव मत देने वाले सदस्यो की सख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा विधान परिषद के सृजन और उत्सादन का एक संकल्प पारित करेगी, जिसके अनुसरण मे ससद विधि बनायेगी।[10]

इसके साथ सविधान सभा मे यह निर्णय लिया गया कि किन प्रातो मे द्वितीय सदन रहे इसका निर्णय उस प्रान्त के सविधान सदस्यो पर छोड दिया जाय। परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1950 को जब सविधान लागू हुआ तब छ प्रातो की विधानसभाओ मे द्विसदनीय व्यवस्था भारतीय सविधान के अनु0 168 के तहत किया गया।

स्वतन्त्रता के पश्चात् विधान परिषदो के सदर्भ मे राजनीतिक एव सास्कृतिक विकास पर दृष्टि डाली जाय तो यह अपने सृजन के आदेशो से कुछ भिन्न दिशा मे बढता प्रतीत हो रहा है। प्रदेश की राजनीति मे ऐसी परिपाटी स्थापित हो रही है कि जो नेता विधानसभा के चुनाव मे पराजित हो जाते है उन्हे विधान परिषद के लिए निर्वाचित कर लिया जाता है। इस प्रकार वे व्यक्ति द्वितीय सदन मे प्रविष्ट हो जाते है, जिन्हे जनता ने अपना प्रतिनिधि मानने से इन्कार कर दिया है।[11] इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए जे0 सी0 जौहरी ने कहा

---

9. वसु डी0 डी0 'भारत की संविधान एक परिचय' सातवा सस्करण, नई दिल्ली; प्रेषित हाल आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, 98, पृ0 235

10. ए0 ए0 डी0 वैल्यू0 9 न0 1; पृ0 13

11. शुक्ल देवी प्रसाद व श्रीवास्तव बृजेन्द्र कुमारः 'आधुनिक संविधानों के सिद्धान्त और व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1968, पृ0 319

सारिणी सख्या 7 1

1991 के कल्याण सिह के मत्रिपरिषद मे विधानसभा तथा विधान परिषद का प्रतिनिधित्व

(कुल मत्री 60)

1	2	3	4	5	6	7	8
विधानसभा मे सदस्यो की सख्या	मत्रिपरिषद मे विधानसभा के मत्री	मत्रिपरिषद मे विधानसभा का प्रतिनिधित्व % मे	विधानसभा का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व	विधानपरिषद के सदस्यो की सख्या	मत्रिपरिषद मे विधानपरिषद से मत्री	मत्रिपरिषद मे विधानपरिषद प्रतिनिधित्व % मे	विधानपरिषद का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व
425	56	93 33	13 2	108	4	6 7	3 7

सारिणी सख्या 7 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधानसभा के 425 सदस्यो मे से कल्याण सिह के मत्रिपरिषद में 56 सदस्य लिये गये तथा विधानपरिषद के 108 सदस्यो मे से 4 सदस्यो को मत्रिपरिषद मे सम्मिलित किये गये। इस प्रकार विधानसभा का प्रतिशतवार प्रतिनिधित्व 13 2 प्रतिशत तथा विधान परिषद का प्रतिशतवार प्रतिनिधित्व 3 7 प्रतिशत रहा। कल्याण सिह के मत्रिपरिषद मे कुल 60 मत्री थे जिसमे विधानसभा का प्रतिनिधित्व 93 3 प्रतिशत रहा तथा विधान परिषद का प्रतिनिधित्व 6 7 प्रतिशत रहा।

कल्याण सिह की मत्रिपरिषद के पतन एव विधानसभा भग होने के पश्चात् नवम्बर 1993 मे उत्तर प्रदेश के द्वादश विधानसभा के लिए हुए मध्यावधि चुनाव के परिणामस्वरूप मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे दिनाक 4/12/1993 को गठित तथा 3/6/1995 तक कार्यरत बहुजन समाज पार्टी तथा समाजवादी पार्टी की सम्मिलित मत्रिपरिषद मे विधानसभा एव विधान परिषद के सदस्यो को प्रतिनिधित्व का अध्ययन सारिणी सख्या 7 2 के माध्यम से कर सकते है।

सारिणी सख्या 7 2

मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद मे विधानसभा तथा विधान परिषद का प्रतिनिधित्व

(कुल मत्री 28)

1	2	3	4	5	6	7	8
विधानसभा मे सदस्यो की सख्या	मत्रिपरिषद मे विधानसभा के मत्री	मत्रिपरिषद मे विधानसभा का प्रतिनिधित्व % मे	विधानसभा का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व	विधानपरिषद के सदस्यो की सख्या	मत्रिपरिषद में विधानपरिषद से मत्री	मत्रिपरिषद मे विधानपरिषद प्रतिनिधित्व % मे	विधानपरिषद का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व
425	28	85 7	5 7	108	4	14 3	3 7

सारिणी सख्या 7 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधानसभा के 425 सदस्यो मे से मुलायम सिह यादव की मत्रिपरिषद मे 24 सदस्य लिये गये तथा विधान परिषद के 108 सदस्यो से 4 सदस्यो को मत्रिपरिषद मे सम्मिलित किया गया। इस प्रकार विधानसभा का प्रतिशत वार प्रतिनिधित्व 5 7 प्रतिशत तथा विधानपरिषद का प्रतिशतवार प्रतिनिधित्व 3 7 प्रतिशत रहा। मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद मे कुल 28 मत्री थे जिसमे विधानसभा का प्रतिनिधित्व 85 7 प्रतिशत तथा विधान परिषद 14 3 प्रतिशत रहा।

मुलायम सिह यादव के मत्रिपरिषद के पतन के पश्चात् मायावती के नेतृत्व मे दिनाक 3/6/1995 को गठित तथा 18/10/1995 तक कार्यरत मत्रिपरिषद मे विधानसभा व विधानपरिषद के सदस्यो का प्रतिनिधित्व का अध्ययन सारिणी संख्या 7 3 के माध्यम से किया जा सकता है।

सारिणी सख्या 73

1995 के मायावती मत्रिपरिषद मे विधानसभा तथा विधान परिषद का प्रतिनिधित्व

(कुल मत्री33)

1	2	3	4	5	6	7	8
विधानसभा मे सदस्यो की सख्या	मत्रिपरिषद मे विधानसभा के मत्री	मत्रिपरिषद मे विधानसभा का प्रतिनिधित्व % मे	विधानसभा का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व	विधानपरिषद के सदस्यो की सख्या	मत्रिपरिषद मे विधानपरिषद से मत्री	मत्रिपरिषद मे विधानपरिषद प्रतिनिधित्व % मे	विधानपरिषद का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व
425	22*	66 7	5 2	108	2	6 1	1 9

*इसमे विधान सभा के उन सदस्यो को भी शामिल किया गया है जिन पर सपा से अलग होने के कारण दल-बदल अधिनियम के आधार पर कार्यवाही की गयी।

सारिणी सख्या 73 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधान सभा के 425 सदस्यो मे से मायावती के 1995 के मत्रिपरिषद मे 22 सदस्य तथा विधान परिषद के 108 सदस्यो मे से 2 सदस्य मत्रिपरिषद मे सम्मिलित किये गये। इस प्रकार विधान सभा का प्रतिशतबार प्रतिनिधित्व 5 2 प्रतिशत तथा विधान परिषद का 1 9 प्रतिशत रहा। मायावती के मत्रिपरिषद मे कुल 33 मत्री थे जिसमे विधान सभा का प्रतिनिधित्व 6 1 प्रतिशत रहा। यहा यह तथ्य भी स्मरणीय है कि मायावती के इस मत्रिपरिषद मे स्वय मुख्यमत्री मायावती किसी भी सदन (हाउस) की सदस्या नही थी तथा इसके अतिरिक्त तीन अन्य सदस्य भी विधान मडल के किसी भी सदन (हाउस) के सदस्य नहीं थे।

मायावती की 3/6/1995 को गठित तथा 18/10/1995 तक कार्यरत 'प्रथम' मत्रिपरिषद के पतन के पश्चात् हुए मध्यावधि चुनाव के परिणामस्वरूप

प्रदेश को एक बार पुन साझा सरकार का अनुभव प्राप्त हुआ। इस बार पुन मायावती के नेतृत्व मे दिनाक 21/3/1997 को बसपा तथा भाजपा का सम्मिलित मन्त्रिपरिषद का गठन हुआ, जो दिनाक 18/10/1997 तक कार्यरत था। इस मन्त्रिपरिषद मे विधान सभा व विधान परिषद के सदस्यो के प्रतिनिधित्व का अध्ययन सारिणी सख्या 74 के माध्यम से किया जा सकता है।

सारिणी सख्या 74

1997 के मायावती मन्त्रिपरिषद मे विधानसभा तथा विधान परिषद का प्रतिनिधित्व

(कुल मत्री45)

7 1	2	3	4	5	6	7	8
विधानसभा मे सदस्यो की सख्या	मन्त्रिपरिषद मे विधानसभा के मत्री	मन्त्रिपरिषद मे विधानसभा का प्रतिनिधित्व %मे	विधानसभा का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व	विधानपरिषद के सदस्यो की सख्या	मन्त्रिपरिषद मे विधानपरिषद से मत्री	मन्त्रिपरिषद मे विधानपरिषद प्रतिनिधित्व % मे	विधानपरिषद का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व
425	38	82 2	8 7	108	7	15 6	6 5

सारिणी सख्या 74 के अवलोकन से स्पष्ट है होता है कि विधान सभा के 425 सदस्यो मे से मायावती के 1997 के मन्त्रिपरिषद मे 37 सदस्य तथा विधान परिषद के 108 सदस्यो मे से 7 सदस्य मन्त्रिपरिषद मे सम्मिलित किये गये। इस प्रकार विधान सभा का प्रतिशतबार प्रतिनिधित्व 8 7 प्रतिशत तथा विधान परिषद का प्रतिशतबार प्रतिनिधित्व 6 5 प्रतिशत रहा। मायावती के इस मन्त्रिपरिषद मे कुल 45 मत्री थे, जिसमे विधान सभा का प्रतिनिधित्व 82 2 प्रतिशत तथा विधान परिषद का प्रतिनिधित्व 15.6 प्रतिशत रहा। यहां यह तथ्य स्मरणीय है कि बरखू राम वर्मा विधान मडल के किसी भी सदन के सदस्य नही थे।

भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के मध्य सरकार

बनाने के लिए हुए समझौते के परिणाम स्वरूप मायावती ने 21/9/1997 को मुख्यमत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। परिणामस्वरूप मायावती के मत्रिपरिषद का विघटन हो गया। तद्पश्चात् कल्याण सिह के नेतृत्व मे दिनाक 21/9/1997 को गठित तथा शोधकाल खण्ड 1997 के समापन के आगे तक कार्यरत मत्रिपरिषद मे विधान सभा व विधान परिषद के सदस्यो के प्रतिनिधित्व का अध्ययन सारिणी सख्या 7 5 के माध्यम से किया जा सकता है।

सारिणी सख्या 7 5

1997 के कल्याण सिह मत्रिपरिषद मे विधानसभा तथा विधान परिषद का प्रतिनिधित्व

(कुल मत्री45)

1	2	3	4	5	6	7	8
विधानसभा मे सदस्यो की सख्या	मत्रिपरिषद मे विधानसभा के मत्री	मत्रिपरिषद मे विधानसभा का प्रतिनिधित्व %मे	विधानसभा का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व	विधानपरिषद के सदस्यो की सख्या	मत्रिपरिषद में विधानपरिषद से मत्री	मत्रिपरिषद मे विधानपरिषद प्रतिनिधित्व % मे	विधानपरिषद का प्रतिशत बार प्रतिनिधित्व
425	103	91 2	24 2	108	9	7 9	8 3

सारिणी सख्या 7 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधान सभा के 425 सदस्यो मे से कल्याण सिह के 1997 के मत्रिपरिषद मे 103 सदस्य तथा विधान परिषद के 108 सदस्यो मे से 9 सदस्य मत्रिपरिषद मे सम्मिलित किये गये। इस प्रकार विधान सभा का प्रतिशतबार प्रतिनिधित्व 24 2 प्रतिशत तथा विधान परिषद का प्रतिशतबार प्रतिनिधित्व 8 3 प्रतिशत रहा। कल्याण सिह के इस मत्रिपरिषद मे कुल 113 मत्री थे, जिसमे विधान सभा का प्रतिनिधित्व 91 2 प्रतिशत तथा विधान परिषद का प्रतिनिधित्व 7 9 प्रतिशत रहा।

रेखा चित्र संख्या-7.1.1
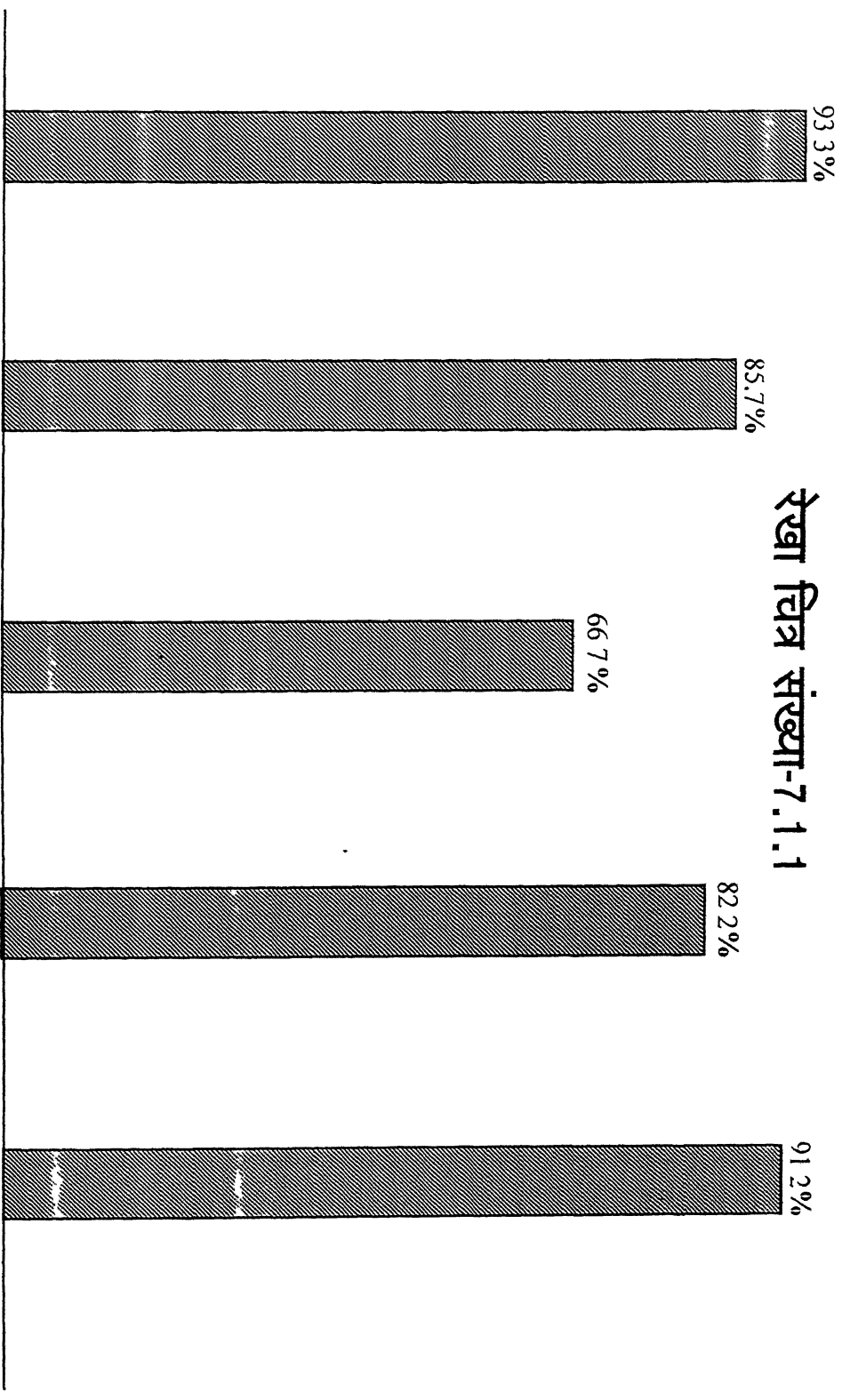
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में विधान सभा से लिए गये सदस्य

पूर्ववर्ती सभी तालिकाओ के अध्ययन – अवलोकन से विधान सभा एव विधान परिषद के प्रतिनिधित्व एव मत्रिपरिषद मे उनके प्रतिनिधित्व प्रतिशत की स्थिति स्पष्ट होती है।

मत्रिपरिषद	विधान सभा का प्रतिनिधित्व	मत्रिपरिषद मे प्रतिशत
कल्याण सिह (24/6/91 से 6/12/92)	13 2	93 3
मुलायम सिह यादव (4/12/93 से 3/6/95)	5 7	85 7
मायावती (3/6/95 से 18/10/95)	5 2	66 7
मायावती (21/3/97 से 21/9/99)	8 7	82 2
कल्याण सिह* (21/9/97 से 12/11/99)	24 2	91 2

* कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित (21/9/97 से 12/9/97 तक) द्वितीय मत्रिपरिषद का विधानसभा एव विधान परिषद मे मत्रिपरिषद के प्रतिशत को 31 दिस 1997 तक दर्शाया गया है।

सन् 1991 से 1997 के बीच विभिन्न कालो मे गठित मत्रिपरिषदो मे विधान सभा के प्रतिनिधित्व की स्थिति रेखाचित्र सख्या 7 1 1 मे दर्शायी गयी है। इसी प्रकार विभिन्न कालो मे गठित मत्रिपरिषदो मे विधान परिषद के प्रतिनिधित्व की स्थिति रेखाचित्र सख्या 7 1 2 मे प्रदर्शित की गयी है एव विधान सभा एव विधान परिषद दोनों की मत्रिपरिषद मे स्थिति को सम्मिलित रूप से रेखाचित्र संख्या 7 13 मे प्रदर्शित किया गया है तथा मत्रिपरिषद मे विधान सभा तथा विधान परिषद

रेखा चित्र संख्या-7.1.2
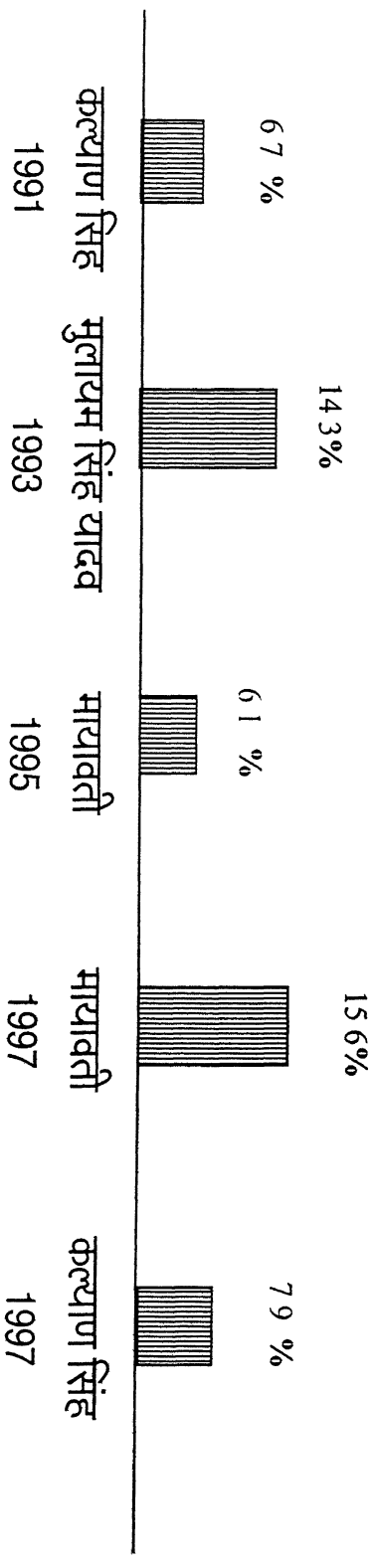
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में विधान परिषद से लिए गये सदस्य

सदस्यो के प्रतिनिधित्व के उतार–चढाव को रेखा चित्र सख्या 7 1 4 मे दर्शाया गया है।

मत्रिपरिषद	विधान परिषद का प्रतिनिधित्व	मत्रिपरिषद मे प्रतिशत
कल्याण सिह (24/6/91 से 6/12/92)	3 7	6 7
मुलायम सिह यादव (4/12/93 से 3/6/95)	3 7	14 3
मायावती (3/6/95 से 18/10/95)	1 9	6 1
मायावती (21/9/97 से 2/11/97)	6 5	15 6
कल्याण सिह ' (21/9/97 से 12/11/99)	8 3	7 9
औसत	4 8	10 1

सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित विभिन्न मत्रिपरिषदो मे विधान सभा एव विधान परिषद के सदस्यो का अवलोकन करने के पश्चात् जो तथ्य उजागर हो रहा है उसमे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मत्रिपरिषद मे विधान सभा एव विधान परिषद की भागेदारी का कोई निश्चित अनुपात नही रहा। इस काल मे गठित मत्रिपरिषदों मे विधान परिषद का न्यूनतम प्रतिनिधित्व 6 1 फीसदी तथा अधिकतम प्रतिनिधित्व 15 6 फीसदी रहा है। यदि विधान सभा का मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व का अवलोकन करें तो यह न्यूनतम 66 7 फीसदी तथा अधिकतम 93 3 फीसदी रहा है। इस प्रकार मत्रिपरिषद मे विधान सभा व विधान परिषद अनुपात 66 7 15.6 से लेकर 93 3˙6 7 फीसदी के मध्य रहा है।
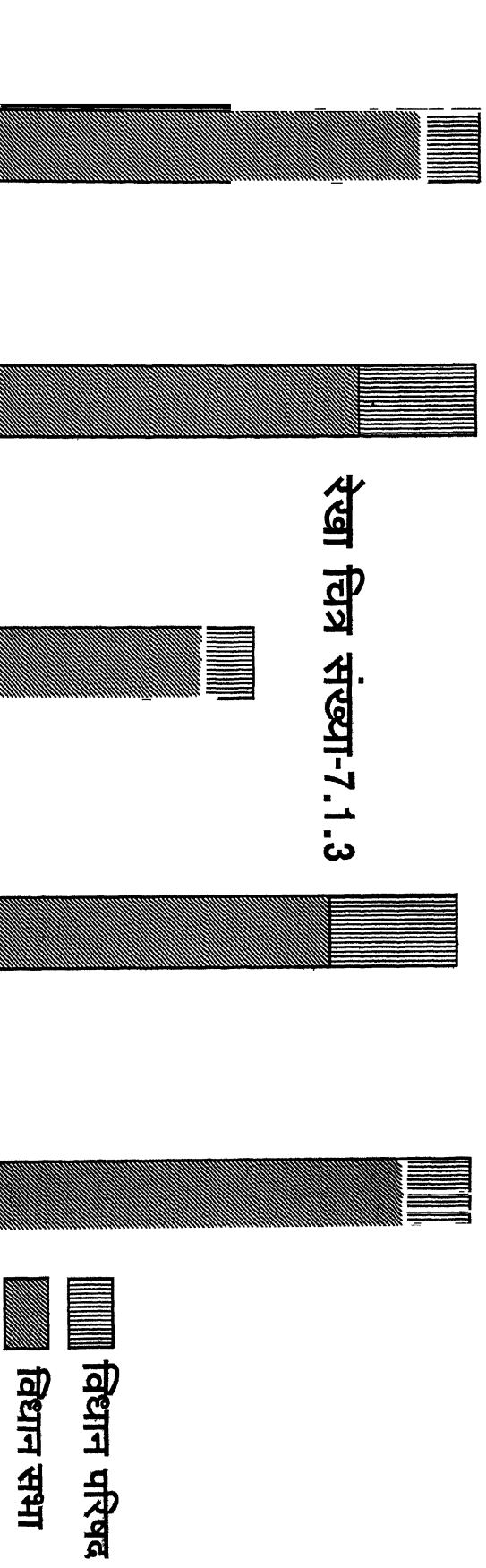
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में विधान सभा एवं विधान परिषद से लिए गये सद

कल्याण सिह के दोनो मत्रिपरिषदो मे अर्थात् 1991 ई0 मे तथा 1997 ई0 मे गठित मत्रिपरिषद मे कुल सदस्यो के 90 फीसदी से ऊपर प्रतिनिधित्व विधान सभा के सदस्यो को दिया गया जो सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित सभी मत्रिपरिषदो मे विधान सभा का सबसे उच्च प्रतिनिधित्व रहा। यह क्रमश 24/6/1991 से 6/12/1992 तक कार्यरत प्रथम मत्रिपरिषद मे 93.3 फीसदी एव 21/9/1997 से 12/11/1999 तक कार्यरत मत्रिपरिषद में 31 दिसम्बर 1997 के अत तक 91 2 फीसदी रहा। इस प्रकार यह तथ्य स्वत स्पष्ट हो जाता है कि कल्याण सिह के मत्रिपरिषद मे विधान परिषद के सदस्यो का प्रतिनिधित्व अत्यत निम्न रहा है किन्तु विधान परिषद के सदस्यो को न्यूनतम प्रतिनिधित्व दिनाक 3/6/1995 को मायावती के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित तथा दिनाक 18/10/1995 तक कार्यरत मत्रिपरिषद मे प्राप्त हुआ। इसमे मात्र 6 1 फीसदी प्रतिनिधित्व ही विधान परिषद के सदस्यो को प्राप्त हो सका है जबकि इसके पश्चात् विधान परिषद के सदस्यो का सबसे निम्न प्रतिनिधित्व 6 7 फीसदी दिनाक 24/6/1991 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित मत्रिपरिषद मे प्राप्त रहा है।

कल्याण सिह के प्रथम मत्रिपरिषद के पश्चात् मध्यावधि चुनाव के परिणामस्वरूप मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे दिनाक 4/12/1993 को गठित समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त मंत्रिपरिषद में विधान परिषद के सदस्यो को 14 3 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है जो कल्याण सिंह के दोनो मत्रिपरिषदो मे विधान परिषद के सदस्यो को प्रदान किये गये प्रतिनिधित्व अनुपात से उच्च था जबकि विधान सभा के सदस्यो को 85 7 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया। यहॉ यह तथ्य भी उल्लखेनीय है कि मुलायम सिंह यादव के मत्रिपरिषद मे विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपात 14 3: 85 7 शोधकाल खण्ड सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित सभी मत्रिपरिषदो के विधान सभा व विधान परिषद सदस्यों के औसत (सम्पूर्ण) प्रतिनिधित्व अनुपात 10:1: । 83 8 के सबसे अधिक निकट है।

रेखा चित्र संख्या-7.1.4
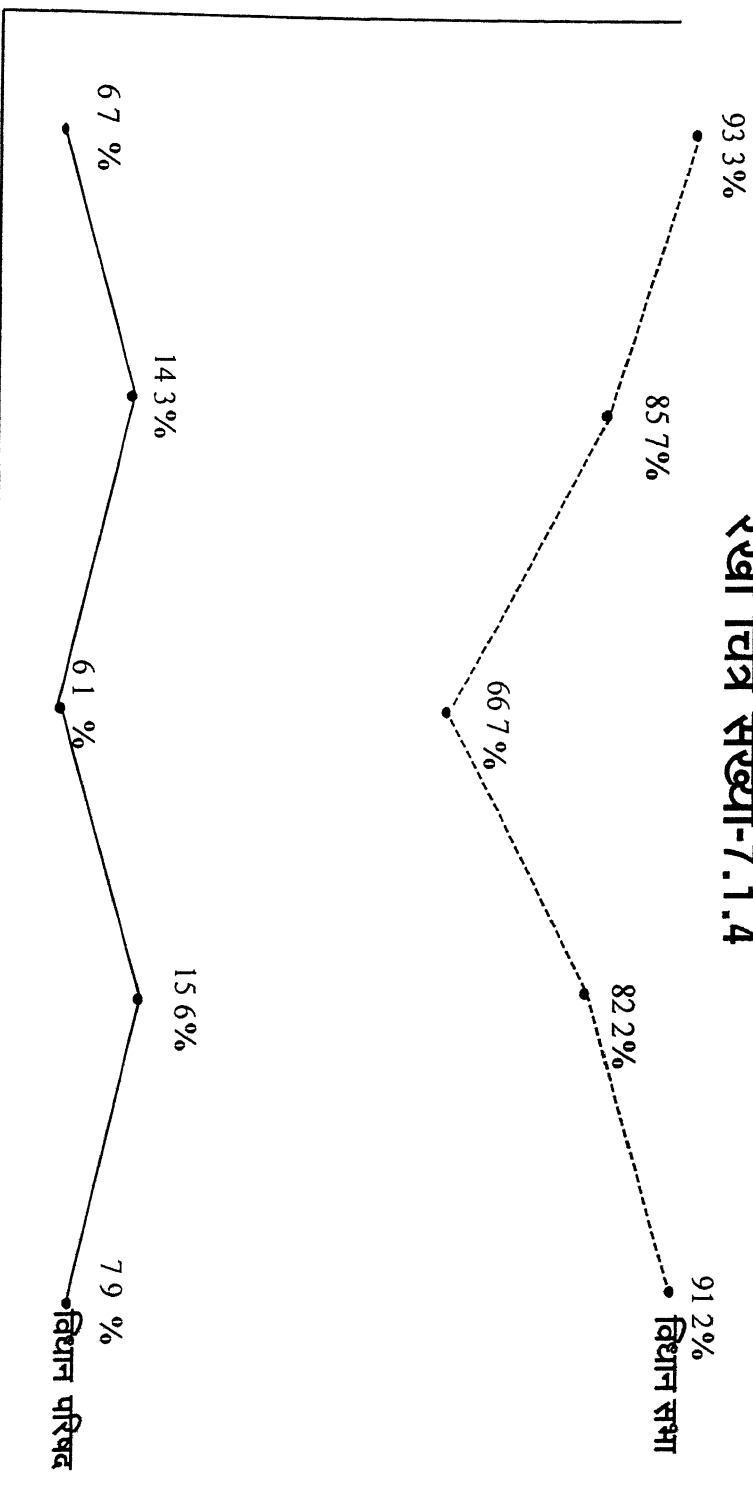
सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित मंत्रिपरिषदों में विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

मुलायम सिह यादव के पश्चात् मायावती के नेतृत्व मे दिनाक 3/6/1995 को प्रथम बार गठित मत्रिपरिषद मे विधान सभा के सदस्यो को 6 1 फीसदी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया जो सन् 1991 से 1997 के मध्य गठित सभी मत्रिपरिषदो मे सबसे निम्न था। मायावती के 33 सदस्यीय मत्रिपरिषद मे 2 मत्री विधान परिषद से तथा 22 मत्री विधान सभा से लिये गये थे। यहा यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मायावती के इस मत्रिपरिषद मे 4 सदस्य ऐसे थे जो किसी भी सदन के सदस्य नही थे। जिसमे मुख्यमत्री के रूप मे कार्यरत स्वय मायावती भी सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त विधान सभा के सदस्य के रूप मे दिखाये गये सारणी सख्या के सदस्यो मे 4 सदस्य ऐसे थे जो किसी भी सदन के सदस्य नही थे। ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा के लिए निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् पार्टी से अलग होकर मायावती के मत्रिपरिषद मे सम्मिलित होने के कारण दल–बदल अधिनियम के तहत उन पर कार्यवाही की गयी। यहा यह तथ्य भी ध्यान योग्य है कि मायावती के दल बहुजन समाज पार्टी को विधान सभा मे मात्र 67 स्थान प्राप्त थे।

मायावती की प्रथम मत्रिपरिषद चूँकि विधान सभा मे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर आधारित थी। अत भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वापस लेने के बाद उसका पतन हो गया तथा प्रदेश को फिर से एकबार मध्यावधि चुनाव झेलना पडा। जिसमे किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो सका। अत एक बार पुन मायावती के नेतृत्व मे मत्रिपरिषद का गठन किया गया जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था तथा इस बार भारतीय जनता पार्टी मत्रिपरिषद मे सम्मिलित भी थी। इस मत्रिपरिषद मे अन्य मत्रिपरिषदो की तुलना मे विधान परिषद के सदस्यो को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मायावती की इस 45 सदस्यीय मत्रिपरिषद मे 7 मत्री विधान परिषद से लियेगये, मत्रिपरिषद मे इनका प्रतिनिधित्व 15 6 फीसदी रहा। इस प्रकार यहा यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मायावती के नेतृत्व मे गठित दोनो मत्रिपरिषदों मे भी विधान सभा व विधान परिषद के सदस्यो के प्रतिनिधित्व अनुपात मे काफी

भिन्नता है।

अत सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मत्रिपरिषद मे विधान परिषद के सदस्यो का प्रतिनिधित्व अनुपात सदैव अनिश्चित रहा है। विधान परिषदे के सदस्यो को मत्रिपरिषद मे न्यूनतम अथवा अधिकतम कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाये इस सदर्भ मे किसी भी परम्परा का विकास नही हो सका है। यहा तक कि एक ही मुख्यमत्री के नेतृत्व मे गठित विभिन्न मत्रिपरिषदो मे भी विधान परिषद के प्रतिनिधित्व के विषय मे कोई निश्चित दृष्टिकोण प्रदर्शित नही हो सका।

वस्तुत मत्रिपरिषद मे विधान परिषद के सदस्य के रूप मे सम्मिलित होना राजनेताओ के पीछे के द्वार से सरकार मे आने का प्रयास प्रतीत होता है। सामान्यत विधान सभा के चुनावो में असफलता के कारण मत्रिपरिषद मे स्थान प्राप्त करने के लिए राजनेता विधान परिषद की सदस्यता का प्रयोग करते है। इसके अतिरिक्त अध्ययन के दौरान ऐसे भी मत्री पाये गये है जो कभी भी विधान सभा चुनावो मे हिस्सा नही लेते है या सफल नही होते है, किन्तु अपने दलो मे शक्तिशाली स्थिति मे होने के कारण उन्हे मत्रिपरिषद मे स्थान प्रदान किया जाता है जिसके लिए वह सवैधानिक योग्यता की पूर्ति विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करके करते है। इस प्रकार यह कहना उचित ही प्रतीत होता है कि विधान परिषद ने सविधान सस्थापको की आशा के विपरीत सत्ताधारी दल के शक्तिशाली लोगो के लिए आरामघर का अभागा ध्येय ही पूरा किया है।

****

अष्टम् अध्याय

मंत्रिपरिष- में सम्मिलित दलों की स्थिति

अध्याय-8

मन्त्रिपरिषद् मे सम्मिलित दलो की स्थिति

यह एक स्वत सिद्ध नियम है कि जनतान्त्रिक शासन प्रणाली के कार्यकरण मे दल एक अपरिहार्य अग बन गया है।[1] बिना राजनीतिक दलो के न तो सिद्धान्तो की सगठित अभिव्यक्ति हो सकती है, न नीतियो का व्यवस्थित विकास, न ससदीय निर्वाचन के सविधानिक साधन का अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त ऐसी सस्था का नियमित प्रयोग जिसके द्वारा दल सत्ता प्राप्त करते है और उसे बनाये रखते है।[2] विभिन्न देशो मे दल प्रणाली का स्वरुप सम्बन्धित देश के राजनीतिक इतिहास और सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियो की देन होती है।[3] यही कारण है कि ससार मे विभिन्न शासन व्यवस्थाओ मे दल प्रणाली का स्वरुप और उसका कार्य भार भिन्न-भिन्न दिखायी देता है। भारत मे पश्चिम ढंग की सुसगठित तथा प्रभावशाली लोकतान्त्रिक दल प्रणाली का विकास नही हुआ है।[4]

भारत मे दल प्रणाली का उद्भव काग्रेस की स्थापना से माना जाता है [5] तथा स्वतन्त्रता बाद भी लम्बे समय तक इसी दल का प्रभुत्व बना रहा जिसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मे एकदलीय प्रभुत्व काल के नाम से जाना जाता है। वस्तुत - काग्रेस ने लम्बे समय तक भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया, जिसमे उसे विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म तथा आदर्श को मानने वालो का सहयोग प्राप्त हुआ क्योकि इनमे सबका एक ही लक्ष्य था स्वतन्त्रता प्राप्ति।इस कारण काग्रेस का उदय एक छत्र सगठन के रूप मे हुआ जिसका अर्थ है इसने सभी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय हितो तथा सिद्धान्तो को मानने वालो को अपने में सम्मो लिया।[6]

1- पोलम्बरा ला0 जो0 - 'पोलिटिकल पार्टी एण्ड पोलिटिकल डेवलपमेन्ट ' न्यूजर्सी, प्रिस्टन यू0 प्रेस 1966,पृ0 03

2- मैक आइवर आर0 एम0 - 'दि माडर्न स्टेट,'ओ0 यू0 पी0 आक्सफोर्ड, 1926 पृ0 316

3- सईद एस0 एम0 - भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, लखनऊ, सुलभप्रकाशन (1996), पृ0 205

4- पायर डी0 नार्मन - दि इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम, लन्दन, जार्ज ऐलन एण्ड एनविन, पृ0 182

5- सईद एस एम - वही पृ0 205

6- पामर डी0 नार्मन वही पृ0 187

इसी विशेषता को ध्यान मे रखकर अम्बेडकर ने इसकी तुलना धर्मशाला से की है।[7] इसी आधार पर सदाशिव का कहना है कि काग्रेस की वैज्ञानिक रुप से कोई सरचित विचार धारा नही है। वस्तुत दल की सामाजिक स्थिति और स्वरुप, सत्ता मे बने रहने के लिए विभिन्न स्वार्थो के बीच समझौता और इसके नेताओ का सैद्धान्तिक बहुलवाद किसी स्पष्ट विचारधारा के मार्ग मे बाधाए बनी है।[8] अन्य दलो की प्रकृति भी कमोबेश इसी प्रकार की है क्योकि अधिकतर विरोधी दलो के सदस्य पहले काग्रेस मे रह चुके थे तथा जिनकी समाजिक-बौद्धिक पृष्ठभूमि एक सी थी।[9] इनका विरोध सामाजिक या सघर्ष का परिणाम नही था बल्कि राजनैतिक फूट व सघर्ष का परिणाम था।[10]

इस प्रकार भारत मे सत्ताधारी तथा विरोधी दोनो दलो मे वैचारिक स्पष्टता एव एकता का अभाव नजर आता है।[11] विरोधी दल सत्तारुढ दल के सिद्धान्तो या लक्ष्यो का विरोध नही करते बल्कि वह कहते है कि सत्ताधारी दल उस पर अमल नही कर रहा है।[12] इस प्रकार विरोधी तत्वो का उद्देश्य सत्ता या व्यवस्था को उलटना नही उस पर कब्जा करना है।[13] इस कारण विचारधार और नीति जैसे भिन्न तत्व भी आपस मे मिलते है और अवसरवादिता का परिचय देते है।[14]

7- अम्बेडकर के कथन से उद्धृत सईद एस0 एम0 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, लखनऊ, सुलभ प्रकाशन पृ0 214
8- सदाशिवन एस0 एन0 - 'पार्टी एण्ड डेमोक्रेसी इन इण्डिया',नई दिल्ली,टाटा मैक्ग्रा हिल पब्लिशर 1977 पृ0 252
9- कोठारी रजनी भारत मे राजनीति, 'नई दिल्ली, ओरिएण्ट लागमैन पृ0115
10- वही पृ0 115
11- वही पृ0 116
12- वही पृ0 117
13- वही पृ0 117
14- वही पृ0 118

स्वतन्त्रता के पश्चात प्रदेश की राजनीति व्यवस्था के इतिहास मे गठित सविदा सरकारो मे इन तथ्यो की बहुलता देखी जा सकती है। यथा चरण सिह के नेतृत्व मे दिनाक 3-4-67 मे गठित सरकार पर दृष्टि डाले तो इस सरकार मे ससोपा, प्रसोप जनसघ, स्वतत्रपार्टी, जनकाग्रेस, रिपब्लिक पार्टी, साम्यवादी दल, साम्यवादी मार्क्सवादी तथा निर्दलीय भी थे।[15] इस प्रकार चरण का यह मत्रिपरिषद विभिन्न विचारधाराओ तथा सिद्धान्तो को मानने वाले दलो का एक अवसरवादी गठबधन था। पुन ॱ चरणसिह ने काग्रेस (आर) के साथ मिलकर दिनाक 18-10-70 को मन्त्रिपरिषद का गठन किया। वह भी अवसरवादी गठबधन ही था जिसका पतन भी शीघ्र हो गया। इसी क्रम मे यदि शोध काल खण्ड सन् 1991 से 1997 के मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि यह समय स्थिर राजनीति का समय था। इस दौरान गठित कोई भी सरकार अपने कार्यकाल को पूर्ण नही कर सकी। तुष्टीकरण, सत्तालोलुपता, आदर्श हीनता का जो परिचय प्रदेश के राजनीतिज्ञो द्वारा इस दौरान प्रदर्शित किया गया वह प्रदेश को स्वस्थ राजनीतिक सस्कृति की तरफ ले जाती प्रतीत नही हो रहा था। बेताहाशा दलबदल, गैर सैद्धान्तिक गठबन्धन, विस्तृत मन्त्रिपरषिद तथा सदन मे होने वाले हगामा तथा सवाद का गिरता स्तर प्रदेश राजनीति की शोचनीय स्थिति प्रदर्शित करता रहा है।

इस काल मे प्रदेश की राजनीतिक सस्कृति पर दृष्टि डालें तो राजनेताओ का केवल एक ही लक्ष्य दृष्टिगोचर हो रहा है- सत्ता पर काबिज होना। इसके लिए वह अनेक नैतिक-अनैतिक साधन प्रयोग मे लाते हुए प्रतीत हो रहे है। विभिन्न दलो का विघटन नये- नये समीकरण प्रदेश की राजनीति मे दिन- प्रतिदिन देखे जा सकते है। मन्त्रिपरषिद का निर्माण योग्यता, अनुभव एव दक्षता के आधार पर न होकर केवल सत्ता मे काबिज रहने के समीकरणो के द्वारा निर्धारित होते प्रतीत हो रहे है।इसी सदर्भ मे प्रस्तुत शोध के इस अध्याय मे विभिन्न मत्रिपरिषदो की दलीय स्थिति का अवलोक

15- पाण्डेय जवाहर ॱ स्टेट पालिटिक्स इन इण्डिया नई दिल्ली, उप्पाल पब्लि0हाऊस,1982 पृ0 121, 122

किया जा रहा है ताकि सविदा सरकार की मजबूरियॉ तथा वर्तमान राजनीतिक सस्कृति की दिशा को जाना जा सके। मई जून मे 1991 मे एकादश विधानसभा के लिए हुए चुनावो मे भारतीय जनता पार्टी ने 221 स्थान प्राप्त कर स्पष्ट बहुमत अर्जित किया। जिसके परिणामस्वरुप कल्याण सिह के नेतृत्व मे दिनाक 24-6-91 को गठित तथा 6-12-92 तक कार्यरत भारतीय जनता पार्टी के मत्रिपरिषद मे दलीय स्थिति को सारिणी सख्या 8-1 मे दर्शाया गया।

सारिणी सख्या 8-1

सन् 1991 मे कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद में सत्तारुढ दल

क्र0 स0	सत्तारुढ दल	विधान सभा मे सख्या	प्रतिनिधित्व				विधान सभा के अनुपात मे मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व- 1मन्त्री - विधानसभा सदस्य
			मन्त्रिमण्डल		मन्त्रिपरिषद		
			सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	भारतीय जनता पार्टी	221	22	100	56	100	4
योग		221	22	100	56	100	4

सारिणी 8-1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन् 1991 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे प्रथम बार गठित मत्रिपरषिद मे भारतीय जनता दल के ही 56 सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसमे से 22 सदस्य मत्रिमण्डलीय स्तर के मत्री है। यदि विधान सभा मे इस दल की स्थिति पर दृष्टि डालें तो इसे विधानसभा मे 221 स्थान प्राप्त है। इस प्रकार विधानसभा व मत्रिपरिषद अनुपात 4 है अर्थात 4 विधानसभा सदस्यो पर मत्रिपरषिद मे एक सदस्य को सम्मिलित किया गया।

कल्याण सिह के मत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के पश्चात नवम्बर 1993 मे द्वादश विधानसभा के लिए सम्पन्न चुनावो मे बहुजन समाज पार्टी तथा समाज वादी पार्टी ने साथ मिल कर चुनाव लडने का फैसला किया था वामदलो के साथ इनका चुनावी समझौता था। किन्तु फिर इस चुनाव मे समाजवादी पार्टी को 107 स्थान तथा बहुजन समाज पार्टी को 67 स्थान ही प्राप्त हो सका। इस प्रकार यह दोनो दल अब भी बहुमत से दूर थे। भारतीय जनता पार्टी 176 स्थान प्राप्त कर एक बार पुन - प्रदेश के विधानसभा चुनावो मे सबसे बडे दल के रुप मे उभरी किन्तु वह भी पूर्ण बहुमत प्राप्त न कर सकी। तद्पश्चात काग्रेस, जनता दल तथा वामदलो ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिये लिखित आश्वासन दिया।[1] परिणामस्वरुप दिनाक 4-1-93 को मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी को साझा मन्त्रिपरषिद का गठन हुआ जो दिनाक 3-6-95 तक कार्यरत थी। इस मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न दलो की स्थिति को सारिणी सख्या 8-2 मे दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 8-2

सन् 1993 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद मे सत्तारुढ दल

क्र0 स0	सत्तारुढ दल	विधान सभा मे सख्या	प्रतिनिधित्व				विधान सभा के अनुपात मे मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व- 1मन्त्री - विधानसभा सदस्य
			मन्त्रिमण्डल		मन्त्रिपरिषद		
			सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	समाजवादी पार्टी	107	9	60	16	57 1	6 7
2	बहुजन समाज पार्टी	67	6	40	12	42 9	5 6
योग		174	15	100	28	100	6 2

-1 फ्रन्ट लाइन ,मद्रास ,अक्टूबर 18, 1996 पृ035-40

सारिणी सख्या 8-2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन् 1993 मे मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिमण्डल मे समाजवादी दल के सदस्यो के साथ बहुजन समाजवादी दल के सदस्यो के प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। मत्रिपरिषद मे इनकी सख्या क्रमश 16 तथा 12 है तथा प्रतिशत 57 1 फीसदी व 42 9 रहा है। यदि मन्त्रिमण्डल मे प्रतिनिधित्व को देखे तो समाजवादी दल के 9 सदस्य एव बहुजन समाज पार्टी के 6 सदस्य को प्रतिनिधत्व प्रदान किया गया। जिनका प्रतिशत क्रमश 60 व 40 रहा।

यदि विधानसभा मे इन दलो की स्थिति को देखे तो समाजवादी पार्टी को 107 व बहुजन समाज पार्टी को 67 स्थान प्राप्त हुए है। यदि विधानसभा व मत्रिपरिषद के अनुपात पर दृष्टि डालें तो जहॉ समाज वादी पार्टी का प्रतिशत 6 7 1 रहा, वहीं बहुजन समाज पार्टी का 5 6 1 रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी को उच्च प्रतिनिधत्व अनुपात प्राप्त हुआ।

प्रदेश के बदलते हुए घटनाक्रम मे मायावती द्वारा बहुजन समाज पार्टी का मुलायम सिह के सरकार से समर्थन वापस लेने का निर्णय, तद्पश्चात बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का बिना शर्त समर्थन देने के फैसले के परिणामस्वरुप दिनाक 3-6-95 को मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न दलो की दलीय स्थिति को सारिणी सख्या 8-3 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 8-3

1995 मे मायावती के नेतृत्व में गठित मन्त्रिपरिषद मे सम्मिलित दल

क्र0 स0	सत्तारुढ दल	विधान सभा मे सख्या	प्रतिनिधित्व				विधान सभा के अनुपात मे मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व- 1मन्त्री ¯ विधानसभा सदस्य
			मन्त्रिमण्डल		मन्त्रिपरिषद		
			सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	बहुजन समाज पार्टी	67	12	100	33	100	2

सारिणी सख्या 8-3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन् 1995 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद के सभी 33 सदस्य बहुजन समाज पार्टी से ही लिये गये जिसमे 12 सदस्य मत्रिमण्डलीय स्तर के मत्री है। इस दल की विधानसभा मे मात्र 67 सीटे थी। इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा एव मन्त्रिपरिषद के सदस्यो का अनुपात 2 1 ठहरता है अर्थात् इस दल के दो विधानसभा सदस्या पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद मे सम्मिलित किया गया। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मायावती के नेतृत्व मे गठित इस मन्त्रिपरिषद मे 9 ऐसे सदस्य थे जिन्हे विधानमण्डल के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त नही थी। स्वय मुख्यमत्री मायावती भी किसी सदन की सदस्य नही थी।

मायावती की अल्पावधि सरकार का पतन ,भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वापस लेने के परिणामस्वरुप दिनाक 18।10।95 को हुआ। तद्पश्चात एक लम्बे समय तक राष्ट्रपति शासन मे रहने के पश्चात सितम्बर -अक्टूबर 1996 मे सम्पन्न त्रयोदश विधानसभा चुनावो मे किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही हो सका। अतत राजनीतिक विवशताओ के परिणामस्वरुप भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी ने मिल कर प्रदेश मे सरकार बनाने का फैसला किया। जिसके लिए हुए समझौते मे यह प्रावधान किया गया कि सरकार का नेतृत्व अर्थात मुख्यमत्री पद छ महीने के लिए दोनो दलो से बारी बारी लिया जाएगा। इसी क्रम मे दिनाक 3।6।95 को मायावती के नेतृत्व मे बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के साझा मन्त्रिपरिषद का गठन किया गया। जिसमे विभिन्न दलो की स्थिति को सारिणी सख्या 8-4 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 8-4 के अन्तर्वर्णित आकडो का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि सन् 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद मे बहुजन समाज पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के सदस्यो को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मत्रिपरषिद मे इनकी सख्या क्रमश 23 - 23 थी अर्थात् दोनो दलो को मन्त्रिपरिषद मे समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था । जबकि मन्त्रिमण्डल मे इन दोनो दलो के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डार्ले तो बहुजना समाज पार्टी के 11 तथा भारतीय जनता पार्टी के 10 सदस्य को मन्त्रिमण्डल मे सम्मिलित किया गया था।

सारिणी संख्या 8-4

सन् 1997 मे मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद मे सम्मिलित दल

क्र0 स0	सत्तारुढ दल	विधान सभा मे सख्या	प्रतिनिधित्व				विधान सभा के अनुपात मे मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व- 1मन्त्री - विधानसभा सदस्य
			मन्त्रिमण्डल		मन्त्रिपरिषद		
			सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	बहुजन समाज पार्टी	67	11	524	23	50	2 9
2	भारतीय जनता पार्टी	174	10	47 6	23	50	7 6
योग		241	21	100	46	100	5 2

यदि विधान सभा मे इन दोनो दलो की स्थिति को देखे तो बहुजन समाज पार्टी को 67 व भारतीय जनता पार्टी को 107 स्थान प्राप्त हुए है और यदि विधानसभा व मत्रिपरिषद अनुपात पर दृष्टि डाले तो जहॉ बहुजन समाज पार्टी का अनुपात 2.9 1 रहा वही भारतीय जनता पार्टी का 7 6 1। इस प्रकार स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी को उच्च प्रतिनिधित्व अनुपात प्राप्त हुआ।

मायावती के मन्त्रिपरिषद की छ महीने की अवधि समाप्त होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के मध्य हुए समझौते के परिणामस्वरुप दिये गये त्यागपत्र के उपरान्त कल्याण सिह के नेतृत्व मे दिनाक 21-3-97 को भाजपा तथा बसपा की सयुक्त मन्त्रिपरिषद का गठन हुआ। किन्तु जल्द ही बहुजन समाज दल ने इस सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी तथा उसके दल के सभी मन्त्रियो ने मत्रिपरिषद से सामूहिक रुप से त्यागपत्र दे दिया। तद्पश्चात विभिन्न दलों टूट कर आये विधायको के समर्थन से सचालित मन्त्रिपरिषद मे विभिन्न दलो की स्थिति को सारिणी संख्या 8 5 मे दर्शाया गया है।

सारिणी सख्या 8.5

1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद मे सत्तारुढ़ दल()

क्र0 स0	सत्तारुढ दल	विधान सभा मे सख्या	प्रतिनिधित्व				विधान सभा के अनुपात मे मन्त्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व- 1मन्त्री - विधानसभा सदस्य
			मन्त्रिमण्डल		मन्त्रिपरिषद		
			सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
1	भारती जनता पार्टी	174	22	57 9	52	55 9	3 4
2	जन बसपा	13	4	10 5	13	14	1
3	लो0 काग्रेस	22	9	23 7	22	23 7	1
4	समता पार्टी	02	1	2 6	1	1 1	2
5	जनता दल (पाण्डेय)	03	1	2 6	3	3 2	1
6	निर्दल	02	1	2 6	2	2 2	1
योग		216	38	99 9	93	100 1	2 3 (अनुपात)

सारिणी सख्या 8-5 के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1997 मे कल्याण सिह के नेतृत्व मे गठित मंत्रिपरिषद मे अनेक दलो को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया जिनमे सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के 52 सदस्य, तद्पश्चात लोकतान्त्रिक काग्रेस के 23 सदस्य, जनवादी बहुजन समाज पार्टी के 13 सदस्य, जनता दल (पाण्डेय) से 3 सदस्य, समता पार्टी से 1 सदस्य व निर्दल 2 सदस्यो को प्रतिनिधत्व प्रदान किया गया है। इनका प्रतिशत क्रमश भारतीय जनता पार्टी 55 9, लोकतान्त्रिक काग्रेस 23 7, जनवादी बहुजन समाजपार्टी 14, जनता दल (पाण्डेय) 3 2, समता पार्टी 1 1 तथा निर्दल 2 2 फीसदी रहा।

() इस सारिणी मे कल्याणसिह की मत्रिपरिषद् से बहुजन समाज पार्टी के समर्थन वापस लेने के बाद निर्मित मत्रिपरिषद् की दलीय स्थिति को दर्शाया गया है।

यदि मन्त्रिमण्डल मे इनके प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो भारतीय जनता पार्टी के 22 सदस्य, लोकतान्त्रिक काग्रेस के 9 सदस्य जनवादी बहुजन समाज पार्टी के 4 सदस्य, जनता दल (पाण्डेय) समता पार्टी तथा निर्दल के एक-एक सदस्य को मन्त्रिमण्डल मे प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

यदि विधानसभा मे इन सत्तारुढ दलो की स्थिति का अवलोकन करे तो भारतीय जनता पार्टी को 174 लोकतान्त्रिक काग्रेस को 22, जनवादी बहुजन समाज पार्टी को 13, जनता दल (पाण्डेय) को 03, समता पार्टी को 02 तथा निर्दल को 02 स्थान प्राप्त है।

यदि मन्त्रिपरिषद विधानसभा अनुपात पर दृष्टि डाले तो समग्र अनुपात 1 2 3 है अर्थात 2 3 विधानसभा सदस्यो पर मन्त्रिपरिषद मे एक सदस्य को सम्मिलित किया गया। जिसकी तुलना मे भारतीय जनता पार्टी को निम्न अनुपातित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ वहीं अन्य दलो को उच्च अनुपातित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यह अनुपात क्रमश भारतीय जनता पार्टी 1 3 4, समता 1 2, जन बसपा, लोकतान्त्रिक काग्रेस, जनता दल (पाण्डेय) व निर्दल का 1 1 रहा।

सन् 1991 से सन् 1997 के मध्य गठित विभिन्न मन्त्रिपरिषदो मे दलीय स्थिति के अवलोकन से जो प्रमुख तथ्य उजागर हो रहा है वह यह है कि यह काल साझा सरकारो का काल रहा है। इस काल मे गठित पॉच सरकारो मे चार सांझा सरकारे थीं। केवल कल्याण सिह के नेतृत्व मे सन् 1991 मे प्रथमबार गठित मन्त्रिपरिषद ही एक स्वावलम्बी मन्त्रिपरिषद थी अर्थात् यह बिना किसी दल के सहयोग पर निर्मित थी। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि सन् 1991 से सन् 1997 के मध्य काग्रेस को छोडकर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण दल ने यथा भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी, समय-समय पर सत्ता पर काबिज हुई।

सन् 1991 से 1997 के मध्य तीन विधान सभा चुनावो का सामना प्रदेश को करना

पडा जिसमे प्रथम अर्थात् एकादश विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनाव मई-जून 1991 मे सम्पन्न कराये गये, जिसमे 221 स्थान प्राप्त भारतीय जनता पार्टी न केवल सबसे बडे दल के रुप मे उभरी वरन् उसे पूर्णत बहुमत भी प्राप्त हुआ। जिसके परिणाम स्वरुप दिनाक 24-6-97 को कल्याण सिह के नेतृत्व मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। इस काल मे(सन् 1991 से 1997 के मध्य)यही एक ऐसी सरकार थी जो बिना किसी दल के सहयोग से निर्मित थी। कल्याण सिह के इस मन्त्रिपरिषद मे कुल 56 मन्त्रियो को शामिल किया गया जो सभी भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित थे। इनमे 22 को कैबिनट स्तर का मन्त्री पद प्रदान किया गया जिसका विधान सभा मन्त्रिपरिषद अनुपात 1:4 था। किन्तु दिनांक 6-12-92 को कल्याण की सरकार को अयोध्या मे विवादित ढाचे की रक्षा न कर पाने के कारण बर्खास्त कर दिया गया। तदपश्चात प्रदेश को सन् 1997 तक दो मध्यावधि चुनावो का सामना करना पडा जिसमे नवम्बर 1993 मे द्वादश विधानसभा के लिए तथा सितम्बर-अक्टूबर सन् 1996 मे त्रोयदश विधानसभा के लिए कराये गये चुनाव सम्मिलित थे। इन दोनो विधानसभा चुनावों मे किसी भी दल को स्पष्ट बहुत प्राप्त नही हुआ और यह पूरा काल साझा सरकारो तथा अस्थिर राजनीति का रहा। यह तथ्य स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है कि इस काल में गठित किसी भी मन्त्रिपरिषद ने अपना कार्य काल पूर्ण नहीं किया।

द्वादश विधानसभा चुनाव के पश्चात मुलायम सिह यादव के नेतृत्व मे गठित समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के साझे मन्त्रिपरिषद पर नजर डाले तो इसमे सम्मिलित 28 सदस्यो मे से 16 समाजवादी पार्टी तथा 12 बुहजन समाज पार्टी से सम्बन्धित थे, जबकि विधान सभा मे इनकी स्थिति पर नजर डाले तो समाजवादी पार्टी को 107 तथा बहुजन समाज पार्टी को 67 स्थान प्राप्त थे। इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी की अपेक्षा अनुपात मे अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

मुलायम सिह यादव के पश्चात · मायावती के नेतृत्व मे गठित मन्त्रिपरिषद

पर दृष्टि डाले तो यह सरकार विधानसभा मे भारतीय जनता पार्टी के बिना शर्त समर्थन पर आधारित थी। किन्तु वह (भारतीय जनता पार्टी) सरकार मे सम्मिलित नही हुई। इस प्रकार मायावती ने अपने दल के सदस्यो मे से ही मन्त्रिपरिषद का गठन किया। जबकि दल को विधानसभा मे मात्र 67 सीटे ही प्राप्त थी। इस मन्त्रिपरिषद मे कुल 33 मन्त्री शामिल किये गये जिसमे 12 सदस्य को कैबिनेट स्तर का मन्त्रिपद प्रदान किया गया। इस प्रकार विधान सभा व मन्त्रिपरिषद का अनुपात इस दौरान गठित सभी मन्त्रिपरिषदो मे सबसे उच्च था तथा विधान सभा मे दो सदस्यो पर एक सदस्य को मन्त्रिपरिषद मे शामिल किया गया था।

यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मायवती की यह मन्त्रिपरिषद उस भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर आधारित थी जिसके विषय मे बहुजन समाज पार्टी का मानना रहा है कि यह मनुवादी पार्टी है जो उच्च वर्ग के लोगो को व्यवस्था मे अधिक लाभ पहुचाने के लिए कार्य करती है तथा इसी व्यवस्था के परिवर्तन के सकल्प के साथ मायावती के नेतृत्व मे बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश का विधानसभा चुनाव लडा था। इसके अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनावो के दौरान एक साम्प्रदायिक दल बताया था तथा इसे सत्ता से दूर रखने का भी सकल्प लिया था। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता प्राप्ति की अभिलाषा ने बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेने को विवश कर दिया। इस प्रकार भिन्न-भिन्न विचारधारओ तथा सिद्धान्तो का एक अवसरवादी गठबन्धन अस्तित्व मे आया, किन्तु जैसी उम्मीद थी, यह सरकार (मन्त्रिपरिषद) लम्बे समय तक नही चल सकी और 136 दिन के पश्चात ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया। यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि चुनावो मे बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश की राजनीति मे अपने को एक धर्मनिरपेक्ष दल के रुप मे प्रस्तुत किया। उसके पार्टी प्रमुख काशीराम ने एक समय मुसलमानो को देश का गद्दार कहा था।[1]

---

1 इण्डिया टुडे, दिल्ली सितम्बर30, 1996 पृ054

मायावती की सरकार के पतन के पश्चात एक लम्बे समय तक राज्य को राष्ट्रपति शासन मे रहना पडा किन्तु अन्त मे जब राज्यपाल को यह प्रतीत हुआ कि किसी भी सरकार का गठन अब प्रदेश मे सम्भव नही है तो उन्होने द्वादश विधानसभा भग कर चुनाव कराने की सस्तुति कर दी। जिसके परिणाम स्वरुप प्रदेश मे हुए त्रयोदश विधानसभा चुनाव मे किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही हुआ और बहुत दिनो की कवायद के बाद एक बार पुन ‑ भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी ने मिल कर सरकार के निर्माण हेतु सविदा कर लिया। इस सविदा मे यह प्रावधान था कि प्रत्येक दल का मुख्यमत्री छ- छ महीने के लिए प्रदेश की सरकार की बागडोर सम्भालेगा। इस प्रकार सिद्धान्तहीन ही नही बल्कि सत्ता लोलुपता की जिस राजनीति का चित्र प्रदेश राजनैतिक दलो ने प्रस्तुत किया उसका दूसरा उदाहरण ढूढना एक कठिन कार्य प्रतीत होता है।

मायावती के नेतृत्व मे द्वितीय बार गठित मन्त्रिपरिषद मे दलीय स्थिति के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि यह एक समझौते की विवशता का परिणाम था क्योकि मन्त्रिपरिषद मे बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया जबकि विधानसभा मे इन दलों की स्थिति मे काफी भिन्नता थी। जहा भारतीय जनता पार्टी को 176 स्थान प्राप्त हुए थे, वहीं बहुजन समाज पार्टी को मात्र 67 स्थान ही विधानसभा मे प्राप्त थे।

बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के मध्य सम्पन्न समझौते के परिणामस्वरुप मायावती के मन्त्रिपरिषद के छ महीने के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात मायावती ने त्यागपत्र दे दिया, तदोपरान्त कल्याण सिह के नेतृत्व मे मन्त्रिमण्डल का गठन किया गया। किन्तु जल्द ही बहुजन समाज पार्टी ने इससे अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद प्रदेश मे जो राजनैतिक घटना चक्र चला वह सत्तालोलुपता और सैद्धान्तहीन राजनीति का ऐसा प्रदर्शन था जिसकी कल्पना भी असम्भव प्रतीत होती है जबकि विभिन्न दलो से टूट कर आये विधायको ने कल्याण सिह की सरकार को समर्थन प्रदान किया तथा

इसके ऐवज मे उन्हे मन्त्रिपरिषद मे स्थान प्रदान किया गया। जैसा कि अध्ययन से स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्रदान करने वाले सभी विधायको को मन्त्रिपरषिद मे स्थान प्रदान किया गया।

इस प्रकार सन् 1991से सन् 1997 के मध्य गठित मन्त्रिपरषिद मे दलीय स्थिति के अवलोकन से प्रदेश की राजनीति मे साझा सरकार की मजबूरिया, सत्ता लोलुपता, सिद्धान्तहीन तथा विचारहीन राजनीति का मिला जुला चित्र प्रस्तुत हो रहा है। अत यह कहना उचित प्रतित हो रहा है कि भारतीय राजनीति दलो मे किसी निश्चित सिद्धान्त तथा वैचारिकता का अभाव है।

उपसंहार

उपसंहार

उत्तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् (1991 - 1997 ई०) के सरचनात्मक—सख्यात्मक दृष्टिकोण, शीर्षक से सम्पन्न प्रस्तुत शोध—प्रबन्ध मे विवेचित विभिन्न परिवर्त्यो के आधार पर निर्गत निष्कर्षों को क्रमबद्ध रूप मे प्रस्तुत करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। शोधकर्त्ता ने अनुभव किया है कि राजनीतिक—व्यवस्था पर पृष्ठभूमि सम्बन्धी परिवर्त्यो का प्रभाव इतना सघन और आपस मे मिलाजुला होता है कि यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि कौन—कौन से परिवर्त्य किस—किस समय कितना प्रभाव अनुकूल या प्रतिकूल रूप मे डाल रहे है। यह भी देखने मे आया है कि एक ही परिवर्त्य एक ही समय मे अलग—अलग प्रभाव डालता है तथा एक परिवर्त्य दूसरे परिवर्त्य के प्रभाव को या तो ज्यादा प्रभावशाली बना देता है या प्रभावशून्य। कही—कही परिवर्त्य आपस मे एक—दूसरे के सम्पूरक के रूप मे या विरोधी रूप मे भी अपनी भूमिका का निर्वाह करते है। इन सब विसगतियो एव परिवर्त्यों की विचलन की स्थिति मे सटीक निष्कर्ष पर पहुँचना अत्यन्त कठिन होता है, जबकि वैज्ञानिक शोध—विधि से यही अपेक्षा की जाती है कि निष्कर्ष या उपलब्धियॉ सटीक हो और उनके आधार पर निश्चित रूप मे कोई भविष्यवाणी भी की जा सके। शोधकर्त्ता का विश्वास है कि चूँकि सामाजिक विज्ञान की विषय—वस्तु व्यक्ति है जो देश, काल, परिस्थिति से नित्य प्रभावित होता रहता है, अत उससे सम्बन्धी निर्णय भी परिवर्तनीय होते रहते है। पुनरपि, शोध की पूर्णता या औपचारिकता के निर्वहन के रूप मे उपसहार इस प्रकार है—

मन्त्रिपरिषद् की जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर विवेचन मे यह तथ्य उभर कर सामने आया कि बसपा (1995) की सरकार मे मात्र एक मन्त्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित) सवर्ण था, शेष मध्यम तथा अनुसूचित जातियो के थे, जबकि भाजपा के समर्थन से यह सरकार बनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि एक सवर्ण मन्त्री का उक्त सरकार मे चयन कोई न कोई विवशता ही रही होगी।

1991 मे श्री कल्याण सिह के मन्त्रिपरिषद मे उच्च वर्ग को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व (48 प्रतिशत लगभग) प्रदान किया गया था। 1993 मे श्री मुलायम सिह की बसपा

समर्थित सयुक्त सरकार मे मध्यम जातिवर्ग को सर्वाधिक (53 5 प्रतिशत लगभग) प्रतिनिधित्व दिया गया।

सन् 1997 मे भाजपा समर्थित सुश्री मायावती की सरकार मे मध्यम वर्ग को लगभग 42 2 प्रतिशत स्थान दिया गया, जबकि श्री कल्याण सिह के नैतृत्व मे पहले बसपा के समर्थन और उसके बाद मे अन्य छोटे–छोटे दलो तथा निर्दलियो के समर्थन से बनी सरकार मे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 54.5 प्रतिशत उच्च जातियो को प्राप्त हुआ। उक्त तथ्य विभिन्न सरकारो मे सर्वाधिक मात्रा मे जाति स्तर पर चयनित मन्त्रियो की सख्या को इगित करता है। इसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा मे उच्च जाति, सपा मे मध्यम जाति और बसपा मे अनुसूचित जाति को सर्वाधिक वरीयता दी गई है। अपवाद स्वरूप दलो के आपसी समझौते एव सहमति से बनी सरकारो मे ही अन्य जातियो को व्यापक प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो दल की जातीय दृष्टि का नही अपितु सरकार बनाने के लिए हुए समझौते का परिचायक है। इससे दलो के जातिय दृष्टिकोण का स्पष्ट पता चलता है। कोई भी दल किसी जाति–विशेष पर केन्द्रित होकर यदि कोई ऐसी राजनीति करता है और सरकार बनाता है तो यह लोकतन्त्र की आत्मा (जनता की सरकार) की पूर्णतया अवहेलना एव उपेक्षा है। ऐसी स्थिति प्रदेश और देश के लिए घातक है। जातीयता के पाश मे आबद्ध राजनीति का विशाक्त परिणाम हमारे लोकतन्त्र को क्षतिग्रस्त कर रहा है। अपेक्षा यह है कि जातीय सकीर्णता से ऊपर उठकर राजनीतिक दल अपनी मनोवृत्ति को व्यापक बनाए। वर्तमान सरकार विधानसभा के लिए जो निर्वाचन (चर्तुदश विधानसभा) सम्पन्न हुआ था उसमे अन्य दलो की अपेक्षा बसपा को अधिक सीटे प्राप्त हुई थी, जिसका स्पष्ट कारण यह रहा कि इस दल ने अपने को जातीय सकीर्णता से थोडा उदार बनाते हुए अन्य जातियो के सदस्यो (मध्यम या उच्च जाति) को अपना प्रत्याशी बनाया, जो विजयी भी हुए, जनाधार बढा। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जातीय व्यवस्था को यदि सम्भव हो सके तो राजनीति का आधार बनाया ही न जाय अथवा अत्यन्त न्यून कर दिया जाए।

मन्त्रिपरिषद मे धार्मिक पृष्ठभूमि के आँकडो के आधार पर यह तथ्य निर्गत हुआ

है कि अल्पसख्यको (मुस्लिम) को उनकी प्रदेश मे जनसख्या के आधार पर न निर्वाचनो मे दलो द्वारा अपना प्रत्याशी बनाया गया और न जनसख्या के आधार पर मन्त्री बनाया गया। इतना अवश्य है कि सदन मे जीत कर आए हुए मुस्लिम विधायको की सख्या की तुलना मे उनका मत्रिपरिषद मे प्रतिनिधित्व अधिक है। वस्तुत यह भी एक रहस्यात्मक तथ्य ही है जो देखने मे आकर्षक है परन्तु निहितार्थ यह है कि उनको सदन मे पहुँचने के लिए दलो द्वारा अपेक्षित मात्रा मे टिकट न देकर प्रथम द्वार पर ही रोक लगा दी जाती है। जबकि दूसरे धर्म (हिन्दु) के मन्त्रियो का प्रतिनिधित्व अधिक है।

भाजपा के कल्याण सिह की प्रथम सरकार मे तो एक ही मुस्लिम मन्त्री बनाया गया था। सपा मे इनकी सख्या 10 7 प्रतिशत (कुल तीन सदस्य) और बसपा मे 12 1 प्रतिशत प्रथम सरकार मे (इसमे भाजपा अन्दर से सम्मिलित नही थी) और द्वितीय सरकार मे 8 9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व (इसमे भाजपा सम्मिलित थी) दिया गया। भाजपा की द्वितीय सरकार मे मुस्लिम प्रतिनिधित्व 4 4 प्रतिशत रहा। समवेत रूप से इस तथ्य के आधार पर जो रुझान स्पष्ट होता है, वह मुस्लिमो के प्रति भाजपा की सर्वाधिक कम और सपा की सबसे अधिक। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, विशेषत मन्दिर–मस्जिद विवाद के कारण, धर्म से अत्यधिक प्रभावित है। एक ओर मण्डल–कमीशन ने जातिवाद को बढावा दिया तो मन्दिर–मस्जिद विवाद ने हिन्दु–मुस्लिम धर्म को आवश्यकता से अधिक विवदास्पद बना दिया। राजनीति को धार्मिक आधार ही प्रदान नही किया गया, प्रत्युत सम्पूर्ण धर्म का राजनीतिकरण कर दिया गया। यही नही, धर्म का विकृत स्वरूप सम्प्रदायवाद के रूप मे उभर कर सामने आया। जातीय एव धार्मिक हिसा मे वृद्धि हुई। धर्मानिरपेक्षता का छद्म स्वरूप ही वस्तुत दिखायी पडता है। राजनीतिक दलो की धार्मिक प्रतिबद्धता उनके द्वारा टिकट–वितरण के समय स्वत स्पष्ट हो जाती है। शोध ाकर्त्ता का सुझाव है कि धर्मनिरपेक्ष आचरण को व्यावहारिकता प्रदान की जाय। टिकट–वितरण से लेकर मन्त्रिपद प्रदान करने तक धर्म को आधार न बनाया जाय। धर्माधारित राजनीति भी प्रदेश, देश और मानव–समाज के लिए अवाक्षनीय है। गुजरात के वर्तमान (दिसम्बर 2002) चुनाव मे भाजपा की विजय को हिन्दूवाद की विजय

कहना भी धर्मोन्माद भडकाना ही है। सूचना तन्त्रो, राजनेताओ और समीक्षको को इस प्रकार के विश्लेषणो से अपने को दूर रखते हुए स्वस्थ वातावरण के सृजन मे सहयोग करना होगा। सत्ता के लिए धर्म की महत्ता को स्वीकार नही किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय आधार पर प्रदेश को उत्तराचल, पश्चिमाचल, मध्याचल, बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के रूप मे पॉच भागो के विभक्त किया गया है। इसमे उत्तराचल को भाजपा ने, पश्चिमाचल को मायावती की द्वितीय सरकार(भाजपा समर्थित), मध्याचल को कल्याण सिह की प्रथम सरकार मे, बुन्देलखण्ड को मायावती की प्रथम सरकार मे पूर्वांचल को भी मायावती की प्रथम सरकार मे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर महत्व दिया गया है। मायावती की प्रथम और मुलायम सिह की सरकार मे उत्तराचल का एक भी मन्त्री नही बनाया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा ने उत्तराचल को, बसपा ने बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल को विशेष महत्व दिया है, जबकि सपा ने किसी क्षेत्र विशेष को अत्यधिक महत्व नही दिया है। ऐसी स्थिति मे कहा जा सकता है कि जिन क्षेत्रो मे दलो की स्थिति अत्यधिक मजबूत थी या जो क्षेत्र किसी दल विशेष के गढ या वोट–बैक थे, उन्हे मन्त्रिपरिषद् मे अधिक स्थान दिया गया है। क्षेत्र को वरीयता मतो के प्रतिशत, दल की स्थिति, विजय का अन्तर आदि के आधार पर दिया गया है। क्षेत्रीयता के सन्दर्भ मे दलो का दृष्टिकोण या तो अपने क्षेत्रीय वर्चस्व को बनाए रखने के लिए या दल की स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है। मन्त्री बनने से क्षेत्रीय विकास निश्चित रूप से प्रभावित होता है। यदि क्षेत्रीय असन्तुलन मन्त्रिपरिषद् मे रहेगा तो उसी के आधार पर क्षेत्रीय विकास मे भी असन्तुलन उत्पन्न होगा। सम्पूर्ण प्रदेश को अपना क्षेत्र मानते हुए उनके हितो को ध्यान मे रखना दलो के लिए आवश्यक है। इसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन मे भी इस तथ्य को ध्यान रखना चाहिए।

समूचा भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जिसका उत्तर प्रदेश की मन्त्रिपरिषद् मे स्पष्ट झलक मिलती है, क्योंकि कृषि–क्षेत्र से आने वाले विधायको को अधिक मन्त्री बनाया गया है, उसके बाद वकालत, अध्यापक, व्यापार–उद्योग वर्ग से मन्त्री बनाए जाते है। इन्ही से दो–तिहाई सख्या की पूर्ति हो रही है। चिकित्सा एवं अभियात्रिक क्षेत्र से

बनने वाले मन्त्रियो की सख्या लगभग शून्य ही है। सेवानिवृत्त अधिकारी, राजनीतिक एव सामाजिक कार्य तथा लेखन पत्रकारिता मे सलग्न सदस्य आसानी से मन्त्रिपद प्राप्त कर लेते है। इन तथ्यो से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक चेतना की दृष्टि से कृषको की सख्या सबसे अधिक है। इनकी राजनीतिक चेतना का आधार वैचारिक ही न होकर राजनीतिक सहभागिता एव राजनीतिक प्रक्रिया से अधिक है। पढे-लिखे विभिन्न व्यावसायिक वर्गों मे राजनीतिक जागरूकता का स्तर वैचारिक अधिक है, व्यवहारिक कम और जिनमे व्यवहार या क्रियाशीलता के स्तर पर राजनीतिक जागरूकता, सहभागिता के रूप मे अधिक है, उनका प्रतिनिधित्व भी अधिक है। स्पष्ट है कि मन्त्री का पद व्यवसाय से सीधे न जुडकर व्यावसायिक राजनीतिक सहभागिता से जुडा है। स्वतत्रता के पूर्व यह प्रवृत्ति परिलिक्षित होती थी कि स्वातत्रता सग्राम मे पहले राजा महाराजा, उसके बाद पढे-लिखे खास तौर से वकील वर्ग मे राजनीतिक चेतना अधिक थी और वे ही स्वतन्त्रता-सग्राम मे बढ-चढ कर हिस्सा भी लेते रहे, लेकिन पूर्णरूपेण सफलता तभी मिली जब जनसामान्य मे स्वतत्रता की चेतना आ गयी। इसी प्रकार, स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् चुनावो मे पहले राजा, महाराजा व पढ-लिखे आभिजात्य वर्ग के लोगो की रूझान बढी, सामान्य वर्ग मे यह चेतना धीरे-धीरे विकसित हुई और अन्तत वर्तमान मे देखा जा सकता है कि जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर उत्तर प्रदेश मे खास तौर पर बसपा और सपा ने ग्रामीण क्षेत्रो कृषि कार्य मे लगे हुए लोगो मे राजनीतिक अभिरूचि और चेतना उत्पन्न कर उनकी सहभागिता मे अभूतपूर्व वृद्धि की है, जिसका स्पष्ट प्रभाव मतदान के प्रतिशत से लेकर सदन मे पहुँचने वाले सदस्यो एवँ मन्त्रियो के रूप मे देखा जा सकता है।

मन्त्रिपरिषद की शैक्षिक पृष्ठभूमि अत्यन्त उत्साहवर्धक है क्योकि लगभग 85 प्रतिशत से अधिक मन्त्री स्नातक स्तर से अधिक शिक्षा प्राप्त किए हुए है। बसपा सरकार के मन्त्रियो का शिक्षा-स्तर अन्य दलो के सरकारो के मत्रियो से स्नातक स्तर या उससे ऊपर के स्तर पर बहुत कम मात्रा मे न्यून है। अत कहा जा सकता है कि मन्त्रिपरिषद् की शैक्षिक पृष्ठभूमि लोकतन्त्र को सशक्त सम्बल प्रदान करती हुई प्रतीत हो रही है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा का जितना उन्नत स्तर मन्त्रियो का है, सदन मे उनके आचरण

और सम्भाषण मे भी वही परिलक्षित होना चाहिए क्योकि शिक्षा – स्तर के ऑकडे औपचारिक शिक्षा (सस्थात्मक शिक्षा) से सम्बद्ध है। शिक्षा के माध्यम से व्यवहार, सस्कार, विचारधारा आदि का भी उन्नयन अपेक्षित है।

मन्त्रिपरिषद मे स्त्री पुरुष प्रतिनिधित्व के अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ की इस काल मे स्त्रियो का प्रतिनिधित्व मत्रिपरिषदो मे अत्यन्त ही अल्प रहा है। (सर्वाधिक 6 7 प्रशितत रहा)। मुलायम सिह के मत्रिपरिषद मे तो कोई भी स्त्री सदस्य को शामिल नही किया गया, मायावती के नेतृत्व मे गठित दोनो मत्रिपरिषदो मे स्त्रियो का प्रतिनिधित्व अन्य मत्रिपरिषदो की तुलना मे उच्च था, किन्तु यह अन्तर नाम मात्र का था।

इससे स्पष्ट है कि यद्यपि सविधान मे लिग भेद स्वीकार नही किया गया है तथा स्त्री व पुरुष को समान दर्जा प्रदान है फिर भी इस काल मे मन्त्रिपरिषद मे स्त्रियो का प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प है और पुरुषो का बर्चस्व बना हुआ है जो किसी भी समाज के लिए एक स्वस्थ लक्षण नही है। जो स्त्रिया मत्रिपरषिद मे प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकी उनका शिक्षा स्तर उच्च रहा तथा वह प्रत्येक जाति वर्ग से आयी थी। जहॉ तक उनकी धार्मिक प्रस्थिति का प्रश्न है तो एक सिक्ख धर्म से तथा अन्य सभी हिन्दू धर्म से थी।

उत्तर प्रदेश की महिलाओ का मत्रिपरिषद तथा विधानसभाओ मे कम प्रतिनिधित्व का कारण प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक पृष्ठ भूमि मे खोजा जा सकता है। स्त्रियो का आर्थिक रुप से पुरुषो पर अवलम्बित होना, साक्षरता की कमी, घरेलु स्वभाव, परम्परागत रीति–रिवाज एव मान्यतॉए जिसके तहत सार्वजनिक क्रियाकलपो मे स्त्रियो की भागीदारी को अच्छा न माना जाना आदि कारण प्रतीत होता है।

स्त्रियो के लिए व्यापक साक्षरता कार्यक्रम सरकारी नौकरियो मे महिलाओ के लिए आरक्षण तथा प्रत्येक आर्थिक गतिविधियो मे महिला पुरुष समानता को प्रोत्साहन, यह ऐसे कदम है जो निश्चय ही स्त्रियों को आर्थिक स्वावलम्बन की तरफ ले जायेगे। जिसके प्रभाव से उनमे स्वतत्र निर्णय की क्षमता मे वृद्धि होगी तथा सार्वजनिक गतिविधियो मे अपने को मुक्त पा सकेंगी। जिसमे राजनीतिक गतिविधियॉ भी सम्मलित है।

मन्त्रिपरिष्द् मे विधानसभा और विधान परिषद् से सम्बन्धित सदस्यो की सख्या के अन्तर्गत यह परिलक्षित हुआ है कि सर्वाधिक सख्या निम्न सदन के सदस्यो की ही रही है। उच्च सदन के सदस्य 15 6 प्रतिशत से 6 1 प्रतिशत के अन्तर्गत ही मन्त्री बनाए गए। मायावती (1995 ई०) की मन्त्रिपरिषद् के अधिकाश ऐसे सदस्य थे, जो दोनो मे से किसी भी सदन के सदस्य नही थे और चूँकि छ महीने के अन्दर ही वह सरकार गिर गयी। अत सदस्यता का प्रश्न महत्वहीन हो गया। विधानपरिषद से मन्त्री बनने वाले अधिकाश सदस्य ऐसे रहे है जो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित न हो सकने की दशा मे मन्त्रिपरिषद् के सदस्य के रूप मे सत्ता मे पिछले दरवाजे से प्रविष्ट किए।

जहॉ तक मन्त्रिपरिषद् की दलीय स्थिति का प्रश्न है, इसमे सविद सरकार होने के कारण दल की भागेदारी समझौते के आधार पर सुनिश्चित होती रही है, जैसे बसपा–भाजपा गठबन्धन 1997 मे मन्त्रिपरिषद मे दोनो दलो के बराबर मन्त्री बने परन्तु कल्याण सिह ने बसपा के समर्थन वापसी के बाद जब विभिन्न छोटे–छोटे दलो के सहयोग से सरकार बनायी तो सभी सहयोगी दलो के सदस्य ही मन्त्री नही बनाए गए, अपितु प्रत्येक निर्दलीय सहयोगियो को भी मन्त्री बना दिया गया। जबकि सपा-बसपा सरकार कि सरकार मे मन्त्रिपरिषद के प्रतिनिधित्व का निर्धारण विधानसभा मे उनके सदस्यो की सख्या के आधार पर की गयी। भाजपा (1991) की सरकार बिना किसी दल के सहयोग से बनी थी, अत उसकी सरकार मे भाजपा के ही सदस्य मन्त्री बनाए गए। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि मन्त्रिपरिषद् में दलीय स्थिति बहुमत या गठबन्धन के आधार पर निर्धारित शर्तों के आधार पर घटती बढती रही है।

मन्त्रियो का सचरण और विभागो मे परिवर्तन की प्रवित्ति भी बहुधा दलीय नेतृत्व के निर्णयो के अनुसार ही हुआ है। यद्यपि कि यह कार्य नितान्त मुख्यमन्त्री या प्रधान मन्त्री के स्वविवेक के आधार पर सम्पन्न होता है, किन्तु गठबन्धन या बाहर से दलो के समर्थन के कारण यह कार्य बाहर के निर्देशन पर होता रहा है। इस क्षेत्र मे मुख्यमन्त्री बहुत ही कम मात्रा मे स्वतन्त्र हो पाया है। प्राय मन्त्रीगणो का सरचरण दलोकेनिर्धारित कोटे द्वारा निश्चित किया जाता है। सरकार चलाने का वास्तविक कार्य सचालक समिति

(स्टीयरिंग कमेटी) द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त सक्षिप्त उपसहारात्मक विश्लेषण के पश्चात् सुझाव के रूप मे निम्नलिखित बिन्दुओ पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है, जिससे कि लोकतन्त्र सुदृढ हो सके तथा साथ ही राजनीतिक एव सवैधानिक मर्यादाओ का सम्मान करते हुए स्वस्थ राजनीतिक क्रियाकलापो का सम्पादन हो सके–

1 राजनीतिक दलो को अपनी निर्धारित विचारधारा से समझौता नही करना चाहिए। विचारधाराविहीन व्यक्ति या दल किसी भी दशा मे राष्ट्र या जनहित मे नही हो सकता है।

2 सत्ता हेतु परस्पर विरोधी विचारधारा वाले दलो द्वारा किए गए समझौतो का जनता द्वारा विरोध किया जाना चाहिए एव निर्वाचनो मे ऐसे दलो को नही चुनना चाहिए।

3. जाति, धर्म, क्षेत्र आदि की सकीर्णता से ऊपर उठकर मन्त्रियो का चयन हो और इस आधार पर की जाने वाली राजनीति को प्रश्रय नही दिया जाना चाहिए।

4. स्पष्ट बहुमत का अभाव इन दिनो सामान्य बात हो गयी है। केन्द्र और उत्तर प्रदेश मे यह तथ्य स्पष्टरूप से दिखायी पडता है। अत आवश्यकता यह है कि चुनाव पूर्व गठबन्धन को महत्व दिया जाय, चुनाव के पश्चात् केवल सरकार बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले गठबन्धनो को अस्वीकार कर देना चाहिए।

5 मन्त्रियो के चयन मे क्षेत्र, जाति, धर्म आदि के आधार पर अन्तर न करते हुए योग्यता और आवश्यकता पर बल देना चाहिए। इससे राजनीति की स्वस्थ परम्परा को बल मिलेगा।

6. अल्प सख्यको और स्त्रियो को अपेक्षित प्रतिनिधित्व तब तक प्राप्त नही हो सकता है, जब तक कि उन्हे उनकी सख्या के आधार पर दलो द्वारा प्रत्याशी न बनाया जाए और उसी अनुपात मे उन्हे मन्त्रीपद प्रदान किया जाय।

7 धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता सौहार्द के लिए आवश्यक है कि इन तत्वो को महत्व न दिया जाय। धर्म को राजनीति का विषय न बनाया जाय।

8 मन्त्रिपरिषद् की सख्या को भी नियन्त्रित करना आवश्यक है। सहयोग करने वाले प्रत्येक सदस्य को मन्त्री बनाना हास्यास्पद है तथा आर्थिक दृष्टि से प्रदेश या देश की स्थिति के अनुकूल नही है।

9 मन्त्रियो का सचरण दलीय निर्देश, बाहर के दबाव या व्यक्तिगत विद्वेष के आधार पर न करके कार्य एव परिणाम के आधार पर होना चाहिए। मूल्य परक राजनीति की स्थापना तभी सम्भव होगी जब मान्त्रिपरिषद् की सरचना स्वस्थ मानसिकता का परिणाम हो।

10. विधान सभाओ मे महिलाओ के लिए निश्चित सख्या मे स्थानो को आरक्षित किया जाना चाहिए, जिससे वह विधान मण्डलो तक पहुँच सके एव मान्यताएँ जिसके तहत सार्वजनिक क्रिया कलापो मे स्त्रियो की भागीदारी को अच्छा न माना जाना आदि कारण प्रतीत होता है।

स्त्रियो के लिए व्यापक साक्षरता कार्यक्रम सरकारी नौकरियो मे महिलाओ के लिए आरक्षण तथा प्रत्येक आर्थिक गतिविधियो मे महिला–पुरूष समानता को प्रोत्साहन, यह ऐसे कदम है जो निश्चय ही स्त्रियो को आर्थिक स्वालम्बन की तरफ ले जायेगे। जिसके प्रधान से उनमे स्वतन्त्र निर्णय की क्षमता मे वृद्धि होगी तथा सार्वजनिक गतिविधियो मे अपने को मुक्त पा सकेंगी। जिसमे राजनीतिक गतिविधियाँ भी सम्मिलित है।

✡✡✡✡✡✡✡✡✡
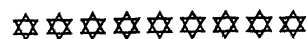
परिशिष्ट

परिशिष्ट सख्या-एक

उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद (1991-1997)के विभागों / मंत्रालयों का स्वरुप इस प्रकार रहा-

1. लोक निर्माण
2. पर्यटन
3. सिंचाई
4. समाज कल्याण
5. ऊर्जा
6. कृषि
7. उच्च शिक्षा
8. ग्राम्य विकास
9. परिवहन
10. लघु सिंचाई
11. वन
12. माध्यमिक शिक्षा
13. बेसिक शिक्षा
14. आबकारी
15. महिला कल्याण
16. सहकारिता
17. श्रम
18. वस्त्र उद्योग
19. संस्थागत वित्त
20. लघु उद्योग
21. खाद्य एवं रसद
22. पर्यावरण
23. अतिरिक्त ऊर्जा
24. कारागार
25. राजस्व
26. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
27. क्षेत्रिय विकास

28. परती भूमि विकास
29. राष्ट्रीय एकीकरण
30. उत्तरांचल विकास
31. उद्यान
32. खेलकूद
33. युवा कल्याण
34. पंजीयन
35. [illegible] कर
36. स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क
37. चिकित्स शिक्षा
38. होमगार्ड्स
39. राजनैतिक पेंशन
40. संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व
41. खादी एवं ग्रामीण उद्योग
42. कार्यक्रम [illegible]
43. वित्त
44. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
45. आवास सहायता एवं पुर्नवास
46. नगर विकास
47. दुग्ध विकास
48. पशुधन
49. नियोजन
50. पंचायती राज
51. बाढ नियंत्रण
52. परिवार कल्याण
53. अम्बेडकर ग्राम्य विकास
54. से[illegible]
55. अल्प संख्यक कल्याण
56. मुस्लिम वक्फ एवं हज
57. नियुक्ति
58. कार्मिक
59. प्रशासनिक सुधार
60. गोपन
61. सतर्कता

62. निर्वा[illegible]
63. नागरिक उड्डयन
64. सूचना
65. प्रोटोकाल
66. अभिसूचना
67. गृह
68. अपराध अनुसंधान
69. राज्य संपत्ति
70. भारी उद्योग
71. बिक्री कर
72. संसदीय कार्य
73. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो
74. अर्थ एवं संख्या
75. प्राविधिक शिक्षा
76. जल सम्पूर्ति
77. मद्य निषेध
78. गन्ना विकास चीनी मिलें
79. न्याय एवं विधायी कार्य
80. प्रौढ़ शिक्षा
81. नागरिक सुरक्षा
82. मत्स्य
83. इलेक्ट्रानिक

श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल

24-6-91 से 6-12-92

क्रम संख्या	नाम	विभाग	अवधि
1.	श्री कल्याण सिंह मुख्य मत्री	नियुक्ति, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, गोपन, सतर्कता, निर्वाचन,नागरिक उड्डयन, सूचना, प्रोटोकाल, अभिसूचना, गृह, अपराध अनुसंधान, राज्य सम्पत्ति, आवास, भारी उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, इलेक्ट्रानिक 15-10-91 से 16-8-92 तक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा परिवार कल्याण भी रहा	24-6-91 से 6-12-92

मंत्री

1.	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त	वित्त, संस्थागत वित्त,बिक्रीकर, मनोरजंन कर, पजीयन, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, नियोजन, अर्थ एवं संख्या कार्यक्रम क्रियान्वयन	24-6-91 से 6-12-92
2.	श्री लालजी टण्डन	उर्जा 16-8-92से नगर विकास एवं आवास	24-6-91 से 6-12-92
3.	श्री गंगा बक्श सिह	कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	24-6-91 से 6-12-92
4.	श्री ओम प्रकाश सिह	सिचाई, बाढ़ नियत्रंण, न्याय विधाई कार्य 16-8-92 से ग्राम विकास बढ़ा	19-7-91 से 6-12-92
5.	श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी	राजस्व, आवास सहायता एवं पुर्नवास 16-8-92 से ऊर्जा	24-6-91 से 6-12-92

6	श्री दिनेश जौहरी	स्वास्थ्य, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण मातृ एव शिशु कल्याण	24-6-91 से 14-10-91
7.	श्री राजनाथ सिह	माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एव प्रोद्योगिक 16-8-92 से माध्यमिक शिक्षा एव वेसिक शिक्षा	19-7-91 से 6-12-92
8	श्रीमती प्रेमलता कटियार	नगर विकास, जल सम्पूर्ति नगरभूमि 16-8-92 से समाज कल्याण एवं महिला कल्याण	24-6-91 से 6-12-92
9	श्री सत्य प्रकाश विकल	आबकारी, मद्यनिषेध, परिवहन, पूर्त धर्मस्व राष्ट्रीय एकीकरण 16-8-92 से परिवहन एव पूर्त धर्मस्व	19-7-91 से 6-12-92
10.	डा0 नरेन्द्र कुमार सिह गौर	उच्च शिक्षा, श्रम सेवायोजन 16-8-92 से उच्च शिक्षा	19-7-91से 6-12-92
11	डा0 सरजीत सिह डग	लोक निर्माण 16-8-92 से वन तथा पर्यावरण	19-7-91से 6-12-92
12.	श्री हनुमन्त सिह	गन्ना विकास चीनी मिले	19-7-91 से 6-12-92
13	श्री रमापति शास्त्री	हरिजन एव समाज कल्याण महिला कल्याण 16-8-92 से राजस्व अभाव सहायता एव पुर्नवास	24-6-91 से 6-12-92
14.	श्री ऐजाज रिजवी	खाद्य एव रसद नागरिक आपूर्ति किराया नियत्रणं मुस्लिम वक्फ 16-8-92 से कारागार एव राजनैतिक पेन्शन एव मुस्लिम वक्फ	24-6-91 से 6-12-92
15	श्री सुधीर कुमार वालियान	सहकारिता	24-6-91 से 6-12-92
16	श्री केदार सिह फोनिया	पर्यटन सास्कृतिक कार्य युवाकल्याण एव खेलकूद	24-6-91 से 6-12-92
17	श्री गिरीश नारायण पाण्डय	न्याय तथा विधायी कार्य	16-8-92 से 6-12-92
18.	श्री दौलत राम	प्रौढ शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एव प्रौद्योगिकी	16-8-92 से 6-12-92

19.	श्री सूर्य प्रताप शाही	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा परिवार कल्याण	16-8-92 से 6-12-92
20.	श्री राम कुमार वर्मा	लोक निर्माण	16-8-92 से 6-12-92
21	श्री बाल चन्द्र मिश्र	खाद्य एव रसद तथा श्रम	16-8-92 से 6-12-92

राज्य मंत्री (स्वतत्रं प्रभार)

1.	श्री उमानाथ सिंह	कारागार, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, राजनैतिक पेंशन 16-8-92 से पशुधन दुग्ध विकास तथा मत्स्य	24-6-91 से 6-12-92
2.	श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य	पचायती राज, प्रान्तीय विकास दल, क्षेत्रीय विकास	24-6-91 से 6-12-92
3.	श्री चन्द्रशेखर सिह	पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य	19-7-91 से 16-8-92
4.	श्री शिव प्रताप शुल्क	बेसिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा 16-8-92 से उड्यान युवा कल्याण एवं खेलकूद	24-6-91 से 6-12-92
5.	श्री पूरन चन्द्र शर्मा	उत्तराचंल विकास	19-7-91 से 6-12-92

राज्य मंत्री

1.	श्री सूर्य प्रताप शाही	गृह	24-6-91 से 16-8-92
2.	श्री धनराज यादव	खाद्य प्रसस्करण एव उद्यान 16-8-92 से वन एवं पर्यावरण	24-6-91 से 6-12-92
3.	श्री राम कुमार वर्मा	लोक निर्माण	24-6-91 से 16-8-92
4.	श्री मस्तराम	नागरिक आपूर्ति	24-6-91 से 16-8-92
5.	श्री अमरनाथ यादव	माध्यमिक शिक्षा	19-7-91 से 6-12-92
6.	श्री मयकर सिंह	लघु उद्योग	19-7-91 से 6-12-92
7.	श्री रविकात गर्ग	ऊर्जा 16-8-92 से सस्थागत वित्त	19-7-91 से 6-12-92
8.	श्री हरिद्वार दुबे	संस्थागत वित्त	24-6-91 से 16-8-92
9.	श्री सुरेश कुमार खन्ना	नगर विकास एव जल सम्पूर्ति	19-7-91 से 6-12-92
10.	श्री बाल चन्द्र मिश्र	श्रम तथा सेवायोजन	19-7-91 से 16-8-92

11	श्री शिव बहादुर	गन्ना विकास 16-8-92 से कारागार एव होमगार्ड	19-7-91 से 6-12-92
12	श्री हरवश कपूर	ग्राम विकास 16-8-92 से श्रम एव सेवायोजन	19-7-91 से 6-12-92
13.	श्री बाबू राम एम0 काम	खाद्य 16-8-92 से आवकारी एव मद्य निषेध स्वतत्र प्रभार	19-7-91 से 6-12-92
14.	श्री ब्रजेश कुमार शर्मा	परिवहन 16-8-92 से नियोजन	19-7-91 से 6-12-92
15.	श्री सूरज सिंह शाक्य	सहकारिता 16-8-92 से समाज कल्याण	19-7-91 से 6-12-92
16.	श्री बालेश्वर त्यागी	राजस्व 16-8-92 से गृह	19-7-91 से 6-12-92
17.	श्रीमती शारदा चौहान	नियोजन 16-8-92 से परिवहन	19-7-91 से 6-12-92
18.	डा0 अमर सिंह	चिकित्सा परिवार कल्याण	19-7-91 से 6-12-92
19.	श्री अनिल कुमार तिवारी	हरिजन एव समाज कल्याण	19-7-91 से 6-12-92
20.	श्री महाबीर सिंह	कृषि शिक्षा	19-7-91 से 16-8-92
21.	श्री हरक सिह रावत	पर्यटन	19-7-91 से 6-12-92
22.	श्री पृथ्वी सिंह	सिंचाई	19-7-91 से 6-12-92
23.	श्री रवीन्द्र शुक्ल	कृषि, कृषि शिक्षा	16-8-92 से 6-12-92
24.	श्री वासुदेव सिंह	ग्राम्य विकास	16-8-92 से 6-12-92
25.	श्री मन्नू लाल कुरील	लोक निर्माण	16-8-92 से 6-12-92
26.	श्री भगवती प्रसाद शुक्ल	सहकारिता	16-8-92 से 6-12-92
27.	श्री अम्बिका सिह	गन्ना विकास, चीनी मिलें	16-8-92 से 6-12-92

उप मंत्री

1.	श्री राम सरन वर्मा	दुग्ध विकास	19-7-91 से 6-12-92
2.	श्री पतिराज	पचायती राज	19-7-91 से 6-12-92
3.	श्री मन्नू लाल कुरील	कारागार, होमगार्ड्स	19-7-91 से 16-8-92
4.	श्री बैजनाथ रावत	ऊर्जा	17-8-91 से 6-12-92
5.	श्री बच्ची सिंह रावत	राजस्व	17-8-91 से 6-12-92
6.	श्री राजेन्द्र सिह	सांस्कृतिक कार्य	17-8-91 से 6-12-92

श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रिमंडल

4-12-93 से 3-6-95 अपरान्ह तक

क्रम संख्या	नाम	विभाग	अवधि
1.	श्री मुलायम सिह यादव मुख्यमत्री	शेष सभी विभाग जो आवटित नही है	4-12-93 से 3-6-95

मंत्री

1.	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	लोक निर्माण तथा ससदीय कार्य	4-12-93 से 3-6-95
2.	मो0 आजम खॉ	सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ	4-12-93 से 3-6-95
3.	श्री राज बहादुर	समाज कल्याण	4-12-93 से 1-6-95
4.	श्री रामलखन वर्मा	पचायती राज	4-12-93 से 1-6-95
5.	श्री रमा शकर कौशिक	नगर विकास	4-12-93 से 3-6-95
6.	श्री भगवती सिह	वन	4-12-93 से 3-6-95
7.	श्री बलराम यादव	स्वास्थ्य चिकित्सा तथा	4-12-93 से 3-6-95
8.	श्री बाबूराम यादव	राजस्व	4-12-93 से 3-6-95
9.	श्री मनोहर लाल	पशुधन तथा मत्स्य	4-12-93 से 29-9-94
10.	श्री अवधेश प्रसाद	कारागार होमगार्डस	4-12-93 से 3-6-95
11.	श्री आर0 के0 चौधरी	परिवहन	4-12-93 से 1-6-95
12.	डा0 मसूद अहमद	माध्यमिक शिक्षा तथा वेसिक शिक्षा	4-12-93 से 20-6-94
13.	श्री शाकिर अली	माध्यमिक शिक्षा तथा वेसिक शिक्षा	21-6-94 से 1-6-95
14.	श्री श्रीराम यादव	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास	4-12-93 से 1-6-95

राज्य मंत्री

1.	श्री शारदा नन्द अचल	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा 10-8-94 से मत्स्य पशुधन	4-12-93 से 3-6-95
2.	श्री राम धनी	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास 10-8-94 से सहकारिता	4-12-93 से 3-6-95
3.	श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा	परिवहन 10-8-94 से कारागार होमगार्ड्स	4-12-93 से 3-6-95
4.	श्री दीनानाथ भाष्कर	स्वास्थ्य चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा 10-8-94 से क्षेत्रीय विकास	4-12-93 से 1-6-95
5	श्री राम पाल	मत्स्य तथापशुधन 10-8-94 से समाज कल्याण	4-12-93 से 1-6-95
6.	श्री सुन्दर सिंह बघेल	समाज कल्याण 10-8-94 से वन	4-12-93 से 3-6-95
7.	श्री सन्त बख्स रावत	नगर विकास	4-12-93 से 3-6-95
8.	श्री सुखराम सिंह यादव	लोक निर्माण तथा ससदीय कार्य	4-12-93 से 3-6-95
9.	श्री अशोक कुमार सिंह बेबी	पंचायती राज 10-8-94 से स्वास्थ्य	4-12-93 से 3-6-95
10.	श्री सुखदेव राजभर	सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ	4-12-93 से 1-6-95
11.	श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	राजस्व	4-12-93 से 1-6-95

उप. मंत्री

1.	श्री राम किशोर विन्द	कारागार होमगार्डस तथा राजनैतिक पेंशन 10-8-94 से परिवहन	4-12-93 से 1-6-95
2.	श्री लाल जी चौहान	वन 10-8-94 से पंचायती राज	4-12-93 से 1-6-95

सुश्री मायावती मंत्रिमण्डल

3-6-95 से 18-10-95 तक

क्रम सख्या	नाम	विभाग	अवधि
1.	सुश्री मायवती	सभी शेष विभाग जो आवटित नही है	3-6-95 से 18-10-95

मंत्री

1.	श्री रामलखन वर्मा	वन जन्तु उद्यान लघुउद्योग खादी एव ग्रामीण उद्योग हथकरघा 16-6-95 से 26-6-95 तक ससदीय कार्य भी रहा	3-6-95 से 18-10-95
2	श्री आर0 के0 चौधरी	स्वास्थ्य चिकित्सा, परिवार कल्याण, मातृ एव शिशु कल्याण विज्ञान एव प्रौद्योगिकी	26-6-95 से 18-10-95
3	श्री राजेन्द्र कुमार	राजस्व अभाव सहायता एव पुनर्वास	26-6-95 से 18-10-95
4.	श्री अकबर अली	कारागार, होमगार्डस, नागरिक सुरक्षा, राजनैतिक पेशन	26-6-95 से 18-10-95
5.	श्री हृदय नारायण दीक्षित	पचायती राज, संसदीय कार्य	26-6-95 से 18-10-95
6.	श्री अवधपाल सिंह	दुग्ध विकास	26-6-95 से 18-10-95
7.	चौधरी जगवीर सिह गूजर	सहकारिता	26-6-95 से 18-10-95
8.	श्री श्रीराम पाल	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एव जनजाति कल्याण, पिछडा वर्ग कल्याण, महिला कल्याण, विकलाग कल्याण	26-6-95 से 18-10-95
9.	श्री सुखदेव राजभर	माध्यमिक शिक्षा, वेसिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा	26-6-95 से 18-10-95

10.	श्री नन्द लाल पटेल	परिवहन	26-6-95 से 18-10-95
11.	श्री चैनसुख भारती	ग्राम्य विकास, अम्बेदकर ग्राम्य योजना, ग्रामीण अभियत्रण सेवा, लघु सिचाई, क्षेत्रीय विकास प्रान्तीय विकास दल	26-6-95 से 18-10-95

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार

1.	श्री श्याम लाल यादव	श्रम सेवायोजन	26-6-95 से 18-10-95
2.	श्री वशीरूद्दीन	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ हज	26-6-95 से 18-10-95
3.	श्री रामकिशोर विन्द	नगर विकास, जल सम्पूर्ति	26-6-95 से 18-10-95
4.	श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	पशुधन मत्स्य	26-6-95 से 18-10-95
5.	श्री फौजदार प्रसाद	उदयान, खादय प्रसस्करण	26-6-95 से 18-10-95

राज्य मंत्री

1.	श्री इश्तियाक अन्सारी	वन, लघु उदयोग एव ग्रामीण उदयोग	26-6-95 से 18-10-95
2.	श्री अंगद यादव	वन, लघु उदयोग एव ग्रामीण उदयोग	26-6-95 से 18-10-95
3.	श्री लाल जी चौहान	वन, लघु उदयोग एव ग्रामीण उदयोग	26-6-95 से 18-10-95
4.	श्री नजमउद्दीन	राजस्व	26-6-95 से 18-10-95
5	श्री हीरामनि पटेल	कारागार, होमगार्ड एंव राजनैतिक पेंशन	26-6-95 से 18-10-95
6.	श्री राम विलास वाल्मिकी	कारागार, होमगार्ड एंव राजनैतिक पेंशन	26-6-95 से 18-10-95
7.	श्री भागवत पाल	दुग्ध विकास	26-6-95 से 18-10-95
8.	श्री राम अचल राजभर	परिवहन	26-6-95 से 18-10-95
9.	श्री जयराम कुशवाहा	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा	26-6-95 से 18-10-95
10	श्री भगवती प्रसाद सागर	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा	26-6-95 से 18-10-95
11.	श्री धूराम चौधरी	पचायती राज एवं ससदीय कार्य	26-6-95 से 18-10-95
12.	चौधरी तेजपाल सिह	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास	26-6-95 से 18-10-95
13.	श्री राम दवर	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास	26-6-95 से 18-10-95
14.	श्री धूरा राम	स्वास्थ्य एव चिकित्सा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	26-6-95 से 18-10-95
15.	श्री प्रवीण सिंह ऐरन	स्वास्थ्य एव चिकित्सा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	26-6-95 से 18-10-95
16.	श्रीमती सुशीला सरोज	समाज कल्याण	26-6-95 से 18-10-95

सुश्री मायावती मंत्रिमण्डल

21-3-97 से 21-9-97 तक

क्रम सख्या	णाम	विभाग	अवधि
1.	सुश्री मायावती मुख्य मंत्री	सभी शेष विभाग जो किसी को आवटित नही है	21-3-97 से 21-9-97

मंत्री

1.	श्री कलराज मिश्र	लोक निर्माण एव पर्यटन	21-3-97 से 21-9-97
2.	श्री आर० के० चौधरी	सहकारिता, 16-8-97 से बढा लघुउद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन, 13-9-97 तक रहा पुनः वन व जन्तु बढा	21-3-97 से 21-9-97
3.	श्री लालजी टण्डन	आवास एव नगर विकास	21-3-97 से 21-9-97
4.	श्री बरखू राम वर्मा	संसदीय कार्य एव पर्यावरण	21-3-97 से 21-9-97
5.	श्री ओम प्रकाश सिह	सिचाई एव गन्ना विकास बाढ नियत्रण, चीनी मिले	21-3-97 से 21-9-97
6.	श्री सुखदेव राजभर	ग्राम्य विकास, 16-8-97 से बढा अम्बेडकर ग्राम विकास तथा प्रान्तीय विकास दल	21-3-97 से 21-9-97
7.	श्री हरि किशन श्रीवास्तव	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार	27-3-97 से 21-9-97
8.	डा० नरेन्द्र कुमार गौर	उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा	27-3-97 से 21-9-97
9.	श्री श्रीराम पाल	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एव जनजाति कल्याण	27-3-97 से 21-9-97
10.	श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एव चिकित्सा	27-3-97 से 21-9-97
11.	श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन	कारागार एवं राजनैतिक पेन्शन, 13-9-97 से बढा होमगार्डस	27-3-97 से 21-9-97
12	डा० नैपाल सिह	माध्यमिक शिक्षा एव भाषा	27-3-97 से 21-9-97
13.	श्री मारकण्डे चन्द	सस्कृति एव खेलकूद	27-3-97 से 21-9-97
14.	श्रीमती प्रभा द्विवेदी	श्रम	27-3-97 से 21-9-97

15	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	कृषि, 16-8-97 से चिकित्सा शिक्षा तथा लघु सिचाई वढा, 13-9-97 से आवकारी और औद्योगिक भी बढा	27-3-97 मे 21-9-97
16	श्री ऐजाज रिजवी	खाद्य एव रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियत्रण	27-3-97 मे 21-9-97
17.	श्री राधेश्याम गुप्ता	सस्थागत वित्त, व्यापार कर, मनोरजन कर, पजीयन, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क	27-3-97 से 21-9-97
18.	श्री रामवीर उपाध्याय	परिवहन, 13-9-97 से ऊर्जा बढ़ा	27-3-97 से 21-9-97
19.	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन	27-3-97 से 21-9-97
20.	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	खादी एव ग्रामीण उद्योग 13-9-97 से पिछडा वर्ग कल्याण तथा विकलाग बढा	27-3-97 मे 21-9-97

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार

1.	श्री बाबू लाल कुशवाहा	हथकरघा एवं रेशम उद्योग	27-3-97 से 21-9-97
2.	श्री बालेश्वर त्यागी	पंचायती राज	27-3-97 से 21-9-97
3.	श्री सुन्दर सिंह बघेल	दुग्ध विकास एव पशुधन	27-3-97 से 21-9-97
4.	श्री भोला शंकर मौर्य	विज्ञान एव प्रौद्योगिकी	27-3-97 से 21-9-97
5	श्री रवीन्द्र शुक्ला	बेसिक शिक्षा	27-3-97 से 21-9-97
6.	श्री भगवती प्रसाद सागर	वैकल्पिक ऊर्जा, 16-8-97 से उद्यान तथा खाद्य प्रसस्करण बढा	27-3-97 से 21-9-97
7.	श्री बुनियाद हुसेन अन्सारी	अल्प संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ, हज	27-3-97 से 21-9-97
8.	श्री राम प्रसाद चौधरी	क्षेत्रीय विकास	27-3-97 से 21-9-97
9.	श्री विभूती प्रसाद निषाद	इलेक्ट्रानिक्स	27-3-97 से 21-9-97
10.	श्री शिव चरण प्रजापति	पिछडा वर्ग कल्याण 13-9-97 से हटा औरलघु सिचाई मिला विकलाग कल्याण	27-3-97 से 21-9-97
11	श्री राम अचल राजभर	कृषि शिक्षा, कृषि अनुसधान	27-3-97 से 21-9-97

12.	श्री लाल मणि प्रसाद	होमगार्डस 13-9-97 से हटा और लघु उद्योग एवनिर्यात प्रोत्साहन मिला नागरिक सुरक्षा	27-3-97 से 21-9-97
13.	श्री गगा प्रसाद पुष्कर	ग्रामीण अभियत्रण सेवा	27-3-97 से 21-9-97
14.	श्री मातवर सिह कण्डारी	उत्तराखण्ड विकास	27-3-97 से 21-9-97
15.	श्री राधेश्याम कोरी	राष्ट्रीय एकीकरण एव क्रियान्वयन	27-3-97 से 21-9-97

राज्य मंत्री

1.	श्री रमा शकर पाल	सहकारिता	27-3-97 से 21-9-97
2.	श्री गोरख प्रसाद निषाद	श्रम, सेवायोजन	27-3-97 से 21-9-97
3.	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय	आवास एवं नगर विकास, नगर भूमि, जलसम्पूर्ति	27-3-97 से 21-9-97
4.	श्री धर्मपाल सिह	लोक निमार्ण एवं पर्यटन	27-3-97 से 21-9-97
5.	श्री जयपाल सिंह	सिंचाई एव गन्ना विकास, बाढ़ नियंत्रण, चीनी मिले	27-3-97 से 21-9-97
6.	श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण	27-3-97 से 21-9-97
7.	श्री अशोक यादव	राजस्व, अभाव, सहायता और पुनर्वासन	27-3-97 से 21-9-97
8.	श्रीमती राज राय सिंह	संस्थागत वित्त, व्यापार कर मनोरंजन कर, पंजीयन, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क	27-3-97 से 21-9-97
9.	श्री बशीधर भगत	खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति किराया नियत्रण	27-3-97 से 21-9-97

श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल

21-9-97 से 12-11-99

क्रम संख्या	नाम	विभाग	अवधि
1.	श्री कल्याण सिह मुख्य मत्री	शेष सभी विभाग जो अन्य किसी को आवटिंत नही हैं	21-9-97 से 12-11-99

मंत्री

1.	श्री आर० के० चौधरी	सहकारिता, पर्यावरण, अम्बेदकर ग्राम्य विकास	21-9-97 से 12-10-99
2.	श्री कलराज मिश्र	ळोकनिर्माण, पर्यटन	21-9-97 से 12-11-99
3,	श्री सुखदेव राजभर	ग्राम्य विकास लघु सिंचाई	21-9-97 से 19-10-97
4.	श्री लालजी टण्डन	आवस नगर भूमि,नगर विकास, जल सम्पूर्ति नगरीय रोजगार एव गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	21-9-97 से 12-11-99
5.	डा० नसीमुद्दीन सिद्दीकी	कृषि, कृषि विदेश व्यापार, औद्योगिक, मद्य निषेध, चिकित्सा शिक्षा	21-9-97 से 19-10-97
6.	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिचाई, गन्ना विकास चीनी मिले कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति 9-10-98 से बाढ़ नियत्रण	21-9-97 से 12-11-99
7.	श्री श्रीराम पाल	समाज कल्याण, पिछडा वर्ग विकलाग कल्याण	21-9-97 से 19-10-97
8.	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछडा वर्ग कल्याण, विकलाग कल्याण, सैनिक कल्याण	27-10-97 से 12-11-99
9.	श्री रामवीर उपाध्याय	परिवहन, ऊर्जा	21-10-97 से 19-10-97
10.	श्री नरेश अग्रवाल	ऊर्जा	27-10-97 से 12-11-99
11.	श्री दिवाकर विक्रम सिह	कृषि, कृषि विदेश व्यापार, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान	27-10-97 से 12-11-99

12.	डा0 नरेन्द्र कुमार सिह गौर	उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा	21-9-97 से 12-11-99
13.	चौधरी नरेन्द्र सिह	ग्राम्य विकास	27-10-97 से 12-11-99
14.	श्री जगदम्बिका पाल	परिवाहन	27-10-97 से 7-2-98
15.	श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एव चिकित्सा	21-9-97 से 12-11-99
16	श्री मारकण्डे चन्द्र	लघु सिंचाई ग्रामीण अभियत्रण	21-9-97 से 19-10-97 21-10-97 से 12-11-99
17.	श्री रघुवर दयाल वर्मा	वन जन्तु उद्यान	21-10-97 से 12-11-99
18,	डा0 नेपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा भाषा	21-9-97 से 12-11-99
19.	श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन	वन जन्तु उद्यान	21-9-97 से 19-10-97
20.	श्री हरी किशन	संस्कृति खेलकूद युवा कल्याण	21-9-97 से 24-9-97
21,	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	खादी एवं ग्रामीण उद्योग	21-9-97 से 19-10-97
22.	श्री राम प्रसाद चौधरी	वस्त्र उद्योग हथकरघा रेशम उद्योग	21-9-97 से 19-10-97
23.	श्री उमेश चन्द्र	शंस्कृति खेलकूद युवा कल्याण	25-9-97 से 19-10-97
24.	श्री सूर्य प्रताप शाही	आबकारी मद्यनिषेध	27-10-97 से 12-11-99
25.	श्री राम कुमार वर्मा	सहकारिता	27-10-97 से 12-11-99
26.	श्रीमती प्रेमलता कटियार	महिला कल्याण बालविकास एवं पुष्टाहार	27-10-97 से 12-11-99
27.	श्रीमती प्रभा द्विवेदी	श्रम	21-9-97 से 12-11-99
28.	श्री सरदार सिंह	वस्त्र उद्योग हथकरघा रेशम उद्योग	27-10-97 से 12-11-99
29.	श्री राधेश्याम गुप्ता	सस्थागत वित्त व्यापार कर 9-10-98 को हटा पशुधन एवं मत्स्य मिला	21-9-97 से 12-11-99
30.	श्री बाबू राम एम0 काम	लघु उद्योग निर्यात प्रोत्साहन	27-10-97 से 12-11-99
31.	श्री हुकुम सिंह	पजीयन मनोरंजन कर स्टाम्प 15-1-98 से संसदीय भी 14-9-98 से खाद्य तथा रसद भी मिला	27-10-97 से 12-11-99
32.	श्री ऐजाज रिजवी	खाद्य एव रसद नागरिक आपूर्ति किराया नियंत्रण	21-9-97 से 11-9-98
33.	श्री शिव प्रताप शुक्ला	कारागार	27-10-97 से 12-11-99
34.	श्री वच्चा पाठक	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा	27-10-97 से 12-11-99
35.	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	राजस्व	21-9-97 से 12-11-99
36.	श्री हरिशंकर तिवारी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	27-10-97 से 12-11-99

37.	श्री मण्डलेश्वर सिंह	क्षेत्रीय विकास, परती भूमि विकास	27-10-97 से 12-11-99
38.	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	राष्ट्रीय एकीकरण इलेक्ट्रानिक्स	27-10-97 से 12-11-99
39.	डा0 रमेश पोखरियाल निशंक	उत्तराचल विकास	27-10-97 से 12-11-99
40.	चौ0 लक्ष्मी नारायण	उद्यान खाद्य प्रसस्करण	27-10-97 से 12-11-99
41.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	खेलकूद युवा कल्याण प्रान्तीय विकास दल	27-10-97 से 12-11-99
42.	श्री शिवाकान्त ओझा	चिकित्सा शिक्षा	27-10-97 से 12-11-99
43.	श्री सरस्वती प्रताप सिंह	होमगार्डस, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा	27-10-97 से 12-11-99
44.	श्री फागू चौहान	सस्कृति पूर्तधर्मस्व	27-10-97 से 12-11-99
45.	श्री राजाराम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामीण उद्योग	27-10-97 से 12-11-99
46.	राजा रघुराज प्रताप सिंह	कार्यक्रम कार्यान्वयन	27-10-97 से 12-11-99
47.	श्री जय नारायण तिवारी	सार्वजनिक उद्यम	10-3-98 से 12-11-99

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्यमंत्री

1.	श्री सुन्दर सिंह बघेल स्वतंत्र प्रभार	दुग्ध विकास	21-9-97 से 9-10-98
2.	श्री रवीन्द्र शुक्ला स्वतंत्र प्रभार	बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा	21-9-97 से 4-12-98
3.	श्री गोरख प्रसाद निषाद स्वतंत्र प्रभार	पशुधन, मत्स्य	21-9-97 से 9-10-98
4.	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डे स्वतंत्र प्रभार	नियोजन अर्थ एवं संख्या	21-9-97 से 12-11-99
5.	श्री धर्म पाल सिंह स्वतंत्र प्रभार	पंचायती राज	21-9-97 से 12-11-99
6.	श्री जयपाल सिंह स्वतंत्र प्रभार	बाढ नियंत्रण 9-10-98 को हटा और दुग्ध विकास मिला	21-9-97 से 12-11-99
7.	श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह स्वतंत्र प्रभार	परिवार कल्याण, मातृ एव शिशु कल्याण	21-9-97 से 31-3-99

8.	श्री अशोक यादव स्वतत्र प्रभार	अभाव सहायता एवं पुनर्वास	21-9-97 से 12-11-99
9.	श्री राधेश्याम कोरी स्वतत्र प्रभार	अम्बेडकर ग्राम विकास	21-9-97 से 19-10-97 तक पुनः 27-10-97 से 12-11-99
10.	राजा गजनफर अली स्वतंत्र प्रभार	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ हज	27-10-97 से 12-11-99
11.	श्री बाबू लाल कुशवाहा स्वतंत्र प्रभार	क्षेत्रीय विकास	21-9-97 से 19-10-97
12.	श्री भगवती प्रसाद सागर स्वतंत्र प्रभार	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार	21-9-97 से 19-10-97
13.	श्री विभूति प्रसाद निषाद स्वतंत्र प्रभार	इलेक्ट्रानिक्स	21-9-97 से 19-10-97
14.	श्री लाल जी वर्मा स्वतंत्र प्रभार	कारागार	23-9-97 से 19-10-97
15.	श्री लालमणि प्रसाद स्वतत्र प्रभार	लघु उद्योग निर्यात प्रोत्साहन	21-9-97 से 19-10-97
15.	श्री शिव चरण प्रजापति स्वतंत्र प्रभार	कृषि अनुसंधान	21-9-97 से 19-10-97
16.	श्री गंगा प्रसाद पुष्कर स्वतंत्र प्रभार	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	21-9-97 से 19-10-97
17.	श्री राम अचल राजभर स्वतंत्र प्रभार	वैकल्पिक ऊर्जा	21-9-97 से 19-10-97
18.	श्री भोला शंकर मौर्य स्वतंत्र प्रभार	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	21-9-97 से 19-10-97
19.	श्री बुनियाद हुसेन अन्सारी स्वतंत्र प्रभार	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ हज	21-9-97 से 19-10-97
20.	श्री राम शंकर पाल स्वतत्र प्रभार	उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण	21-9-97 से 19-10-97

राज्य मंत्री

1.	श्री बालेश्वर त्यागी	वित्त 9-10-98 बढ़ा कर एवं संस्थागत वित्त 7-12-98 से हटा एवं मिला बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा स्वतत्र प्रभार	21-9-97 से 12-11-99
2.	श्री फतेह बहादुर सिंह	औद्योगिक विकास	27-10-97 से 12-11-99
3.	श्री राम प्रसाद कमल	लोक निर्माण	27-10-97 से 12-11-99
4.	श्री लल्लू सिंह चौहान	पर्यटन 14-9-98 को हटा मिला ऊर्जा	27-10-97 से 12-11-99
5.	श्री सुरेश खन्ना	आवास	27-10-97 से 12-11-99
6.	श्री सतीश महाना	नगर विकास	27-10-97 से 12-11-99
7.	श्री धनराज यादव	सिंचाई	27-10-97 से 12-11-99
8.	श्री मंगल सिंह सैनी	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें	27-10-97 से 12-11-99
9.	श्री मंगल सिंह सैनी	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें	27-10-97 से 12-11-99
10.	श्री राम आसरे कुशवाहा	अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण	27-10-97 से 12-11-99
11.	श्री रंगनाथ मिश्र	ऊर्जा 14-9-98से हटा मिला वन 3-6-99 से परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण	27-10-97 से 12-11-99
12.	श्री भगवान सिंह शाक्य	कृषि	27-10-97 से 12-11-99
13.	श्री वीरेन्द्र सिंह	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान	27-10-97 से 12-11-99
14.	श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा	27-10-97 से 12-11-99
15.	श्री यशवन्त सिंह	प्राविधिक शिक्षा	27-10-97 से 12-11-99
16.	श्री शिवेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास	27-10-97 से 12-11-99
17.	श्री बश नारायण सिंह	ग्राम्य विकास	27-10-97 से 12-11-99
18.	श्री सुखपाल पाण्डेय	परिवहन	27-10-97 से 12-11-99
19.	डा0 अरिवन्द कुमार जैन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	27-10-97 से 12-11-99
20.	श्री राम आसरे पासवान	लघु सिंचाई	27-10-97 से 12-11-99
21.	श्री चन्द्र किशोर	माध्यमिक शिक्षा	27-10-97 से 12-11-99
22.	श्री विक्रमाजीत मौर्य	आबकारी	27-10-97 से 12-11-99
23	श्री राम चन्द्र वाल्मीकि	सहकारिता	27-10-97 से 12-11-99
24.	श्रीमती गुलाब देवी	महिला कल्याण	27-10-97 से 12-11-99
25.	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	वस्त्रोउद्योग	27-10-97 से 12-11-99
26.	श्री बहोरन लाल मौर्य	सस्थागत वित्त 9-10-98 से राजस्व बढ़ा	27-10-97 से 12-11-99

27.	श्री बिहारी लाल आर्य	लघु उद्योग	27-10-97 से 12-11-99
28.	श्री राकेश त्यागी	पजीयन	27-10-97 से 12-11-99
29.	श्रीमती राजराय सिह	सेवायोजन हटा 19-10-97 से 2-11-97 से मिला खाद्य एव रसद	21-9-97 से 27-2-98
30.	श्री हरि नारायण राजभर	कारागार	27-10-97 से 12-11-99
31.	श्री विवेक कुमार सिह	पर्यावरण	27-10-97 से 12-11-99
32.	श्री रामपाल राजवशी	वैकल्पिक ऊर्जा	27-10-97 से 12-11-99
33.	श्री शिवशकर सिंह	राजस्व 9-10-98 को हटा मिला सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	27-10-97 से 12-11-99
34.	श्री सतीश शर्मा	विज्ञान एव प्रौद्योगिकी 9-10-98 को हटा मिला वित्त	27-10-97 से 12-11-99
35.	श्री सग्राम सिह	क्षेत्रीय विकास 3-6-99 को मिला कृषि	27-10-97 से 12-11-99
36.	श्री श्रीराम सोनकर	राष्ट्रीय एकीकरण	27-10-97 से 12-11-99
37.	श्री मातबर सिंह कंडारी	उत्तरांचल विकास स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री	21-9-97 से 19- 10-97 20-10-97 से 12-11-99
38.	श्री बंशीधर भगत	सार्वजनिक उद्यम स्वतंत्र प्रभार 19-10-97 को हटा मिला उत्तरांचल विकास राज्यमंत्री	21-9-97 से 19- 10-97 20-10-97 से 12-11-99
~~39.~~	~~श्री [illegible]~~	~~उत्तरांचल विकास~~	~~27-10-97 से 12-11-99~~
40.	श्री पूरन सिंह बुन्देला	उद्यान	27-10-97 से 27-2-98
41.	श्री दलबीर सिंह	खेलकूद 14-7-98 को हटा मिला पर्यटन	27-10-97 से 12-11-99
42.	श्री अमर मणि त्रिपाठी	युवा कल्याण 9-10-98 को हटा मिला पशुधन एवं मत्स्य	27-10-97 से 12-11-99
43.	श्री गगा बख्श सिंह	चिकित्सा शिक्षा 3-6-99 को हटा मिला वन	27-10-97 से 12-11-99
44.	श्री विनय पाण्डेय	होमगार्डस	27-10-97 से 12-11-99
45.	श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल	सस्कृति	27-10-97 से 12-11-99
46.	श्री राम लखन पासी	खादी एव ग्रामीण उद्योग	27-10-97 से 12-11-99
47.	श्री मुन्ना लाल मौर्य	उद्यान	10-3-98 से 12-11-99
48.	श्री वेद प्रकाश	श्रम	10-3-98 से 12-11-99
49	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	ग्रामीण अभियत्रण सेवा	10-3-98 से 12-11-99
50.	श्री शिव गणेश लोधी	खाद्य एव रसद	10-3-98 से 9-10-98

उत्तर प्रदेश के मन्त्रिपरिषद (1991-97) के सदस्यों के सामाजिक पृष्ठभूमि से संबन्धित व्यक्तिगत आंकड़ा---

प्रश्नावली सख्या -

दिनाक -

स्थान -

निर्देश - (आवश्यकतानुसार उत्तर के सामने सही (✓) का निशान लगाये/हॉ/ना लिखे अथवा विवरण दे।) प्रस्तुत विवरण गोपनीय रखा जाएगा।

1 नाम

2 मुल निवास

(क) ग्राम/कसबा/शहर

(ख) तहसील

(ग) जिला

3 विधान मडल के किस सदन से आप सम्बन्धित है।

(क) विधानसभा सदस्य ( )

(ख) विधान परिषद सदस्य ( )

(ग) किसी भी सदन से सम्बन्धित नही ( )

4 आपकी किस विधानसभा के सदस्य रहे है।

(क) एकादश ( )

(ख) द्वादश ( )

(ग) त्रयोदश ( )

(घ) उपर्युक्त मे से किन्ही दो मे ( )

(ड) उपर्युक्त सभी में ( )

5 विधान परिषद सदस्य के रुप मे कार्यकाल। उल्लेख करे

6 आप किस धर्म से सम्बन्धित है।

(क) हिन्दू ( )

(ख) मुस्लिम ( )

(ग) अन्य (उल्लेख करे)

7 आप किस जाति से सम्बन्धित हैं।

(क) उच्च वर्गीय ( )

(ख) मध्य वर्गीय ( )

(ग) अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन जाति ( )

(घ) उपर्युक्त मे से कोई नही तो उल्लेख करे

8 आप किस लिग से सम्बन्ध रखते है।

(क) स्त्री ( )

(ख) पुरुष ( )

9 आप किस दल से सम्बन्धित है।

(क) भारतीय जनता पार्टी ( )

(ख) समाजवादी पार्टी ( )

(ग) भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ( )

(घ) बहुजन समाज पार्टी ( )

(ङ) जनता दल ( )

(च) भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी सी पी आई (मार्क्सवादी) ( )

(छ) उपर्युक्त के अतिरिक्त (कृपया दल का नाम लिखे)

(ज) निर्दल ( )

10 आपका शैक्षिक स्तर

(क) जूनियर हाई स्कूल या उससे कम ( )

(ख) हाईस्कूल/समकक्ष ( )

(ग) इण्टरमीडिएट तथा सीनियर कैम्ब्रिज या समकक्ष ( )

(घ) स्नातक एव विधि स्नातक ( )

(ड) स्नातकोत्तर ( )

(च) पी0 एच0 डी0 अथव अन्य उच्च शैक्षिक अर्हता ( )

(छ) डिप्लोमा ( )

(ज) तकनीकी शिक्षा (चिकित्सा/इजीनियरिंग) ( )

(झ) अशिक्षित ( )

11 आपका व्यवसायिक पृष्ठ भूमि

(क) कृषि ( )

(ख) सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी ( )

(ग) राजनीति एव सामाजिक कार्य ( )

(घ) वकालत ( )

(ड) व्यापार एव उद्योग ( )

(च) अध्यापन ( )

(छ) लेखन/पत्रकारिता ( )

(ज) चिकित्सा/इजीनियरिंग ( )

(झ) विविध (उल्लेख करे)

12 आप किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये है।

(क) निर्वाचन क्षेत्र

(ख) जिला

13 क्या यह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित है।

(क) हॉ ( )

(ख) नही ( )

14 यदि इस अवधि मे दल परिवर्तन किये हो तो इसका उल्लेख करे।

15 क्या आप उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनैतिक स्थिति से सतुष्ट है।

(क) हॉ ( )

(ख) नही ( )

16 मत्रिपरिषद तथा राज्य की राजनैतिक स्थिति के सदर्भ मे सुझाव दें।

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

संदर्भ ग्रन्थ सूची

आमण्ड एण्ड कोलमैन	-	'द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेट', एरिपाटन, प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1960।
एस0 जे0 डब्लू	-	'द नेचर ऑफ लीडरशीप: ए पोलिटिकल अप्रोच', बम्बे, लालवानी, 1968।
अवस्थी डॉ0 विशम्बर दयाल	-	'वैदिक सस्कृति और दर्शन', सरस्वती प्रकाश, इलाहाबाद, 1978।
अस्थाना पुष्पा	-	'पार्टी सिस्टम इन इण्डिया,' डेवलपमेट, आर डिके, क्राइटेरियन पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1988।
एलन जार्क एण्ड अनविन	-	'पॉलिटिक्स एण्ड सोसाइटी इन इण्डिया'।
अस्टिन ग्रेनविल	-	'इन्डियन कान्सटीट्यूशन: कार्नर स्टोन ऑफ ए नेशन्स,' लन्दन, कलेरन्डन।
ऐण्टर डेविड	-	'पोलिटिकल पार्टीज'
आहूजा राम	-	'भारतीय समाज' रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एव नई दिल्ली, 2000।

बसु दुर्गादास - 'कामेट्री ऑफ दी कान्सटीट्यूशन ऑफ इण्डिया,' द्वितीय सस्करण, 1952।

ब्राउन बर्नाड इ - 'न्यू डायरेक्शन्स इन कम्पैरेटिव पालिटिक्स' बाम्बे, एशिया पब्लिकेशन्स, 1962।

भम्भारी, सी0 पी0 - 'पैर्टन ऑफ कैबिनेट, मेकिंग इन इण्डियन स्टेट पोलिटिकल साइन्स,' रिव्यू खण्ड-2, 1963।

बसु दुर्गादास - 'कमेन्टरी ऑफ द कान्सटीटयूशन ऑफ इण्डिया', एस0 सी0 सरकार एण्ड सन्स, कलकत्ता,1965।

भास्करन0 आर - 'सोशियोलाजी ऑफ पालिटिक्स, एशिया पब्लिकेशन्स,' बम्बई ,1967

ब्लोण्डेल0 जीन - 'एन इन्ट्रोडक्शन टू कम्पैरिटव पालिटिक्स वीडेनफील्ड एण्ड निकोल्स,लन्दन ,1969।

भाम्भारी, सी. पी - 'व्यूरोक्रेसी एण्ड पालिटिक्स इन इण्डिया' विकास पब्लिकेशन्स,दिल्ली 1971।

बोस, निमाई साधन - 'इण्डिया इन द एट्टीज, न्यू पर्सपेक्टिव, 1982।

भाम्भारी0 सी0 पी0 - 'फोर्थ जनरल इलेक्शन एण्ड पोलिटिकल, कॉम्पटिशन इन इण्डिया, (1947-1991) विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 1991।

बॉल एलन - 'मार्डन पालिटिक्स एण्ड गर्वनमेण्ट,' लन्दन मैकमिलन,27।

बाइस जेम्स - 'मार्डन डेमोक्रेसी'

बख्सी उपेन्द्र एण्ड भीखू पोरख - 'क्राइसिस एण्ड चेन्ज इन इन्डिपेन्डस'।

बसु दुर्गा दास - 'भारत का सविधान एक परिचय,' प्रेटिस हाल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड,नई दिल्ली, 1998।

चन्द्र बिपिन - 'भारत का स्वतत्रता सघर्ष,' हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1998।

चन्द्र बिपिन - 'आजादी के बाद का भारत,' हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2002।

दास श्यामसुन्दर - 'हिन्दी शब्द सागर,' पहला भाग, काशी नागरी प्रचारणी सभा, 1916।

दत्त एम के - 'आरिजन एण्ड ग्रोथ ऑफ करेन्ट इन इण्डिया,' मुखोपाध्याय,कलकत्ता, 1968।

डहल आर0 ए0 : 'पोलियार्की पार्टिसिपेशन एण्ड अपोजिशन,' येल यूनिवर्सिटी, प्रेस न्यू हैवेन, 1971।

दीक्षित प्रभा : 'साम्प्रदायिक्ता का ऐतिहासिक, सन्दर्भ,' मेकमिलन, 1980।

इल्डर्सवेल्ड एस जे एण्ड वशीरउद्दीन अहमद : 'सिटीजन एण्ड पॉलिटिक्स - मास पोलिटिकल विहेवियर इन इण्डिया'।

फाइनर एच - 'द थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस ऑफ मार्डन,' 1932।

फिलीप सी0 एच0 : 'सलेक्ट डाकोमेन्ट्स आनन्द हिस्ट्री आफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान' आक्स फोर्ड, लन्दन, 1962।

फिलीप सी0 एच0 - 'पालिटिक्स एण्ड सोसाइटी इन इण्डिया' लन्दन, जार्ज एलन एण्ड अनविन, 1963।

फड़िया बी0 एल0 = 'भारतीय शासन और राजनीति'।

फाइनर एस ई : 'कम्पैरिटिव गवर्नमेट एलन लेन,' द पेम्बिन प्रेस, लन्दन, 1970।

गाडगिल एन0 सी0 - 'गवर्नमेन्ट फ्राम इनसाइड,' मीनाक्षी प्रकाश, मेरट, 1968।

गगल एस0 सी0 - 'प्राइम मिनिस्टर एण्ड द कैबिनेट इन इण्डिया,' नव चेतना प्रकाशन, दिल्ली, 1972।

गोयल ओ0 पी0 - 'कम्पेरिटिव गवर्मेन्टस,' ऋतु पब्लिकेशन्स, दिल्ली।

गजेन्द्र गडकर पी0 बी0 - ' द कान्सटीटयुशन ऑफ इण्डिया; इट्स फिलासफी एण्ड बेसिक पोस्ट लेट्स,' आक्सफोर्ड, 1972।

गुप्ता डी0 सी0 : 'इण्डियन गर्वनमेट एण्ड पोलिटिक्स,' विकास पब्लिशिग हाउस प्रा0 लि0, दिल्ली, 1972।

गुप्ता आर दास एण्ड मॉरिस जोन्स: 'पैटनर्स एण्ड टेन्डस इन इण्डियन पालिटिक्स।'

ग्रोवर वी0 : 'पोलिटिकल सिस्टम इन इण्डिया।'

ग्रेवर वी0 एण्ड रजना अरोरा - 'इण्डिया 50 ईयर्स आफ इनडिपेन्डेन्स'।

गुप्ता वि0 दास - 'पैटर्नस एण्ड ट्रेन्डस इन इण्डियन पॉलिटिक्स'।

गुप्ता भवानी सेन - 'इण्डिया प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेन्स'।

गिलक्राइस्ट : 'प्रिन्सिपल्स ऑफ पोलिटिकल साइंस।'

ग्रानविल : 'दि इण्डियन कान्सटियूशन; कार्नर स्टीन आफ ए नेशन,' बाम्बे, 1972

गाबा ओम प्रकाश - 'राजनीतिक विचार शब्दकोश,' नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

हैन्सन ए0 एच0 एण्ड जैनेट डगलस - 'इण्डियन डेमोक्रेसी,' विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1972

हलम्पा - 'डाइलमाज ऑफ डेमोक्रेटिक पालिटिक्स इन इण्डिया'।

हन्ना डब्ल्यू ए0 - 'एट नेशनमेकर्स साउथ ईस्ट एशियाज कैरियरमैटिक स्टेट मेटरन',अमेरिका ,यूनिवर्सिटीज, फील्ड स्टाफ, 1964।

जोन्स सक्लू एस मोरिस - 'पार्लियामेन्ट इन इण्डिया', लागमेन्स ग्रीन एण्ड कम्पनी, 1957।

जैन एच0 एम0 - 'द यूनियन एक्जीक्यूटिव,' चैतन्य पब्लिशर्स, इलाहाबाद, 1969।

जोन्स डब्लू0 एच0 मॉरिस - 'द गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स आफ इण्डिया,' हचिन्सन यूनिवर्सिटी, लन्दन, 1971।

जौहरी जे0 सी0 - 'रिफलेक्श ऑफ इण्डियन पॉलिटिक्स,' नई दिल्ली, 1974।

जौहरी जे0 सी0 - 'भारतीय शासन और राजनीति,' विशाल पब्लिकेशन्स ,दिल्ली ,1976।

जैन एव फडिया - 'भारतीय शासन एव राजनीति,' साहित्य भवन आगरा, 1986।

जोन्स डब्ल्यू0 एच0 मॉरिस - 'डामिनेन्स एण्ड डिसेन्ट देयर इण्टर रिलेशन इन द इण्डियन पार्टी सिस्टम,' ओरियन्ट लॉगमैन,मद्रास, 1978।

जोन्स डब्ल्यू0 एच0 मॉरिस - 'पार्लियामेन्ट एण्ड डामिनेन्ट पार्टी द इण्डियन एक्सपीरियन्स', ओरियन्ट लॉगमैन, मद्रास 1978।

मैनर जेम्स - 'इन्दिरा एण्ड ऑफ्टर', यूरोप एण्ड थर्ड वर्ल्ड' 1977।

- 'पार्टीज एण्ड पार्टी सिस्टम'।

मैन हार्स्ट हॉट - 'पोलिटिकल पार्टीज इन इण्डिया', मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1982।

मलिक (डा0) सरला - 'प्राइमिनिस्टर ऑफ इण्डिया या पार्वस एण्ड फन्कशसन्स' प्रथम सस्करण, चिन्ता प्रकाशन, पिलानी, राजस्थान, 1984।

मोहम्मद खालिद - 'इण्डियन पोलिटिकल सीन 1989 मेन कन्टेडर्स फार पावर (साउथ एशियन स्टडीज-2) इन्स्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज पैनाग्राफिक्स लिमिटेड इस्लामाबाद 1989।

मानेकर डी0 आर0 - लाल बहादुर शास्त्री, पापुलर प्रकाशन, बम्बई।

मजूमदार बिमल विहारी - 'इण्डियन पोलिटिकल एशोसियशन एण्ड रिफार्मस ऑफ लेजिलेशन'।

मर्कल पीटर एच - 'मार्डन कम्पैरिटिव पॉलिटिक्स'।

महेश्वरी एस0 आर0 - 'तुलनात्मक राजनीति'।

मित्रा एस0 के0 एण्ड सिह बी0 बी0 - 'डेमोक्रेसी एण्ड सोशल चेन्ज इन इण्डिया ए क्रास सेक्शनल एनालिसिस ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रोरेट'।

राव वी0 शिवा - 'द फ्रेमिग ऑफ इण्डिया कान्सट्टीट्यूशन,' इण्डिया इन्सटीट
ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली;1968।

राय अमल - ' टेशन एरिया इन इण्डियाज फेडरल सिस्टम' वर्ल्ड प्रेस
कलकत्ता, 1970।

राव के0 आर0 - ' काग्रेस स्थिलिट्स' लालबानी पब्लिशिग हाउस, बाम्बे ,19

राव वी0 शिवा - ' द फ्रेमिंग आफ इण्डियन कास्सटीट्यूशन' खण्ड-2 दिल्ली, 19

राव शा0 भाले - ' विधान मडलो मे द्वितीय सदन का स्थान' राज्यसभा सचिवा
नयी दिल्ली;1977।

राजकिशोर - 'जाति का जहर,' वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1998।

राम रामाश्रय एण्ड पॉल वालेस - 'इण्डियन पालिटिक्स एण्ड द 1998 इलेक्शन्स रीजनलि
हिन्दुत्व स्टेट पॉलिटिक्स'।

राजपूत सरला - ' रोल आफ सी0 एम0 इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एक के
स्टडी आफ एम0 पी0 भोपाल, 1982।

राय एम0 एन0 - ' पॉलिटिक्स पावर एण्ड पार्टीज डेमोक्रेसी एण्ड पार्टी कम्पलैव

राव के0 वी0 - ' पालियमेट्री डेमोक्रेसी इन इण्डिया'।

जोन्स डब्ल्यू0 एच0 मॉरिस - 'फ्राम मोनोपाली टू कम्पीटीशन इन इण्डियाज पोलिटिक्स'।

जोन्स डब्ल्यू0 एच0 मॉरिस - 'पार्लियामेन्ट इन इण्डिया'।

जोसी राम एण्ड आर0 के0 हेस्सर - 'कांग्रेस इन इण्डियन पॉलिटिक्स,' पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, 1987।

जैन पुखराज - 'भारतीय प्रधानमत्री,' साहित्य भवन,आगरा, 1981

जैन पुखराज - 'राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त,' साहित्य भवन,आगरा, 1992।

जौहरी जे0 सी0 - 'भारतीय राजनीति,' 'विशाल पब्लिकेशन्स' जालन्धर,1995।

कोर्टनी सर इल्बर्ट - 'द गवर्म्मेन्ट ऑफ इण्डिया,' आक्सफोर्ड,1922।

कुमार बी0 आर0 - 'इज पार्टी सिस्टम सुटेबिल फॉर इण्डिया,' 'स्वराज मद्रास',1961।

कोटारी रजनी - 'पॉलिटिक्स इन इण्डिया स्टेट अगेन्स्ट डेमोक्रेसी,' ओ लागमैन,नई दिल्ली, 1970।

कोचानेक स्टैनली ए. - 'द कांग्रेस पार्टी ऑफ इण्डिया, प्रिन्सटन यूनिर्वसिटी प्रेस,1968।

कश्यप (डॉ0) सुभाष - 'राजनीतिक शब्द कोष' राजकमल प्रकाशन,दिल्ली, 1971।

कोटरी रजनी - 'भारत मे राजनीति,' ओरियन्ट लागमैन लि0, दिल्ली, 1972।

कीथ ए बी - 'ए कान्सट्रीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया,' सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1973।

कोचानेक स्टैनली ए0 : 'मिसेज गांधी पिरैमिड द न्यू काग्रेस इन गाधीज इण्डिया,' वेस्ट व्यू, 1976।

कुल सद्गुरु दयाल एव माटे सुरेश चन्द्र - 'सामाजिक नियत्रण एव परिवर्तन,' स्टूडेण्ट्स फ्रेण्ड्स एण्ड कम्पनी, वाराणसी, 1971।

केरास मेरी सी : 'इन्दिरा गांधी,' जयको पब्लिशिग, दिल्ली, 1980।

कोटारी रजनी - 'पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्शन स्टडीज'।

कोटारी रजनी - 'द कन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोरल चेंज इन इण्डिया'।

कौशिक सुशीला - 'भारतीय शासन एव राजनीति,' हिन्दी क्रियान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1990।

कटियार भगवान स्पवरुप : 'उत्तर प्रदेश 99,' सूचना एव जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश 1999।

कोटारी रजनी - 'भारत मे राजनीति,' ओरिएण्ट लागमैन लिमिटेड, नयी दिल्ली।

कोहली अतुल : 'इण्डियाज डेमोक्रेसी एण्ड एनासिसिस ऑफ चेन्जिग स्टेट सोसायटी रिलेशन'।

लायड आई रूडोलफ - 'दि माडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन,' ओरियेन्ट लागमेन लिमिटेड, दिल्ली-1969।

लासवेल हैराल्ड - 'फैक्शन्स इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइसेज'।

लीनग्रीन्स - 'हैन्ड बुक ऑफ पोलिटिकल साइस'।

मिल जे0 एस0 - 'कन्सीडरेशन ऑफ रिप्रेजेटेटिव गवर्नमेन्ट,' पारकेन्स एण्ड बोर्न लन्दन, 1861।

मुन्शी के0 एम0 - 'पार्वस एण्ड फन्कशन्स ऑफ प्रेसीडेन्ट,' दि हिन्दुस्तान टाइम्स (गणतंत्र दिवस परिशिष्ट), 26 जनवरी 1956।

मुन्शी के0 एम0 - 'द प्रेसीडेन्ट अन्डर द इण्डियन कान्सट्टीट्यूशन,' प्रथम सस्करण 'भारतीय विधाभवन,बम्बई, 1963।

मुन्शी के0 एम0 - 'इन्डियन कान्सटिट्यूसनल डाकमेन्ट्स; द फ्रीडम 1902-1950,' भारतीय विद्या भवन,खण्ड-एक/द्वितीय, 1967।

मालेराव आर0 सी0 - 'पोलिटिकल इलीट इन अनडेवलप्ड सोसायटी, ए केस ऑफ यू0 पी0 1969।

मोरिस जोन्स - 'द गवर्नमेन्ट एण्ड पालिटिक्स ऑफ इण्डिया,' हिन्दी अनुवाद सुरजीत सिह,दिल्ली, 1970।

मुखर्जी पी0 बी0 - 'प्री एलीमेन्टल प्राब्लमस ऑफ दी इण्डियन कान्सटीट्यूशन' नेशनल, दिल्ली,1972।

नेहरु जे0 एल0 - 'द डिस्कवरी ऑफ इण्डिया,' ओरियण्ट लागमैन, कलकत्ता 1946।

नारायण जय प्रकाश - 'ए प्ली फार रिकन्सट्रक्शन ऑफ अण्डियन पॉलिटिक्स,' काशी, 1959।

न्यूमैन सिगमण्ड - 'मार्डन पोलिटिकल पार्टीज सिस्टम ए फ्रेम्मर्वक फार एनालिसिस' कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, 1965।

निले वाल्टर सी0 - 'इण्डिया द सर्च ऑफ युनिटी डेमोक्रेसी एण्ड प्रोगेस,' प्रिन्सटन, डी0 वैन नैसटैड कम्पनी, 1965।

नारायण इकबाल - 'स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया' मीनाक्षी प्रकाशन, मेरट, 1967।

नूरानी ए0 जी0 - 'इन्डियाज कान्सट्टिट यूरान एण्ड पालिटिक्स,' जयको पब्लिशिग हाउस, बम्बई 1970।

नैय्यर कुलदीप - "इण्डिया द क्रिटीकल इयर्स," विकास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1971।

नारायण इकबाल - 'भारतीय सरकार एव राजनीतिक' हिन्दी ग्रन्थ अकादनी, जयपुर, राजस्थान, 1974।

नारायण श्रीमन - 'ए प्ली फॉर आइडियोलॉजिकल,' क्लैरिटी।

पालोम्बरा जोसेफ एव बीनर माइनर - 'पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल डेबल-पमेट,' 'प्रिसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966।

डॉ0 पाण्डेय दुर्गादत्त - 'धर्मदर्शन सिद्धान्त और समीक्षा प्रकाशन, सस्थान, शाहदरा, दिल्ली, 1979।

पालकीवाला एन0 ए0 - 'वी द पीपुल, स्टेन्डर्ड बुक स्टाल, बम्बई ,1984।

पालोम्बरा जोसेफ लॉ - 'पालिटिक्स एमंग नेशन्स'।

पूरी जी0 एस0 - 'भारतीय राजनीति व्यवस्था'।

पार्क एण्ड टिंकर - 'लीडरशीप एण्ड पालिटीकल इन्स्टीट्यूशन इन इण्डिया'।

राय बी0 पी0 सिह - 'पार्लियामेट्री गवर्नमेन्ट इन इण्डिया, कलकत्ता,1945।

राव वी0 वेकटा - 'द प्राइमर मिनिस्टर, बोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स , बम्बई ,1954।

राव बी0 एन0 - 'इण्डियाज कान्स्टीट्यूशन इन द मेकिंग एलाइड पब्लिशर्स, बम्बई , 1960।

राव के0 बी0 - 'पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी आफ इण्डिया,' 'वर्ल्ड प्रेस, कलकत्ता ,1965।

रूडाल्फ एण्ड रूडाल्फ - 'द माडर्निटी ऑफ ट्रेडिसन पोलिटिकल टेवलपमेट इन इण्डिया', यूनिवर्सिटी प्रेस , शिकागो ,1967।

स्थिम डोनाल्डई - 'नेहरू एण्ड डेमोक्रेसी द पालिटिकल थॉट आफ एन एशियन डेमोक्रेट' बम्बई, आरियन्अ लागमेस, 1958।

शर्मा पी0 के0 - 'पालिटिकल एसपेक्टस आफ स्टेटस आर्गनाइजेशन इन इण्डिया', 1958।

सन्थानम के0 - 'यूनियन स्टेट रिलेशन्स इन इण्डिया,' एशियन पब्लिशिग हाउस, बम्बई, 1960।

शरण (डा0) परमात्मा - 'द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कोंसिल ऑफ इण्डिया' एस0 चन्द एण्ड कम्पनी, 1961।

स्मिथ डोनाल्ड ई0 - 'इण्डिया एज सेक्युलर स्टेट' न्यू जर्सी प्रिसटन, यूनिवर्सटी प्रेस, 1963।

स्टेलिगमैन ई0 ए0 आर0 - 'इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशलसाइंसेज' मैकमिलन, न्यूयार्क 1967।

सार्टोरी - 'पार्टीज एण्ड पार्टी सिस्टम ए फेमवर्क फार एनालिसिस' कैम्ब्रिज, यूनिवर्सटी प्रेस, 1967।

शर्माराम - 'पार्लियामेन्टरी गवर्नमेन्ट इन इण्डिया' जर्नल 'बुक डिपो, इलाहाबाद, 1969।

सेट डी0 एल0 - 'सिटीजन्स एण्ड पार्टी एस्प्रेक्टस ऑफ कम्पिटीटिव पालिटिक्स इन इण्डिया,' एलाइड, बाम्बे, 1975।

शर्मा एल0 एन0 - 'द इण्डियन प्राइम मिनिस्टर आफिस एण्ड पावर' नई दिल्ली, मैकमिलन, 1976।

शर्मा रामशरण - 'प्राचीन भारत, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद दिल्ली, 1977।

सदाशिव एस0 एन0 - 'पार्टी एण्ड डेमोक्रेसी इन इण्डिया' टाटा मैक्ग्राहिल, दिल्ली, 1977

शुक्ला (डॉ0) विमला - 'भारतीय सविधान मे प्रधानमत्री की भूमिका,' राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली, 1978।

शुक्ल देवी प्रसाद एव श्रीवास्तव वृजेन्द्र कमार - 'आधुनिक सविधानों के सिद्धान्त और व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन' मध्य प्रदेश, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1986।

सईद एस0 एम0 - 'भारतीय राजनीतिक व्यवस्था' सुलभ प्रकाशन, लखनऊ, 1978।

सुद ज्योति प्रसाद - 'आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास' के0 नाथ एण्ड कम्पनी पुस्तक प्रकाशन, मेरठ, 1998।

सिंह जे0 पी0 - 'सामाजिक परिवर्तन स्वरूप एवं सिद्धान्त,' प्रेंटिस हाल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1999।

सूद ज्योति प्रसाद - 'पाश्चात्य राजनीतिक विचार का इतिहास,' के0 नाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ।

सिंह वीरेन्द्र प्रताप एवं सिंह श्यामधर - 'सामाजिक परिवर्तन, दूरवर्ती शिक्षा अनुभाग, दूरवर्ती शिक्षा अनुभाग काशी विद्यापीट, वाराणसी।

श्रीनिवास एम0 एस0 - 'आधुनिक भारत मे जाति,' राजकमल प्रकाशन प्रा0 लिमिटेड, नई दिल्ली, 2001।

तिवारी उमाकान्त - 'द मेकिंग ऑफ द इण्डियन कान्सटीट्यूशन,' कर्नल बुक डिपो इलाहाबाद, 1974।

टाकुर जनार्दन - 'आल दि पी0 एम् स0 मेन' दिल्ली, 1977

जे0 आर0 वेकटेश्वसरन - 'कैबिनेट गर्वनमेण्ट इन इण्डिया,' लन्दन 1967।

वीनर माइनर - 'स्टेट पालिटिक्स इन इण्डिया' न्यू जर्सी, 1968।

वर्मा एस0 पी0 - 'भारतीय सविधान एव शासन,' एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 दिल्ली-1978।

वर्मा एम0 एस0 - 'यूनियन केबिनट इन इण्डिया,' आलेख पब्लिशर्स, जयपुर 1980।

विद्यालकार सत्यकेतु - 'राजनीतिशास्त्र राज्य और शासन,' सरस्वती सदन, दिल्ली, 1985।

वर्मा एस0 पी0 - 'इण्डियन पार्लियामेन्टिएन्स',
उपाल पब्लिकेशिग हाउस, नई दिल्ली, 1986।

वुड जान आर0 - 'स्टेट पॉलिटिक्स इन कन्टेम्पोरेरी इण्डिया,' क्राइसिस आर कान्टीन्यूटी बुल्डर वेस्टर व्यू, 1984।

एशियन सर्वे

एशियन रिकार्डर

एबुअल रिसर्च रजिस्टर (पुस्तकालय जी0 वी0 पन्त इन्स्टीट्यूट, झूसी, इलाहाबाद)

इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली

इनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेशन्स - एटी नेशन्स

इण्डियन जर्नल ऑफ पोलिटिकल साइस

जर्नल ऑफ कान्स्टीट्यूशनल एण्ड पार्लिमेन्ट्री कन्ट्री स्टडीज

जर्नल ऑफ एशियन अफ्रीकन स्टडीज, दिल्ली

सेमिनार, मेन्सट्रीम, इण्डिया टुडे, आउटलुक,

पॉलिटिक्स इण्डिया, फ्रन्टलाइन

गार्जियन (मानचेस्टर)

डेली टेलीग्राफ (लन्दन)

इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इण्डिया (बाम्बे)

हिन्दुस्तान टाइम्स, द पैट्रियेट

टाइम्स ऑफ इण्डिया, स्टेटसमैन

द हिन्दू, इण्डियन एक्सप्रेस, डेकन हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड,

नव भारत टाइम्स, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा।